

इकाई 1: बैंकिंग-अर्थ, कार्य, महत्त्व एवं विशेषताएँ

इकाई की रूपरेखा

- 1.1 प्रस्तावना
- 1.2 बैंक का अर्थ
- 1.3 बैंक की परिभाषा
- 1.4 बैंकिंग प्रणाली की विशेषताएँ
- 1.5 आधुनिक बैंकों के कार्य
- 1.6 बैंकों के प्रकार
- 1.7 बैंकों के महत्व
- 1.8 सारांश
- 1.9 शब्दावली
- 1.10 बोध प्रश्न
- 1.11 बोध प्रश्न के उत्तर
- 1.12 स्वपरख प्रश्न
- 1.13 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप इस योग्य हो सकेंगे कि-

- बैंकिंग की अवधारणा, विकास एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझ सकेंगे।
- बैंक के अर्थ, परिभाषा और प्रमुख विशेषताओं का स्पष्ट वर्णन कर सकेंगे।
- आधुनिक बैंकों के प्रमुख, गौण एवं आकस्मिक कार्यों की व्याख्या कर सकेंगे।
- बैंकिंग प्रणाली की अर्थव्यवस्था में भूमिका और महत्व को समझ सकेंगे।
- पूँजी निर्माण, ऋण सृजन एवं आर्थिक विकास में बैंकों के योगदान का विश्लेषण कर सकेंगे।
- बैंकिंग के माध्यम से वित्तीय समावेशन और सामाजिक विकास की भूमिका को पहचान सकेंगे।

1.1 प्रस्तावना

प्राचीन समय में मनुष्य की आवश्यकताएँ सरल एवं बहुत सीमित थीं, जिसकी आपूर्ति वह स्वयं या अपने समुह की सहायता से कर लेता था। धीरे-धीरे समय के साथ मनुष्य की आवश्यकताएँ बढ़ती गयी और आत्मनिर्भर रहना कठिन होता गया। जिसके परिणामस्वरूप मनुष्य ने विनिमय के ढंग अपनाये। उसने अनुभव किया की विनिमय एक लाभप्रद एवं सरल व्यवस्था है।

मुद्रा का आविष्कार होने से पूर्व वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था जिसके अन्तर्गत वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। यदि एक व्यक्ति के पास कोई वस्तु उसकी आवश्यकता से अधिक होती तो वह अन्य व्यक्ति से

अपनी आवश्यकता की वस्तु का आदान प्रदान कर लेता था। वस्तु विनिमय प्रणाली का सबसे बड़ा गुण यह था कि इसमें व्यक्ति को कम उपयोगिता वाली वस्तु के बदले में अधिक उपयोगिता वाली वस्तु मिल जाती थी, जिससे एक व्यक्ति अधिक संतुष्टि प्राप्त कर लेता। जैसे-जैसे विनिमय का क्षेत्र बढ़ता गया इस प्रणाली की कठिनाईयाँ भी बढ़ने लगी। इस प्रकार समय के परिणाम स्वरूप वस्तु विनिमय प्रणाली का अन्त हुआ और साथ ही मुद्रा का आविष्कार हुआ। जिसमें सर्वप्रथम कुछ विशेष वस्तुएं लेन-देन के लिए उपयुक्त की जाने लगी ये वस्तुएं धीरे-धीरे मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाने लगी, इन्हें वस्तु मुद्रा कहा जाता है। समय के साथ लोगो ने देखा कि सोना, चांदी, तांबा जैसी धातुएं विनिमय के लिये आसान व अधिक मूल्यवान है। यहीं से धातु मुद्रा ने जन्म लिया। लगभग 600 ईसा पूर्व में दुनिया के कई हिस्सों में मुहर लगे सिक्कों का चलन बढ़ा। लेकिन बड़ी मात्रा में सिक्के ले जाना भारी और जोखिम भरा था। इसी समस्या ने नई मुद्रा को जन्म दिया। इसके पश्चात् कागजी मुद्रा का तेजी से प्रचलन हुआ। मुद्रा प्रचलन में आने से विनिमय कार्य में काफी सुविधा हुई। इसका एक निश्चित मूल्य होता है, जिसे व्यक्तियों द्वारा लेन देन में स्वीकार किया जाता है।

मुद्रा के आविष्कार के साथ ही बैंकिंग संस्था का भी प्रारंभ हुआ। बैंकिंग संस्था एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा एवं साख से सम्बन्धित लेने-देने का कार्य करती है। वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था बहुत हद तक बैंकिंग संस्थाओं के विकास पर निर्भर रहती है। जिस देश में बैंकिंग संगठन अधिक सुदृढ़ रहती है उस देश की अर्थव्यवस्था संतुलित बनी रहती है।

1.2 बैंक का अर्थ

बैंक एक अंग्रेजी शब्द है। इसे हिन्दी में अधिकोष कहा जाता है। बैंक शब्द के प्रयोग का इतिहास काफी पुराना है। वर्तमान में भी यह शब्द काफी लोकप्रिय है। विद्वानों में इस शब्द की उत्पत्ति कब और कहा से हुई इस सम्बन्ध में काफी मतभेद हैं। इसकी उत्पत्ति चाहें जिस शब्द से भी हुई हो, परन्तु आज बैंकों में जिस तरह के कार्य होते हैं, उस का प्रादुर्भाव इटली में हुआ है। प्राचीन समय में इटली और यूरोप के विभिन्न देशों में साहूकार लोग बेंचों में बैठकर मुद्रा का अदल-बदल करते थे। ये लोग अपने पास विभिन्न स्थानों की मुद्रा रखा करते थे और व्यापारियों की सुविधा के लिए मनचाहें स्थान की मुद्रा में उसकी मुद्रा को परिवर्तित का दिया करते थे। धीरे-धीरे ये पूरे संसार में फैल गये और बैंकों का विकास संसार के सभी देशों में होता आ रहा है।

बैंक का अभिप्राय उन सभी गतिविधियों से है जिसके माध्यम से धन का संग्रहण, वितरण और विनिमय किया जाता है। यह उधार लेने वालों से ब्याज कमाकर और जमाकर्ताओं को ब्याज देकर लाभ कमाती है और अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में बैंक न केवल एक वित्तीय संस्था है बल्कि यह किसी भी देश की आर्थिक ढांचे की रीढ़ माना जाता है। बैंक का अर्थ केवल धन जमा करना और उधार देना ही नहीं है, बल्कि यह एक बहुआयामी वित्तीय संस्था है जो बचत, निवेश, क्रेडिट निर्माण, भुगतान निपटान, मुद्रा सृजन और आर्थिक स्थिरता को बनाये रखने जैसे अनेक महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन करती है।

1.3 बैंक की परिभाषा

विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गयी बैंक की परिभाषाएं निम्नलिखित है -

फिण्डले शिराज के अनुसार –“बैंकर, वह व्यक्ति फर्म या कम्पनी हैं जिसके पास व्यवसाय के लिए ऐसा स्थान हो जहाँ मुद्रा अथवा करेंसी की जमा द्वारा साख का कार्य किया जाता है और जिसकी जमा का ड्राफ्ट, चैक या आर्डर द्वारा भुगतान किया जाता है।”

क्राउथर के अनुसार:- “बैंक का कार्य अन्य लोगों से ऋण लेकर बदले में अपना ऋण प्रदान करके मुद्रा का निर्माण करना है।”

भारतीय बैंकिंग कम्पनीज एक्ट (1949):- “बैंकिंग से तात्पर्य ऋण देने अथवा विनियोजन के लिए जनता का धन जमा करना है, जो माँग करने पर लौटाया जा सकता है तथा चैक, ड्राफ्ट अथवा अन्य प्रकार की आज्ञा द्वारा निकाला जा सकता है।”

डॉ. एल. हर्बर्स और एल. हार्ट ने बैंकर को इस प्रकार परिभाषित किया है ‘‘वह व्यक्ति जो व्यवसाय के सामान्य क्रम में उन व्यक्तियों द्वारा लिखे गए चेकों का सम्मान करता है जिनसे और जिनके लिए वह चालू खातों में धन प्राप्त करता है।’’

चैंबर की ट्वेंटीएथ (20th) सेंचुरी डिक्शनरी में बैंक को धन रखने उधार देने और विनिमय आदि के लिए संस्था के रूप में परिभाषित किया गया है।

प्रोफेसर केंट बैंक को इस प्रकार परिभाषित करते हैं, एक ऐसा संगठन जिसका मुख्य संचालन सामान्य जनता के अस्थायी रूप से निष्क्रिय धन को एकत्रित करने से संबंधित है, जिसका उद्देश्य दूसरों को व्यय के लिए अग्रिम राशि प्रदान करना है।

बैंक की सरल, संक्षिप्त एवं उचित परिभाषा यह हो सकती है कि बैंक मुद्रा तथा साख का व्यवसाय करने वाली संस्था है। (Bank is an institution which deals in money and credit) मुद्रा के व्यवसाय अथवा क्रय-विक्रय से आशय ऋणों के लेन-देन से होता है। मुद्रा खरीदेन का अर्थ होता है कि बैंक द्वारा जनता में जमा स्वीकार करना अथवा ऋण लेना। मुद्रा के बेचने का अर्थ ऋण देना होता है। दोनों ही दशाओं में मुद्रा की कीमत ब्याज के रूप में चुकायी जाती है। परन्तु मुद्रा का क्रय विक्रय तो अन्य लोग भी करते हैं जिन्हें बैंक अथवा बैंकर नहीं कहा जाता। उनमें तथा बैंक में महत्वपूर्ण अन्तर यह है कि बैंक मुद्रा के व्यवसाय के साथ-साथ साख का भी क्रय-विक्रय करता है। बैंक साख का निर्माण करता है जबकि साहूकार इत्यादि ऐसा नहीं कर पाते। इस प्रकार प्रत्येक बैंक साहूकार का कार्य करता है, परन्तु प्रत्येक साहूकार बैंक का कार्य नहीं कर सकता।

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि बैंक की परिभाषा उनके कार्यों के आधार पर दी जाती है। बैंक उस व्यक्ति या संस्था को कह सकते हैं जो मुद्रा और साख का व्यवसाय करें। अन्त में हम कह सकते हैं कि “एक अच्छा बैंकर वह है जो अपना दिमाग लगाता है और दूसरे के रूपों से व्यापार करता है। “वास्तव में, बैंक एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा एवं साख से सम्बन्धित लेन-देन का कार्य करती है।

1.4 बैंकिंग प्रणाली की विशेषताएं


बैंकिंग प्रणाली (Banking System) की मुख्य विशेषताएं हैं : जमा स्वीकार करना और ऋण देना, भुगतान प्रणाली का प्रबंधन, वित्तीय सेवाओं (जैसे खाते, कार्ड, बीमा) की पेशकश, धन प्रवाह को सुगम बनाना और अर्थव्यवस्था के विकास में मदद करना, यह RBI द्वारा नियंत्रित होती है और इसमें वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय

ग्रामीण बैंक और पेमेंट बैंक जैसे विभिन्न प्रकार के संस्थान शामिल होते हैं, जो आधुनिक तकनीक और नियामक मानकों के साथ काम करते हैं।

बैंकिंग प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं -

1. **वित्तीय मध्यस्थता** - बैंक बचतकर्ताओं से धन लेते हैं और जरूरतमंदों को ऋण के रूप में देते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में धन का प्रवाह बढ़ता है।
 2. **आर्थिक विकाय में भूमिका** - उत्पादन को बढ़ावा देती है, रोजगार पैदा करती है और आर्थिक विकास को गति देती है।
 3. **वित्तीय उत्पादों की विविधता** - बचत खाते, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बीमा और निवेश सहायता जैसे उत्पाद प्रदान करती है।
 4. **भुगतान और निपटान** - चेक, ड्राफ्ट, ऑनलाइन ट्रांसफर, आदि सेवाओं के माध्यम से लेन-देन को आसान बनाती है।
 5. **आर्थिक विकास में भूमिका** - उत्पादन को बढ़ावा देती है, रोजगार पैदा करती है और आर्थिक विकास को गति देती है।
 6. **आंशिक बैंकिंग** - बैंक जमा राशि का केवल एक हिस्सा अपने पास रखते हैं और बाकी को ऋण के रूप में देते हैं, जिससे ऋण सृजन होता है।
 7. **तकनीकी एकीकरण** - इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग 24*7 सेवाएं प्रदान करती है, जिससे ग्राहकों को सुविधा मिलती है।
- संक्षेप में, बैंकिंग प्रणाली अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो धन के प्रबंधन, लेन-देन और विकास को संभव बनाती है।

1.5 आधुनिक बैंकों के कार्य



पड़ता है। लोग अपनी बचते बैंकों में जमा कर देते हैं जिन पर उन्हें ब्याज मिलता है तथा उनकी धनराशि सुरक्षित रहती है। बैंक द्वारा जमा करने के लिए खातों की व्यवस्था होती है, जो निम्नलिखित है -

1. **चालू खाता (Current Account)** - इस प्रकार के खाते यापारियों तथा बड़ी- बड़ी संस्थाओं के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, इस प्रकार के खातों में जमाकर्ता को धनराशि जमा करने व निकालने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। साधारणतया इस प्रकार के खातों में बैंकों द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाता, बल्कि कुछ सेवा व्यय भी वसूल करती है।
2. **सावधि या स्थायी जमा खाता (Fixed Deposit)** - इस प्रकार के खातों में धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है जो प्रायः सात दिनों से लेकर दस वर्ष तक के लिए हो सकती है, जो बैंक और स्कीम पर निर्भर करती है। इस प्रकार के खातों से धनराशि जमाकर्ता निश्चित समय अवधि समाप्त के पश्चात् आहारित कर सकता है, इस प्रकार के जमा पर सबसे अधिक दर पर बैंक द्वारा ब्याज जमाकर्ता को दिया जाता है। यदि जमाकर्ता को समय अवधि से पूर्व धनराशि की आवश्यकता पड़ती है, तो वह अपनी राशि बैंक से आहारित कर सकता है इस स्थिति बैंक द्वारा कुछ कटौती कर धनराशि लौटा दी जाती है। इस प्रकार की जमा राशि को बैंक की काल-देनदारी(Time Liability) कहा जाता है।
3. **बचत खाता (Saving Bank Account)** - छोटी बचत वालों के लिए इस प्रकार के खातें अधिक उपयोगी होते हैं। वे अपनी छोटी-छोटी बचतों को इस प्रकार के खातों में जमा कर ब्याज का लाभ उठाते हैं, इस प्रकार के खातों में ब्याज की दर स्थायी जमा की तुलना में कम होती है। इस प्रकार के खातों से धनराशि एक या दो से अधिक बार आहारित नहीं की जा सकती।
4. **आवर्ती जमा खाता (Recurring Deposit Account)** - एक निर्धारित अवधि के लिए जमाकर्ता द्वारा इस खाते में अपनी धनराशि जमा करता है जो मासिक आधार पर भी हो सकती है जिसे बैंक द्वारा अवधि पूर्ण होने पर लौटा दिया जाता है। इस प्रकार के खातों में प्रायः छोटी बचत वाले लोग ही रकम जमा करते हैं। सामान्यतया: अवधि पूर्ण होने के बाद बैंक ब्याज सहित धनराशि जमाकर्ता को देता है। इस प्रकार के खातों से अवधि पूर्ण होने से पहले राशि नहीं निकाली जा सकती है। यदि बैंक अनुमति दे देता है तो ब्याज में कटौती की जाती है।
5. **वेतन खाता (Salary Account)** - यह एक प्रकार का खाता है, जिसमें व्यक्ति द्वारा किसी संगठन में कार्य करने के फलस्वरूप अपना वेतन मिलता है। यह आमतौर पर बड़े संगठनों के अनुरोध पर खोला जाता है, जिसे व्यक्ति स्वयं संचालित कर सकते हैं। संगठन का भी उसी बैंक में खाता होता है, जिससे मासिक वेतन जमा करने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। ऐसे बैंक खातों में न्यूनतम शेष राशि की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन केवल वेतन भोगी व्यक्ति ही ऐसे खाते खोल सकते हैं।
6. **एनआरआई खाता (NRI Account)** - अनिवासी भारतीयों के लिए भारत में खोले जाने वाले विशेष खाते होते हैं, जो उन्हें अपनी विदेशी आय को भारतीय मुद्रा में जमा करने और भारत से पैसे भेजने और निवेश करने की सुविधा देते हैं। यह खाते तीन प्रकार के होते हैं-

- i. **एनआरई खाता** - विदेश से अर्जित धन (जैसे वेतन) को भारत में भारतीय रुपये में जमा करना और उसे आसानी से अपने देश वापस भेजना। इस खाते से हुई आय पर भारत में कर नहीं लगता है और मूलधन व ब्याज दोनों को वापस भेजा जा सकता है।
 - ii. **एनआरओ खाता** - भारत में अर्जित आय (किराया, लाभांश, पेंशन आदि) को प्रबंधित करना और जमा करना। भारत में कमाई पर लागू कर नियमों के अनुसार कर लगता है।
 - iii. **एफसीएनआर खाता** - विदेशी मुद्रा में सीधे पैसे जमा करना, जो रुपये में बदलने की आवश्यकता नहीं होती। यह भी कर मुक्त होता है और इस में मुद्रा विनिमय जोखिम नहीं होता।
- II. **ऋण देना (Advancing of Loans)** - आधुनिक बैंकों का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य ऋण देना है। जमाकर्ता की रकम बैंक के पास नहीं रखी रहती है। कुछ नकद कोष रखने के पश्चात् बैंक बाकी रकम जरूरतमन्द व्यक्तियों व व्यवसायियों को ऋण के रूप में दे देता है। बैंक जमा पर दी जाने वाली ब्याज की अपेक्षा ऋणों पर अधिक ब्याज लेता है और इन दोनों की दरों के अन्तर से बैंक को लाभ होता है। बैंक सामान्यतः निम्नलिखित प्रकार के ऋण प्रदान करता है:-
1. **नकद साख (Cash Credit)** - बैंक नकद साख प्रणाली के अन्तर्गत बाण्ड या दूसरी प्रकार की प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण देते हैं। व्यापारी लोग बैंक के पास प्रतिभूतियां जमा कर देते हैं और आवश्यक रकम लेते रहते हैं। इस व्यवस्था के अन्तर्गत बैंक एक निश्चित सीमा तक ऋण प्राप्त करने का अधिकार दे देता है। इस सीमा के अन्तर्गत ऋणी अपना आवश्यकतानुसार बैंक से रकम लेता रहता है और जमा भी करता रहता है। ब्याज उसी रकम पर वसूल किया जाता है, जो वास्तव में ऋणी के पास रहती है, परन्तु कभी-कभी बैंक नकद साख की कुल रकम पर ही ऋण पर ब्याज लेता है।
 2. **अधिविकर्ष (Overdraft)** - अधिविकर्ष प्रणाली के अन्तर्गत चालू खातों के जमाकर्ताओं को अपनी जमा राशि के ऊपर भी एक निश्चित सीमा तक रकम निकालने की अनुमति दे दी जाती है। बैंक अधिविकर्ष की राशि निश्चित कर देता है और ऋणी दस राशि के भीतर वास्तविक रूप में निकाली गई राशि पर ब्याज देता है। अधिविकर्ष देते समय बैंक ग्राहक की साख का ध्यान रखता है।
 3. **ऋण एवं अग्रिम (Loan & Advances)** - ऋण तथा अग्रिम एक निश्चित धनराशि के रूप में दिये जाते हैं। बैंक ऋणदाता के खाते में ऋण की रकम इकट्ठी जमा कर देता है। ऋणदाता उसे कभी भी निकलवा सकता है। बैंक समूची स्वीकृत ऋण राशि पर ब्याज लेता है।
 4. **विनिमय-बिलों का भुगतान (Discounting of Bills)** - व्यापारिक बैंक आवश्यकता पड़ने पर अपने ग्राहकों के विनिमय पत्रों की कटौती करता है अर्थात् बिलों में कुछ कटौती करके बाकी राशि का भुगतान बिलधारक को कर देता है। सामान्यतः कटौती दर ब्याज दर से समान होती है। विनिमय पत्रों की समय अवधि आने पर बैंक धनराशि वसूल कर लेता है।
- I. **अभिकर्ता सम्बन्धी कार्य (Agency Function)** - बैंक अपने ग्राहकों के लिए एजेंट अथवा प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करते हैं। ऐसे कार्यों के लिए ग्राहक स्वयं अपने बैंक को लिखित अनुमति देते हैं। इसमें से कुछ

कार्य निशुल्क किये जाते हैं तथा कुछ के लिए निश्चित शुल्क प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:-

- i. ग्राहकों द्वारा भेजे गये चैक, विनिमय बिल आदि साख-पत्रों का भुगतान एकत्र करने का कार्य बैंक करते हैं।
 - ii. बैंक अपने ग्राहकों द्वारा लिखे गये चैकों का भुगतान करते हैं तथा कभी-कभी ग्राहकों के बिल भी स्वीकार करते हैं, जिनका भुगतान निश्चित तिथि पर कर दिया जाता है।
 - iii. अपने ग्राहकों की ओर से लाभांशों, ब्याज, किराया, ऋण की किस्त आदि वसूल भी करते हैं।
 - iv. ग्राहकों के आदेशानुसार बैंक उनके बीमे के प्रीमियम, कर, ब्याज, चन्दे, ऋण की किस्त आदि के भुगतान करने का कार्य करते हैं।
 - v. बैंक अपने ग्राहकों के लिए सरकारी प्रतिभूतियाँ, कम्पनियों के शयर्स तथा ऋणपत्र आदि के क्रय-विक्रय का कार्य भी करते हैं।
- II. सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य - इसमें मुख्य रूप से धन जमा करना, ऋण देना, भुगतान की सुविधा देना और वित्तीय सेवाएं प्रदान करना, विदेशी विनिमय का क्रय-विक्रय आदि जैसे कार्य शामिल हैं।
- आकस्मिक कार्य
- बैंक ऊपर बताये गये अनेक कार्यों के अतिरिक्त आधुनिक बैंक निम्नलिखित कुछ सामान्य कार्य भी करते हैं जैसे -
- i. बैंक अपने ग्राहकों की बहुमूल्य वस्तुओं जैसे जेवर, कानूनी पत्र, दस्तावेज आदि का सुरक्षित रखने के लिए विशेष प्रकार की छोटी तिजोरियाँ अपने पास रखते हैं।
 - ii. सरकार द्वारा जारी किये गये ऋणों की बिक्री की व्यवस्था बैंकों द्वारा की जाती है।
 - iii. बैंक अपने ग्राहकों की उपभोग की महँगी वस्तुओं जैसे मोटरकार, मोटर एवं व्यक्तिगत उपयोग आदि के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराता है।
 - iv. बैंक एक विशेषज्ञ के समान अपने ग्राहकों को उनके धन तथा निवेश सम्बन्धी मामलों में सलाह भी देते हैं।
 - v. साख-निर्माण का कार्य (Creation of Credit) - अधिक लाभ कमाने के लिए आधुनिक बैंक अपनी अंश-पूंजी तथा जमा-राशि की कुल मात्रा से अधिक ऋण देते हैं, जो उनके द्वारा साख का निर्माण करने पर सम्भव होता है। वास्तव में, आधुनिक बैंक व्यवस्था का विकास बहुत कुछ बैंकों की साख-निर्माण की शक्ति द्वारा ही सम्भव होता है।

1.6 बैंकों के प्रकार

भारत में विभिन्न प्रकार के बैंक हैं। वे हमारे देश की आर्थिक स्थिति को बनाए रखने और मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भारत में बैंकों को चार प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है-

- i. केंद्रीय अधिकोष

- ii. वाणिज्यिक बैंक
- iii. विशिष्ट बैंक
- iv. सहकारी बैंक



➤ केंद्रीय अधिकोष

भारत में, केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। अधिकांश देशों में एक केंद्रीय बैंक होता है जो अन्य सभी बैंकों के कार्यों का विनियमन करता है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत के अन्य सभी बैंकों की निगरानी और विनियमन करने वाली सर्वोच्च संस्था के रूप में कार्य करता है। कुछ स्थितियों में, यह सरकार के लिए एक बैंकर के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

केंद्रीय बैंक के कार्य -

- किसी देश में केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य अन्य सभी बैंकों को विनियमित करना है, इस प्रकार वह आर्थिक क्षेत्र के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है।
- यह बैंकों का बैंक है और इसलिए अन्य बैंकों के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है।
- केंद्रीय बैंक देश में मुद्रा जारी करने के लिए भी जिम्मेदार है।
- भारतीय रिजर्व बैंक हमारे देश की वित्तीय प्रणाली की निगरानी करता है।

- यह मौद्रिक नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।

➤ वाणिज्यिक बैंक

वाणिज्यिक बैंकों का संगठन बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत होता है। ये जनता के लिए कार्य करते हैं। ये ऋण स्वीकार करते हैं और ऋण प्रदान करते हैं। वाणिज्यिक बैंकों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। इनका स्वामित्व राज्य, किसी निजी संस्था या सरकार के पास होता है। इनकी संरचना सुसंगठित होती है। वाणिज्यिक बैंकों की आय का मुख्य स्रोत जनता की जमा राशि होती है। वाणिज्यिक बैंकों को आगे तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है-

- निजी क्षेत्र के बैंक - एक निजी संस्था के पास निजी क्षेत्र के बैंक में बहुलांश हिस्सेदारी होती है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक - भारत सरकार के पास सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में बहुलांश हिस्सेदारी होती है।
- विदेशी बैंक - विदेशी बैंकों का मुख्यालय उनके संबंधित देशों में स्थित है, तथा केवल उनकी शाखाएं हमारे देश में हैं।

वाणिज्यिक बैंकों के कार्य -

- वाणिज्यिक बैंक जनता से जमा स्वीकार करते हैं, जो उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है।
- वे ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराते हैं।
- वे अग्रिम ऋण या ओवरड्राफ्ट सुविधा भी प्रदान करते हैं।
- वे अपनी अतिरिक्त धनराशि को विभिन्न प्रतिभूतियों में भी निवेश करते हैं।

➤ विशिष्ट बैंक

किसी विशेष उद्योग या क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशिष्ट लक्ष्यों को ध्यान में रखकर गठित बैंक विशिष्ट बैंक कहलाते हैं। विशिष्ट बैंकों के कुछ उदाहरण हैं- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), निर्यात एवं आयात बैंक (एक्जिम बैंक), राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), आदि।

विशिष्ट बैंकों के कार्य -

- वे विशेष उद्योगों के आयात और निर्यात पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- वे जिन उद्योगों के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें वित्तीय सेवाएं भी प्रदान करते हैं।

➤ सहकारी बैंक

सहकारी बैंक अपने सदस्यों से संबंधित एक वित्तीय संस्था होती है। सहकारी बैंक के सदस्य इसके ग्राहक और मालिक दोनों होते हैं। सहकारी बैंकों की स्थापना राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक भी इन बैंकों का नियमन करता है।

सहकारी बैंकों के कार्य -

- सहकारी बैंकों का प्राथमिक कार्य सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है। वे कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करते हैं।
- वे ग्रामीण आबादी को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- वे गांव के साहूकारों की पारंपरिक दोषपूर्ण ऋण प्रणाली का विकल्प प्रदान करते हैं।
- वे वित्तीय समावेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में।

1.7 बैंकों के महत्व

बैंक किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, जो जमा स्वीकार करना, ऋण देना, धन की सुरक्षा करना और भुगतान की सुविधा देकर लोगों और व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, जिससे बचत, निवेश और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है, साथ ही यह भुगतान विदेशी मुद्रा और निवेश जैसे कई अन्य वित्तीय सेवाएं भी देते हैं। विकसेल (Wicksel) ने बैंकों को आधुनिक चलन-व्यवस्था का हृदय तथा केन्द्र बिन्दु कहा है। इस प्रकार आर्थिक विकास के साथ-साथ बैंकों के कार्य तथा महत्व में भी वृद्धि होती है और एक विकसित अर्थव्यवस्था में बैंकों के अभाव की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस प्रकार बैंकों से प्राप्त होने वाले लाभ निम्नलिखित हैं:

1. **पूंजी संग्रहण और वितरण** - बैंक लोगों से बचत स्वीकार करते हैं और इसी पैसे को उद्योगों, व्यवसायों और कृषि जैसे क्षेत्रों में ऋण के रूप में देते हैं, जिससे पूंजी का प्रवाह सही दशा में होता है।
2. **वित्तीय स्थिरता** - बैंक मुद्रा प्रबंधन और ऋण वितरण के माध्यम से अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखते हैं और वित्तीय प्रणाली को सुचारू रूप से चलाते हैं।
3. **आर्थिक विकास को बढ़ावा** - ऋण देकर बैंक नए व्यवसाय शुरू करने और विस्तार करने में मदद करते हैं, जिससे उत्पादन बढ़ता है और रोजगार के अवसर पैदा होते हैं।
4. **सुरक्षा और सुविधा** - बैंक पैसे रखने के लिए एक सुरक्षित जगह प्रदान करते हैं। चेक, डेबिट/क्रेडिट कार्ड और मोबाइल बैंकिंग जैसी सुविधाएं लेन-देन को सुरक्षित और आसान बनाती हैं, जिससे भारी नकदी ले जाने का खतरा खत्म होता है।
5. **भुगतान और निपटान प्रणाली** - बैंक चेक, ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (UPI, NEFT, RTGS) जैसी सेवाएं देकर भुगतान को आसान बनाते हैं।
6. **सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन** - बैंक सब्सिडी वितरण, कर संग्रह और अन्य सरकारी वित्तीय योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
7. **वित्तीय सलाह और अन्य सेवाएं** - बैंक लॉकर, विदेशी मुद्रा विनिमय, निवेश (म्यूचुअल फंड, स्टॉक) और बीमा जैसी कई अन्य वित्तीय सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
8. **क्रेडिट का सृजन (साख निर्माण)** - बैंक जमाओं को ऋण में बदलकर साख (क्रेडिट) का निर्माण करते हैं, जो आर्थिक गतिविधियों के लिए आवश्यक है।
9. **मुद्रा प्रणाली में लोच** - उद्योग व व्यापार की मौद्रिक आवश्यकता में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार बैंक देश में साख-मुद्रा का समय-समय पर आवश्यकतानुसार प्रसार एवं संकुचन करते रहते हैं, जिससे मुद्रा-प्रणाली लोचपूर्ण बन जाती है।
10. **सरकार को सहायता** - बैंक केवल जनता को ही नहीं, सरकार को भी विभिन्न प्रकार से सहायता देते हैं। ये सरकारी ऋण के विक्रय में बहुत सहायक होते हैं। कभी-कभी ये सरकार की ओर से कर की वसूली एवं

सरकारी भुगतानों का भी कार्य करते हैं। सार्वजनिक चन्दा आदि इकट्ठा करके ये संकट-काल में सरकार की सहायता भी करते हैं।

इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि आधुनिक अर्थ-व्यवस्था में बैंक एक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

1.8 सारांश

बैंकिंग आधुनिक आर्थिक व्यवस्था का वह आधार है, जिस पर किसी भी देश के वित्तीय ढांचे की स्थिरता और विकास निर्भर करता है। प्रारम्भिक काल में जब मुद्रा का स्वरूप स्पष्ट नहीं था और विनिमय मुख्यतः वस्तु-विनिमय प्रणाली पर आधारित था, उस समय आर्थिक गतिविधियों की गति सीमित थी। जैसे-जैसे समाज विकसित हुआ, लेन-देन के नए साधन उभरे और लोगों के बीच धन के सुरक्षित संरक्षण तथा विनियोजन की आवश्यकता बढ़ी, वैसे ही बैंकिंग की अवधारणा स्पष्ट स्वरूप में सामने आई। आज बैंक केवल लेन-देन के माध्यम नहीं हैं, बल्कि वे आर्थिक प्रगति, सामाजिक समावेशन और विकास की दिशा तय करने वाले केन्द्र बन चुके हैं।

बैंकिंग का महत्व इस तथ्य से और बढ़ जाता है कि यह संस्था एक ओर तो आम लोगों की छोटी-छोटी बचतों को एकत्रित कर उन्हें संगठित पूँजी में बदलती है, और दूसरी ओर उसी पूँजी को उत्पादक क्षेत्रों में प्रवाहित कर आर्थिक गतिविधियों को गति देती है। बैंक पूँजी की उपलब्धता बढ़ाकर निवेश, उत्पादन, रोजगार और आय वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं। इस प्रकार बैंक केवल वित्तीय मध्यस्थ नहीं हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था के विकास के सक्रिय चालक हैं।

इसके अतिरिक्त बैंक की भूमिका आधुनिक अर्थव्यवस्था में कई आयामों में विस्तारित हो चुकी है। आज बैंक भुगतान तंत्र (Payment System) को मजबूत बनाने, डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने, विदेशी व्यापार को सुगम बनाने, उद्यमिता को प्रोत्साहन देने और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को लागू करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। चाहे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer) हो, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन की पहल हो, या स्वयं सहायता समूहों और सूक्ष्म-उद्यमों को ऋण प्रदान करना, बैंक हर स्तर पर विकास को आधार प्रदान करते हैं।

बैंकिंग की विशेषताएँ भी इसके महत्व को और मजबूती प्रदान करती हैं। जैसे- जमा स्वीकारना, ऋण देना, क्रेडिट सृजन, भुगतान सेवाएँ, जोखिम प्रबंधन, गोपनीयता प्रदान करना, अर्थव्यवस्था में धन का प्रवाह नियंत्रित करना आदि कार्य दर्शाते हैं कि बैंक आर्थिक संरचना के अनिवार्य स्तंभ हैं। इन विशेषताओं के कारण बैंक न केवल धन के सुरक्षित प्रबंधन का साधन हैं, बल्कि वित्तीय स्थिरता के संरक्षक भी हैं।

आज के वैश्वीकरण और डिजिटल क्रांति के युग में बैंकिंग क्षेत्र लगातार परिवर्तन से गुजर रहा है। पारंपरिक बैंकिंग से आगे बढ़कर अब इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल वॉलेट, यूपीआई और एटीएम जैसी सेवाएँ बैंकिंग को जनसुलभ और ग्राहक-मित्र बना रही हैं। इससे न केवल लेन-देन की गति बढ़ी है, बल्कि वित्तीय पारदर्शिता एवं दक्षता भी मजबूत हुई है। साथ ही, बैंकिंग विनियमन, निगरानी, जोखिम प्रबंधन और उपभोक्ता सुरक्षा नीतियों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि बैंकिंग प्रणाली स्थिर, सुरक्षित और विश्वसनीय बनी रहे। समग्र रूप से कहा जाए तो बैंकिंग किसी भी अर्थव्यवस्था का ऐसा अभिन्न अंग है जो व्यक्ति,

समाज और राष्ट्रकृतीनों को जोड़ने वाला माध्यम है। बैंक न केवल आर्थिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करते हैं, बल्कि आर्थिक असमानताओं को कम करने, गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यदि बैंकिंग तंत्र मजबूत, पारदर्शी और उत्तरदायी हो, तो राष्ट्र की आर्थिक प्रगति सहज ही संभव हो जाती है।

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि बैंकिंग का अर्थ केवल धन का लेन-देन या जमा-ऋण की प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक, बहुआयामी और गतिशील प्रणाली है जो आर्थिक विकास के प्रत्येक स्तर को प्रभावित करती है। बैंकिंग की भूमिका आर्थिक स्थिरता, विकास, उत्पादन-वृद्धि, निवेश विस्तार, वित्तीय समावेशन और सामाजिक उत्थान में केंद्रीय है। इसलिए बैंक एक राष्ट्र की आर्थिक धुरी हैं और इनके बिना किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था की कल्पना अधूरी है।

1.9 शब्दावली

बैंक (Bank) – एक ऐसी वित्तीय संस्था जो धन का संग्रह, ऋण प्रदान करने और भुगतान की सेवाएँ देती है।

जमा (Deposit) – ग्राहकों द्वारा बैंक में सुरक्षित रखने के लिए दी गई धनराशि।

ऋण (Loan)–बैंक द्वारा व्यक्तियों या संस्थाओं को दी गई उधार राशि।

1.10 बोध प्रश्न

- बैंक का मुख्य कार्य क्या है?
 - कर संग्रह करना
 - धन जमा करना और ऋण देना
 - सड़क निर्माण करना
 - जनगणना करना
- किस खाते पर सबसे अधिक ब्याज मिलता है?
 - चालू खाता (Current Account)
 - बचत खाता (Savings Account)
 - सावधि जमा खाता (Fixed Deposit Account)
 - एनआरआई खाता (NRI Account)
- कथन I : बैंक अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं।
कथन II: बैंक केवल धन जमा करते हैं लेकिन ऋण नहीं देते।
 - दोनों कथन सत्य हैं
 - दोनों कथन असत्य हैं
 - कथन I सत्य है, कथन II असत्य है
 - कथन I असत्य है, कथन II सत्य है

1.11 बोध प्रश्न के उत्तर

1. B, 2. C 3. C

1.12 स्वपरख प्रश्न

(A) लघु उत्तरीय प्रश्न

1. बैंकिंग के अर्थ एवं विकास की व्याख्या कीजिए।
2. बैंक की विभिन्न परिभाषाओं का वर्णन कीजिए।

(B) दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. आधुनिक बैंकों के प्रमुख एवं गौण कार्यों को समझाइए।
 2. बैंकों के प्रकारों का वर्गीकरण करते हुए उनके कार्य बताइए।
 3. आर्थिक विकास में बैंकों की भूमिका का विवेचन कीजिए।
-

1.13 सन्दर्भ पुस्तकें

1. बसु, बी. एल. (2019). **बैंकिंग सिद्धांत एवं व्यवहार**. पियर्सन एजुकेशन, इंडिया।
2. पाण्डेय, आई. एम. (2021). **वित्तीय प्रबंधन** (11वाँ संस्करण). विकास पब्लिशिंग हाउस।
3. झा, अरुणा. **भारतीय बैंकिंग प्रणाली**. हिमालय पब्लिशिंग हाउस।
4. भारतीय रिज़र्व बैंक. **भारतीय बैंकिंग पर रिपोर्ट**. आरबीआई प्रकाशन।
5. गोयल, एम. पी. **मौद्रिक अर्थशास्त्र एवं बैंकिंग**. सुल्तान चंद एंड सन्स।

इकाई-2 भारतीय बैंकिंग प्रणाली

इकाई की रूपरेखा

- 2.1 प्रस्तावना
- 2.2 भारतीय बैंकिंग प्रणाली का विकास और वृद्धि
 - 2.2.1 स्वदेशी बैंकिंग
 - 2.2.2 आधुनिक बैंकिंग (1786 से आगे)
 - 2.2.3 राष्ट्रीयकरण के चरण (1969 और 1980)
 - 2.2.4 उदारीकरण और निजी बैंक (1991 के बाद)
- 2.3 भारतीय बैंकिंग प्रणाली की संरचना
 - 2.3.1 अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंक
 - 2.3.2 वाणिज्यिक बैंक
 - 2.3.3 सहकारी बैंक
 - 2.3.4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)
 - 2.3.5 स्थानीय क्षेत्र बैंक
 - 2.3.6 भुगतान बैंक
 - 2.3.7 लघु वित्त बैंक
- 2.4 भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार
- 2.5 नरसिम्हम समिति सुधार (1991 और 1998)
- 2.6 बेसल मानदंडों का कार्यान्वयन
- 2.7 विवेकपूर्ण मानदंड (एनपीए, पूंजी पर्याप्तता, प्रावधान)
- 2.8 वित्तीय क्षेत्र में विधायी सुधार
- 2.9 भारतीय बैंकिंग प्रणाली की कमियां
- 2.10 भारतीय बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए कदम
- 2.11 भारतीय बैंकिंग में तकनीकी विकास
- 2.12 सारांश
- 2.13 शब्दावली
- 2.14 बोध प्रश्न
- 2.15 बोध प्रश्न के उत्तर
- 2.16 स्वपरख प्रश्न
- 2.17 सन्दर्भ पुस्तके

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप इस योग्य हो सकेंगे कि—

- भारतीय बैंकिंग प्रणाली की अवधारणा, प्रकृति एवं महत्व को समझ सकें।
- भारत में बैंकिंग प्रणाली के ऐतिहासिक विकास एवं विभिन्न चरणों का वर्णन कर सकें।
- स्वदेशी बैंकिंग एवं आधुनिक बैंकिंग के मध्य अंतर स्पष्ट कर सकें।
- राष्ट्रीयकरण एवं उदारीकरण के प्रभावों का विश्लेषण कर सकें।
- भारतीय बैंकिंग प्रणाली की संरचना तथा विभिन्न प्रकार के बैंकों की भूमिका को समझ सकें।
- अनुसूचित एवं गैर-अनुसूचित बैंकों के मध्य अंतर स्पष्ट कर सकें।
- सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भुगतान बैंक एवं लघु वित्त बैंकों के कार्यों का मूल्यांकन कर सकें।
- भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधारों तथा नरसिम्हम समिति की सिफारिशों की व्याख्या कर सकें।
- बैंकिंग क्षेत्र में तकनीकी विकास एवं वित्तीय समावेशन में उसकी भूमिका को समझ सकें।

2.1 प्रस्तावना

पिछले दो शताब्दियों में भारतीय बैंकिंग प्रणाली में अनेक विकास हुए हैं। प्राचीन काल से ही शरोफ़, सेठ, साहूकार, महाजन, चेट्टी (Chettis) आदि नामक व्यापारियों द्वारा एक स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली चलाई जा रही थी। वे व्यापारियों और शिल्पकारों को धन उधार देने का सामान्य कार्य करते थे और कभी-कभी राजाओं को युद्धों के वित्तपोषण के लिए धन उपलब्ध कराते थे। हालाँकि, स्वदेशी बैंकर जनता से जमा प्राप्त करने की प्रणाली को पर्याप्त रूप से विकसित नहीं कर सके, जो आज एक बैंक का महत्वपूर्ण कार्य है। भारत में आधुनिक बैंकिंग का उद्भव 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में हुआ। पहले बैंक जनरल बैंक ऑफ इंडिया (1786 में शुरू हुआ) और बैंक ऑफ हिंदुस्तान थे। इसके बाद, तीन प्रेसिडेंसी बैंक स्थापित किए गए, जिनमें बैंक ऑफ बंगाल (यह बैंक मूल रूप से 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में शुरू हुआ और फिर 1809 में बैंक ऑफ बंगाल बन गया), बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास शामिल हैं। कई वर्षों तक प्रेसिडेंसी बैंक अर्ध-केंद्रीय बैंकों के रूप में कार्य करते रहे।

1925 में तीनों बैंकों का विलय होकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना। कलकत्ता के भारतीय व्यापारियों ने 1839 में यूनियन बैंक की स्थापना की, लेकिन 1848-49 के आर्थिक संकट के कारण यह 1848 में विफल हो गया। बैंक ऑफ अपर इंडिया की स्थापना 1863 में हुई, लेकिन 1913 में यह भी बंद हो गया। 1865 में स्थापित इलाहाबाद बैंक भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है जो आज भी मौजूद है। 1881 में फैजाबाद में स्थापित अवध कमर्शियल बैंक 1958 में बंद हो गया। इसके बाद 1895 में लाहौर में स्थापित पंजाब नेशनल बैंक है, जो आज भारत के सबसे बड़े बैंकों में से एक है। स्वदेशी आंदोलन ने स्थानीय व्यापारियों और राजनीतिक हस्तियों को 1906 से 1911 के दौरान भारतीय समुदाय के लिए और उनके द्वारा स्थापित बैंकों के लिए प्रेरित किया। उस समय स्थापित कई बैंक आज भी मौजूद हैं, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय बैंकिंग इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना 1934 में घटी जब

'भारतीय रिजर्व बैंक' की स्थापना का निर्णय लिया गया, जिसने 1935 में कार्य करना शुरू किया। तब से, आरबीआई, देश के केंद्रीय बैंक के रूप में, बैंकिंग प्रणाली को विनियमित कर रहा है।

2.2 भारतीय बैंकिंग प्रणाली का विकास और वृद्धि

भारतीय बैंकिंग प्रणाली कई ऐतिहासिक चरणों से गुजरी है। प्रत्येक चरण ने देश के आधुनिक वित्तीय परिदृश्य को आकार देने में योगदान दिया है।

2.2.1 स्वदेशी बैंकिंग (Indigenous Banking)

स्वदेशी बैंकिंग से तात्पर्य आधुनिक बैंकों के आगमन से पहले भारत में प्रचलित बैंकिंग की पारंपरिक प्रणाली से है।

इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- यह साहूकारों, साहूकारों, महाजनों और स्वदेशी बैंकों द्वारा संचालित होती थी।
- इसमें उधार देना, उधार लेना, हुंडी लेनदेन, व्यापार वित्त और सामुदायिक स्तर की बैंकिंग जैसी गतिविधियां शामिल थीं।
- यह विश्वास, व्यक्तिगत संबंधों और स्थानीय नेटवर्कों पर आधारित थी।
- इसने कृषि, व्यापार और लघु व्यवसायों के वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- विनियमन की कमी और उच्च ब्याज दरों जैसी सीमाओं के बावजूद, स्वदेशी बैंकिंग ने प्रारंभिक वित्तीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

2.2.2 आधुनिक बैंकिंग (1786 से आगे)

भारत में आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत 1786 में जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के साथ हुई। समय के साथ, ब्रिटिश काल में कई बैंकों की स्थापना हुई, जिससे औपचारिक बैंकिंग संस्थानों की नींव पड़ी। कुछ प्रमुख घटनाक्रम इस प्रकार हैं

- ❖ प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना: बैंक ऑफ बंगाल (1806), बैंक ऑफ बॉम्बे (1840) और बैंक ऑफ मद्रास (1843)।
- ❖ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन (1921), जिसे बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (1955) के रूप में राष्ट्रीयकृत किया गया।
- ❖ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 ने आरबीआई के अधीन संरचित विनियमन को लागू किया।
- ❖ शाखा बैंकिंग का विस्तार और चेक क्लियरिंग सिस्टम की शुरुआत।

इस अवधि ने पारंपरिक अनौपचारिक बैंकिंग से औपचारिक, संगठित और विनियमित बैंकिंग में परिवर्तन को चिह्नित किया गया।

2.2.3 राष्ट्रीयकरण के चरण (1969 और 1980)

राष्ट्रीयकरण भारतीय बैंकिंग के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी।

पहला चरण (1969)

- 14 प्रमुख निजी वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।
- इसका उद्देश्य ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना था।
- इसका मुख्य फोकस सामाजिक बैंकिंग, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण और वित्तीय समावेशन पर केंद्रित हो गया।

दूसरा चरण (1980)

- 6 अतिरिक्त बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।
- बैंकिंग संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण बढ़ा।
- गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को सुगम बनाया।

इसका मुख्य प्रभाव:

- ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में शाखाओं का व्यापक विस्तार हुआ।
- कमजोर वर्गों के लिए जमा और ऋण की सुलभता बढ़ी।
- बैंकिंग में जनता का विश्वास मजबूत हुआ।

2.2.4 उदारीकरण और निजी बैंक (1991 के बाद) (Liberalisation and Private Banks)

1991 में आर्थिक सुधारों के बाद, भारत ने अधिक बाजार-उन्मुख बैंकिंग दृष्टिकोण अपनाया।

प्रमुख घटनाक्रम:

- एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक जैसे नए निजी क्षेत्र के बैंकों का प्रवेश।
- विदेशी बैंकों का आगमन और बढ़ती प्रतिस्पर्धा।
- तकनीकी प्रगति: एटीएम नेटवर्क, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग।
- पूंजी पर्याप्तता, परिसंपत्ति गुणवत्ता, पारदर्शिता और लाभप्रदता के लिए सुधार।
- सरकारी नियंत्रण में कमी और बैंकों के लिए परिचालन स्वतंत्रता में वृद्धि।
- इस युग ने दक्षता, नवाचार और ग्राहक-केंद्रित सेवाओं के साथ बैंकिंग प्रणाली का आधुनिकीकरण किया।

2.3 भारतीय बैंकिंग प्रणाली की संरचना

भारतीय बैंकिंग प्रणाली की बहुस्तरीय संरचना है, जिसका विनियमन मुख्य रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा किया जाता है। इसमें अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सहकारी संस्थाएँ और नवगठित विशिष्ट बैंक शामिल हैं।



2.3.1 अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंक

अनुसूचित बैंक

- RBI अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध।
- RBI के साथ निर्धारित CRR बनाए रखते हैं।
- RBI से ऋण और पुनर्वित्त के लिए पात्र।

इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, RRB, विदेशी बैंक आदि शामिल हैं।

गैर-अनुसूचित बैंक

- दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं।
- आकार में छोटे और सीमित परिचालन वाले।
- RBI से ऋण सहायता के लिए पात्र नहीं।

2.3.2 वाणिज्यिक बैंक

वाणिज्यिक बैंक लाभ-उन्मुख संस्थाएँ हैं जो जमा स्वीकार करती हैं और ऋण प्रदान करती हैं।

प्रकार:

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (जैसे, एसबीआई, पीएनबी, बीओबी)
- निजी क्षेत्र के बैंक (जैसे, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस)
- विदेशी बैंक (जैसे, एचएसबीसी, सिटी)

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)
- स्थानीय क्षेत्र बैंक

विशेषताएँ:

- वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं: जमा, ऋण, क्रेडिट कार्ड, ई-बैंकिंग।
- आरबीआई के नियमों के तहत संचालित होते हैं।
- आर्थिक विकास में प्रमुख योगदानकर्ता हैं।

2.3.3 सहकारी बैंक

सहकारी बैंक सहकारी सिद्धांतों—आपसी सहयोग और लोकतांत्रिक नियंत्रण—पर आधारित होते हैं।

प्रकार:

- शहरी सहकारी बैंक (UCB)
- राज्य सहकारी बैंक (SCB)
- जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCB)
- प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS)

भूमिका:

- कृषि, लघु उद्योगों, व्यापारियों और कमजोर वर्गों को किफायती ऋण उपलब्ध कराना।
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और राज्य सरकारों के दोहरे नियंत्रण में संचालित होना।

2.3.4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के महत्वपूर्ण उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- यह कृषि, ग्रामीण कारीगरों, लघु व्यवसायों और कमजोर वर्गों को ऋण प्रदान करता है।
- यह पिछड़े क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है।

आरआरबी की विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- आरआरबी का स्वामित्व केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक के पास संयुक्त रूप से होता है।
- यह ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करता है।

2.3.5 स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी) Local Area Banks (LABs)

स्थानीय क्षेत्र बैंक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में कार्यरत छोटे निजी क्षेत्र के बैंक होते हैं।

स्थानीय क्षेत्र बैंकों की विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- ये 2-3 निकटवर्ती जिलों में कार्यरत होते हैं।
- ये ग्रामीण और अर्ध-शहरी ऋण आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

- ये बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं और स्थानीय बचत को बढ़ावा देते हैं।

2.3.6 भुगतान बैंक (Payments Banks)

भुगतान बैंक आरबीआई द्वारा डिजिटल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया बैंकों का एक नया मॉडल है।

मुख्य विशेषताएं:

- ये प्रति ग्राहक ₹2 लाख तक की जमा राशि स्वीकार कर सकते हैं।
- ये ऋण या क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते।
- ये जमा, भुगतान, प्रेषण और मोबाइल बैंकिंग जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं।

उदाहरण: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक।

2.3.7 लघु वित्त बैंक (एसएफबी)

लघु वित्त बैंकों का उद्देश्य उन वर्गों की सेवा करना है जो बैंकिंग सुविधाओं से वंचित हैं या पूरी तरह वंचित हैं।

विशेषताएं:

- ये जमा स्वीकार करते हैं और ऋण प्रदान करते हैं।
- ये लघु व्यवसाय इकाइयों, सूक्ष्म उद्यमों, किसानों और कम आय वाले परिवारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- इन्हें प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लक्ष्यों को बनाए रखना चाहिए।

उदाहरण: एयू लघु वित्त बैंक, उज्जिवन एसएफबी

2.4 भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार

भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने, दक्षता में सुधार करने, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और भारतीय बैंकिंग ढांचे को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए शुरू किए गए थे। प्रमुख सुधार 1990 के दशक की शुरुआत में आर्थिक उदारीकरण कार्यक्रम के बाद शुरू हुए। इन सुधारों का उद्देश्य बैंकिंग संरचना का आधुनिकीकरण करना, पारदर्शिता को बढ़ावा देना, वित्तीय सुदृढ़ता में सुधार करना, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों का बोझ कम करना और बेहतर नियामक और पर्यवेक्षी प्रथाओं को लागू करना था।

इन सुधारों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- ब्याज दरों का विनियमन मुक्त करना
- एसएलआर और सीआरआर में कमी का अर्थ है कि बैंक अब आरबीआई के पास कम धन रखते हैं, जिससे उनके पास ऋण देने के लिए अधिक धन उपलब्ध होता है।
- निजी और विदेशी बैंकों को प्रोत्साहन
- विवेकपूर्ण मानदंडों को सुदृढ़ करना
- परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार

- जोखिम प्रबंधन और पूंजी पर्याप्तता को बढ़ावा देना
इन उपायों ने सामूहिक रूप से भारतीय बैंकिंग प्रणाली को अधिक सुदृढ़, बाजार-उन्मुख और वैश्विक स्तर पर एकीकृत क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया।

2.5 नरसिम्हम समिति सुधार (Narasimham Committee Reforms) (1991 और 1998)

नरसिम्हम समिति की रिपोर्ट (1991 और 1998) ने भारत के बैंकिंग सुधारों की नींव रखी। इन समितियों ने व्यापक संरचनात्मक और नियामक परिवर्तनों की सिफारिश की।

(ए) नरसिम्हम समिति प्रथम – 1991

मुख्य सिफारिशें:

1. एसएलआर और सीआरआर में कमी:
बैंकों की ऋण देने की क्षमता बढ़ाने और उच्च वैधानिक आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न वित्तीय बोझ को कम करने के लिए।
2. विवेकपूर्ण मानदंडों का परिचय:
आय की पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को अपनाना।
3. पूंजी पर्याप्तता मानदंड:
बेसल प्रथम ढांचे के अनुरूप जोखिम-आधारित पूंजी पर्याप्तता को लागू करने की सिफारिश।
4. बैंकों को परिचालन स्वायत्तता:
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निर्णय लेने में अधिक स्वतंत्रता प्रदान करना।
5. निजी और विदेशी बैंकों का प्रवेश:
बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और दक्षता को प्रोत्साहन।
6. आरबीआई पर्यवेक्षण को सुदृढ़ करना:
भारतीय रिजर्व बैंक की नियामक और पर्यवेक्षी भूमिका को बढ़ाना।

(ख) नरसिम्हम समिति द्वितीय – 1998

मुख्य सिफारिशें:

1. गैर-लाभकारी परिसंपत्तियों का समाधान:
परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) की स्थापना और एक सशक्त वसूली तंत्र।
2. बैंकों का विलय और एकीकरण:
विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी संस्थानों के निर्माण हेतु सशक्त बैंकों के एकीकरण को प्रोत्साहन।
3. बैंकिंग कानूनों की समीक्षा:
बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन, विनियमन को सुदृढ़ करना और आरबीआई को अधिक अधिकार देना।
4. बैंकिंग बोर्ड को सुदृढ़ बनाना:

बैंक बोर्डों का व्यवसायीकरण और बेहतर शासन मानक।

5. प्रौद्योगिकी उन्नयन:

आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके भुगतान और निपटान प्रणालियों में सुधार।

2.6 बेसल मानदंडों का कार्यान्वयन(Basel Norms Implementation)

बेसल मानदंड पूंजी पर्याप्तता, जोखिम प्रबंधन और बैंकिंग पर्यवेक्षण पर अंतरराष्ट्रीय नियामक मानक हैं। भारत ने आरबीआई के मार्गदर्शन में इन मानदंडों को धीरे-धीरे लागू किया।

1. बेसल I (1999 में लागू)

- मुख्य रूप से ऋण जोखिम पर केंद्रित।
- बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) 8% बनाए रखना अनिवार्य।

2. बेसल II (2008 में लागू)

➤ तीन स्तंभों पर आधारित:

- स्तंभ I – न्यूनतम पूंजी आवश्यकताएं:

इसमें ऋण, बाजार और परिचालन जोखिम शामिल हैं।

- स्तंभ II – पर्यवेक्षी समीक्षा:

आरबीआई की निगरानी भूमिका को मजबूत करता है।

- स्तंभ III – बाजार अनुशासन:

पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए प्रकटीकरण मानदंडों को बढ़ाता है।

3. बेसल III (2013 की शुरुआत से लागू हुआ)

वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बैंकिंग सुदृढ़ीकरण में सुधार के लिए पेश किया गया।

कुछ मुख्य विशेषताएं:

- उच्च पूंजी आवश्यकताएं
- पूंजी संरक्षण बफर (Capital Conservation Buffer) (सीसीबी)
- लीवरेज अनुपात
- तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर)
- शुद्ध स्थिर वित्तपोषण अनुपात (एनएसएफआर)

2.7 विवेकपूर्ण मानदंड (एनपीए, पूंजी पर्याप्तता, प्रावधान)

विवेकपूर्ण मानदंड आरबीआई द्वारा जारी नियामक दिशानिर्देशों का एक समूह है जो बैंकों के सुदृढ़ वित्तीय स्वास्थ्य और जोखिम प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए है।

(क) अनुपयोगी परिसंपत्तियां (Non-Performing Assets) (एनपीए):

- कोई परिसंपत्ति (asset) एनपीए तब बन जाती है जब:

- ब्याज या किस्त 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहती है।

गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) की श्रेणियाँ:

- निम्न-स्तरीय परिसंपत्तियाँ (Sub-standard Assets)
- संदिग्ध परिसंपत्तियाँ (Doubtful Assets)
- हानिग्रस्त परिसंपत्तियाँ (Loss Assets)

(ख) पूंजी पर्याप्तता मानदंड (Capital Adequacy Norms):

- इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक संभावित हानियों को वहन करने के लिए पर्याप्त पूंजी बनाए रखें।
- इसे पूंजी से जोखिम-भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) के रूप में व्यक्त किया जाता है।
- भारत में, बेसल III के तहत न्यूनतम सीआरएआर आवश्यकता 9% या उससे अधिक है।

(ग) प्रावधान मानदंड: (Provisioning Norms)

- बैंकों को परिसंपत्ति से जुड़े जोखिम के स्तर के आधार पर प्रावधान बनाना आवश्यक है।

उदाहरण:

- निम्न-स्तरीय परिसंपत्तियाँ: 15%
- संदिग्ध परिसंपत्तियाँ: 25% से 100%
- हानिग्रस्त परिसंपत्तियाँ: 100% प्रावधान
- प्रावधान बैंकों को भविष्य की हानियों के लिए वित्तीय रूप से तैयार करता है।

2.8 वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार (Financial Sector Legislative Reforms)

विधायी सुधारों का उद्देश्य भारतीय वित्तीय प्रणाली के कानूनी और नियामक ढांचे का आधुनिकीकरण करना है, जिससे बेहतर शासन, उपभोक्ता संरक्षण और दक्षता सुनिश्चित हो सके।

प्रमुख सुधारों में शामिल हैं:

➤ वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी), 2011:

- मौजूदा वित्तीय कानूनों की समीक्षा की और उनमें सुधारों की सिफारिश करी गयी।
- एक एकीकृत और आधुनिक नियामक संरचना का प्रस्ताव रखा।

➤ दिवालियापन और दिवालिया संहिता (आईबीसी), 2016: (Insolvency and Bankruptcy Code)

- दिवालियापन और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के समाधान के लिए एक समयबद्ध और कुशल तंत्र प्रदान करने के लिए लागू किया गया।
- ऋण वसूली ढांचे को मजबूत किया।

- सरफेसी (SARFAESI) अधिनियम, 2002:
 - वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम,
 - बैंकों को न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना गिरवी रखी गई संपत्ति पर कब्जा करके ऋण वसूलने का अधिकार दिया गया।
- बैंकिंग विनियमन **Banking Regulation** (संशोधन) अधिनियम, (Amendment 2017:
 - एनपीए समाधान के लिए बैंकों को निर्देश देने में आरबीआई को अधिक शक्तियां प्रदान की गईं।
- भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम:
 - डिजिटल भुगतान प्रणालियों को मजबूत किया गया और वित्तीय नवाचार को बढ़ावा दिया गया।

2.9 भारतीय बैंकिंग प्रणाली की कमियाँ (Shortcomings of Indian Banking System)

महत्वपूर्ण विकास और सुधारों के बावजूद, भारतीय बैंकिंग प्रणाली को कई संरचनात्मक और परिचालन संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये कमियाँ कार्यकुशलता, लाभप्रदता और ग्राहक सेवा को प्रभावित करती हैं।

1. **उच्च स्तर के गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनपीए):** एक प्रमुख कमजोरी खराब ऋण मूल्यांकन, जानबूझकर चूक और अपर्याप्त वसूली तंत्र के कारण खराब ऋणों का संचय है। उच्च एनपीए बैंकों की लाभप्रदता को कम करते हैं और ऋण देने की क्षमता को सीमित करते हैं।
2. **धीमी ऋण वसूली:** ऋण वसूली प्रक्रियाएँ अक्सर कानूनी देरी, संपार्श्विक के अपर्याप्त प्रवर्तन और कमजोर वसूली अवसंरचना के कारण समय लेने वाली होती हैं, विशेष रूप से आईबीसी के कार्यान्वयन से पहले।
3. **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) पर अत्यधिक निर्भरता:** पीएसबी बैंकिंग क्षेत्र में अग्रणी हैं, लेकिन अक्सर निम्नलिखित समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं:
 - नौकरशाही प्रक्रियाएँ
 - सीमित परिचालन स्वायत्तता
 - ऋण देने में राजनीतिक हस्तक्षेप
4. **अक्षमता और उच्च परिचालन लागत:** पारंपरिक शाखा-आधारित संचालन, कर्मचारियों की कमी और पुरानी प्रक्रियाएँ उच्च परिचालन खर्चों में योगदान करती हैं, जिससे लाभप्रदता प्रभावित होती है।
5. **अपर्याप्त जोखिम प्रबंधन:** कुछ बैंकों में अभी भी मजबूत जोखिम मूल्यांकन प्रणालियों का अभाव है, विशेष रूप से ऋण, बाजार और परिचालन जोखिमों के क्षेत्र में।
6. **सीमित वित्तीय समावेशन:** हालांकि काफी प्रगति हुई है, फिर भी ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में औपचारिक बैंकिंग सेवाओं की पूर्ण पहुंच नहीं है।

7. **प्रौद्योगिकी अंतराल (Technology Gaps) और साइबर सुरक्षा मुद्दे:** सभी बैंक उन्नत डिजिटल उपकरणों से समान रूप से सुसज्जित नहीं हैं। साइबर हमले, डेटा उल्लंघन और प्रणालीगत कमजोरियाँ चिंता का विषय बनी हुई हैं।
8. **कम पूंजी आधार:** कई बैंक, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, कम पूंजी पर्याप्तता से जूझ रहे हैं और सरकारी पुनर्पूँजीकरण पर काफी हद तक निर्भर हैं।

2.10 भारतीय बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए कदम

भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता, पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए कई सुधार किए हैं।

1. **विवेकपूर्ण मानदंडों को अपनाना:** आय की पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण, प्रावधान और पूंजी पर्याप्तता के लिए वैश्विक मानकों के कार्यान्वयन ने प्रणाली को सुदृढ़ किया।
2. **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूँजीकरण(Recapitalisation):** बेसल III मानदंडों को पूरा करने और बढ़ते एनपीए को प्रबंधित करने के लिए, सरकार ने विभिन्न पुनर्पूँजीकरण कार्यक्रमों के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में महत्वपूर्ण पूंजी डाली।
3. **वित्तीय क्षेत्र सुधार:** एसएलआर/सीआरआर को कम करना, निजी बैंकों को अनुमति देना और बैंकों को स्वायत्तता प्रदान करना जैसे सुधारों से प्रतिस्पर्धात्मकता और दक्षता में सुधार हुआ।
4. **आईबीसी और सुदृढ़ वसूली तंत्र (IBC and Strengthened Recovery Mechanisms):** दिवालियापन और दिवालियापन संहिता (2016), एसएआरएफईएसआई (SARFAESI) अधिनियम और ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (डीआरटी) ने वसूली प्रक्रियाओं को अधिक कुशल बनाया।
5. **बैंकों का विलय और एकीकरण:** बेहतर पूंजी संरचना और परिचालन दक्षता के साथ मजबूत, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बैंकिंग संस्थाओं का निर्माण करने के लिए कई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय किया गया।
6. **तकनीकी आधुनिकीकरण:** कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस), डिजिटल भुगतान और फिनटेक साझेदारी जैसी पहलों ने ग्राहक सेवा और परिचालन दक्षता को बढ़ाया।
7. **वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन:** वित्तीय समावेशन का उद्देश्य सभी वर्गों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना है। इसके लिए PMJDY, बिजनेस कॉरिस्पोंडेंट मॉडल, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक और डिजिटल भुगतान प्रणाली जैसे उपाय अपनाए गए हैं। इन पहलों से बैंकिंग पहुँच बढ़ी, बचत की आदत विकसित हुई और आर्थिक समावेशन को बल मिला।

2.11 भारतीय बैंकिंग में तकनीकी विकास

- कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (CBS) की शुरुआत करना।
- एटीएम और डेबिट/क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान करना।
- इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग का विस्तार होना।

- डिजिटल भुगतान प्रणाली (UPI, IMPS, NEFT, RTGS) का प्रयोग होना।
- बैंकिंग सेवाओं की गति और सुविधा में वृद्धि होना।
- लेन-देन में सुरक्षा और पारदर्शिता स्थापित करना।
- लागत में कमी और दक्षता में वृद्धि होना।
- वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना

2.12 सारांश

बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, राष्ट्रीय बैंकिंग संगठनों (आरआरबी) और लघु वित्त एवं भुगतान बैंकों जैसी नई संस्थाओं के लिए, नरसिम्हम समितियाँ, बेसल मानदंड, विवेकपूर्ण मानदंड और SARFAESI एवं IBC जैसे विधायी परिवर्तन जैसे प्रमुख सुधारों ने विनियमन को मजबूत किया, जोखिम को कम किया और दक्षता में सुधार किया। प्रमुख समस्याओं में उच्च गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनपीए), धीमी वसूली, कम पूंजी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की अक्षमता और प्रौद्योगिकी अंतराल शामिल हैं। उठाए गए उपायों में पुनर्पूँजीकरण, बैंक विलय, बेहतर पर्यवेक्षण, वित्तीय समावेशन अभियान (पीएमजेडीवाई) और डिजिटल पहल शामिल हैं।

सीबीएस, यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और फिनटेक नवाचारों जैसी तकनीकी प्रगति ने भारतीय बैंकिंग को एक अधिक आधुनिक, डिजिटल और ग्राहक-अनुकूल प्रणाली में बदल दिया है।

2.13 शब्दावली

- **अनुसूचित बैंक** – वे बैंक जो RBI अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध होते हैं।
- **गैर-अनुसूचित बैंक** – वे बैंक जो RBI की दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं होते।
- **एनपीए (NPA)** – वह ऋण जिस पर 90 दिनों तक ब्याज या मूलधन का भुगतान न हुआ हो।
- **वाणिज्यिक बैंक** – वे बैंक जो व्यापार, उद्योग और आम जनता को बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करते हैं।

2.14 बोध प्रश्न

1. एनपीए (NPA) घोषित होने की अवधि कितनी होती है?
 - A. 90 दिन
 - B. 70 दिन
 - C. 120 दिन
 - D. 180 दिन
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) की स्थापना किस वर्ष हुई?
 - A. 1969
 - B. 1980
 - C. 1975
 - D. 1991

3. UPI, NEFT और RTGS किससे संबंधित हैं?

- A. ऋण वसूली
- B. डिजिटल भुगतान प्रणाली
- C. विदेशी मुद्रा विनिमय
- D. बैंक विलय

2.15 बोध प्रश्न के उत्तर

1.A 2.C 3.B

2.16 स्वपरख प्रश्न

(A) लघु उत्तरीय प्रश्न

- 1. भारतीय बैंकिंग प्रणाली से आप क्या समझते हैं?
- 2. भारत में बैंक राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य स्पष्ट कीजिए।

(B) दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

- 1. स्वदेशी बैंकिंग की प्रमुख विशेषताएँ बताइए।
- 2. वित्तीय समावेशन में बैंकों की भूमिका समझाइए।

2.17 सन्दर्भ पुस्तके

- 1. बसु, बी. ई. (2019). **ऑडिटिंग: सिद्धांत एवं तकनीक**. पियर्सन एजुकेशन, इंडिया।
- 2. पाण्डेय, आई. एम. (2021). **वित्तीय प्रबंधन** (11वाँ संस्करण). विकास पब्लिशिंग हाउस।
- 3. खान, एम. वाई. एवं जैन, पी. के. (नवीनतम संस्करण). **भारतीय वित्तीय प्रणाली**. टाटा मैकग्रॉ-हिल पब्लिशिंग।
- 4. शर्मा, आर. के. एवं गुप्ता, एस. (नवीनतम संस्करण). **भारत में बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली**. कल्याणी पब्लिशर्स।
- 5. भारतीय रिज़र्व बैंक. (वार्षिक). **भारत में बैंकिंग की प्रवृत्तियाँ और प्रगति पर रिपोर्ट**. मुंबई: RBI।
- 6. भारतीय रिज़र्व बैंक. (वार्षिक). **बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय विवरण**. मुंबई: RBI।
- 7. मिश्रिकन, एफ. एस. (नवीनतम संस्करण). **मुद्रा, बैंकिंग एवं वित्तीय बाज़ार का अर्थशास्त्र**. पियर्सन एजुकेशन।

इकाई-3 क्रेडिट/साख निर्माण व साख नियंत्रण

इकाई की रुपरेखा

- 3.1 प्रस्तावना
- 3.2 साख सृजन/ निर्माण का अर्थ
- 3.3 प्राथमिक जमा और व्युत्पन्न जमा (डेरिवेटिव डिपॉजिट)
- 3.4 मुद्रा गुणक / साख गुणक
 - 3.4.1 मुद्रा गुणक / साख गुणक क्यों बनता है?
 - 3.4.2 मुद्रा गुणक / साख गुणक का सूत्र
 - 3.4.3 मुद्रा गुणक का आर्थिक महत्व
 - 3.4.4 मुद्रा गुणक को प्रभावित करने वाले कारक
- 3.5 साख निर्माण की प्रक्रिया
- 3.6 साख निर्माण की सीमाएँ
- 3.7 अर्थव्यवस्था में क्रेडिट क्रिएशन का महत्व
- 3.8 साख नियंत्रण : अर्थ एवं उद्देश्य
- 3.9 साख नियंत्रण के प्रकार
- 3.10 भारतीय संदर्भ में साख नियंत्रण
- 3.11 सारांश
- 3.12 शब्दावली
- 3.13 बोध प्रश्न
- 3.14 बोध प्रश्नों के उत्तर
- 3.15 स्वपरख प्रश्न
- 3.16 संदर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप इस योग्य हो सकेंगे कि-

- साख सृजन (Credit Creation) की अवधारणा को समझ सकें।
- प्राथमिक जमा और व्युत्पन्न जमा के बीच अंतर स्पष्ट कर सकें।
- मुद्रा गुणक / साख गुणक की अवधारणा, कारण एवं सूत्र को समझ सकें।
- मुद्रा गुणक को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण कर सकें।
- बैंकिंग प्रणाली में साख निर्माण की चरणबद्ध प्रक्रिया को समझ सकें।
- साख निर्माण की सीमाओं की पहचान कर सकें।
- अर्थव्यवस्था में क्रेडिट क्रिएशन के महत्व को समझ सकें।
- साख नियंत्रण के अर्थ एवं उद्देश्यों की व्याख्या कर सकें।

- मात्रात्मक एवं गुणात्मक साख नियंत्रण के बीच अंतर स्पष्ट कर सकें।
- भारतीय संदर्भ में RBI की साख नियंत्रण नीतियों का मूल्यांकन कर सकें।

3.1 प्रस्तावना

आधुनिक अर्थव्यवस्था में धन, बैंकिंग व्यवस्था और साख (Credit) का आपसी संबंध अत्यंत गहरा और महत्वपूर्ण है। किसी भी राष्ट्र का आर्थिक ढांचा तभी सुचारु रूप से चलता है, जब उसके भीतर लेन-देन, निवेश, उत्पादन और व्यापार के लिए पर्याप्त मात्रा में साख उपलब्ध हो। इस साख को व्यवस्थित रूप से उत्पन्न करने और नियंत्रित रखने का कार्य मुख्य रूप से बैंक और केंद्रीय बैंक के माध्यम से किया जाता है। इसलिए “साख सृजन” और “साख नियंत्रण” आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था के दो मूल स्तंभ माने जाते हैं।

शुरुआती समय में व्यापार और लेन-देन केवल वास्तविक मुद्रा पर आधारित होते थे, जिसके कारण आर्थिक गतिविधियों की गति सीमित थी। लेकिन बैंकों के विकास के साथ यह समझ सामने आई कि केवल लोगों द्वारा जमा की गई नकदी ही आर्थिक जरूरतों को पूरा करने का एकमात्र साधन नहीं है। बैंक अपनी जमा राशियों के आधार पर उससे कई गुना अधिक ऋण प्रदान कर सकते हैं। यही क्षमता बैंकिंग प्रणाली को विशिष्ट बनाती है और इसे “साख सृजन की शक्ति” कहा जाता है। इस शक्ति के कारण बैंक आर्थिक गतिविधियों को विस्तार देने, निवेश बढ़ाने, उद्योगों को पूँजी उपलब्ध कराने और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

लेकिन जितनी महत्वपूर्ण साख सृजन है, उतना ही महत्वपूर्ण उसका संतुलित और नियंत्रित उपयोग है। यदि अर्थव्यवस्था में अत्यधिक साख प्रवाहित हो जाए, तो मूल्यवृद्धि बढ़ने लगती है। और यदि साख की कमी हो जाए, तो निवेश, उत्पादन और व्यापार मंद पड़ जाते हैं। इसलिए किसी भी देश का केंद्रीय बैंक, जैसे भारत में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), साख के प्रवाह पर निगरानी रखता है और विभिन्न नीतियों के माध्यम से उसे नियंत्रित करता है। यह प्रक्रिया “साख नियंत्रण” या Credit Control कहलाती है।

साख सृजन और साख नियंत्रण दोनों परस्पर पूरक हैं। एक ओर वाणिज्यिक बैंक आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए साख का विस्तार करते हैं, वहीं दूसरी ओर केंद्रीय बैंक आवश्यकतानुसार उसे नियंत्रित करके संतुलन बनाए रखता है। इस संतुलन के बिना अर्थव्यवस्था में न तो स्थिरता बनी रह सकती है और न ही निरंतर विकास संभव हो सकता है। इसलिए यह अध्याय इन दोनों अवधारणाओं—साख सृजन और साख नियंत्रण—को विस्तार से समझने का प्रयास करता है।

इस अध्याय में हम यह जानेंगे कि बैंक साख का निर्माण कैसे करते हैं, साख गुणक की प्रक्रिया क्या होती है, किन सीमाओं के कारण बैंक असीमित साख सृजन नहीं कर सकते, और साथ ही केंद्रीय बैंक किन-किन तरीकों से साख पर नियंत्रण रखता है। इसके अतिरिक्त, हम भारतीय संदर्भ में साख नियंत्रण की नीतियों और इन नीतियों के अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का भी अध्ययन करेंगे। इस प्रकार यह अध्याय आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं का व्यापक और व्यवस्थित परिचय प्रस्तुत करता है।

3.2 साख सृजन का अर्थ

आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण और विशिष्ट कार्य “साख सृजन” है। सामान्य रूप से लोग यह मानते हैं कि बैंक केवल जमा राशि को सुरक्षित रखते हैं और उसी राशि को दूसरों को ऋण के रूप में दे देते हैं।

लेकिन वास्तव में बैंक इससे कहीं अधिक बड़ा और प्रभावशाली कार्य करते हैं। बैंक जमा की गई धनराशि के आधार पर नई साख (नया क्रेडिट) उत्पन्न करते हैं, जो वास्तविक मुद्रा से कई गुना अधिक होती है। यही क्षमता बैंक को अर्थव्यवस्था में एक शक्तिशाली संस्थान बनाती है।

सरल शब्दों में कहा जाए तो क्रेडिट क्रिएशन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बैंक अपनी जमा राशियों का उपयोग करके उससे अधिक मात्रा में ऋण प्रदान करते हैं और इस प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था में नई क्रेडिट-शक्ति का निर्माण होता है।

बैंक जब किसी को ऋण देते हैं तो वे वास्तविक नकदी हाथ में नहीं देते, बल्कि उसके खाते में एक जमा प्रविष्टि (Deposit Entry) कर देते हैं। यह जमा वास्तविक नकद जमा नहीं होता, बल्कि बैंक द्वारा बनाया गया एक ऋण जमा होता है। यह बैंकिंग प्रणाली में नई धन आपूर्ति का निर्माण करता है। उधार लेने वाला इस राशि का उपयोग भुगतान करने में करता है, और यह राशि किसी न किसी अन्य व्यक्ति के खाते में “नई जमा” के रूप में चली जाती है। इस प्रकार एक ही प्रारंभिक जमा कई गुना साख उत्पन्न कर देती है।

बैंकों के पास कुल नकदी भले ही कम हो, लेकिन वे कुछ अनुपात में नकदी को सुरक्षित रखते हुए शेष राशि को बार-बार ऋण देने में उपयोग करते हैं। इस “बार-बार ऋण वितरण” की प्रक्रिया से बैंकिंग प्रणाली में लगातार नई जमा उत्पन्न होती जाती है। यही जमा प्रणाली को विस्तारित करती है और संपूर्ण अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा बढ़ाती है।

इस तरह, साख सृजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बैंक न केवल मौजूदा धन का उपयोग करते हैं, बल्कि वास्तविक मुद्रा से कई गुना अधिक “वित्तीय क्षमता” तैयार कर देते हैं। यह वित्तीय क्षमता निवेश, उत्पादन, व्यापार, उद्योग, कृषि और सेवाओं के हर क्षेत्र को गतिशील बनाती है। बैंक की यह अनोखी शक्ति आधुनिक अर्थव्यवस्था का आधार है।

इससे स्पष्ट होता है कि बैंक मात्र ‘मध्यस्थ’ (Intermediary) नहीं हैं जो धन को इकट्ठा करके आगे बढ़ा दें, बल्कि वे एक सक्रिय सृजनकर्ता हैं जो नये क्रेडिट के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों की गति को बढ़ाने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।

3.3. प्राथमिक जमा और व्युत्पन्न जमा (डेरिवेटिव डिपॉजिट)

बैंकों द्वारा साख सृजन की प्रक्रिया को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि बैंक में बनने वाले सभी जमा एक जैसे नहीं होते। बैंक दो प्रकार की जमा स्वीकार या निर्मित करते हैं

1. प्राथमिक जमा (Primary Deposit)
2. व्युत्पन्न जमा /उद्भूत जमा (Derivative Deposit)

ये दोनों जमा बैंकिंग प्रणाली में क्रेडिट सृजन की नींव हैं और दोनों की प्रकृति में मूलभूत अंतर होता है।

(1) प्राथमिक जमा -

- **अर्थ** - प्राथमिक जमा वह जमा है जो लोग स्वयं अपनी इच्छा से नकद लेकर बैंक में जमा करते हैं। यह जमा बैंक द्वारा बनाया हुआ नहीं होता, बल्कि जनता से प्राप्त होता है। उदाहरण - यदि कोई व्यक्ति बैंक में जाकर ₹5000 नकद जमा करता है, तो यह पूरा ₹5000 प्राथमिक जमा है।

● यह जमा कैसे बनता है?

1. लोग अपनी आय, बचत, व्यापारिक लेन-देन या सुरक्षा के लिए नकद बैंक में जमा करते हैं।
2. बैंक इसे अपनी खाताबही में जमा के रूप में दर्ज कर लेता है।

● प्राथमिक जमा के मुख्य उद्देश्य

1. नकद को सुरक्षित रखना।
2. भुगतान करने में सुविधा।
3. चेक, ATM, ऑनलाइन सेवा का उपयोग करना।
4. पैसा बचाना एवं बचत पर ब्याज प्राप्त करना।

● प्राथमिक जमा की विशेषताएँ

1. यह हमेशा नकद से बनता है।
2. इसमें बैंक की कोई “सृजन शक्ति” शामिल नहीं होती।
3. यह बैंकिंग प्रणाली की मूल नींव है।
4. साख सृजन की प्रक्रिया प्राथमिक जमा से ही शुरू होती है।

● साख निर्माण में भूमिका

1. प्राथमिक जमा बैंक को “नकद आधार (cash base)” प्रदान करता है।
2. इसी नकद का एक छोटा हिस्सा सुरक्षित रखकर बैंक शेष राशि को आगे ऋण के रूप में प्रदान करता है।
3. इस तरह प्राथमिक जमा क्रेडिट सृजन का पहला कदम होता है।

(2) व्युत्पन्न जमा / उद्भूत जमा

- अर्थ-व्युत्पन्न जमावह जमा है जो बैंक अपनी साख देने की प्रक्रिया के दौरान स्वयं “निर्मित” करता है। यह जमा जनता द्वारा नकद में नहीं लाया जाता, बल्कि बैंक द्वारा ऋण देने पर खुद-ब-खुद बन जाता है।
- उदाहरण - यदि बैंक किसी व्यक्ति को 10,000 का ऋण देता है और नकद देने के बजाय उसके खाते में 10,000 “जमा” के रूप में लिख देता है तो यह जमा Derivative Deposit है।

● यह जमा कैसे बनता है?

1. बैंक जब ऋण देता है।
2. ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से भुगतान करता है।
3. किसी ग्राहक की ओर से भुगतान settle करता है।
4. Overdraft या Cash Credit सुविधा प्रदान करता है।

इन सभी स्थितियों में बैंक वास्तव में नकद नहीं देता, बल्कि ग्राहक के खाते में “जमा प्रविष्टि” कर देता है। यह जमा वास्तविक नकदी पर आधारित नहीं, बल्कि बैंक द्वारा की गई लेखांकन प्रविष्टि (Account Entry) होती है।

3.4 मुद्रा गुणक / साख गुणक (Money Multiplier / Credit Multiplier)

बैंकिंग प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि बैंक केवल जमा स्वीकार करने और ऋण देने तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि अपनी गतिविधियों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में नए क्रेडिट (साख) का भी निर्माण करते हैं। यही प्रक्रिया बैंकिंग तंत्र को एक अत्यंत शक्तिशाली वित्तीय संस्था बनाती है। जिस दर से बैंक जमा राशि के आधार पर कई गुना ऋण प्रदान कर पाते हैं, उसी अनुपात को **मुद्रा गुणक / साख गुणक** कहा जाता है। यह बताता है कि प्रारम्भिक जमा राशि के मुकाबले बैंकिंग प्रणाली कितना अधिक धन, ऋण और क्रेडिट उत्पन्न कर सकती है।

मुद्रा गुणक एक ऐसा गुणक है जो दर्शाता है कि बैंकिंग तंत्र में प्राप्त 'प्रारम्भिक जमा कितने गुना तक कुल धन आपूर्ति में परिवर्तन ला सकता है। सरल शब्दों में - **मुद्रा गुणक** वह अनुपात है, जिसमें शुरुआती एक रुपए के जमा पर बैंक कई गुना क्रेडिट बना देते हैं। बैंक केवल वही धन उपयोग में नहीं लाते जो ग्राहक जमा करते हैं, बल्कि उसे ऋण देकर वापस बैंकिंग प्रणाली में लाते हैं। यह प्रक्रिया बार-बार चलती है और प्रत्येक चरण में नया क्रेडिट उत्पन्न होता है। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया का संख्यात्मक प्रभाव क्रेडिट मल्टिप्लायर के रूप में सामने आता है।

3.4.1 मुद्रा गुणक / साख गुणक क्यों बनता है?

मुद्रा गुणक की अवधारणा मुख्यतः दो कारणों पर आधारित है -

- (1) बैंक सम्पूर्ण जमा राशि को नहीं रखते; केवल एक भाग को रिजर्व के रूप में रखते हैं प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को अपने कुल जमा का केवल एक भाग - जैसे 10%, 20% रिजर्व के रूप में रखना होता है। इसे Cash Reserve Ratio (CRR) या Reserve Ratio (r) कहा जाता है। बाकी राशि बैंक ऋण के रूप में दे देता है।
- (2) ऋण के रूप में दी गई राशि फिर बैंकिंग प्रणाली में जमा के रूप में वापस आती है। बैंक जिसको भी ऋण देता है, वह राशि भी अंततः किसी न किसी बैंक में नए जमा के रूप में पहुँच जाती है। यही नया जमा फिर आगे ऋण का आधार बन जाता है और यह प्रक्रिया बार-बार चलती है।

3.4.2 मुद्रा गुणक / साख गुणक का सूत्र

मुद्रा गुणक का मूल सूत्र है -

$$\text{Money Multiplier (m)} = 1/\text{Reserve Ratio (r)}$$

जहाँ - $r = \text{CRR}$ या अनिवार्य नकद अनुपात यदि $\text{CRR} = 20\%$ अर्थात् $r = 0.20$ तो

$m = 1/0.20 = 5$ अर्थात् 1 रुपए की प्रारम्भिक जमा से बैंक 5 रुपए तक क्रेडिट बना सकते हैं।

मुद्रा गुणक कैसे काम करता है? (Mechanism)

प्रथम चरण: प्रारम्भिक जमा

मान लीजिए किसी ग्राहक ने बैंक में Rs. 1000 जमा किए। बैंक इसे प्रारम्भिक जमा मानकर काम शुरू करता है।

दूसरा चरण : रिजर्व का निर्धारण

मान लें $\text{CRR} = 10\%$ तो बैंक Rs. 100 को रिजर्व रखेगा और Rs 900 ऋण देने के लिए उपलब्ध होंगे।

तीसरा चरण : ऋण का वितरण

अगर बैंक Rs. 900 का ऋण देता है। उधार लेने वाला व्यक्ति इस राशि को बाजार में खर्च करता है।

चौथा चरण : राशि का पुनः बैंक में जमा होना

जो लोग भुगतान प्राप्त करते हैं, वे यह राशि अपने बैंक खातों में जमा करा देते हैं। इस प्रकार RS. 900 अब बैंकिंग प्रणाली में नए जमा बनते हैं - इसे व्युत्पन्न जमा कहते हैं।

पाचवा चरण : पुनः ऋण उत्पादन

अब बैंक इन RS. 900 पर फिर से 10% रिजर्व रखता है (RS. 90) और RS. 810 का नया ऋण देता है।

छठा चरण: यह प्रक्रिया बार-बार दोहराई जाती है।

हर बार नया ऋण → नई जमा → नया ऋण → नई जमा

और इस प्रकार प्रारंभिक RS. 1000 की जमा → बढ़ते-बढ़ते लगभग RS. 10,000 तक क्रेडिट बन सकता है (यदि $r = 0.10$)।

3.4.3. मुद्रा गुणक का आर्थिक महत्व

मुद्रा गुणक अर्थव्यवस्था की साख शक्ति को मापने में अत्यंत उपयोगी है। इसका महत्व निम्न बिंदुओं में समझा जा सकता है :

- (1) कुल धन आपूर्ति पर सीधा प्रभाव मुद्रा गुणक जितना अधिक होगा, अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति उतनी अधिक होगी।
- (2) RBI की नीतियों के प्रभाव का आकलन CRR बढ़ाने पर मुद्रा गुणक घटता है और CRR घटाने पर मुद्रा गुणक बढ़ जाता है। इससे RBI अर्थव्यवस्था में साख की उपलब्धता को नियंत्रित करती है।
- (3) निवेश एवं उत्पादन पर प्रभाव अधिक मनी मल्टिप्लायर का अर्थ है कि बैंक अधिक ऋण प्रदान करने में सक्षम हैं, जिससे उत्पादन, व्यापार, और निवेश बढ़ता है।
- (4) आर्थिक विकास का समर्थन: उच्च मनी मल्टिप्लायर वित्तीय गतिविधियों को गति देता है और संपूर्ण अर्थव्यवस्था को विकास की दिशा में आगे बढ़ाता है।

3.4.4 मुद्रा गुणक को प्रभावित करने वाले कारक

- (1) **नकद आरक्षित अनुपात (CRR, SLR):** जितना अधिक रिजर्व अनुपात होगा, उतना कम क्रेडिट बनाया जा सकेगा।
- (2) **जनसामान्य की नकद रखने की प्रवृत्ति:** यदि लोग जमा के बजाय नकद अधिक रखते हैं तो बैंकिंग प्रणाली में मल्टिप्लायर कम हो जाता है।
- (3) **बैंकिंग आदतें और संरचना:** अधिक विकसित बैंकिंग प्रणाली से अधिक जमा ओर अधिक क्रेडिट निर्माण जिससे बड़ा मल्टिप्लायर।
- (4) **ऋण की मांग और आर्थिक वातावरण:** अच्छे आर्थिक माहौल में ऋण की मांग बढ़ती है और मनी मल्टिप्लायर में वृद्धि होती है।

मुद्रा गुणक आधुनिक बैंकिंग का आधार है। यह दर्शाता है कि किस प्रकार बैंक अपने सीमित रिजर्व आधार पर कई गुना क्रेडिट का निर्माण कर सकते हैं। यह न केवल बैंकिंग प्रणाली की शक्ति को दर्शाता है बल्कि

यह भी बताता है कि किस प्रकार मात्रात्मक नीतियाँ (जैसे CRR,SLR में परिवर्तन) धन आपूर्ति, निवेश, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था के वित्तीय स्वास्थ्य को समझने में मुद्रा गुणक की भूमिका केंद्रीय और अनिवार्य मानी जाती है।

3.5 साख निर्माण की प्रक्रिया

बैंकिंग प्रणाली में साख निर्माण एक क्रमबद्ध प्रक्रिया होती है, जिसमें प्रारम्भिक जमा से शुरू होकर नए-नए जमा बनते हैं और अंत में कुल क्रेडिट कई गुना तक बढ़ जाता है। नीचे दिए गए पाँच मुख्य चरण इस प्रक्रिया को सरल और स्पष्ट रूप से समझाते हैं :

(1) प्राथमिक जमा का निर्माण

साख निर्माण की प्रक्रिया की नींव प्राथमिक जमा से पड़ती है। जब कोई ग्राहक बैंक में नकद या चेक जमा कराता है, तो यह राशि बैंक के लिए प्रारम्भिक निधि के रूप में कार्य करती है।

- i. यह जमा ग्राहक स्वयं बैंक में लाता है।
- ii. यह बैंक के पास उपलब्ध मूलप्राथमिक जमा होता है।
- iii. यही आगे की साख-निर्माण प्रक्रिया का आधार बनता है।

उदाहरण :

यदि किसी ने 5,000 जमा किए, तो यह पूरी राशि बैंक की जमा राशि मानी जाएगी, जिस पर बैंक आगे साख निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।

(2) ऋण वितरण

बैंक ग्राहक द्वारा जमा की गई राशि को पूरा-का-पूरा ऋण के रूप में नहीं दे सकता। बैंक इस राशि का कुछ हिस्सा आवश्यक रिजर्व के रूप में रखता है और शेष राशि ऋण के रूप में प्रदान करता है। यही वह बिंदु है जहाँ साख निर्माण की वास्तविक शुरुआत होती है। बैंक आमतौर पर ऋण बनाते समय नकद नहीं देता, बल्कि उधारकर्ता के खाते में डेपॉजिट एंट्री कर देता है।

इस प्रकार ग्राहक के खाते में एक नया जमा “निर्मित” हो जाता है। यह जमा वास्तविक नकद जमा नहीं होता - बल्कि बैंक द्वारा बनाया गया एक ऋण जमा होता है। यह बैंकिंग प्रणाली में नई धन आपूर्ति का निर्माण है।

(3) ऋण का उपयोग

उधारकर्ता बैंक से प्राप्त ऋण राशि को विभिन्न कार्यों में खर्च करता है - जैसे वस्तुएँ खरीदना, सेवाओं का भुगतान करना, मजदूरी देना, व्यापारिक बिल चुकाना इत्यादि। जैसे ही ऋण राशि बाजार में खर्च होती है यह राशि किसी न किसी व्यक्ति या संस्था के हाथ में जाती है फिर वह व्यक्ति इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार बैंक में जमा करा देता है। इस प्रकार बैंक द्वारा दिया गया ऋण फिर से बैंकिंग प्रणाली में नई जमा राशि बन जाता है। यही ऋण का उपयोग जमा बनने का क्रम क्रेडिट निर्माण को आगे बढ़ाता है।

(4) द्वितीयक जमा का निर्माण

जब ऋण के रूप में दी गई राशि किसी दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में जमा हो जाती है, तो यह एक द्वितीयक जमा कहलाता है। इसे व्युत्पन्न जमा भी कहते हैं क्योंकि यह जमा ग्राहक द्वारा सीधे नहीं लाया जाता, बल्कि बैंक

द्वारा दिए गए ऋण से “उत्पन्न” होता है यह बैंकिंग प्रणाली में नया जमा जोड़ता है। उदाहरण के लिए : अगर ₹5,000 में से बैंक ने ₹4,500 ऋण दिया और यह राशि किसी अन्य व्यक्ति ने बैंक में जमा कर दी, तो यह ₹4,500 नया बन गया। यह नया जमा भी ठीक द्वितीयक जमा की तरह ऋण निर्माण का आधार बन जाता है।

(5) साख का विस्तार

द्वितीयक जमा बनते ही बैंक की ऋण-निर्माण क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि बैंक इस नए जमा पर भी RRR (Required Reserve Ratio) रखते हैं बची हुई राशि फिर से ऋण के रूप में देते हैं

यह ऋण फिर से खर्च होता है → नए हाथों में जाता है → फिर बैंक में जमा होता है → फिर बैंक ऋण देता है → नई जमा राशी बनती है ऐसे ही यह चक्र बार-बार चलता रहता है। इसलिए बैंकिंग प्रणाली में ; प्रारम्भिक जमा \times कई चरण = कुल साख कई गुना तक बढ़ जाती है।

इसी क्रमिक प्रक्रिया को साख का विस्तार कहा जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक बैंकिंग प्रणाली का साख गुणक पूरी तरह काम करके जमा की सीमा पूरा नहीं कर देता। अर्थात् प्राथमिक जमा → ऋण → ऋण का उपयोग → द्वितीयक जमा → दोहराव = कुल साख का कई गुना विस्तार। ये चक्र चलता रहता है।

3.6 साख निर्माण की सीमाएँ

बैंकिंग प्रणाली भले ही आधुनिक अर्थव्यवस्था में साख निर्माण की एक अत्यंत शक्तिशाली व्यवस्था रखती हो, लेकिन यह प्रक्रिया असीमित नहीं है। बैंक जब भी साख का विस्तार करते हैं, तो उन्हें अनेक व्यावहारिक, विधिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ये सभी सीमाएँ संयुक्त रूप से यह निर्धारण करती हैं कि बैंक कितनी साख बना सकते हैं और उसकी गति कितनी होगी।

नीचे साख सृजन को प्रभावित करने वाली मुख्य सीमाएँ दी जा रही हैं :

- (1) **नकद आरक्षित अनुपात (CRR) की सीमा:** CRR बैंक की साख निर्माण क्षमता को सबसे अधिक प्रभावित करने वाली सीमा है। बैंक अपने पास प्राप्त प्रत्येक जमा का एक निश्चित हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। यदि CRR अधिक हो, तो बैंक बहुत कम ऋण दे पाएँगे और साख निर्माण घट जाएगा। यदि CRR कम हो, तो ऋण बढ़ेगा और साख सृजन की क्षमता बढ़ेगी। इसलिए CRR साख निर्माण की प्राथमिक और सबसे प्रभावी सीमा है।
- (2) **जनता द्वारा नकद रखने की प्रवृत्ति:** यदि जनता बैंकिंग प्रणाली में जमा रखने के बजाय नकद अपने पास रखना अधिक पसंद करती है, तो इसका साख निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। जब लोगों में नकद रखने की प्रवृत्ति बढ़ती है, तो बैंकों में जमा कम होते हैं, परिणामस्वरूप साख निर्माण घटता है। इसके विपरीत, जब डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलता है और लोग नकद कम रखते हैं, तो बैंकिंग जमा बढ़ते हैं, जिससे साख निर्माण में वृद्धि होती है। अतः जनता की नकद-प्राथमिकता बैंकिंग प्रणाली की साख निर्माण क्षमता को सीमित करती है।
- (3) **बैंक में ऋण की माँग का स्तर:** साख निर्माण तभी संभव है जब आर्थिक गतिविधियों में ऋण की वास्तविक माँग हो। मंदी (Recession) में लोग और व्यापारी ऋण लेने से डरते हैं जिसके विपरीत ऋण की

माँग घट जाती है और साख निर्माण सीमित हो जाता है। तेजी के समय ऋण की माँग बढ़ती है और बैंक अधिक साख बनाते हैं। इस प्रकार क्रेडिट निर्माण की प्रक्रिया आर्थिक चक्रों पर निर्भर करती है।

- (4) **बैंकिंग प्रणाली में प्रतिस्पर्धा और सहयोग:** बैंकिंग प्रणाली में अगर बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा हो, तो बैंक सावधानी से ऋण देते हैं। जोखिम कम लेने की प्रवृत्ति रहती है। यह चीज साख निर्माण को सीमित करती है। दूसरी ओर, एक अच्छी तरह संगठित बैंकिंग प्रणाली जहाँ बैंक मिलकर काम करते हैं, वहाँ साख निर्माण अधिक होता है।
- (5) **योग्य और सुरक्षित उधारकर्ताओं की उपलब्धता:** बैंक बिना सुरक्षा और बिना भरोसे के ऋण नहीं देते। यदि बाजार में योग्य उधारकर्ता कम हों, जोखिम अधिक हो, व्यवसाय में अनिश्चितता हो तो बैंक ऋण कम देते हैं और साख निर्माण पर रोक लग जाती है।
- (6) **RBI की मौद्रिक नीति:** RBI समय-समय पर बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न नीतियाँ अपनाता है : बैंक दर (bank rate), ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO), कैश रिजर्व रेशियो (CRR), स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो (SLR), मार्जिन आवश्यकताएँ, अगर RBI नीति को कड़ी कर दे, तो ऋण महंगा हो जाता है, बैंक कम ऋण देते हैं, साख निर्माण रुक जाता है। इसलिए मौद्रिक नियंत्रण भी एक प्रमुख सीमा है।
- (7) **राजनीतिक और सामाजिक वातावरण:** राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक अशांति, कानून-व्यवस्था की कमजोरी आदि परिस्थितियाँ : निवेश को हतोत्साहित करती हैं, ऋण पर जोखिम बढ़ाती हैं, बैंक को ऋण वितरण सीमित करने पर मजबूर करती हैं। बाहरी परिस्थितियाँ भी बैंकिंग साख-निर्माण की गति को प्रभावित करती हैं।

साख निर्माण की प्रक्रिया दिखने में सरल लग सकती है, पर वास्तव में यह अनेक आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, कानूनी और प्रशासनिक सीमाओं के बीच संचालित होती है। बैंक तभी प्रभावी रूप से साख निर्माण कर सकते हैं, जब - उचित मात्रा में जमा उपलब्ध हों, ऋण की माँग स्थिर हो, RBI की नीतियाँ अनुकूल हों, आर्थिक परिस्थितियाँ स्थिर हों, लोग बैंकिंग प्रणाली पर विश्वास रखें। इन सीमाओं के कारण ही बैंकिंग प्रणाली अनियंत्रित रूप से साख निर्माण नहीं कर पाती, बल्कि यह प्रक्रिया संतुलित, विनियमित और नियंत्रित रहती है, जो अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

3.7 अर्थव्यवस्था में क्रेडिट क्रिएशन का महत्व

क्रेडिट क्रिएशन आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का सबसे शक्तिशाली और प्रभावी कार्य माना जाता है। यह केवल पैसे उधार देने का माध्यम नहीं, बल्कि नया क्रेडिट, नई क्रय-शक्ति और नए आर्थिक अवसर पैदा करने की क्षमता रखता है। अर्थव्यवस्था की विकास प्रक्रिया में इसका महत्व अत्यधिक व्यापक और गहरा है। नीचे क्रेडिट क्रिएशन के प्रमुख महत्व विस्तार से प्रस्तुत हैं:

- (1) **धन आपूर्ति का विस्तार:** साख निर्माण से अर्थव्यवस्था में उपलब्ध कुल धन की मात्रा बढ़ती है। जब बैंक प्राथमिक जमा से कई गुना अधिक ऋण प्रदान करते हैं, तो वित्तीय प्रणाली में नई क्रय-शक्ति उत्पन्न

होती है। इससे बाजार में लेन-देन बढ़ता है व्यापार की गति तेज होती है तथा आर्थिक गतिविधियों में ऊर्जा आती है इसलिए क्रेडिट क्रिएशन धन आपूर्ति को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी माध्यम है।

- (2) **निवेश को बढ़ावा देना:** किसी भी अर्थव्यवस्था में निवेश तब ही संभव है जब पर्याप्त पूँजी उपलब्ध हो। क्रेडिट क्रिएशन व्यापारियों, उद्योगों और उद्यमियों को मशीनरी खरीदने, नई इकाइयाँ स्थापित करने, उत्पादन बढ़ाने, तकनीकी सुधार करने के लिए आवश्यक वित्त प्रदान करता है। यदि बैंक साख न बनाएँ तो निवेश गतिविधियाँ रुक जाएँगी और आर्थिक विकास ठहर जाएगा।
- (3) **उत्पादन और रोजगार में वृद्धि :** साख निर्माण से उद्योगों और व्यवसायों को पूँजी मिलती है, जिससे नए कारखाने स्थापित होते हैं। उत्पादन क्षमता बढ़ती है, श्रमिकों की माँग बढ़ती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। इस तरह क्रेडिट क्रिएशन आर्थिक विकास का इंजन बनकर काम करता है।
- (4) **व्यापार और वाणिज्य को गति प्रदान करना:** व्यापारिक गतिविधियों में नकदी की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। क्रेडिट क्रिएशन व्यापारियों को निम्न प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध कराता है: कार्यशील पूँजी, माल खरीद हेतु ऋणबिल डिस्काउंटिंग, ओवरड्राफ्ट और कैश-क्रेडिट इन सुविधाओं से व्यापार सरल, तेज और विस्तृत होता है।
- (5) **आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना:** किसी भी अर्थव्यवस्था में धन की कमी या प्रचुरता दोनों ही समस्याएँ पैदा करती हैं। क्रेडिट क्रिएशन और उस पर नियंत्रण के माध्यम से मंदी के समय ऋण बढ़ाकर आर्थिक गतिविधियों को सहारा दिया जाता है। तेजी के समय ऋण कम करके मूल्य-वृद्धि को नियंत्रित किया जाता है। इस प्रकार बैंकिंग साख अर्थव्यवस्था में संतुलन और स्थिरता बनाए रखने में मदद करती है।
- (6) **उपभोक्ता खर्च का समर्थन:** आधुनिक अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता व्यय का बड़ा हिस्सा बैंक ऋण पर निर्भर है। जैसे - गृह ऋण, वाहन ऋण, शिक्षा ऋण, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के लिए ऋण, इन सभी ऋणों की उपलब्धता क्रेडिट क्रिएशन के कारण ही संभव होती है। इससे लोगों का उपभोग बढ़ता है और बाजार में माँग बनी रहती है।
- (7) **उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा:** नई व्यवसायिक योजनाएँ अक्सर पर्याप्त प्रारंभिक पूँजी के अभाव में शुरू नहीं हो पातीं। बैंकिंग साख उद्यमियों को जोखिम उठाने का अवसर देती है। नए विचार, नए स्टार्टअप और नए व्यवसाय शुरू करने में मदद करती है। तकनीकी नवाचार को बढ़ाती है। इससे अर्थव्यवस्था में गतिशीलता और प्रतिस्पर्धा बढ़ती है।
- (8) **आर्थिक विकास दर में वृद्धि:** क्रेडिट क्रिएशन से तीन चीजें एक साथ बढ़ती हैं - निवेश, उत्पादन, रोजगार; ये तीनों किसी भी देश की विकास दर को निर्धारित करते हैं। इसलिए साख निर्माण सीधे-सीधे राष्ट्रीय आय और लब्ध में वृद्धि का साधन है।
- (9) **ग्रामीण और कृषि क्षेत्र को पूँजी उपलब्ध कराना:** कृषि, ग्रामीण उद्योग और छोटे व्यवसाय अक्सर अपनी पूँजी जरूरतों को स्वयं पूरा नहीं कर पाते। क्रेडिट क्रिएशन इन क्षेत्रों को - ऋण, सब्सिडी-आधारित वित्त, ऋण पुनर्गठन, लंबी अवधि के कृषि ऋण प्रदान करके उन्हें मजबूत बनाता है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास होता है।

- (10) **सरकार की आर्थिक नीतियों को समर्थन:** सरकार की कई नीतियाँ तभी सफल हो पाती हैं जब बैंक पर्याप्त साख उपलब्ध कराएँ - MSME विकास, रोजगार योजनाएँ, महिला उद्यमिता, शिक्षा और कौशल विकास, बुनियादी ढाँचा निर्माण इस प्रकार क्रेडिट क्रिएशन राष्ट्रीय नीति-निर्माण को भी सशक्त बनाता है। अर्थव्यवस्था में क्रेडिट क्रिएशन का महत्व अत्यंत व्यापक है। यह केवल बैंकिंग प्रणाली का एक तकनीकी कार्य नहीं, बल्कि उत्पादन, निवेश, व्यापार, उपभोग, रोजगार और विकास का मूल आधार है। कुल मिलाकर, क्रेडिट क्रिएशन आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ और विकास का प्रमुख इंजन है।

3.8 साख नियंत्रण: अर्थ एवं उद्देश्य (Credit Control: Meaning and Objectives)

1. साख नियंत्रण का अर्थ (Meaning of Credit Control)

साख नियंत्रण आधुनिक केंद्रीय बैंक का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। हर अर्थव्यवस्था में बैंकिंग तंत्र के माध्यम से साख (Credit) का निर्माण होता है, जिससे मुद्रा आपूर्ति, निवेश, उत्पादन, रोजगार और मूल्य स्तर प्रभावित होते हैं। यदि साख का प्रवाह अत्यधिक बढ़ जाए तो महंगाई (Inflation) बढ़ सकती है; और यदि साख का प्रवाह बहुत कम हो जाए तो व्यापार, उद्योग व रोजगार गतिविधियाँ धीमी पड़ सकती हैं।

इसलिए केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि अर्थव्यवस्था में साख का प्रवाह न तो अत्यधिक अधिक हो और न ही अत्यधिक कम। साख की मात्रा, दिशा और उपलब्धता को संतुलित तथा नियंत्रित करने की इस प्रक्रिया को “साख नियंत्रण” कहा जाता है।

सरल भाषा में, साख नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों द्वारा सृजित क्रेडिट की मात्रा और उसके उपयोग पर नियंत्रण रखता है, ताकि आर्थिक स्थिरता बनी रहे और अर्थव्यवस्था स्वस्थ गति से आगे बढ़े। केंद्रीय बैंक इसके लिए विभिन्न शक्ति-उपकरण (policy tools) जैसे बैंक दर, खुला बाजार परिचालन, नकद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, नैतिक अनुनय, ऋण राशियों पर दिशानिर्देश आदि का उपयोग करता है। इन साधनों के माध्यम से वह बैंकों को संकेत देता है कि उन्हें साख का विस्तार करना है या साख का संकुचन करना है।

इस प्रकार साख नियंत्रण आर्थिक प्रबंधन का आवश्यक अंग है, जिसका उद्देश्य मुद्रा-साख प्रणाली को स्थिर, संतुलित और उत्पादक बनाए रखना है।

2. साख नियंत्रण के उद्देश्य (Objectives of Credit Control)

केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण के माध्यम से संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था को संतुलित और सुव्यवस्थित रखने का प्रयास करता है। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

- (1) **मूल्य स्थिरता बनाए रखना (To Maintain Price Stability):** मूल्य स्थिरता किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। यदि साख अधिक मात्रा में उपलब्ध हो जाए तो वस्तुओं और सेवाओं की मांग तेजी से बढ़ने लगती है, जिससे मूल्य स्तर बढ़ जाता है और महंगाई उत्पन्न होती है। इसके विपरीत साख की कमी से मंदी, उत्पादन में गिरावट और बेरोजगारी जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती

हैं।केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण के द्वारा महँगाई के समय साख को सीमित करता है और मंदी के समय साख को बढ़ाता है, जिससे मूल्य स्तर स्थिर बना रहे।

- (2) **आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना (To Ensure Economic Stability):** साख प्रवाह का असंतुलन व्यापार चक्रों (Business Cycles) को जन्म देता है — जैसे तेजी, मंदी, अवसाद और पुनरुद्धार।केंद्रीय बैंक साख प्रवाह को नियंत्रित करके व्यापार चक्रों के प्रभाव को कम करता है और अर्थव्यवस्था को स्थिर और संतुलित रखने का प्रयास करता है।
- (3) **उत्पादन और निवेश को उचित दिशा देना (To Direct Production and Investment):** साख कहाँ जाए, किस क्षेत्र को मिलना है, किसके लिए सीमित की जाएयह सब केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में होता है।अर्थव्यवस्था के प्राथमिक और महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, ऊर्जा, परिवहन, लघु उद्योग आदि को पर्याप्त साख उपलब्ध कराई जाती है।जबकि सट्टा गतिविधियों और अनुत्पादक क्षेत्रों में साख के प्रवाह को सीमित किया जाता है।
- (4) **विदेशी व्यापार और भुगतान संतुलन को नियंत्रित करना (To Regulate Foreign Trade & Balance of Payments):** साख की उपलब्धता विदेशी व्यापार पर भी प्रभाव डालती है।यदि घरेलू कीमतें बहुत बढ़ जाएँ, तो निर्यात घटता है और आयात बढ़ता है, जिससे भुगतान संतुलन बिगड़ सकता है।केंद्रीय बैंक साख को नियंत्रित कर मुद्रा मूल्य, विदेशी विनिमय दर और बाहरी व्यापार को संतुलित रखने में सहायक होता है।
- (5) **बैंकों की तरलता और स्थिरता बनाए रखना (To Maintain Liquidity & Stability of Banks):** यदि बैंकों पर अचानक नकदी भुगतान का दबाव आ जाए तो बैंकिंग संकट उत्पन्न हो सकता है।इसे रोकने के लिए केंद्रीय बैंक बैंकों पर आवश्यक नकद आरक्षित अनुपात लागू करता है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें तरलता सहायता प्रदान करता है।इससे बैंक सुरक्षित बने रहते हैं और जमाकर्ताओं का विश्वास बना रहता है।
- (6) **आर्थिक विकास को बढ़ावा देना (To Promote Economic Development):** साख नियंत्रण का अंतिम और व्यापक उद्देश्य यह है कि साख प्रणाली का उपयोग देश के समग्र विकास के लिए किया जाये।केंद्रीय बैंक विकासशील क्षेत्रों को प्राथमिकता देता है, दीर्घकालिक ऋण नीतियां बनाता है और विकास कार्यक्रमों के लिए साख उपलब्ध कराता है।इस प्रक्रिया से कृषि, उद्योग, अवसंरचना, सेवा क्षेत्र आदि सभी क्षेत्रों में विकास गति प्राप्त करता है।

3.9 साख नियंत्रण के प्रकार

केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा, दिशा और उपलब्धता को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय अपनाता है। इन उपायों को मुख्य रूप से दो व्यापक वर्गों में विभाजित किया जाता है-

1. मात्रात्मक या सामान्य साख नियंत्रण (Quantitative or General credit control)
2. गुणात्मक या चयनात्मक साख नियंत्रण (quantitative or Selective credit control)

इन दोनों प्रकार के नियंत्रणों का उद्देश्य अलग-अलग होते हुए भी संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था को संतुलित और स्थिर बनाना है। नीचे इन दोनों के अर्थ, प्रकृति और उपयोग का विस्तृत वर्णन दिया जा रहा है।

1. मात्रात्मक / सामान्य साख नियंत्रण

अर्थ

मात्रात्मक साख नियंत्रण वे उपाय हैं जिनका प्रभाव पूरे बैंकिंग तंत्र और समूची अर्थव्यवस्था की साख पर समान रूप से पड़ता है। इन उपायों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में साख की कुल मात्रा को नियंत्रित करना होता है। सरल शब्दों में, केंद्रीय बैंक बाजार में साख की मात्रा को बढ़ाने या घटाने के लिए जो साधन उपयोग करता है, उन्हें मात्रात्मक साख नियंत्रण कहा जाता है। ये नियंत्रण महंगाई या मंदी की स्थिति में अत्यधिक प्रभावी होते हैं।

मात्रात्मक साख नियंत्रण के प्रमुख प्रकार -

- (1) **बैंक दर नीति:** केंद्रीय बैंक जब व्यावसायिक बैंकों को ऋण देता है या बिलों का पुनः छूट करता है तो जिस ब्याज दर का उपयोग करता है उसे बैंक दर कहते हैं। बैंक दर बढ़ाई जाती है साख घटती है। बैंक दर घटाई जाती है साख बढ़ती है।
यह साख नियंत्रण का प्राचीन और महत्वपूर्ण साधन है।
- (2) **खुला बाजार परिचालन:** केंद्रीय बैंक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता या बेचता है। जब प्रतिभूतियों की बिक्री बाजार से धन बाहर तथा साख में कमी। जब प्रतिभूतियों की खरीद होती है तब बाजार में धन प्रवाह और साख में वृद्धि। यह साख नियंत्रण का अत्यंत प्रभावी आधुनिक साधन है।
- (3) **नकद आरक्षित अनुपात:** व्यावसायिक बैंकों को अपनी कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत नकद के रूप में केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है। जब CRR बढ़ता है तब बैंकों के पास ऋण देने के लिए कम धन और साख घटती है। जब CRR घटता है अधिक ऋण क्षमता होती साख बढ़ती है।
- (4) **वैधानिक तरलता अनुपात:** बैंकों को अपनी जमा का एक प्रतिशत 'तरल संपत्तियों' जैसे सोना, नकदी या सरकारी प्रतिभूतियों में रखना होता है। SLR में परिवर्तन भी बैंक की ऋण क्षमता को प्रभावित करता है। SLR को बढ़ाने पर ऋण क्षमता घटती है साख में कमी। SLR घटाने पर ऋण क्षमता बढ़ती है तथा साख में 'वृद्धि' आती है।
- (5) **ऋण की अधिकतम सीमा:** केंद्रीय बैंक कुछ स्थितियों में बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण की अधिकतम मात्रा निर्धारित कर देता है।
यह भी साख की कुल मात्रा पर नियंत्रण का साधन है।

2. गुणात्मक / चयनात्मक साख नियंत्रण

अर्थ

गुणात्मक साख नियंत्रण वे उपाय हैं जिनका उपयोग केंद्रीय बैंक 'विशिष्ट क्षेत्रों, विशिष्ट वस्तुओं या विशिष्ट प्रकार के ऋण' को नियंत्रित करने के लिए करता है। इनका उद्देश्य साख की 'दिशा और उपयोग' को नियंत्रित करना है, न कि साख की कुल मात्रा को। सरल भाषा में :

'गुणात्मक नियंत्रण से केंद्रीय बैंक यह तय करता है कि कौन-से क्षेत्र को साख मिले और कौन-से क्षेत्र को नहीं।'

गुणात्मक साख नियंत्रण के प्रमुख प्रकार -

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

- (1) **मार्जिन आवश्यकता:** केंद्रीय बैंक यह निर्धारित करता है कि किसी वस्तु के बदले ऋण देने पर उसकी अधिकतम कीमत का कितना प्रतिशत ऋण के रूप में दिया जा सकता है। उदाहरणसदृश वस्तुओं पर मार्जिन बढ़ाकर ऋण कम किया जा सकता है। आवश्यक वस्तुओं पर मार्जिन घटाकर ऋण बढ़ाया जा सकता है।
- (2) **उपभोक्ता ऋण विनियमन:** केंद्रीय बैंक टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं (जैसे कार, टीवी, फ्रिज आदि) पर ऋण की अवधि और डाउन पेमेंट की शर्तों को बदलकर क्रेडिट को नियंत्रित करता है।
- (3) **नैतिक अनुनय:** केंद्रीय बैंक बैंकों को सलाह, अनुरोध और दिशा-निर्देश देता है कि वे साख का उपयोग किस क्षेत्र में करें और किसमें न करें। यह नैतिक दबाव का शांतिपूर्ण तरीका है।
- (4) **प्रत्यक्ष कार्रवाई:** यदि बैंक केंद्रीय बैंक के निर्देशों का पालन नहीं करते, तो केंद्रीय बैंक दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है, जैसे विशेष दरों में परिवर्तन, ऋण सुविधा में कमी, या अन्य नियामक कदम।
- (5) **ऋण राशियों पर नियंत्रण:** केंद्रीय बैंक ऋण की शर्तों - जैसे दर, अवधि, कोलैटरल, उद्देश्य आदि - पर नियंत्रण लगाकर साख की दिशा को प्रभावित करता है।

3. मिश्रित साख नियंत्रण

कुछ परिस्थितियों में केंद्रीय बैंक मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों उपायों को एक साथ अपनाता है। इसे मिश्रित या संयुक्त साख नियंत्रण कहा जाता है। यह स्थिति महंगाई, भुगतान संतुलन संकट, युद्धकाल या अत्यधिक आर्थिक अस्थिरता के समय अधिकतम प्रयोग की जाती है।

3.10 भारतीय संदर्भ में साख नियंत्रण

भारत में साख नियंत्रण की प्रक्रिया मुख्य रूप से 'भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा संचालित की जाती है। भारत की आर्थिक संरचना, विकास स्तर, वित्तीय बाजार की प्रकृति और सामाजिक प्राथमिकताओं के अनुसार भारत में साख नियंत्रण की अपनी विशेष शैली विकसित हुई है। यहाँ साख नियंत्रण केवल महंगाई और मंदी जैसी स्थितियों को संतुलित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक विकास, वित्तीय स्थिरता और सामाजिक प्राथमिकताओं को भी ध्यान में रखता है।

निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से भारतीय संदर्भ में साख नियंत्रण की प्रकृति, संस्थागत ढाँचा और प्रमुख नीतियाँ समझी जा सकती हैं।

1. RBI की भूमिका

भारतीय संदर्भ में साख नियंत्रण का मुख्य भार भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) पर होता है। यह देश का केंद्रीय बैंक है और मुद्रा, क्रेडिट तथा बैंकिंग तंत्र पर नियंत्रण रखने का संवैधानिक तथा कानूनी अधिकार रखता है।

RBI की प्रमुख भूमिकाएँ -

- (a) **मुद्रा और साख के प्रवाह का नियमन:** RBI अर्थव्यवस्था में उपलब्ध मुद्रा और बैंकिंग प्रणाली की ऋण क्षमता को नियंत्रित करता है। इसमें मात्रात्मक और गुणात्मक (मार्जिन, दिशा-निर्देश) दोनों उपाय शामिल हैं।

- (b) **बैंकिंग प्रणाली का पर्यवेक्षण:** RBI सभी व्यावसायिक बैंकों, सहकारी बैंकों, ग्रामीण बैंकों आदि की निगरानी करता है ताकि वे साख वितरण को जिम्मेदारी और स्थिरता के साथ संचालित करें।
- (c) **वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना:** साख नियंत्रण के माध्यम से RBI महँगाई की अनियंत्रित वृद्धि, सट्टा गतिविधियों, अत्यधिक ऋण विस्तार और तरलता संकट को रोकता है।
- (d) **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को साख उपलब्ध कराना:** भारत में कृषि, लघु उद्योग, आवास, ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है। RBI इन क्षेत्रों के लिए विशेष साख दिशा-निर्देश जारी करता है।

2. मौद्रिक नीति

भारत में साख नियंत्रण का मुख्य उपकरण 'मौद्रिक नीति' है। RBI हर वर्ष और हर तिमाही मौद्रिक नीति के माध्यम से यह तय करता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा और साख का प्रवाह किस दिशा में जाएगा।

मौद्रिक नीति के मुख्य उद्देश्य -

- i. महँगाई पर नियंत्रण
- ii. आर्थिक विकास का समर्थन
- iii. वित्तीय स्थिरता बनाए रखना
- iv. रोजगार और उत्पादकता को बढ़ावा देना
- v. भुगतान संतुलन को संतुलित रखना

3. चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF)

तरलता समायोजन सुविधा आरबीआई द्वारा बैंकों में तरलता को नियमित करने की एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रणाली है।

LAF का मुख्य उद्देश्य है -

- i. अल्पकालिकतरलता का संतुलन करना
- ii. बैंकों की नकदी की आवश्यकता को पूरा करना
- iii. वित्तीय बाजारों में स्थिरता बनाए रखना

4. हाल की RBI नीतियों का प्रभाव

हाल के वर्षों में RBI की नीतियाँ इस प्रकार बनाई हैं कि साख का प्रवाह नियंत्रित रहने के साथ-साथ आर्थिक विकास और मूल्य स्थिरता दोनों को सफलतापूर्वक सुनिश्चित हो सकें। इसकी नीतियों का प्रभाव निम्नलिखित है।

- (a) **ऋण की कीमत में परिवर्तन-** नीति दरों में समायोजन के कारण बैंकों के लिए ऋण महँगा या सस्ता हो जाता है। इससे बाजार में ऋण माँग और ऋण क्षमता पर सीधा असर पड़ता है।
- (b) **महँगाई पर नियंत्रण-** रेपो दर बढ़ाने से उपभोग और निवेश घटता है, जिससे कीमतों पर दबाव कम होता है।
- (c) **विकास दर पर प्रभाव-** नीति दरों की कमी से ऋण सस्ता होता है, निवेश बढ़ता है, उत्पादन में वृद्धि होती है। इससे अर्थव्यवस्था में विकास गति पकड़ती है।

(d) वित्तीय बाजारों में स्थिरता- तरलता प्रबंधन के माध्यम से RBI सुनिश्चित करता है कि -

- a. बैंकिंग प्रणाली में नकदी की कमी न आए
- b. अचानक होने वाली वित्तीय अस्थिरता पर तुरंत नियंत्रण हो

(5) डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन पर प्रभाव

RBI की नीतियाँ डिजिटल भुगतान, सुरक्षित लेन-देन और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता और गति बढ़ती है।

(6) विदेशी विनिमय बाजार पर प्रभाव

नियंत्रित तरलता और नीति दरों में परिवर्तन से विदेशी मुद्रा प्रवाह, विनिमय दर और आयात-निर्यात गतिविधियों पर भी परोक्ष प्रभाव पड़ता है।

3.11 सारांश (Summary)

साख निर्माण और साख नियंत्रण किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था की वित्तीय संरचना के दो ऐसे स्तंभ हैं, जिन पर संपूर्ण मौद्रिक व्यवस्था का संतुलन टिका रहता है। बैंक जहाँ एक ओर ऋण प्रदान करके आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, वहीं दूसरी ओर केंद्रीय बैंकविशेषतः भारतीय संदर्भ में 'भारतीय रिजर्व बैंक' इस प्रक्रिया को आवश्यक दिशा और सीमा प्रदान करता है। संपूर्ण अध्याय का विवेचन स्पष्ट करता है कि बिना नियंत्रित साख निर्माण, अर्थव्यवस्था को अस्थिर बना सकता है, जबकि सुनियोजित साख नियंत्रण आर्थिक विकास को संतुलित और टिकाऊ बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

बैंकिंग प्रणाली द्वारा किया गया 'Credit Creation' वास्तव में आधुनिक अर्थव्यवस्था में धन निर्माण का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। प्रारम्भिक जमा से लेकर द्वितीयक जमा तक बनने वाली शृंखला पूरे वित्तीय ढांचे में धन की उपलब्धता को कई गुना बढ़ा देती है। यह बढ़ी हुई साख निवेश, व्यापार, उत्पादन, उपभोग और रोजगार जैसे क्षेत्रों में नई ऊर्जा का संचार करती है। जब व्यवसायों को पर्याप्त ऋण मिलता है, तो वे नए निवेश करते हैं, उत्पादन बढ़ाते हैं और अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। इस प्रकार साख निर्माण केवल बैंकिंग की तकनीकी प्रक्रिया न होकर, आर्थिक प्रगति की बुनियादी आवश्यकता बन जाता है।

हालाँकि, अनियंत्रित साख निर्माण अपनी प्रकृति में जोखिमपूर्ण होता है। यदि बैंक अत्यधिक ऋण देने लगे, तो मुद्रा की आपूर्ति तेजी से बढ़ती है, जिससे 'मुद्रास्फीति' उत्पन्न हो सकती है। इसके विपरीत यदि ऋण अत्यधिक सीमित कर दिया जाए, तो निवेश और उपभोग दोनों प्रभावित होते हैं और अर्थव्यवस्था मंदी की ओर बढ़ने लगती है। इसलिए आवश्यक है कि इस पूरी प्रक्रिया पर एक सक्षम संगठन नियंत्रण रखे, और भारतीय अर्थव्यवस्था में यह भूमिका 'RBI' बखूबी निभा रहा है।

RBI ने पिछले कई दशकों में मौद्रिक नीति के माध्यम से यह सुनिश्चित किया है कि न तो बाजार में अत्यधिक साख प्रवाह से मुद्रास्फीति बढ़े और न ही इतनी कठोरता आए कि निवेश व उत्पादन की गति बाधित हो। LAF, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर जैसी व्यवस्थाओं ने बैंकिंग प्रणाली में तरलता प्रबंधन को अधिक वैज्ञानिक और प्रभावशील बनाया है। इन नीतियों के माध्यम से बैंक यह तय करते हैं कि कब अधिक ऋण देना है और कब सतर्क

रहना है। इस तरह साख निर्माण और साख नियंत्रण का संयोजन अर्थव्यवस्था को स्थिरता, पारदर्शिता और विकास के मार्ग पर बनाए रखता है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि 'साख निर्माण' अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और वित्तीय संसाधनों को गतिशील बनाने का कार्य करता है, जबकि 'साख नियंत्रण' इस क्षमता को व्यवस्थित, संतुलित और सुरक्षित रखता है। दोनों प्रक्रियाएँ एक-दूसरे की पूरक हैं - यदि साख निर्माण अर्थव्यवस्था का "इंजन" है, तो साख नियंत्रण "ब्रेक और स्टीयरिंग" की भूमिका निभाता है। एक स्वस्थ, स्थिर और विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए इन दोनों में संतुलन अत्यंत आवश्यक है। विकसित राष्ट्र हों या विकासशील, बैंकिंग प्रणाली की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि वह कितनी प्रभावी ढंग से साख निर्माण कर सकती है और केंद्रीय बैंक किस प्रकार विवेकपूर्ण तरीके से उसके विस्तार को नियंत्रित कर सकता है। वर्तमान वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों में यह संतुलन और भी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि बिना पर्याप्त साख के आर्थिक गतिविधियाँ रुक जाती हैं और बिना नियंत्रण के साख निर्माण वित्तीय अस्थिरता पैदा कर सकता है। इस प्रकार, 'साख निर्माण' और 'साख नियंत्रण' आर्थिक विकास, मूल्य स्थिरता और वित्तीय अनुशासन के लिए अनिवार्य तत्व हैं, जो किसी भी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित, सुदृढ़ और निरंतर प्रगति की दिशा में आगे बढ़ाते हैं।

3.12 शब्दावली

साख सृजन (Credit Creation) – बैंक द्वारा जमा के आधार पर नई साख का निर्माण।

प्राथमिक जमा (Primary Deposit) – जनता द्वारा नकद रूप में बैंक में किया गया जमा।

मुद्रा गुणक (Money Multiplier) – वह अनुपात जिससे प्रारम्भिक जमा कई गुना धन में बदल जाती है।

नकद आरक्षित अनुपात (CRR) – जमा का वह भाग जो बैंक को RBI के पास रखना होता है।

वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) – जमा का वह भाग जो तरल संपत्तियों में रखा जाता है।

3.13 बोध प्रश्न

1. साख सृजन की प्रक्रिया का आधार किस जमा पर होता है?

- (A) व्युत्पन्न जमा
- (B) द्वितीयक जमा
- (C) प्राथमिक जमा
- (D) सावधि जमा

2. मुद्रा गुणक का सूत्र है—

- (A) $r / 1$
- (B) $1 / r$
- (C) $r \times 1$
- (D) r^2

3. साख नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- (A) केवल बैंकों का लाभ बढ़ाना

- (B) मुद्रा और साख को संतुलित रखना
- (C) केवल ऋण बढ़ाना
- (D) केवल ऋण घटाना

3.14 बोध प्रश्नों के उत्तर

1.C, 2.B, 3.B

3.15 स्वपरख प्रश्न

(A) लघु उत्तरीय प्रश्न

1. साख निर्माण की प्रक्रिया के चरण का वर्णन कीजिए।
2. साख निर्माण की मुख्य सीमाओं की व्याख्या कीजिए।
3. मात्रात्मक साख नियंत्रण के उपायों की व्याख्या कीजिए।

(B) दीर्घ उत्तर प्रश्न

1. अर्थव्यवस्था में क्रेडिट क्रिएशन के महत्व की विवेचना कीजिए।
2. साख नियंत्रण के अर्थ एवं उद्देश्यों की विस्तार से व्याख्या कीजिए।
3. गुणात्मक साख नियंत्रण के उपायों का वर्णन कीजिए।
4. भारतीय संदर्भ में साख नियंत्रण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

3.16 संदर्भ पुस्तकें

- 1 मिश्रा, एस. बी.मुद्रा, बैंकिंग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार: सिद्धांत और व्यवहार।हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुंबई. 2020
- 2 गुप्ता, आर. के.मौद्रिक अर्थशास्त्र और बैंकिंग प्रणाली (8वाँ संशोधित संस्करण)के. नाथ एंड कंपनी, मेरठ. 2019
- 3 शर्मा, आर. डी.भारतीय बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली।अटलांटिक पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली. 2021

इकाई-4 केंद्रीय बैंकिंग: भारतीय रिज़र्व बैंक

इकाई की रूपरेखा

- 4.1 प्रस्तावना
- 4.2 भारतीय रिज़र्व बैंक की उत्पत्ति और स्थापना
- 4.3 भारतीय रिज़र्व बैंक का राष्ट्रीयकरण
- 4.4 भारतीय रिज़र्व बैंक के उद्देश्य
- 4.5 भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्य
- 4.6 भारतीय रिज़र्व बैंक की संगठनात्मक संरचना
- 4.7 भारतीय रिज़र्व बैंक के विभाग (मुख्य और सहायक विभाग)
- 4.8 वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड
- 4.9 भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका
- 4.10 सारांश
- 4.11 शब्दावली
- 4.12 बोध प्रश्न
- 4.13 बोध प्रश्न के उत्तर
- 4.14 स्वपरख प्रश्न
- 4.15 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप इस योग्य हो सकेंगे कि-

- केंद्रीय बैंकिंग की अवधारणा तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका को स्पष्ट रूप से समझ सकें।
- भारतीय रिज़र्व बैंक की उत्पत्ति, स्थापना एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का वर्णन कर सकें।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के कारणों एवं प्रभावों की व्याख्या कर सकें।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रमुख उद्देश्यों को समझ सकें और उनका विश्लेषण कर सकें।
- RBI द्वारा किए जाने वाले केंद्रीय बैंकिंग, साधारण बैंकिंग एवं विकासात्मक कार्यों का विवेचन कर सकें।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के संगठनात्मक ढाँचे, केंद्रीय बोर्ड एवं स्थानीय बोर्ड की संरचना को समझ सकें।
- RBI के प्रमुख विभागों तथा उनके कार्यों की जानकारी प्राप्त कर सकें।
- वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (BFS) की संरचना, कार्य एवं महत्व को समझ सकें।
- मौद्रिक नीति के निर्माण एवं क्रियान्वयन में RBI की भूमिका का विश्लेषण कर सकें।
- वित्तीय समावेशन, वित्तीय स्थिरता एवं आर्थिक विकास में RBI के योगदान का मूल्यांकन कर सकें।

- भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता बनाए रखने में RBI की समग्र भूमिका को समझ सकें।

4.1 प्रस्तावना

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) देश का केंद्रीय बैंक और भारतीय वित्तीय प्रणाली का सर्वोच्च प्राधिकरण है। इसकी स्थापना 1935 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के तहत हुई थी। शुरुआत में यह एक निजी स्वामित्व वाला बैंक था, और बाद में राष्ट्र के हितों की सेवा के लिए 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। RBI मुद्रा जारी करने, मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को विनियमित करने और यहाँ तक कि मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सरकार और बैंकों के लिए बैंकर के रूप में भी कार्य करता है, भुगतान और निपटान प्रणालियों की निगरानी करता है, और विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है।

वर्षों से, RBI ने बढ़ती अर्थव्यवस्था की बदलती ज़रूरतों को पूरा करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने, आधुनिक बैंकिंग तकनीक को लागू करने और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए खुद को ढाला है। अपनी विभिन्न भूमिकाओं के माध्यम से, RBI न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, बल्कि जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा भी करता है और बैंकिंग प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखता है। इसे अक्सर "भारत की वित्तीय स्थिरता का संरक्षक" कहा जाता है, जो अर्थव्यवस्था के सुचारु संचालन में इसकी केंद्रीय भूमिका को दर्शाता है।

4.2 भारतीय रिज़र्व बैंक की उत्पत्ति और स्थापना

भारत में केंद्रीय बैंक की कुछ विशेषताओं वाली एक बैंकिंग संस्था स्थापित करने का सबसे पहला प्रयास जनवरी 1773 में हुआ, जब बंगाल के गवर्नर (बाद में गवर्नर-जनरल) वॉरेन हेस्टिंग्स ने "बंगाल और बिहार में एक सामान्य बैंक" की स्थापना की सिफारिश की। बैंक की स्थापना अप्रैल 1773 में हुई, लेकिन यह एक अल्पकालिक प्रयोग ही साबित हुआ। बाद में कई अन्य सुझाव भी आए, जिनमें तीनों मौजूदा प्रेसीडेंसी बैंकों के विलय का प्रस्ताव भी शामिल था। हालाँकि ये सुझाव पहली बार 1886 में दिए गए थे, लेकिन समय-समय पर इन्हें नवीनीकृत किया जाता रहा। तीनों प्रेसीडेंसी बैंकों का विलय अंततः 1921 में ही हुआ और इंपीरियल बैंक ऑफ़ इंडिया का गठन हुआ। हालाँकि मुख्य रूप से एक वाणिज्यिक बैंक होने के बावजूद, इंपीरियल बैंक ने कुछ केंद्रीय बैंकिंग कार्य भी किए, विशेष रूप से सरकार के बैंकर के रूप में और कुछ हद तक बैंकों के बैंक के रूप में। हालाँकि, नोट जारी करने और विदेशी मुद्रा के प्रबंधन का विनियमन केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी बना रहा।

1926 में, भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन (जिसे हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता है) ने सिफारिश की कि मुद्रा और ऋण के नियंत्रण के लिए कार्यों और जिम्मेदारी के विभाजन के द्वैध को समाप्त किया जाना चाहिए। इसलिए आयोग ने एक केंद्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव दिया, जिसे चार्टर द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के रूप में जाना जाता, जो इंपीरियल बैंक से स्वतंत्र हो, जिसका अलग से जारी रहना पूरे देश में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार के लिए आवश्यक माना गया था।


इस सिफारिश को लागू करने के लिए एक विधेयक जनवरी 1927 में विधान सभा में पेश किया गया था, लेकिन यह ज्यादा आगे नहीं बढ़ सका और बैंक के स्वामित्व और इसके निदेशक मंडल के गठन और संरचना पर

तीव्र मतभेदों के कारण इसे छोड़ दिया गया। देश के लिए संवैधानिक सुधारों पर विचार के संबंध में 1930-31 के बाद से यह प्रश्न फिर से महत्वपूर्ण हो गया। 1933 में प्रकाशित भारतीय संवैधानिक सुधार पर श्वेत पत्र की प्रस्तावना के अनुच्छेद 32 के अनुसार, केंद्र में ब्रिटिश से भारतीय हाथों में जिम्मेदारी के हस्तांतरण का प्रस्ताव इस शर्त पर निर्भर था कि राजनीतिक प्रभाव से मुक्त एक रिजर्व बैंक स्थापित किया जाएगा और सफलतापूर्वक संचालन किया जाएगा।

इस बीच, भारतीय केंद्रीय बैंकिंग जाँच समिति (1931) ने भी यथाशीघ्र एक रिजर्व बैंक की स्थापना की पुरजोर सिफारिश की थी। इन घटनाओं के परिणामस्वरूप 8 सितंबर, 1933 को भारतीय विधान सभा में एक नया विधेयक प्रस्तुत किया गया। यह विधेयक विधान सभा द्वारा 22 दिसंबर, 1933 को और राज्य परिषद द्वारा 16 फरवरी, 1934 को पारित किया गया। इसे 6 मार्च, 1934 को गवर्नर-जनरल की स्वीकृति प्राप्त हुई। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की कुछ धाराएँ 1 जनवरी, 1935 को और अन्य धाराएँ 1 अप्रैल, 1935 को लागू की गईं। प्रारंभिक तैयारियाँ पूरी होने के बाद, 1 अप्रैल, 1935 को बैंक का उद्घाटन किया गया।

4.3 भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण

रिजर्व बैंक और सरकार की नीतियों के बीच घनिष्ठ समन्वय स्थापित करने के लिए, देश की स्वतंत्रता के तुरंत बाद रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया गया। रिजर्व बैंक (सार्वजनिक स्वामित्व में स्थानांतरण) अधिनियम, 1948 के अनुसार, बैंक की संपूर्ण शेयर पूंजी केंद्र सरकार द्वारा अधिग्रहित कर ली गई। 1 जनवरी 1949 से, रिजर्व बैंक ने एक राज्य-स्वामित्व और राज्य-नियंत्रित केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, केंद्रीय बैंकों के राष्ट्रीयकरण की समकालीन विश्वव्यापी प्रवृत्ति के अनुरूप था।



बैंकों पर लागू रिज़र्व बैंक के प्रावधान

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम में पाँच अध्याय हैं, जिनमें 58 धाराएँ हैं। ये अध्याय इस प्रकार हैं:

क्रम संख्या। शीर्षकों के अंतर्गत आने वाली धाराएँ-

1. प्रारंभिक धारा 1 और धारा 2।
2. निगमन, पूँजी प्रबंधन और व्यवसाय धारा 3 से 19।
3. केंद्रीय बैंकिंग कार्य धारा 20 से 45।
 - 3a. ऋण सूचना का संग्रह और प्रस्तुतीकरण। धारा 45A से 45G।
 - 3b. जमा प्राप्त करने वाले गैर-बैंकिंग संस्थानों और वित्तीय संस्थानों से संबंधित प्रावधान 45H से 45QB।
 - 3c. अनिगमित निकायों द्वारा जमा स्वीकार करने का निषेध 45R से 45T।
4. सामान्य प्रावधान धारा 46 से 58A।

4.4 भारतीय रिज़र्व बैंक के उद्देश्य

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की प्रस्तावना में कहा गया है कि आरबीआई का मुख्य उद्देश्य करेंसी नोटों के निर्गमन को विनियमित करना, मौद्रिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आरक्षित निधियाँ बनाए रखना और देश की मुद्रा एवं ऋण प्रणाली का अर्थव्यवस्था के लाभ के लिए प्रबंधन करना है।

देश की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और विकास उद्देश्यों में परिवर्तन के साथ, आरबीआई की भूमिका और कार्य भी तदनुसार विस्तारित हुए हैं। आज की वित्तीय प्रणाली में आरबीआई निम्नलिखित प्राथमिक उद्देश्यों के साथ कार्य करता है -

1. बैंक नोट जारी करने को विनियमित करना।
2. मौद्रिक और ऋण प्रणाली का प्रबंधन करना।
3. देश के मुद्रा बाजार का विकास करना।
4. एक सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली विकसित करना।
5. मौद्रिक स्थिरता के लिए आरक्षित निधियाँ बनाए रखना।
6. सार्वजनिक ऋणों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करना।
7. कृषि और प्राथमिकता वाले उद्योगों को वित्त प्रदान करना।
8. वित्तीय समावेशन की निगरानी करना और उसके लिए कार्य करना।
9. जनसंख्या में वित्तीय साक्षरता का प्रसार करना।

4.5 भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्य

भारतीय रिज़र्व बैंक विभिन्न प्रकार के कार्य करता रहा है। रिज़र्व बैंक का प्राथमिक कार्य देश की मौद्रिक प्रणाली को विनियमित करना है ताकि सरकार की सामान्य आर्थिक नीति के ढांचे के भीतर आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा दिया जा सके। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की प्रस्तावना के अनुसार, बैंक का मुख्य कार्य "भारत में मौद्रिक स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैंक नोटों के निर्गमन और आरक्षित निधियों के रख-रखाव को विनियमित करना और सामान्यतः देश की मुद्रा और ऋण प्रणाली को अपने लाभ के लिए संचालित करना" है। मौद्रिक प्रणाली के विनियमन में देश की प्रचलन में मुद्रा की मात्रा, बैंकिंग और ऋण प्रणाली का नियंत्रण शामिल है।

बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य सरकार के बैंकिंग और वित्तीय कार्यों का संचालन करना है। यह रुपये के विनियम मूल्य को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इस उद्देश्य के लिए, बैंक को देश के संपूर्ण विदेशी मुद्रा भंडार की अभिरक्षा और प्रबंधन का दायित्व सौंपा गया है। यह सरकार की आयात और निर्यात व्यापार नीति के अनुरूप विदेशी मुद्राओं से संबंधित भुगतान और प्राप्तियों को भी नियंत्रित करता है। ये एक केंद्रीय बैंक के पारंपरिक कार्य हैं।

आर्थिक विकास के कार्य के एक नई तात्कालिकता ग्रहण करने के साथ, केंद्रीय बैंकों के कार्यों का दायरा, विशेष रूप से कम विकसित देशों में, काफी विस्तृत हो गया है। इसी प्रकार, भारतीय रिज़र्व बैंक अब कई विकासात्मक और प्रोत्साहन संबंधी कार्य करता है, जिन्हें पहले केंद्रीय बैंकों के दायरे से बाहर माना जाता था।

इस संबंध में बैंक की जिम्मेदारियों में एक सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली का विकास और उसे व्यापार एवं वाणिज्य, कृषि और उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना शामिल है। इस प्रकार, बैंक के कार्य व्यापक और विविध हैं, जो पारंपरिक केंद्रीय बैंकिंग सिद्धांतों पर नई गतिविधियों का अधिरोपण दर्शाते हैं। बैंक वाणिज्यिक बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के संचालन, भुगतान संतुलन, राष्ट्रीय आय, मूल्य सूचकांकों, कंपनी और सरकारी वित्त

और प्रतिभूति बाजारों पर भी आँकड़े एकत्र करता है और उन्हें समय-समय पर प्रकाशित करता है। अब हम बैंक के कार्यों का वर्णन करते हैं:

1. केंद्रीय बैंकिंग कार्य

1. **नोट जारी करने का एकाधिकार-** चूँकि केंद्रीय बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मौद्रिक मानक की स्थिरता बनाए रखना है, इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक को शुरू से ही नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार सौंपा गया है। एक रुपये के नोट, सिक्के और छोटे सिक्के, जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं, को छोड़कर, नोट जारी करने का संपूर्ण कार्य भारतीय रिज़र्व बैंक के पास है। ऐसा बैंक को देश की मुद्रा और ऋण प्रणाली पर पूर्ण और एकीकृत नियंत्रण प्रदान करने और साथ ही कागजी मुद्रा की स्थिरता बनाए रखने के लिए किया गया है। बैंक लाभ कमाने की इच्छा से संचालित नहीं होता है और कानून के तहत पर्याप्त रिज़र्व रखने के लिए बाध्य है। इस उद्देश्य के लिए, बैंक एक अलग निर्गम विभाग रखता है जिसकी संपत्ति और देनदारियाँ बैंकिंग विभाग से पूरी तरह अलग रखी जाती हैं।
2. **रुपये के विदेशी मुद्रा मूल्य का रखरखाव-** यह रिज़र्व बैंक का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है और इस संबंध में अपनी सफलता के लिए, रिज़र्व बैंक अपने विनिमय नियंत्रण विभाग के माध्यम से निश्चित दरों पर विदेशी मुद्रा का क्रय-विक्रय करता है। इस विभाग की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के तुरंत बाद 1939 में की गई थी। तब से सभी विदेशी मुद्रा लेनदेन इसी विभाग द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं। फरवरी 1973 में अमेरिकी डॉलर के अवमूल्यन के बाद, भारतीय रुपये को 18.9677 रुपये प्रति स्टर्लिंग की दर से पाउंड स्टर्लिंग से जोड़ा गया। यह जुड़ाव 24 सितंबर, 1975 तक जारी रहा, जब रुपये को पाउंड स्टर्लिंग से अलग कर दिया गया और इसे भारत के महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार देशों की कुछ चुनिंदा मुद्राओं की एक टोकरी से जोड़ दिया गया। रिज़र्व बैंक अब उन देशों की मुद्राओं का क्रय-विक्रय करता है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हैं, समय-समय पर निर्धारित दरों पर। विनिमय बैंकों और कुछ अन्य अधिकृत वाणिज्यिक बैंकों की सहायता से, बैंक देश की विनिमय नियंत्रण प्रणाली का संचालन करता रहा है।
3. **सरकार का बैंकर -** दुनिया के अन्य सभी केंद्रीय बैंकों की तरह, भारतीय रिज़र्व बैंक भी सरकार के बैंकर के रूप में अपने कार्य करता है। यह भारत सरकार और राज्य सरकारों के बैंकिंग खाते रखता है, उनके खातों में धन स्वीकार करता है और उनके खातों में जमा राशि तक का भुगतान करता है। बैंक सरकार की ओर से सार्वजनिक ऋण के प्रबंधन सहित विनिमय प्रेषण और अन्य बैंकिंग कार्य भी करता है। ब्याज मुक्त सरकारी नकदी शेष रखने के अलावा, यह किसी भी पारिश्रमिक का हकदार नहीं है। राज्य सरकारों को बैंक के पास ऐसी न्यूनतम शेष राशि रखनी होती है जो समझौते की शर्तों के तहत आवश्यक हो। इस न्यूनतम राशि के अस्थायी घाटे की पूर्ति या तो अपने स्वयं के ट्रेजरी बिल जारी करके या बैंक से अग्रिम राशि प्राप्त करके की जाती है। ये अग्रिम राशि तीन महीने के भीतर चुकानी होती है। राज्य और केंद्र सरकारों के रुपया ऋण बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं।

सरकारी लेनदेन के लिए मुद्रा उपलब्ध कराने हेतु बैंक को सरकारी कोषागारों, उप-कोषागारों और एजेंसियों में मुद्रा कोष रखना होता है। यह केंद्र और राज्य सरकारों को विदेशी मुद्रा की आपूर्ति की व्यवस्था

करता है। यह सरकार द्वारा जारी किए गए ट्रेजरी बिलों को बेचकर नब्बे दिनों की अवधि के लिए अल्पकालिक ऋण भी जुटाता है। यदि सरकार को कम अवधि के लिए आवास की आवश्यकता होती है, तो वे बैंक से अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त करते हैं। यह सरकारों को नए ऋण जारी करने, पुराने ऋणों के रूपांतरण, निधियों के निवेश, कृषि ऋण, सहकारी बैंकिंग और कानून आदि के संबंध में सलाह देता है। यह केंद्र और राज्य सरकारों के उधार कार्यक्रमों का समन्वय करता है।

4. **बैंकर बैंक** - बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और अन्य पात्र वित्तीय संस्थानों को आवास सुविधाएँ प्रदान करना है। इस संबंध में, बैंक अंतिम उपाय का ऋणदाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 ने कठोर पात्रता शर्तें निर्धारित की थीं, जिससे वाणिज्यिक बैंकों को आवास सुविधाएँ प्रदान करने का दायरा काफी सीमित हो गया था। बैंकों को पात्रता और स्वीकार्यता, दोनों मानदंडों को पूरा करना होता था। भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 1949 के पारित होने के बाद से, इन नियमों में काफी ढील दी गई है और रिज़र्व बैंक को किसी भी ऐसे पत्र को पुनर्भुनाई का अधिकार दिया गया है जिसे वह पात्र समझता है, भले ही वह पत्र लाने वाली विशेष बैंकिंग कंपनी किसी वित्तीय संकट में क्यों न हो। अधिनियम ने रिज़र्व बैंक को पात्र पत्रों का चयन करने और वाणिज्यिक बैंकों को आवास सुविधाएँ प्रदान करने के लिए व्यापक अधिकार दिए हैं। हाल के वर्षों में, आवास के लिए बैंकिंग प्रणाली की रिज़र्व बैंक पर निर्भरता काफी बढ़ गई है।

बैंक, अनुमोदित प्रतिभूतियों पर पात्र बिलों या अग्रिमों की पुनर्भुनाई के रूप में अनुसूचित बैंकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सुदृढ़ और स्वस्थ बैंकिंग के हित में, बैंक न केवल प्रतिभूति की प्रकृति, बल्कि आवेदक की वित्तीय स्थिति, उसके कुल व्यवसाय के तरीके, जमाराशियों पर अनावश्यक रूप से उच्च ब्याज दर चुकाने या वित्तीय सहायता मांगने, यहाँ तक कि आसान वित्तीय परिस्थितियों में भी, या अनुचित ऋण देने का दोषी होने आदि को भी ध्यान में रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी अनुसूचित बैंक के कागजात की पुनर्भुनाई करने से भी इनकार कर सकता है।

बैंक नब्बे दिनों के भीतर परिपक्व होने वाले विनिमय बिलों, वचन पत्रों, भारत में देय कृषि बिलों या वचन पत्रों को खरीदता, बेचता और पुनर्भुनता है, जिन पर दो वस्तु हस्ताक्षर होते हैं और जो फसलों के विपणन के मौसमी कार्यों के वित्तपोषण के लिए जारी किए जाते हैं और खरीद या पुनर्भुनाई की तारीख से पंद्रह महीने के भीतर परिपक्व होते हैं, सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार के लिए भारत में तैयार किए गए बैंक बिलों और वचन पत्रों द्वारा, नब्बे दिनों के भीतर परिपक्व होते हैं और नब्बे दिनों के भीतर परिपक्व होने वाले ट्रेजरी बिलों सहित विनिमय बिल, बशर्ते खरीद, बिक्री या पुनर्भुनाई भारत में एक अनुसूचित बैंक के साथ की जाती है। रिज़र्व बैंक अनुसूचित बैंकों और सहकारी बैंकों को धन प्रेषण सुविधाएं भी देता है। रिज़र्व बैंक भारत में किसी भी अनुसूचित बैंक या किसी विदेशी बैंक से इस शर्त के अधीन उधार ले सकता है कि ऐसे उधार 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए नहीं हो सकते।

5. **क्लियरिंग हाउस कार्य**- भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना से पहले, क्लियरिंग हाउस का कार्य इंपीरियल बैंक द्वारा किया जाता था। बंबई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में केवल चार क्लियरिंग हाउस थे। अब दो

सौ से अधिक क्लियरिंग हाउस हैं, जिनमें से चार महानगरों - कानपुर, बेंगलुरु, नागपुर, हैदराबाद, पटना, भुवनेश्वर और अहमदाबाद - का प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है और शेष का प्रबंधन भारतीय स्टेट बैंक और उसके समूह द्वारा किया जाता है।

6. **ऋण नियंत्रक** - ऋण नियंत्रक के रूप में अपने कार्यों के समुचित निष्पादन के लिए, बैंक का देश की मुद्रा और बैंकिंग प्रणाली पर पूर्ण नियंत्रण होना आवश्यक है। हम पहले ही बता चुके हैं कि बैंक के पास नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है, अर्थात् वह ऋण विस्तार के लिए विनिमय माध्यमों की कुल आपूर्ति को काफी हद तक निर्धारित कर सकता है। ऋण नियंत्रण का उद्देश्य उपयुक्त ऋण की व्यवस्था करना है, चाहे वह अधिक हो या कम, और मूल्य स्तर में स्थिरता लाना है। ऋण नियंत्रण बैंक की मौद्रिक नीति से संबंधित है। ऋण दो प्रकार के होते हैं, अर्थात् बैंक ऋण और पूँजी ऋण। जहाँ तक संगठित भाग का संबंध है, बैंक ऋण पर इसका प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, जबकि पूँजीगत भाग पर इसका नियंत्रण केवल अप्रत्यक्ष होता है।

हमने बताया है कि भारत में वाणिज्यिक बैंकों को रिजर्व बैंक के पास न्यूनतम शेष राशि रखना अनिवार्य है, जिसके बारे में वह बहुत सख्त है। इसका मुख्य उद्देश्य बैंकों की ऋण सृजन क्षमता पर कुछ नियंत्रण रखना है। यह सरकारी शेष राशि भी रखता है और सरकार के बैंकिंग लेन-देन भी करता है, जो देश में ऋण की स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए बैंक के लिए एक उपयोगी साधन के रूप में कार्य करता है। लेकिन किसी केंद्रीय बैंक की ऋण नीति की प्रभावशीलता काफी हद तक उस मुद्रा बाजार की प्रकृति और चरित्र पर निर्भर करती है जिसमें वह कार्य करता है। मुद्रा बाजार जितना अधिक संगठित होगा, उसकी ऋण नीति उतनी ही अधिक प्रभावी होगी।

साधारण बैंकिंग कार्य:

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित साधारण बैंकिंग कार्य किए जाते हैं:

1. विभिन्न सरकारों और व्यक्तियों से बिना ब्याज के जमा स्वीकार करना।
2. अनुसूचित बैंकों के विनिमय बिलों और वचन पत्रों की बिना सीमा के खरीद, बिक्री और पुनर्भुनाई।
3. विभिन्न सरकारों, अनुसूचित बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों को 90 दिनों के लिए ऋण और अग्रिम प्रदान करना।
4. सरकारी प्रतिभूतियों और विदेशी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री।
5. अनुसूचित बैंकों को न्यूनतम 1 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री।
6. अनुसूचित भारतीय बैंकों या किसी विदेशी बैंक से उधार लेना।
7. विश्व बैंक या किसी विदेशी केंद्रीय बैंक में, यदि वह चाहे तो, खाता खोलना।
8. मूल्यवान वस्तुओं, प्रतिभूतियों आदि की सुरक्षित अभिरक्षा।
9. सोने और चांदी की बिक्री और खरीद।

रिजर्व बैंक निम्नलिखित संवर्धनात्मक एवं विकासात्मक कार्य भी करता है:

1. यह अर्ध-शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं के विस्तार को प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार यह लोगों में बैंकिंग आदतों के विकास में मदद करता है और स्वदेशी बैंकों एवं साहूकारों पर उनकी निर्भरता कम करता है।
2. जमा बीमा एवं ऋण निगम की स्थापना के साथ, रिजर्व बैंक जमाकर्ताओं का विश्वास बढ़ाने के साथ-साथ बैंकों की विफलताओं को रोकने में भी मदद कर रहा है।
3. यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जैसी संस्थाओं को बढ़ावा देकर, रिजर्व बैंक देश में बचत जुटाने में मदद करता है।
4. संस्थागत कृषि ऋण को बढ़ावा देना और सहकारी ऋण संस्थाओं का विकास करना।
5. देश में बिल संस्कृति का विकास।

4.6 भारतीय रिजर्व बैंक की संगठनात्मक संरचना

भारतीय रिजर्व बैंक मूलतः एक शेयरधारक बैंक के रूप में गठित किया गया था, जिसकी शेयर पूँजी 5 करोड़ रुपये थी और यह 100 रुपये प्रति शेयर के 5 लाख पूर्ण चुकता शेयरों में विभाजित थी। 220,000 रुपये के नाममात्र मूल्य के शेयरों को छोड़कर, पूरी शेयर पूँजी निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में थी। ये शेयर केंद्र सरकार को बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों को जारी करने के लिए आवंटित किए गए थे, जो न्यूनतम शेयर योग्यता प्राप्त करना चाहते थे।

बैंक के सफल संचालन के लिए, देश को पाँच क्षेत्रों, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली और रंगून में विभाजित किया गया था, लेकिन रंगून का कार्यालय 1947 में बंद कर दिया गया था। चूँकि रंगून आधिकारिक तौर पर समान शेयर वितरण के लिए शेयर-आवंटन क्षेत्रों में से एक नहीं था, इसलिए पूरे देश में शेयरों का कमोबेश समान वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, चारों क्षेत्रों में पंजीकृत शेयरधारकों को समान आधार पर शेयर आवंटित किए गए थे। शेयरों के कुछ ही हाथों में केन्द्रीकरण को रोकने के लिए अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया कि प्रत्येक शेयरधारक को प्रत्येक पाँच शेयरों के लिए एक वोट का अधिकार होगा, जो अधिकतम 10 वोटों तक सीमित होगा।

हालाँकि, समय के साथ शेयर मुंबई क्षेत्र में केंद्रित हो गए। यहाँ तक कि 1940 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन भी मुंबई क्षेत्र में शेयरों के इस संकेंद्रण को नहीं रोक सका। यह कमी 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के बाद ही दूर हुई।

भारतीय रिजर्व बैंक के संगठन से संबंधित प्रावधानों का सारांश अन्य आवश्यक विवरणों के साथ नीचे दिया जा रहा है।

बैंक के कार्यों का सामान्य अधीक्षण और निर्देशन केंद्रीय निदेशक मंडल में निहित है। केंद्रीय निदेशक मंडल में शामिल हैं:

1. गवर्नर और चार से अधिक उप-गवर्नर, जिन्हें अधिनियम की धारा 8(1)(क) के तहत केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है।
2. केंद्र सरकार द्वारा नामित चार निदेशक, जिनमें से प्रत्येक चार स्थानीय बोर्डों में से एक, धारा 8(1)(ख) के अनुसार होता है।

3. केंद्र सरकार द्वारा नामित दस निदेशक, जो धारा 8(1)(घ) के तहत होता है।

इन सभी व्यक्तियों की नियुक्ति/नामांकन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। गवर्नर और डिप्टी गवर्नर, केंद्र सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति के समय निर्धारित अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं और पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। व्यावहारिक सुविधा के लिए, बोर्ड ने अपने कुछ कार्य केंद्रीय बोर्ड की एक समिति को सौंप दिए हैं, जिसमें गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले या उस क्षेत्र के निवासी निदेशक, सरकारी निदेशक और निदेशक शामिल होते हैं जो संबंधित समय पर उस स्थान पर उपस्थित हो सकते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक का संगठनात्मक चार्ट



4.7 आरबीआई के विभाग

1. मौद्रिक नीति विभाग (एमपीडी)
2. विनियमन विभाग (डीओआर)
3. पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस)
4. वित्तीय बाजार परिचालन विभाग (एफएमओडी)
5. वित्तीय बाजार विनियमन विभाग (एफएमआरडी)
6. मुद्रा प्रबंधन विभाग (डीसीएम)
7. विदेशी मुद्रा विभाग (एफईडी)

8. सरकारी एवं बैंक लेखा विभाग (डीजीबीए)
9. आर्थिक एवं नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर)
10. सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंधन विभाग (डीएसआईएम)
11. वित्तीय समावेशन एवं विकास विभाग (एफआईडीडी)
12. वित्तीय स्थिरता विभाग (एफएसडी)
13. प्रवर्तन विभाग (ईडी)
14. आंतरिक ऋण प्रबंधन विभाग (आईडीएमडी)

4.8 वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस)

वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) का गठन नवंबर 1994 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत किया गया था। यह आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की एक समिति के रूप में कार्य करता है और भारत में बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के एकीकृत पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है। आरबीआई के गवर्नर इसके अध्यक्ष होते हैं, जबकि उप-गवर्नर विनियमन और पर्यवेक्षण की देखरेख करते हैं। एक उप-गवर्नर को उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, और केंद्रीय बोर्ड के चार निदेशकों को गवर्नर द्वारा सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। बोर्ड आमतौर पर महीने में एक बार नियामक और पर्यवेक्षी नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मिलता है, जिसमें आरबीआई के विभिन्न विभागों द्वारा किए गए ऑन-साइट निरीक्षण और ऑफ-साइट निगरानी के परिणाम शामिल हैं। बीएफएस नीति निर्माण और निर्णय लेने का एक प्रमुख मंच है, जो भारत की वित्तीय प्रणाली की स्थिरता, सुदृढ़ता और प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करता है।

4.9 आरबीआई की भूमिका

आरबीआई की मूलभूत भूमिका अर्थव्यवस्था में करेंसी नोटों के जारीकरण को विनियमित करना और देश में मुद्रा स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इष्टतम भंडार बनाए रखना है। इस संबंध में, केंद्रीय बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका सभी बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के लिए नीति के रूप में नियामक ढाँचे की रूपरेखा तैयार करना और उसका कार्यान्वयन करना है। इस रूपरेखा का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को बैंकिंग प्रणाली तक एक समान और आसान पहुँच प्रदान करना, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और वित्तीय प्रणाली के समग्र स्वास्थ्य और दक्षता को बनाए रखना है। आरबीआई एक लचीली प्रणाली बनाए रखकर उभरती अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

बैंकिंग प्रणाली में दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए, केंद्रीय बैंक विश्व स्तर की बैंकिंग प्रथाओं को अपनाता है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली को मानकीकृत करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बराबर लाने के लिए, आरबीआई प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। विभिन्न प्रकार के उपकरण, विवेकपूर्ण मानदंड, क्षेत्र प्रबंधन, मुद्रा प्रबंधन आदि।

हाल के दिनों में, RBI ने वित्तीय समावेशन पर काफ़ी जोर दिया है। बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों को मुख्य धारा की बैंकिंग में शामिल करने के लिए, ग्राहकों का विश्वास प्रणाली में हासिल करना बेहद ज़रूरी है। ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करके इसे हासिल किया जा सकता है और इसके लिए RBI ने प्रशासनिक

तंत्र स्थापित किया है। RBI द्वारा अतीत में किए गए अन्य प्रयासों में स्वच्छ नोट नीति का पालन; सुरक्षित और मजबूत भुगतान और निपटान प्रणालियों का विकास सुनिश्चित करना शामिल है।

उपरोक्त चर्चा से यह निष्कर्ष निकलता है कि अपनी स्थापना के बाद से ही RBI ने अर्थव्यवस्था की बदलती जरूरतों के अनुसार वित्तीय प्रणाली के सुचारू संचालन और मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई भूमिकाएँ निभाई हैं। RBI की भूमिका की एक झलक नीचे दी गई है –

1. **मुद्रा जारीकर्ता के रूप में:** इस भूमिका के तहत केंद्रीय बैंक भारतीय मुद्राओं को जारी करता है और उनका विनिमय करता है। साथ ही बैंक उन मुद्राओं को नष्ट कर देता है जो प्रचलन के लिए उपयुक्त नहीं हैं। चूँकि अनुपयुक्त मुद्राएँ और सिक्के अर्थव्यवस्था के आकार को छोटा कर देते हैं, इसलिए मुद्रा की आपूर्ति महत्वपूर्ण हो जाती है।
2. **वित्तीय प्रणाली के नियामक और पर्यवेक्षक के रूप में:** भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकिंग सबसे महत्वपूर्ण और जटिल प्रणाली है। इसके कई आयाम हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रथाओं के साथ तालमेल बिठाना होता है। इस संबंध में, RBI मुख्य रूप से ग्राहकों का विश्वास हासिल करने, जमा राशि की सुरक्षा करने, बैंकिंग को सभी के लिए सुलभ बनाने और लागत प्रभावी तरीके से सेवाएँ प्रदान करने के लिए विभिन्न विकासात्मक नीतियों की पहचान, डिज़ाइन और कार्यान्वयन करता है।
3. **बैंकों के बैंकर के रूप में:** RBI सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बैंक खातों को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस भूमिका के तहत RBI सभी अनुसूचित बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करता है और उन्हें वित्तीय सुविधा प्रदान करता है और अंतिम उपाय तक ऋणदाताओं को सुविधा प्रदान करता है।
4. **सरकार के बैंकर के रूप में:** RBI भारत सरकार के मर्चेन्ट बैंकर के रूप में कार्य करता है। न केवल केंद्र सरकार के लिए बल्कि राज्य सरकारों के लिए भी RBI अपनी मर्चेन्ट बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करता है। RBI केंद्र और राज्य सरकारों का मुख्य बैंकर है और उनके सलाहकार और एजेंट के रूप में भी कार्य करता है।
5. **मौद्रिक प्राधिकरण के रूप में:** RBI द्वारा निभाई जाने वाली प्रमुख भूमिकाओं में से एक मौद्रिक नीति तैयार करना, उसे लागू करना और उसकी निगरानी करना है। यह मुख्य नीति है जो मूल्य स्थिरता बनाए रखती है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखती है और अर्थव्यवस्था में इष्टतम ऋण प्रवाह सुनिश्चित करती है।
6. **भुगतान प्रणालियों के नियामक और पर्यवेक्षक के रूप में:** RBI भारत की राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली का नियामक है। यह राष्ट्रीय भुगतान निगम का पर्यवेक्षण करता है। भुगतान प्रणाली के नियामक और पर्यवेक्षक के रूप में RBI भुगतान प्रणालियों को अधिकृत करता है, भुगतान प्रणाली के लिए मानक तैयार करता है, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के लिए नीतियाँ लागू करता है, भुगतान के नए चैनल पेश करता है, ग्राहकों की सुविधा बढ़ाता है और प्रणाली में सुरक्षा और दक्षता में सुधार करता है।
7. **विदेशी मुद्रा प्रबंधक के रूप में:** FEMA- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत विदेशी मुद्रा प्रबंधन की अतिरिक्त भूमिका भी RBI द्वारा निभाई जाती है। इस भूमिका में बाह्य व्यापार और भुगतान

- के लिए उपलब्ध सुविधाएँ प्रदान करना और देश में विदेशी मुद्रा प्रबंधन से संबंधित विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना शामिल है।
8. **विकासात्मक भूमिका:** आर्थिक पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत निर्धारित राष्ट्रीय उद्देश्यों के स्थान पर RBI कई प्रकार के प्रचारात्मक कार्य करता है। इस भूमिका के अंतर्गत कई विकास संस्थान जैसे NABARD, IDBI, SIDBI, NHB आदि स्थापित किए गए।
 9. **अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भारत सरकार के एजेंट के रूप में:** RBI विश्व बैंक, IMF आदि कई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है।

4.10 सारांश

अतः, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), भारत की वित्तीय प्रणाली का सर्वोच्च प्राधिकरण है। यह मुद्रा जारी करने को नियंत्रित करता है, मौद्रिक स्थिरता का प्रबंधन करता है, बैंकों और वित्तीय संस्थानों की निगरानी करता है, और सरकार व अन्य बैंकों के लिए बैंकर के रूप में कार्य करता है। RBI जमा स्वीकार करने, ऋण देने और प्रतिभूतियों के प्रबंधन जैसे सामान्य बैंकिंग कार्यों के साथ-साथ नोट जारी करना, ऋण नियंत्रण, विदेशी मुद्रा प्रबंधन और सरकारी ऋण प्रबंधन जैसे केंद्रीय बैंकिंग कार्य भी करता है। यह वित्तीय समावेशन, कृषि और सहकारी ऋण विकास और बैंकिंग प्रथाओं के आधुनिकीकरण सहित विकासात्मक और प्रचारात्मक भूमिकाएँ भी निभाता है। अपनी बहुमुखी जिम्मेदारियों के माध्यम से—मौद्रिक प्राधिकरण, भुगतान प्रणालियों के नियामक, विदेशी मुद्रा प्रबंधक और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में एजेंट के रूप में—RBI आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करता है, विकास को बढ़ावा देता है, और भारत की वित्तीय प्रणाली में जनता के विश्वास की रक्षा करता है।

4.11 शब्दावली

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत हुई थी।
- मौद्रिक नीति विभाग (एमपीडी)- मौद्रिक नीति विभाग (एमपीडी) आरबीआई की मौद्रिक नीति तैयार करने वाला एक महत्वपूर्ण विभाग है।
- **FEMA, 1999** – विदेशी मुद्रा प्रबंधन से संबंधित अधिनियम।
- **बैंकों का बैंक** – वह संस्था जो अन्य बैंकों को ऋण एवं सुविधा प्रदान करती है।

4.12 बोध प्रश्न

1. RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ?
 - A. 1935
 - B. 1947
 - C. 1949
 - D. 1951
2. RBI किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित हुआ?

- A. बैंकिंग अधिनियम
 - B. RBI अधिनियम, 1934
 - C. FEMA
 - D. (घ) कंपनी अधिनियम
3. भारतीय रिज़र्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
- A. नई दिल्ली
 - B. कोलकाता
 - C. मुंबई
 - D. चेन्नई

4.13 बोध प्रश्न के उत्तर

1.C, 2.B,3.C

4.14 स्वपरख प्रश्न

(A) लघु उत्तरीय प्रश्न

1. भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य उद्देश्य क्या हैं?
2. RBI के केंद्रीय बैंकिंग कार्यों का वर्णन कीजिए।

(B) दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य उद्देश्य क्या हैं?
 2. RBI के केंद्रीय बैंकिंग कार्यों का वर्णन कीजिए।
 3. RBI को “बैंकरो का बैंक” क्यों कहा जाता है?
 4. RBI की भूमिका भारत की आर्थिक स्थिरता में कैसे सहायक है?
-

4.15 सन्दर्भ पुस्तकें

1. मिश्रा, बी. एन. केंद्रीय बैंकिंग: मसद्दांत और अभ्यास। हिमालय पब्लिशिंग हाउस. 2019
2. शर्मा, आर. डी., और शास्त्री, के. सी. भारतीय बैंकिंग प्रणाली (7वाँ संस्करण)। के. नाथ एण्ड कम्पनी. 2021
3. खान, एम. वाई., और जैन, पी. के. भारतीय वित्तीय प्रणाली। टाटा मैकग्रा-हिल एजुकेशन. 2020
4. गुप्ता, एस. बी. मौद्रिक अर्थशास्त्र: मसद्दांत और नीति। साहित्य भवन पब्लिकेशन. 2018
5. भारतीय रिज़र्व बैंक. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934। भारत सरकार. 2022
6. भारतीय रिज़र्व बैंक. भारत में बैंकिंग का रुझान और प्रगति। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई. 2023

इकाई-5 बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं विलय

इकाई की रूपरेखा

- 5.1 प्रस्तावना
- 5.2 राष्ट्रीयकरण से पहले भारत की बैंकिंग प्रणाली की स्थिति
- 5.3 बैंकों के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता और कारण
- 5.4 1969 और 1980 के राष्ट्रीयकरण का विस्तृत वर्णन
 - 5.4.1 पहला राष्ट्रीयकरण: वर्ष 1969
 - 5.4.2 1969 के राष्ट्रीयकरण की प्रमुख विशेषताएँ
 - 5.4.3 1969 के राष्ट्रीयकरण के परिणाम
 - 5.4.4 दूसरा राष्ट्रीयकरण: वर्ष 1980
 - 5.4.5 1980 के राष्ट्रीयकरण की प्रमुख उपलब्धियाँ
- 5.5 राष्ट्रीयकरण के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव
- 5.6 भारतीय बैंकिंग में उदारीकरण के बाद संरचनात्मक बदलाव
- 5.7 बैंकों के विलय का अर्थ
 - 5.7.1 बैंकों के विलय के प्रकार
 - 5.7.2 बैंकों के विलय के उद्देश्य
- 5.8 भारत में बैंक विलय के पीछे मुख्य कारण
- 5.9 बैंकों के विलय की प्रक्रिया
 - 5.9.1 बैंकों के विलय RBI और सरकार की भूमिका
- 5.10 बैंकों के विलय के लाभ और हानियाँ
- 5.11 सारांश
- 5.12 शब्दावली
- 5.13 बोध प्रश्न
- 5.14 बोध प्रश्न के उत्तर
- 5.15 स्वपरख प्रश्न
- 5.16 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप इस योग्य हो सकेंगे कि-

- भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की पृष्ठभूमि और आवश्यकता को समझ सके।
- 1969 एवं 1980 के बैंक राष्ट्रीयकरण के कारणों, प्रक्रिया और प्रभावों का विश्लेषण कर सके।
- राष्ट्रीयकरण के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का मूल्यांकन कर सके।

- 1991 के बाद उदारीकरण के परिणामस्वरूप बैंकिंग संरचना में आए परिवर्तनों को समझ सके।
- बैंक विलय के अर्थ, प्रकार और उद्देश्यों की व्याख्या कर सके।
- भारत में बैंक विलय के प्रमुख कारणों की पहचान कर सके।
- बैंक विलय की प्रक्रिया तथा RBI और सरकार की भूमिका को स्पष्ट कर सके।
- भारतीय बैंकिंग प्रणाली के विकास में राष्ट्रीयकरण एवं विलय के संयुक्त योगदान को समझ सके।

5.1 प्रस्तावना

भारत की अर्थव्यवस्था में बैंकिंग क्षेत्र को “वित्तीय प्रणाली की धुरी” कहा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश की आर्थिक संरचना तेजी से बदल रही थी—औद्योगीकरण, कृषि विकास, क्षेत्रीय असमानता, गरीबी, बेरोजगारी और वित्तीय संसाधनों की कमी जैसे मुद्दों को सुलझाना सरकार के सामने बड़ी चुनौती थी। ऐसे समय में बैंकिंग क्षेत्र मुख्यतः निजी हाथों में था, जिसके कारण ऋण वितरण में क्षेत्रीय पक्षपात, कृषि और लघु उद्योगों की उपेक्षा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का अभाव बना हुआ था। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने बैंकिंग प्रणाली में बड़े परिवर्तन किए—बैंकों का राष्ट्रीयकरण (1969 और 1980), बैंकों का पुनर्गठन एवं विलय (1990 के बाद विशेषकर 2010–2020 के दशक में)

राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य था — बैंकिंग को जनोन्मुखी बनाना, सामाजिक-आर्थिक न्याय स्थापित करना, कृषि एवं प्राथमिक क्षेत्रों को वित्त उपलब्ध कराना तथा बैंकिंग को देश के सर्वांगीण विकास का साधन बनाना। वहीं दूसरी ओर, समय के साथ प्रतिस्पर्धा, तकनीकी बदलाव और दक्षता बढ़ाने की आवश्यकता के कारण बैंकों का विलय (मर्जर) एक महत्वपूर्ण सुधार कदम बन गया। आज भारत की बैंकिंग व्यवस्था—राष्ट्रीयकृत बैंकों, निजी बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के रूप में—एकीकृत, शक्तिशाली और विस्तृत नेटवर्क में परिवर्तित हो चुकी है।

यह अध्याय बैंकों के राष्ट्रीयकरण के ऐतिहासिक, आर्थिक और सामाजिक पहलुओं के साथ-साथ बैंकों के विलय के कारणों, प्रक्रियाओं और प्रभावों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

5.2 राष्ट्रीयकरण से पहले भारत की बैंकिंग प्रणाली की स्थिति

भारत में राष्ट्रीयकरण से पहले की बैंकिंग प्रणाली अनेक कमजोरियों, असंगठित ढाँचे और सीमित पहुंच की समस्या से जूझ रही थी। यद्यपि 19वीं और 20वीं शताब्दी में कई बड़े निजी बैंक अस्तित्व में आ चुके थे, फिर भी बैंकिंग प्रणाली व्यापक आर्थिक विकास का आधार नहीं बन पाई थी। यह उनके संचालन के निजी चरित्र, शहरी केन्द्रितता और लाभ को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति के कारण था। इस भाग में हम राष्ट्रीयकरण से पहले की बैंकिंग व्यवस्था को समझते हैं।

5.3 बैंकों के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता और कारण

भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कोई आकस्मिक निर्णय नहीं था, बल्कि यह आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों की लंबी प्रक्रिया का परिणाम था। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने देश के विकास का एक व्यापक ढाँचा तैयार किया था, जिसके केंद्र में शामिल थे—

- ❖ कृषि का विकास
- ❖ औद्योगिकीकरण
- ❖ गरीबी उन्मूलन
- ❖ रोजगार सृजन
- ❖ क्षेत्रीय संतुलन
- ❖ सामाजिक न्याय

परंतु राष्ट्रीयकरण से पहले निजी बैंक इन लक्ष्यों के अनुरूप काम नहीं कर रहे थे। उनके संचालन का मुख्य आधार 'लाभ' था, न कि 'राष्ट्रीय विकास'। इसी पृष्ठभूमि में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता उत्पन्न हुई। नीचे इस आवश्यकता और मुख्य कारणों का विस्तार दिया गया है।

5.4 1969 और 1980 के राष्ट्रीयकरण का विस्तृत वर्णन

भारत में बैंकिंग क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण दो मुख्य चरणों में हुआ — पहला 1969 में और दूसरा 1980 में। इन दोनों राष्ट्रीयकरणों ने भारतीय बैंकिंग प्रणाली को पूरी तरह बदल दिया। पहले निजी हाथों में संचालित बैंक अब राष्ट्र के व्यापक हित के लिए काम करने लगे। इस भाग में इन दोनों राष्ट्रीयकरणों का इतिहास, परिस्थितियाँ, प्रक्रिया और प्रभाव को विस्तृत रूप से समझते हैं।

5.4.1 पहला राष्ट्रीयकरण: वर्ष 1969

- **राष्ट्रीयकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :** 1960 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों से गुजर रही थी— कृषि संकट, खाद्यान्न की कमी, उद्योगों में ठहराव, गरीबी और बेरोजगारी, क्षेत्रीय असमानता, वित्तीय सेवाओं की सीमित पहुँच आदि। सरकार आर्थिक विकास का एक सामाजिकवादी मॉडल लागू करना चाहती थी, पर निजी बैंक इस दिशा में सहयोग नहीं कर रहे थे। यही वह समय था जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बैंकिंग को राष्ट्र के नियंत्रण में लाने का निर्णय लिया।
- **राष्ट्रीयकरण से पहले उठाए गए कदम:** 1960 के दशक में सरकार ने कई बार निजी बैंकों को निर्देश दिए— कृषि ऋण बढ़ाएँ, ग्रामीण शाखाएँ खोलें, योजनाबद्ध विकास में सहयोग करें परंतु बैंक अपनी नीतियाँ नहीं बदल रहे थे। इसलिए सरकार को एक निर्णायक कदम उठाना पड़ा।
- **19 जुलाई 1969: ऐतिहासिक निर्णय:** 19 जुलाई, 1969 को सरकार ने 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इन बैंकों की कुल जमा राशि 50 करोड़ रुपये से अधिक थी (जो उस समय बहुत बड़ी राशि थी)।

राष्ट्रीयकृत 14 बैंक थे जो निम्नलिखित हैं

1. बैंक ऑफ़ इंडिया
2. बैंक ऑफ़ बड़ौदा
3. पंजाब नेशनल बैंक
4. केनरा बैंक

5. यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया
6. सिंडिकेट बैंक
7. इंडियन बैंक
8. इंडियन ओवरसीज़ बैंक
9. सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
10. यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
11. यूको बैंक
12. बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र
13. देना बैंक
14. इलाहाबाद बैंक

सरकार ने 1969 में राष्ट्रीयकरण क्यों किया ?

राष्ट्रीयकरण के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे:

- ❖ ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग विस्तार करना।
- ❖ कृषि और लघु उद्योगों को ऋण प्रदान करना।
- ❖ गरीबी हटाओ अभियान को समर्थन करना।
- ❖ क्षेत्रीय असमानता दूर करना।
- ❖ सामाजिक न्याय देना।
- ❖ आर्थिक लोकतंत्रीकरण करना।

सरकार चाहती थी कि बैंक “लाभ केंद्रित” नहीं बल्कि “विकास केंद्रित” बनें।

5.4.2 1969 के राष्ट्रीयकरण की प्रमुख विशेषताएँ

- (i) **संसद में ऑर्डिनेंस द्वारा घोषणा:** राष्ट्रपति ने आपातकालीन अध्यादेश (Ordinance) जारी करके बैंकों के अधिग्रहण की घोषणा की थी।
- (ii) **बैंकिंग कंपनियाँ अधिनियम में संशोधन:** बैंकिंग कानूनों को नया स्वरूप दिया गया ताकि बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत काम कर सकें।
- (iii) **राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की स्थापना:** अब बैंकों का कार्यक्षेत्र केवल उद्योग-समूहों तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुसार कार्य करना था।

5.4.3 1969 के राष्ट्रीयकरण के प्रमुख परिणाम

- (i) **बैंकिंग का व्यापक विस्तार:** ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में हजारों शाखाएँ खोली गईं।
- (ii) **कृषि ऋण में भारी वृद्धि:** पहली बार बैंकों ने किसानों को बड़े पैमाने पर ऋण देना शुरू किया।
- (iii) **सामाजिक क्षेत्र में निवेश बढ़ा:** गरीब, महिला, कुटीर उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को वित्तीय सहायता मिलने लगी।

- (iv) **जमा संग्रहण का तीव्र विकास:** 1950–1969 की तुलना में 1970–1985 में जमाओं की वृद्धि कई गुना तेज हुई।
- (v) **रोजगार के अवसर बढ़े:** बैंक शाखाओं और ग्रामीण बैंकिंग से लाखों नौकरियाँ उत्पन्न हुई।
- (vi) **अर्थव्यवस्था में स्थिरता आई:** बैंक अब सरकार और RBI के नियंत्रण में थे, जिससे वित्तीय जोखिम कम हुआ।

5.4.4 दूसरा राष्ट्रीयकरण: वर्ष 1980

पहले राष्ट्रीयकरण के बाद भी सरकार को लगा कि बैंकिंग क्षेत्र में कुछ कमियाँ रह गई हैं। कई निजी बैंक अभी भी समाज के निम्न वर्गों तक नहीं पहुँच पाए थे। इसलिए दूसरे चरण में और बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया। दूसरा राष्ट्रीयकरण क्यों आवश्यक हुआ ?

प्रमुख कारण निम्न है :

- * लघु उद्योगों को ऋण की कमी।
- * क्षेत्रीय असंतुलन
- * निजी बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में रुचि नहीं दिखा रहे थे।
- * सरकार की नीतियों के प्रति निजी बैंकों का उदासीन रवैया।
- * सामाजिक न्याय और समावेशी विकास को गति देना।

1980 में राष्ट्रीयकृत किए गए 6 बैंक -

1. आंध्रा बैंक 2. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 3. पंजाब एंड सिंध बैंक
4. कॉरपोरेशन बैंक 5. न्यू बैंक ऑफ इंडिया 6. विजय बैंक

इन 6 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकिंग क्षेत्र में सरकार का नियंत्रण अत्यधिक मजबूत हो गया।

5.4.5 1980 के राष्ट्रीयकरण की प्रमुख उपलब्धियाँ

- (I) **ग्रामीण बैंकिंग को पूर्ण गति मिली:** अब दूसरी और तीसरी श्रेणी के गाँवों में भी शाखाएँ खुलने लगीं।
- (ii) **प्राथमिक क्षेत्र उधारी को बढ़ावा:** कृषि, पशुपालन, खनन, लघु उद्योग सभी को वित्त मिला।
- (iii) **कमजोर वर्गों को ऋण:** गरीब, दलित, महिला, कारीगर, स्व-रोजगार योजनाओं को समर्थन मिला।
- (iv) **राष्ट्रीय योजनाओं को वित्तीय शक्ति:** ग्रामीण रोजगार योजना, हरित क्रांति, परिवहन विकास एवं लघु सिंचाई योजनाएँ सबको बैंकों ने बड़े स्तर पर सहयोग दिया।

दोनों राष्ट्रीयकरणों का संयुक्त प्रभाव

1969 और 1980 के बाद भारत की बैंकिंग प्रणाली ने एक नया रूप ले लिया।

मुख्य प्रभाव इस प्रकार थे—

1. सामाजिक बैंकिंग को जन्म
2. प्राथमिक क्षेत्र उधारी नीति
3. बैंकिंग का लोकतंत्रीकरण
4. वित्तीय समावेशन की नींव पड़ी

5. ग्रामीण विकास को गति

5.5 राष्ट्रीयकरण के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

भारत में 1969 और 1980 में हुए बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने देश की आर्थिक संरचना, सामाजिक विकास, कृषि सुधार, औद्योगिक विस्तार और वित्तीय समावेशन पर अत्यंत व्यापक प्रभाव डाला। यह केवल बैंकिंग सुधार नहीं था, बल्कि भारत के आर्थिक इतिहास का वह मोड़ था जिसने वित्तीय संसाधनों को निजी हितों से हटाकर राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की ओर मोड़ा। राष्ट्रीयकरण ने बैंकिंग को “लाभ केंद्रित व्यवस्था” से बदलकर “सामाजिक उद्देश्य आधारित व्यवस्था” के रूप में स्थापित किया। इसके निम्नलिखित प्रमुख सामाजिक-आर्थिक प्रभाव देखने को मिले:

- 1. ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में बैंकिंग विस्तार:** राष्ट्रीयकरण से पहले बैंकों का 85% से अधिक नेटवर्क शहरी क्षेत्रों में केंद्रित था। राष्ट्रीयकरण के बाद, सरकार ने शाखा विस्तार कार्यक्रम के तहत ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में नई शाखाएँ खोलने का निर्देश दिया। ग्रामीण शाखाओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई, छोटे कस्बों और गाँवों में बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध की गयीं, लाखों लोगों का पहली बार बैंकिंग तंत्र से जोड़ा गया, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग पहुँच बढ़ने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण, बचत की आदत और उद्यमिता का विकास हुआ।
- 2. कृषि क्षेत्र को संस्थागत ऋण की उपलब्धता:** राष्ट्रीयकरण के बाद सरकार ने बैंकों को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण देने के लिए बाध्य किया। किसानों को फसल ऋण, सिंचाई ऋण, पशुपालन ऋण लघु और सीमांत किसानों को आसान ब्याज दर पर क्रेडिट सहकारी समितियों और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को समर्थन इसका परिणाम यह हुआ कि किसानों का साहूकारों पर निर्भरता कम हुई और कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई।
- 3. लघु उद्योगों और कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता :** लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, स्वरोजगार, महिला उद्यमिता और SC/ST श्रेणी के लोगों के लिए विशेष ऋण योजनाएँ राष्ट्रीयकरण के बाद शुरू की गईं। इससे रोजगार सृजन, छोटे व्यवसायों का विस्तार और सामाजिक उत्थान को बढ़ावा मिला।
- 4. सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता की दिशा में कदम :** राष्ट्रीयकरण ने बैंकिंग में “सामाजिक न्याय” का मार्ग प्रशस्त किया। गरीब, ग्रामीण, पिछड़े, महिलाओं और छोटे उद्यमियों तक पहुँच आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण घटा वित्तीय संसाधनों का पुनर्वितरण (Redistribution)। इस कदम से वित्तीय प्रणाली अधिक लोकतांत्रिक हुई और आर्थिक असमानता का स्तर घटने लगा।
- 5. बचत का राष्ट्रीय संचयन (Mobilization) :** राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों द्वारा चलाए गए बचत अभियान ने देश में जमा राशि में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी की। इससे सरकार को विकास परियोजनाओं के लिए सस्ता और स्थिर संसाधन प्राप्त हुआ।
- 6. बड़े उद्योगपतियों की एकाधिकारवादी प्रवृत्ति पर नियंत्रण:** पहले निजी बैंक बड़े औद्योगिक घरानों के हित में कार्य करते थे। राष्ट्रीयकरण के बाद ऋण वितरण में पारदर्शिता आई उद्योगपतियों के पक्षपात में कमी राष्ट्रहित आधारित ऋण नीति लागू इससे औद्योगिक क्षेत्र में संतुलित विकास संभव हुआ।

7. **वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) की शुरुआत:** बैंकिंग केवल अमीरों की सुविधा न रहकर आम जनता की पहुँच में आई— बचत खाते , जन-धन खाते , छोटे ऋण, सरकारी सब्सिडी का प्रत्यक्ष हस्तांतरण (DBT) यह भारत में वित्तीय समावेशन यात्रा की आधारशिला थी।
8. **बैंकिंग स्थिरता और विश्वास में वृद्धि :** राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों में सरकारी स्वामित्व ने जनता के विश्वास को मजबूत किया। लोगों ने बिना डर के अपनी बचत बैंकों में जमा करना शुरू किया, जिससे बैंकिंग व्यवस्था अधिक स्थिर और संसाधन-संपन्न बनी।

5.6 भारतीय बैंकिंग में उदारीकरण (Liberalisation) के बाद संरचनात्मक बदलाव (1991 के बाद)

1991 में भारत ने आर्थिक उदारीकरण (Economic Liberalisation), निजीकरण (Privatisation) और वैश्वीकरण (Globalisation) की नीति लागू की। इस नीति ने भारतीय बैंकिंग संरचना, कार्यप्रणाली, नीतियों और उद्देश्यों में गहरा परिवर्तन लाया। राष्ट्रीयकरण (Nationalisation) के बाद जहाँ बैंकिंग को सामाजिक उद्देश्य मिले थे, वहीं उदारीकरण के बाद बैंकिंग अधिक प्रतिस्पर्धी, आधुनिक, तकनीकी तथा दक्ष बन गई। उदारीकरण के बाद बैंकिंग में निम्नलिखित प्रमुख संरचनात्मक बदलाव (Structural Changes) हुए—

1. **नये निजी क्षेत्र के बैंकों का उदय (Private Sector Banks):** उदारीकरण के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India—RBI) ने नये निजी बैंक स्थापित करने की अनुमति दी। इन बैंकों ने आधुनिक तकनीक , तेज सेवा, और ग्राहक-केन्द्रित व्यवस्था से बैंकिंग में नया मानक स्थापित किया। इनमें शामिल हैं—

- एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank)
- आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank)
- एक्सिस बैंक (Axis Bank)
- कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank)

इन निजी बैंकों के आने से सरकारी बैंकों को भी अपनी सेवाएँ आधुनिक बनानी पड़ीं।

2. **विदेशी बैंकों का प्रवेश (Foreign Banks):** उदारीकरण के बाद विदेशी बैंकों को भी भारत में शाखाएँ खोलने की अनुमति मिली। इससे बैंकिंग सेवाओं में अंतरराष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता, पारदर्शिता और पेशेवर कार्यप्रणाली आई। विदेशी बैंकों ने विशेष रूप से—व्यापार-वित्त (Trade Finance), अंतरराष्ट्रीय लेन-देन (International Transactions), कॉर्पोरेट ऋण (Corporate Loans) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

3. **तकनीकी क्रांति और डिजिटल बैंकिंग (Digital Banking):** उदारीकरण के बाद तकनीक भारतीय बैंकिंग की सबसे बड़ी शक्ति बनी। स्वचालित नकदी मशीन (ATM – Automated Teller Machine) केन्द्रीयीकृत बैंकिंग प्रणाली (CBS – Core Banking System) इंटरनेट बैंकिंग (Internet Banking) मोबाइल बैंकिंग (Mobile Banking) तत्काल भुगतान सेवा (IMPS – Immediate Payment Service) एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI – Unified Payments Interface)

इन तकनीकी सुधारों ने बैंकिंग को तेज, सुरक्षित और 24 घंटे उपलब्ध बना दिया।


4. **बैंकिंग विनियमन में सुधार (Banking Regulation Reforms):** भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए कई नियामक सुधार किए— पूँजी पर्याप्तता मानक (Capital Adequacy Norms – Basel Norms) जोखिम प्रबंधन मानक (Risk Management Norms) सावधानीपूर्वक ऋण-प्रदान मानक (Prudential Lending Norms) इन सुधारों से बैंकिंग व्यवस्था अधिक स्थिर और सुरक्षित बनी।
5. **अशोधित आस्तियों (NPA – Non-Performing Assets) पर नियंत्रण:** उदारीकरण के बाद अशोधित आस्तियाँ (खराब ऋण) एक बड़ा मुद्दा बन गईं इन्हें नियंत्रित करने के लिए सरकार व RBI ने—सार्फेसी अधिनियम (SARFAESI Act, 2002 – Securitisation Act) ऋण वसूली अधिकरण (DRT – Debt Recovery Tribunal) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC – Insolvency and Bankruptcy Code, 2016) जैसे कड़े कदम उठाए। इनसे ऋण न चुकाने वालों पर नियंत्रण बढ़ा।
6. **बैंकिंग का विविधीकरण (Diversification):** उदारीकरण के बाद बैंक केवल जमा-ऋण तक सीमित नहीं रहे, बल्कि— बीमा वितरण म्यूचुअल निधि (Mutual Funds) परिसंपत्ति प्रबंधन (Wealth Management) क्रेडिट कार्ड सेवा (Credit Card Service) गृह-ऋण (Housing Loan) जैसी अनेक सुविधाएँ देना शुरू किया। इससे बैंक अधिक बहुमुखी और लाभदायक बन गए।
7. **भुगतान प्रणालियों का आधुनिकीकरण (Payment System Modernisation):** उदारीकरण के बाद भारत की भुगतान प्रणाली विश्व-स्तरीय हुई— भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI – National Payments Corporation of India) रूपे कार्ड (RuPay Card) भीम-यूपीआई (BHIM-UPI) फास्टैग (FASTag – Electronic Toll System) इसने भारत को डिजिटल लेन-देन के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बना दिया।
8. **वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion):** उदारीकरण के बाद सामाजिक बैंकिंग को तकनीक का सहारा मिला— जन-धन योजना डिजिटल केवाईसी (KYC – Know Your Customer) सीधा लाभ अंतरण (DBT – Direct Benefit Transfer) इससे गरीबों, ग्रामीणों और महिलाओं को औपचारिक बैंकिंग से जोड़ने में सहायता मिली।

5.7 बैंकों के विलय का अर्थ (Meaning of Bank Merger)

बैंकों का विलय उस प्रक्रिया को कहा जाता है, जिसमें दो या दो से अधिक बैंक एक साथ मिलकर एक नया बैंक बनाते हैं या फिर एक बड़ा बैंक, छोटे बैंकों को अपने में समाहित कर लेता है। इस प्रक्रिया में सभी बैंकों की— पूँजी, शाखाएँ, कर्मचारी, ग्राहक खाते, ऋण, परिसंपत्तियाँ (Assets), देनदारियाँ (Liabilities) सब एक ही बैंक के अंतर्गत आ जाते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो—**बैंक विलय का अर्थ है दो या अधिक बैंकों का एक बैंक के रूप में संगठित होना।** इस प्रक्रिया से एक बड़ी और अधिक सक्षम बैंकिंग इकाई तैयार होती है, जो बाज़ार में अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकती है।

5.7.1 बैंकों के विलय के प्रकार (Types of Bank Merger)

बैंकों के विलय के प्रकार (Types of Bank Merger)



बैंकों का विलय विभिन्न आधारों पर तीन मुख्य प्रकारों में देखा जाता है:

- (1) **क्षैतिज विलय (Horizontal Merger) (Horizontal = क्षैतिज / समान स्तर पर):** यह वह स्थिति है जब दो समान प्रकार के बैंक, जो समान कार्य करते हैं और एक ही बाजार क्षेत्र में हैं, आपस में विलय होते हैं। उदाहरण — दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आपस में विलय हो जाएँ। लाभ:- शाखा नेटवर्क का विस्तार प्रतिस्पर्धा में कमी पैमाने की अर्थव्यवस्थाएँ (Economies of Scale)
- (2) **लंबवत विलय (Vertical Merger) (Vertical = ऊर्ध्वाधर / क्रमिक स्तर पर):** यह विलय तब होता है जब बैंक अपने सहायक वित्तीय संस्थान या ऐसी संस्था के साथ विलय करे जो उसके काम को सपोर्ट करती हो। जैसे— एक बैंक का अपनी निवेश संस्था, बीमा कंपनी या वित्तीय सेवा प्रदाता के साथ विलय। लाभ:- सेवाओं का विस्तार एक ही छत के नीचे कई वित्तीय सेवाएँ ग्राहकों को व्यापक सुविधा
- (3) **मिश्रित विलय (Conglomerate Merger/Mixed Merger) (Conglomerate = मिश्रित समूह):** इसमें दो ऐसे बैंक या वित्तीय संस्थान विलय करते हैं जो अलग-अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे होते हैं।

5.7.2 बैंकों के विलय के उद्देश्य (Objectives of Bank Merger)

बैंकों का विलय केवल संस्थागत बदलाव नहीं है बल्कि इसके पीछे गहरे आर्थिक और नीतिगत कारण होते हैं।

बैंकों के विलय के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

- (1) **बैंकिंग प्रणाली को मजबूत बनाना:** भारत जैसे देश में कई छोटे बैंक वित्तीय दबाव में आते हैं। विलय से एक बड़ी और अधिक पूँजीयुक्त इकाई बनती है जो बड़े स्तर पर ऋण दे सकती है तथा जोखिम झेल सकती है।
- (2) **खराब ऋणों (NPA – अनुत्पादक परिसंपत्ति) पर नियंत्रण:** जब कमजोर बैंक मजबूत बैंक में समाहित हो जाता है तो— NPA प्रबंधन बेहतर होता है, संसाधन बढ़ते हैं, ऋण वसूली की क्षमता मजबूत होती है।
- (3) **पैमाने की अर्थव्यवस्था प्राप्त करना (Economies of Scale):** जब बैंकों का आकार बड़ा हो जाता है तो— लागत घटती है, सेवाएँ सस्ती होती हैं, तकनीकी क्षमता बढ़ती है, डिजिटल बैंकिंग में निवेश आसान होता है।

- (4) **वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम बनाना:** भारत की बैंकिंग प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए बड़े आकार के बैंक आवश्यक हैं। बड़ी पूँजी वाले बैंक विदेशी निवेश और अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं में अधिक भाग ले सकते हैं।
- (5) **शाखा नेटवर्क का विस्तार और सेवा गुणवत्ता में सुधार:** विलय के बाद — दूरदराज क्षेत्रों में अधिक शाखाएँ उपलब्ध होती हैं ग्राहकों को विस्तृत सेवाएँ मिलती हैं तकनीकी और डिजिटल सेवाएँ अधिक प्रभावी बनती हैं।
- (6) **प्रशासनिक खर्चों में कमी:** दो बैंकों के विलय से दोहराव वाले काम समाप्त, प्रबंधन लागत कम, आईटी और बैंक-ऑफिस कार्यों को एकीकृत किया जा सकता है।
- (7) **बैंकिंग प्रणाली में स्थिरता और सुरक्षा बढ़ाना:** विलय के बाद बैंक अधिक मजबूत होते हैं इसलिए वित्तीय संकट की संभावना कम, जमाकर्ताओं का भरोसा बढ़ता है, अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिलती है।

5.8 भारत में बैंक विलय के पीछे मुख्य कारण

- कमजोर बैंकों को मजबूत बनाना
- बड़े और वैश्विक स्तर के भारतीय बैंक तैयार करना
- ग्राहक को एकीकृत सेवा प्रदान करना
- प्रशासनिक खर्च घटाना
- बेहतर तकनीकी और डिजिटल संरचना विकसित करना
- NPA की समस्या कम करना
- सरकारी योजनाओं को प्रभावी बनाना

बैंक विलय केवल दो या अधिक बैंकों को जोड़ने की प्रक्रिया नहीं है। यह एक संगठित और कानूनी प्रक्रिया होती है, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और सरकार के निर्देशों के तहत लागू किया जाता है। इसका उद्देश्य है बैंकिंग प्रणाली को मजबूत, स्थिर और कुशल बनाना।

5.9 बैंकों के विलय की प्रक्रिया (Process of Bank Merger)

बैंक विलय निम्न चरणों में किया जाता है:

- (1) **सरकार और RBI की योजना तैयार करना** - सबसे पहले, सरकार और RBI यह निर्धारित करते हैं कि किन बैंकों का विलय आवश्यक है। इसमें कमजोर और मजबूत बैंक की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विश्लेषण किया जाता है। इसके बाद विलय के लक्ष्य और लाभ तय किए जाते हैं।
- (2) **अधिसूचना (Notification) जारी करना** – विलय करने के लिए सरकार प्रेस नोट/अधिसूचना जारी करती है। इसमें स्पष्ट रूप से बताया जाता है— • कौन-से बैंक विलय हो रहे हैं • विलय की तारीख • विलय के नियम
- (3) **शेयरहोल्डर और बोर्ड की मंजूरी (Shareholders & Board Approval)** - प्रत्येक बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स से अनुमति ली जाती है। यह कानूनी आवश्यकता होती है।

- (4) **एकीकरण योजना तैयार करना (Integration Plan)** -बैंक विलय के दिन से पहले, शाखाओं, खातों, कर्मचारियों, IT सिस्टम और अन्य संसाधनों का विस्तृत एकीकरण योजना तैयार किया जाता है। इसमें ध्यान दिया जाता है कि ग्राहक और कर्मचारी किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करें।
- (5) **कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया (Legal & Administrative Formalities)**- बैंकिंग नियमन अधिनियम (Banking Regulation Act) और अन्य संबंधित कानूनों के अनुसार विलय को कानूनी रूप दिया जाता है। नए बैंक का पंजीकरण (Registration) और सभी बैंकिंग लाइसेंस अपडेट किए जाते हैं।
- (6) **खातों और ग्राहकों का एकीकरण (Integration of Accounts & Customers)**-ग्राहकों के खाते और सेवाएँ नए बैंक में स्थानांतरित की जाती हैं। पुराने खाता नंबर या IFSC बदल सकते हैं, लेकिन ग्राहकों को पहले से सूचित किया जाता है।
- (7) **कर्मचारी और प्रबंधन का एकीकरण (Staff & Management Integration)**-विलय के बाद कर्मचारियों की जिम्मेदारियाँ और पदों का पुनर्गठन किया जाता है। प्रशिक्षण और कार्यप्रणाली का समन्वय सुनिश्चित किया जाता है।
- (8) **सार्वजनिक और डिजिटल संचार (Public & Digital Communication)**-ग्राहकों और आम जनता को सोशल मीडिया, वेबसाइट और शाखाओं के माध्यम से जानकारी दी जाती है। डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल ऐप और इंटरनेट बैंकिंग को अपग्रेड किया जाता है।

5.9.1 बैंकों के विलय RBI और सरकार की भूमिका (Role of RBI and Government)

बैंक विलय में RBI और सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

- (1) **नीति निर्धारण (Policy Making)** -सरकार और RBI तय करते हैं कि कौन-से बैंक विलय होंगे। यह निर्णय बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता, वित्तीय स्वास्थ्य और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के आधार पर लिया जाता है।
- (2) **निगरानी और मार्गदर्शन (Supervision & Guidance)** -RBI विलय प्रक्रिया के दौरान बैंक की गतिविधियों की निगरानी करता है। बैंक के वित्तीय और तकनीकी पक्षों की समीक्षा करता है। विलय की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करता है।
- (3) **कानूनी सहायता (Legal Facilitation)** -RBI और सरकार बैंकिंग कानून (Banking Regulation Act) और विलय आदेश (Merger Notification) के अनुसार कानूनी अनुमति देती हैं। इससे कोई विवाद या अनियमितता नहीं होती।
- (4) **वित्तीय और पूँजी सहायता (Financial & Capital Support)** -सरकार कमजोर बैंक को पूँजी देने में मदद करती है। विलय के बाद नए बैंक की पूँजी संरचना और संचालन क्षमता मजबूत होती है।
- (5) **ग्राहक और कर्मचारी संरक्षण (Protection of Customers & Employees)** -RBI यह सुनिश्चित करता है कि ग्राहकों के खाते सुरक्षित रहें। कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतन और अन्य सुविधाएँ बनाए रखी जाएँ।

- (6) **तकनीकी और डिजिटल समर्थन (Technical & Digital Support)** -विलय के दौरान बैंक की IT प्रणाली, मोबाइल ऐप और डिजिटल सेवा नेटवर्क को नई संरचना में समाहित किया जाता है। इससे ग्राहकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

5.10 बैंकों के विलय के लाभ और हानियाँ (Advantages and Disadvantages of Bank Merger)

बैंकों का विलय केवल संस्थाओं को जोड़ने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसके सामाजिक, आर्थिक और वित्तीय परिणाम भी होते हैं। इसलिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि विलय से कहाँ लाभ होता है और कहाँ संभावित हानि हो सकती है।

A. बैंकों के विलय के लाभ (Advantages of Bank Merger)

- (1) **बैंक की वित्तीय स्थिति मजबूत होती है:** -छोटे और कमजोर बैंक विलय के बाद बड़ी और अधिक पूँजीयुक्त इकाई बन जाते हैं। ऋण देने की क्षमता बढ़ती है और वित्तीय स्थिरता आती है।
- (2) **ग्राहक सेवा में सुधार:** -विलय के बाद शाखाओं और एटीएम नेटवर्क का विस्तार होता है। ग्राहकों को एक छत के नीचे कई सेवाएँ मिलती हैं। डिजिटल बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सेवाएँ बेहतर और अधिक सुलभ होती हैं।
- (3) **प्रशासनिक और संचालन लागत में कमी:** - विलय के बाद दोहराव वाले कार्य समाप्त हो जाते हैं। IT सिस्टम, बैंक-ऑफिस संचालन और कर्मचारियों का समन्वय बेहतर होता है। इससे बैंकिंग संचालन अधिक कुशल और सस्ता बनता है।
- (4) **जोखिम और NPA प्रबंधन में सुधार:** -कमजोर बैंक में विलय से अनुत्पादक परिसंपत्तियों (NPA) का भार कम किया जा सकता है। जोखिम विभाजन (Risk Diversification) होता है और बैंक की सुरक्षा बढ़ती है।
- (5) **वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाना:** -बड़े बैंक अंतरराष्ट्रीय बाजार में निवेश और परियोजनाओं में भाग ले सकते हैं। वैश्विक स्तर पर भारतीय बैंकिंग प्रणाली की प्रतिष्ठा बढ़ती है।
- (6) **सरकारी नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन:** -आर्थिक सुधार, योजना और वित्तीय समावेशन कार्यक्रम विलय के बाद आसानी से लागू होते हैं। ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में बैंकिंग पहुंच बेहतर होती है।

B. बैंकों के विलय की हानियाँ (Disadvantages of Bank Merger)

- (1) **कर्मचारियों पर प्रभाव:** -विलय के बाद कर्मचारी पदों में कमी या पुनर्गठन हो सकता है। कुछ कर्मचारियों का स्थानांतरण या नौकरी बदलना पड़ सकता है।
- (2) **स्थानीय पहचान और सेवा प्रभावित हो सकती है:** -छोटे बैंक की स्थानीय पहचान और ग्राहक सेवा विलय के बाद प्रभावित हो सकती है। ग्रामीण शाखाओं या छोटे शहरों में सेवाएँ कम हो सकती हैं।

- (3) **विलय प्रक्रिया जटिल और समय-साध्य:** -कानूनी, प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रिया लंबी होती है। खाताधारक और कर्मचारी असुविधा का अनुभव कर सकते हैं।
- (4) **सांस्कृतिक और प्रबंधन संघर्ष:** -विभिन्न बैंकों की संगठनात्मक संस्कृति अलग होती है। विलय के बाद कर्मचारियों और प्रबंधन में सामंजस्य बनाने में कठिनाई हो सकती है।
- (5) **तकनीकी और सिस्टम जोखिम:** -IT और डिजिटल प्रणाली का एकीकरण जटिल होता है। किसी भी तकनीकी त्रुटि से ग्राहकों को परेशानी हो सकती है।
- (6) **छोटे व्यवसायों और SME पर प्रभाव:** -बड़े बैंक कभी-कभी छोटे उद्यमों (Small & Medium Enterprises – SMEs) पर ध्यान कम दे सकते हैं। छोटे ग्राहकों और स्थानीय ऋण आवश्यकताओं को प्राथमिकता न मिलने का जोखिम रहता है।

5.11 सारांश

भारतीय बैंकिंग प्रणाली में राष्ट्रीयकरण और उसके बाद बैंक विलय दोनों ही कदम अर्थव्यवस्था को स्थिर और सक्षम बनाने के लिए अतिविशेष महत्व रखते हैं। राष्ट्रीयकरण ने बैंकिंग प्रणाली को समाज के सभी वर्गों तक पहुँचाने का मार्ग प्रशस्त किया और ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को सुलभ बनाया। इस प्रक्रिया ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया और गरीब तथा मध्यम वर्ग के लोगों को ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं का लाभ प्राप्त हुआ। इसके अलावा, सरकारी योजनाओं और विकासात्मक परियोजनाओं का क्रियान्वयन सरल हुआ और बैंकिंग प्रणाली में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को बल मिला। राष्ट्रीयकरण ने बैंकों को केवल लाभ कमाने की संस्था न रहकर एक सामाजिक कर्तव्य निभाने वाली संस्था के रूप में स्थापित किया।

इसके विपरीत, बैंक विलय ने बैंकिंग प्रणाली की आर्थिक क्षमता और दक्षता को बढ़ाया। विलय के माध्यम से कमजोर और छोटे बैंक बड़ी और मजबूत इकाई का हिस्सा बन गए, जिससे उनकी पूँजी और ऋण देने की क्षमता में सुधार हुआ। विलय ने ग्राहक सेवा, शाखा नेटवर्क और डिजिटल बैंकिंग के विस्तार को संभव बनाया तथा प्रशासनिक और संचालन लागत को घटाया। इसके अलावा, बड़े बैंक अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में अधिक सक्षम हुए और वित्तीय जोखिमों का प्रबंधन भी अधिक प्रभावी ढंग से करने में समर्थ हुए। हालांकि, विलय के दौरान कर्मचारियों पर प्रभाव, स्थानीय पहचान का कम होना, प्रबंधन संघर्ष और तकनीकी जटिलताओं जैसी चुनौतियाँ भी सामने आती हैं, जिन्हें सरकार और RBI की सक्रिय निगरानी तथा सुविचारित योजना के माध्यम से हल किया जा सकता है।

इस प्रकार, राष्ट्रीयकरण और विलय एक-दूसरे के पूरक सिद्ध हुए हैं, जहां राष्ट्रीयकरण ने बैंकिंग को सामाजिक दृष्टि से सशक्त बनाया और विलय ने इसे आर्थिक दृष्टि से मजबूत तथा प्रतिस्पर्धी बनाया। इन दोनों प्रक्रियाओं के संयुक्त प्रभाव से भारतीय बैंकिंग क्षेत्र न केवल स्थिर और मजबूत हुआ है, बल्कि ग्रामीण, गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को वित्तीय सेवाओं तक पहुँचाने में भी सक्षम हुआ है। अतः कहा जा सकता है कि राष्ट्रीयकरण और विलय मिलकर भारतीय बैंकिंग प्रणाली को स्थिर, सशक्त, कुशल और व्यापक रूप से सक्षम बनाते हैं तथा अर्थव्यवस्था के विकास और वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करते हैं।

5.12 शब्दावली

राष्ट्रीयकरण (Nationalisation) – निजी स्वामित्व वाले बैंकों को सरकार के स्वामित्व में लेना।

उदारीकरण (Liberalisation) – आर्थिक गतिविधियों पर सरकारी नियंत्रण में कमी करना।

विलय (Merger) – दो या अधिक बैंकों का एक बैंक में समाहित होना।

5.13 बोध प्रश्न

1. 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था?
A. 14
B. 10
C. 8
D. 6
2. बैंक विलय की प्रक्रिया में नीति निर्धारण और निगरानी की मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है?
A. भारतीय रिज़र्व बैंक
B. योजना आयोग
C. वित्त आयोग
D. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
3. दो समान प्रकार के बैंकों के आपस में विलय को क्या कहा जाता है?
A. लंबवत विलय (Vertical Merger)
B. मिश्रित विलय (Conglomerate Merger)
C. क्षैतिज विलय (Horizontal Merger)
D. अनिवार्य विलय (Compulsory Merger)

5.14 बोध प्रश्न के उत्तर

1.D, 2. A, 3.C

5.15 स्वपरख प्रश्न

(A) लघु उत्तरीय प्रश्न

1. 1969 के बैंक राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए।
2. बैंक विलय के कारणों का वर्णन कीजिए।
3. बैंक राष्ट्रीयकरण से वित्तीय समावेशन को कैसे बढ़ावा मिला स्पष्ट कीजिए।

(B) दीर्घ उत्तर प्रश्न

1. बैंक विलय की प्रक्रिया तथा सरकार और RBI की भूमिका स्पष्ट कीजिए।
2. बैंक विलय के लाभ और हानियों का विश्लेषण कीजिए।
3. भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण (1969 एवं 1980) के कारणों, उद्देश्यों और सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का विस्तार से विश्लेषण कीजिए।

5.16 सन्दर्भ पुस्तकें

1. भारतीय रिज़र्व बैंक – *Report on Banking in India*
2. खान, एम.वाई. – *Indian Financial System*, McGraw Hill
3. बसु, बी. – *भारतीय बैंकिंग प्रणाली*, हिमालय पब्लिशिंग हाउस
4. पाण्डेय, आई.एम. – *Financial Management*, Vikas Publishing
5. Mishkin, F.S. – *The Economics of Money, Banking and Financial Markets*
6. Government of India – *Economic Survey* (विभिन्न वर्ष)
7. RBI की आधिकारिक वेबसाइट एवं अधिसूचनाएँ

इकाई : 6 ऋण - ऋण और अग्रिम और जमा उत्पाद: बचत, चालू, सावधि जमा

इकाई की रूपरेखा

- 6.1 प्रस्तावना
- 6.2 बैंकिंग मध्यस्थता का परिचय
- 6.3 वर्गीकरण और ऋण और अग्रिमों के प्रकार
 - 6.3.1 उद्देश्य के आधार पर ऋणों का वर्गीकरण
 - 6.3.2 अवधि के आधार पर ऋणों का वर्गीकरण
 - 6.3.3 सुरक्षा के आधार पर ऋणों का वर्गीकरण
- 6.4 सावधि ऋण
- 6.5 कार्यशील पूंजी अग्रिम
- 6.6 बिल छूट और खरीद
- 6.7 ऋण के लिए ब्याज गणना के तरीके
- 6.8 जमा उत्पादों के प्रकार
- 6.9 बचत बैंक खाते
- 6.10 चालू बैंक खाते
- 6.11 सावधि जमा
- 6.12 जमा पर ब्याज की गणना
- 6.13 ऋण और जमा संचालन में जोखिम प्रबंधन
- 6.14 बैंकिंग उत्पादों में प्रौद्योगिकी परिवर्तन
- 6.15 सारांश
- 6.16 शब्दावली
- 6.17 बोध प्रश्न
- 6.18 बोध प्रश्न के उत्तर
- 6.19 स्वपरख प्रश्न
- 6.20 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस अध्याय को पूरा करने पर, पाठक निम्न में सक्षम होंगे:

- वाणिज्यिक बैंकिंग में ऋण सृजन और जमा जुटाने के अंतर्निहित मूलभूत सिद्धांतों को समझें।
- विभिन्न प्रकार के ऋणों और अग्रिमों के बीच उनके उद्देश्य, अवधि, सुरक्षा आवश्यकताओं और पुनर्भुगतान संरचनाओं के आधार पर अंतर करें।
- बचत, चालू और सावधि जमा खातों सहित विभिन्न जमा उत्पादों की विशेषताओं, लाभों और सीमाओं का विश्लेषण करें।

- साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और शेष राशि को कम करने के दृष्टिकोण सहित विभिन्न तरीकों का उपयोग करके ऋण और जमा पर ब्याज की गणना करें।
- बैंक और ग्राहक दोनों दृष्टिकोणों से विभिन्न ऋण और जमा उत्पादों में निहित जोखिम-वापसी ट्रेडऑफ़ का मूल्यांकन करें।
- ऋण वर्गीकरण, प्रावधान आवश्यकताओं और जमा बीमा को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे को समझें।
- यह समझने के लिए क्रेडिट मूल्यांकन सिद्धांतों के ज्ञान को लागू करें कि बैंक ऋण आवेदनों का मूल्यांकन कैसे करते हैं।
- पारंपरिक ऋण देने और जमा लेने के कार्यों को बदलने में प्रौद्योगिकी की भूमिका को पहचानना।

6.1 प्रस्तावना

यह अध्याय मौलिक बैंकिंग उत्पादों की एक व्यापक परीक्षा प्रदान करता है जो आधुनिक वित्तीय मध्यस्थता की आधारशिला बनाते हैं: ऋण, अग्रिम और जमा उपकरण। चर्चा ऋण सृजन और जमा जुटाने की सैद्धांतिक नींव की खोज के साथ शुरू होती है, जिसमें अर्थव्यवस्था में अधिशेष और घाटे वाली इकाइयों के बीच मध्यस्थ के रूप में वाणिज्यिक बैंकों की भूमिका पर जोर दिया जाता है। अध्याय व्यवस्थित रूप से विभिन्न ऋण उत्पादों के वर्गीकरण, विशेषताओं और परिचालन तंत्र को संबोधित करता है, जिसमें सावधि ऋण, कार्यशील पूंजी अग्रिम, ओवरड्राफ्ट और नकद क्रेडिट शामिल हैं, साथ ही साथ बचत खातों, चालू खातों और सावधि जमा योजनाओं के विस्तृत विश्लेषण के माध्यम से बैंकिंग संचालन के जमा पक्ष की जांच की जाती है। इन उत्पादों को नियंत्रित करने वाले मूल्य निर्धारण तंत्र, जोखिम मूल्यांकन ढांचे और नियामक आवश्यकताओं को समझने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विस्तृत वैचारिक स्पष्टीकरण और व्यावहारिक संख्यात्मक दृष्टान्तों के माध्यम से, पाठकों को ब्याज गणना, प्रभावी वार्षिक दरों, जमा परिपक्वता संरचनाओं और ऋण चुकौती कार्यक्रमों में अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। अध्याय आपूर्ति-पक्ष के विचारों को समझने के महत्व पर जोर देता है जो बैंकों को इन उत्पादों को डिजाइन करते समय संबोधित करना चाहिए और मांग-पक्ष कारक जो ग्राहकों की पसंद को प्रभावित करते हैं। परिचालन वास्तविकताओं के साथ सैद्धांतिक सिद्धांतों को एकीकृत करके, यह अध्याय पाठकों को यह समझने के लिए आवश्यक ज्ञान से लैस करता है कि बैंक विभिन्न ग्राहक खंडों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करते हुए नियामक अनुपालन के साथ लाभप्रदता के उद्देश्यों को कैसे संतुलित करते हैं।

6.2 बैंकिंग मध्यस्थता का परिचय

आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में वाणिज्यिक बैंकों का मौलिक कार्य वित्तीय मध्यस्थता के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसमें बचतकर्ताओं से अधिशेष धन जुटाना और ऋण गतिविधियों के माध्यम से उत्पादक निवेश के अवसरों के लिए इन संसाधनों का आवंटन शामिल है। यह मध्यस्थता प्रक्रिया आर्थिक विकास की जीवनरेखा के रूप में कार्य करती है, पूंजी निर्माण की सुविधा प्रदान करती है, खपत को सुचारू बनाने में सक्षम बनाती है, और नवाचार और रोजगार सृजन को चलाने वाले उद्यमशीलता उद्यमों का समर्थन करती है। बैंक वित्तीय प्रणाली में एक अद्वितीय स्थान रखते हैं क्योंकि उनके पास संभावित उधारकर्ताओं की जांच करने, ऋण प्रदर्शन की निगरानी

करने, विभिन्न पोर्टफोलियो में जोखिमों को पूल करने और तरलता परिवर्तन सेवाओं की पेशकश करने में विशेष क्षमताएं हैं जो अल्पकालिक जमा को दीर्घकालिक ऋण में परिवर्तित करती हैं (मेहता, 2019)। जिस दक्षता के साथ बैंक इन मध्यस्थता कार्यों को करते हैं, उसका व्यापक आर्थिक स्थिरता, मौद्रिक नीति संचरण की प्रभावशीलता और आर्थिक विकास की समग्र गति पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

ऋण और जमा को समझने के लिए मान्यता की आवश्यकता होती है कि ये बैंक की बैलेंस शीट के दो पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें जमा देनदारियों का गठन करते हैं जो बैंकों को ग्राहकों के लिए देय होते हैं, जबकि ऋण उन परिसंपत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो ब्याज आय और मूलधन पुनर्भुगतान उत्पन्न करते हैं। ऋण पर लगने वाली ब्याज दर और जमा पर भुगतान की गई ब्याज दर के बीच का अंतर पारंपरिक बैंकिंग संस्थानों के लिए लाभप्रदता का प्राथमिक स्रोत है, जिसे आमतौर पर शुद्ध ब्याज मार्जिन कहा जाता है। हालांकि, इस स्पष्ट रूप से सरल आर्बिट्रिज ऑपरेशन में जटिल जोखिम प्रबंधन चुनौतियां शामिल हैं, जिसमें संभावित उधारकर्ता चूक से उत्पन्न होने वाला ऋण जोखिम, परिसंपत्तियों और देनदारियों के बीच परिपक्वता बेमेल से उत्पन्न ब्याज दर जोखिम, और इस संभावना से जुड़ा तरलता जोखिम शामिल है कि जमा निकासी उपलब्ध तरल संसाधनों से अधिक हो सकती है। इसलिए बैंकों को लाभप्रदता उद्देश्यों, जोखिम जोखिम, नियामक अनुपालन और ग्राहक संतुष्टि के बीच उचित संतुलन बनाए रखने के लिए अपने ऋण और जमा उत्पादों को सावधानीपूर्वक डिजाइन करना चाहिए।

बैंकिंग उत्पादों के विकास को बदलती आर्थिक स्थितियों, तकनीकी नवाचारों, नियामक सुधारों और ग्राहकों की प्राथमिकताओं में बदलाव से आकार दिया गया है। पारंपरिक ऋण मुख्य रूप से व्यापार और वाणिज्य के लिए कार्यशील पूंजी वित्त पर केंद्रित था, जिसमें ऋण निर्णय बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत संबंधों और संपार्श्विक उपलब्धता पर आधारित थे। समकालीन बैंकिंग ने परिष्कृत क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल, विशिष्ट ग्राहक खंडों के अनुरूप विविध ऋण उत्पादों, और स्वचालित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं का उदय देखा है जो बड़े डेटा एनालिटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाते हैं। इसी तरह, जमा उत्पाद सरल बचत और चालू खातों से विकसित हुए हैं जिसमें विभिन्न हाइब्रिड उपकरण शामिल हैं जो तरलता, रिटर्न और बीमा कवरेज, निवेश लिंकेज और भुगतान सुविधाओं जैसी अतिरिक्त सेवाओं के संयोजन की पेशकश करते हैं। यह अध्याय उन कालातीत सिद्धांतों की जांच करता है जो ऋण देने और जमा लेने के संचालन को नियंत्रित करना जारी रखते हैं और आधुनिक नवाचारों की जांच करते हैं जो इन आवश्यक बैंकिंग सेवाओं के वितरण और प्रबंधन को बदल रहे हैं।

6.3 वर्गीकरण और ऋण और अग्रिमों के प्रकार (Classification and Types of Loan and Advances)

वाणिज्यिक बैंक व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारी संस्थाओं की विविध वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विभिन्न प्रकार के ऋण और अग्रिम प्रदान करते हैं। इन ऋण सुविधाओं का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जाता है, जिससे यह समझने में सहायता मिलती है कि बैंक ग्राहक आवश्यकताओं के अनुसार अपने ऋण उत्पाद कैसे संरचित करते हैं तथा साथ-साथ जोखिम और नियामकीय पूंजी का प्रबंधन कैसे करते हैं।

6.3.1 उद्देश्य के आधार पर ऋणों का वर्गीकरण

उद्देश्य के आधार पर ऋणों को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—उत्पादक ऋण और उपभोग ऋण।

- (क) **उत्पादक ऋण:** उत्पादक ऋण वे होते हैं जो कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में पूंजी निर्माण अथवा कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिए जाते हैं। ये ऋण आर्थिक उत्पादन, आय सृजन और रोजगार बढ़ाने में प्रत्यक्ष योगदान करते हैं। चूंकि इन ऋणों से जुड़ी गतिविधियाँ आय उत्पन्न करती हैं, इसलिए पुनर्भुगतान का एक स्वाभाविक स्रोत उपलब्ध रहता है।
- (ख) **उपभोग ऋण:** उपभोग ऋण व्यक्तियों को टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएँ खरीदने, शिक्षा प्राप्त करने अथवा आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करते हैं। ये ऋण सीधे उत्पादन में योगदान नहीं करते, बल्कि घरेलू कल्याण और जीवन स्तर को बेहतर बनाते हैं। ऐसे ऋण मुख्यतः उधारकर्ता की वर्तमान या भविष्य की आय पर निर्भर करते हैं, जो रोजगार और आय की अनिश्चितताओं से प्रभावित हो सकती है। हाल के वर्षों में आय स्तर में वृद्धि, सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव और उन्नत क्रेडिट स्कोरिंग तकनीकों के विकास के कारण उपभोग ऋणों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

6.3.2 अवधि के आधार पर ऋणों का वर्गीकरण

ऋणों को उनकी अवधि या परिपक्वता के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है।

- (क) **अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम:** ये ऋण सामान्यतः एक वर्ष तक की अवधि के लिए दिए जाते हैं और मुख्य रूप से कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करते हैं। इनमें कच्चे माल की खरीद, उत्पादन प्रक्रिया, भंडारण और देनदारियों की वसूली का वित्तपोषण शामिल होता है। नकद क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और बिल छूट जैसी सुविधाएँ इस श्रेणी में आती हैं।
- (ख) **मध्यम अवधि के ऋण:** मध्यम अवधि के ऋण आमतौर पर एक से पाँच वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किए जाते हैं। इनका उपयोग मशीनरी, उपकरण या वाहनों जैसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किया जाता है, जिनका उपयोग कई वर्षों तक होता है। पुनर्भुगतान कार्यक्रम को इन परिसंपत्तियों से उत्पन्न होने वाले नकदी प्रवाह के अनुरूप रखा जाता है।
- (ग) **दीर्घकालिक ऋण:** दीर्घकालिक ऋण पाँच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए दिए जाते हैं। ये ऋण भूमि, भवन, आवास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे बड़े पूंजी निवेशों को वित्तपोषित करते हैं। इनकी पुनर्भुगतान अवधि वित्तपोषित परिसंपत्तियों के आर्थिक जीवन और उधारकर्ता की दीर्घकालिक आय क्षमता के अनुरूप होती है।


6.3.3 सुरक्षा के आधार पर ऋणों का वर्गीकरण

ऋणों का एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण उनकी सुरक्षा या संपार्श्विक के आधार पर किया जाता है।

- (क) **सुरक्षित ऋण:** सुरक्षित ऋण वे होते हैं जो मूर्त या अमूर्त संपत्तियों द्वारा समर्थित होते हैं। यदि उधारकर्ता ऋण चुकाने में असफल रहता है, तो बैंक इन संपत्तियों को भुना कर अपनी राशि की वसूली कर सकता है। सुरक्षा के सामान्य रूपों में अचल संपत्ति का बंधक, चल संपत्ति का हाइपोथिकेशन, वित्तीय प्रतिभूतियों की गिरवी तथा तीसरे पक्ष की गारंटी शामिल हैं। ये ऋण बैंकों के लिए अपेक्षाकृत कम जोखिम वाले होते हैं।

(ख) **असुरक्षित ऋण:** असुरक्षित ऋण, जिन्हें स्वच्छ ऋण भी कहा जाता है, बिना किसी संपार्श्विक के दिए जाते हैं और पूरी तरह उधारकर्ता की साख और पुनर्भुगतान क्षमता पर निर्भर करते हैं। इनमें जोखिम अधिक होने के कारण ब्याज दरें सामान्यतः अधिक होती हैं। व्यक्तिगत ऋण, क्रेडिट कार्ड ऋण और कुछ व्यावसायिक अग्रिम इस श्रेणी में आते हैं। ऐसे मामलों में बैंक जोखिम प्रबंधन के लिए क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल, आय सत्यापन और कानूनी उपायों पर निर्भर करते हैं।

इस प्रकार, उद्देश्य, अवधि और सुरक्षा के आधार पर ऋणों का वर्गीकरण बैंकिंग प्रणाली में ऋण प्रबंधन, जोखिम नियंत्रण और प्रभावी वित्तीय मध्यस्थता को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।



चित्र: शहरी सहकारी बैंक

6.4 सावधि ऋण

सावधि ऋण ऋण सुविधाओं की एक मौलिक श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो निश्चित या निर्धारित पुनर्भुगतान अनुसूची, निर्दिष्ट ब्याज दरों और परिभाषित परिपक्वता अवधि की विशेषता है। इन ऋणों का उपयोग आमतौर पर अचल संपत्तियों को प्राप्त करने, क्षमता विस्तार परियोजनाओं को शुरू करने, या मध्यम से दीर्घकालिक कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है जिन्हें कम अवधि की सुविधाओं के माध्यम से कुशलता से वित्तपोषित नहीं किया जा सकता है। सावधि ऋणों की परिभाषित विशेषता संरचित पुनर्भुगतान योजना है, जिसमें आमतौर पर ऋण अवधि पर मूलधन और ब्याज की नियमित किस्तें शामिल होती हैं, जो उधारकर्ताओं को उनके ऋण सेवा दायित्वों के बारे में निश्चितता प्रदान करती है और बैंकों को देयता प्रोफाइल के साथ अपनी परिसंपत्ति अवधि का मिलान करने में सक्षम बनाती है।

सावधि ऋणों का संवितरण शुरू में एकमुश्त राशि के रूप में या वित्तपोषित गतिविधि की प्रकृति के आधार पर परियोजना के मील के पत्थर से जुड़ी किस्तों में हो सकता है। चरणबद्ध पूंजी तैनाती की आवश्यकता वाली निर्माण या विनिर्माण परियोजनाओं के लिए, बैंक अक्सर विकास चरण के दौरान अपने जोखिम को कम करने के लिए चरणबद्ध संवितरण पसंद करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि धन का उपयोग इच्छित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। उधारकर्ताओं को आमतौर पर एक प्रारंभिक अधिस्थगन या छूट अवधि से लाभ होता है जिसके दौरान केवल ब्याज भुगतान की आवश्यकता होती है, जिससे वित्तपोषित परियोजना को संचालन शुरू करने और मूल पुनर्भुगतान शुरू होने से पहले नकदी प्रवाह उत्पन्न करने की अनुमति मिलती है। बाद के

पुनर्भुगतान चरण में विभिन्न पैटर्न शामिल हैं, जिसमें समान किश्तें शामिल हैं, जहां प्रत्येक भुगतान में मूलधन और ब्याज दोनों घटक शामिल हैं, स्नातक कार्यक्रम जो छोटे भुगतान से शुरू होते हैं और समय के साथ बढ़ते हैं, या बुलेट भुगतान जहां पूरे मूलधन को पूरे कार्यकाल में आवधिक ब्याज सेवा के साथ परिपक्वता पर चुकाया जाता है।

सावधि ऋणों पर ब्याज दरें पूरी अवधि के लिए तय की जा सकती हैं, जिससे उधारकर्ताओं को उनकी वित्तपोषण लागत के बारे में निश्चितता मिलती है, लेकिन ऋण अवधि के दौरान बाजार दरों में काफी वृद्धि होने पर बैंकों को ब्याज दर जोखिम के लिए उजागर किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से, फ्लोटिंग या परिवर्तनीय दर संरचनाएं ऋण ब्याज को बेंचमार्क दरों से जोड़ती हैं जैसे कि बैंक की आधार दर, फंड की सीमांत लागत आधारित उधार दर, या रेपो दरों जैसे बाहरी बेंचमार्क, आवधिक रीसेट क्लॉज के साथ जो मौजूदा बाजार स्थितियों के आधार पर लागू ब्याज दर को समायोजित करते हैं। फ्लोटिंग दरें बैंकों से उधारकर्ताओं को ब्याज दर जोखिम स्थानांतरित करती हैं, लेकिन कम प्रारंभिक दरों की पेशकश कर सकती हैं और बाजार दरों में गिरावट आने पर उधारकर्ताओं को अधिक भुगतान करने से बचा सकती हैं। कई आधुनिक सावधि ऋण उत्पादों में आंशिक निर्धारण अवधि या ब्याज दर कैप शामिल होते हैं जो बैंकों और उधारकर्ताओं के बीच जोखिम-साझाकरण को संतुलित करते हैं।

6.5 कार्यशील पूंजी अग्रिम

कार्यशील पूंजी अग्रिम बैंक ऋण का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो इनपुट की खरीद और बिक्री आय की प्राप्ति के बीच सुचारू संचालन बनाए रखने के लिए व्यावसायिक उद्यमों की निरंतर वित्त पोषण आवश्यकताओं को संबोधित करता है। सावधि ऋणों के विपरीत, जो एकमुश्त पूंजीगत व्यय को वित्तपोषित करते हैं, कार्यशील पूंजी सुविधाएं परिक्रामी ऋण प्रदान करती हैं जिन्हें व्यावसायिक नकदी प्रवाह की चक्रीय प्रकृति के आधार पर स्वीकृत सीमाओं के भीतर बार-बार खींचा और चुकाया जा सकता है। कार्यशील पूंजी की जरूरतों के उचित आकलन के लिए परिचालन चक्र के सावधानीपूर्वक विश्लेषण की आवश्यकता होती है, जिसमें कच्चे माल को तैयार माल में बदलने, इन्वेंट्री रखने, ग्राहकों को ऋण देने और आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त क्रेडिट अवधि के मुकाबले प्राप्तियों को इकट्ठा करने के लिए आवश्यक समय शामिल होता है।

बैंक कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए विभिन्न तरीकों को नियोजित करते हैं, जिनमें सबसे प्रचलित टर्नओवर विधि है जो ऐतिहासिक परिचालन चक्र मापदंडों के आधार पर अनुमानित बिक्री या उत्पादन स्तरों के लिए क्रेडिट सीमा से संबंधित है। अधिकतम अनुमेय बैंक वित्त की गणना आमतौर पर बैंक उधार के अलावा अन्य वर्तमान देनदारियों को घटाने के बाद वर्तमान परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में की जाती है, जिसमें अवशिष्ट अंतर को उधारकर्ता के स्वयं के कार्यशील पूंजी योगदान के माध्यम से वित्त पोषित किए जाने की उम्मीद होती है। नियामक दिशानिर्देश अक्सर यह सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम प्रमोटर योगदान को अनिवार्य करते हैं कि व्यवसाय खेल में पर्याप्त त्वचा बनाए रखें और बैंक वित्त पर अत्यधिक निर्भर न हों। ऋण देने की दूसरी विधि में इन्वेंट्री और प्राप्तियों के स्तर से जुड़ा ऋण प्रदान करना शामिल है, जिसमें इन वर्तमान परिसंपत्तियों की गुणवत्ता, तरलता और प्राप्ति के आधार पर अग्रिम दरें निर्धारित की जाती हैं।

नकद ऋण कार्यशील पूंजी वित्त के सबसे लचीले रूप का प्रतिनिधित्व करता है, जो उधारकर्ताओं को एक रनिंग अकाउंट सुविधा प्रदान करता है, जिसके खिलाफ वे जरूरत पड़ने पर स्वीकृत सीमा तक धन निकाल सकते हैं और अपने बकाया शेष और ब्याज बोझ को कम करने के लिए अधिशेष नकदी जमा कर सकते हैं। यह घूमने वाली प्रकृति कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं, मौसमी संचालन या अनिश्चित बिक्री पैटर्न वाले व्यवसायों के लिए नकद ऋण को आदर्श बनाती है। बैंक आमतौर पर इन्वेंट्री और बुक ऋण के हाइपोथिकेशन के माध्यम से नकद ऋण सुविधाओं को सुरक्षित करते हैं, उधारकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए आवधिक स्टॉक स्टेटमेंट और प्राप्य कार्यक्रम प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है कि ड्राइंग पावर उपलब्ध सुरक्षा के अनुरूप बनी रहे। नकद ऋण पर ब्याज केवल दैनिक बकाया शेष राशि पर लिया जाता है, जिससे यह उन उधारकर्ताओं के लिए लागत प्रभावी हो जाता है जो अपने नकदी प्रवाह को कुशलतापूर्वक प्रबंधित कर सकते हैं और अपने औसत उपयोग को कम कर सकते हैं।

ओवरड्राफ्ट सुविधाएं समान परिक्रामी क्रेडिट क्षमताओं का विस्तार करती हैं, लेकिन आमतौर पर फिक्स्ड डिपॉजिट, जीवन बीमा पॉलिसियों, या शेयरों और डिबेंचर जैसी अधिक तरल सुरक्षा के खिलाफ प्रदान की जाती हैं। ओवरड्राफ्ट सीमा आमतौर पर सुरक्षा मूल्य का एक प्रतिशत होती है, जो ग्राहकों को आपातकालीन तरलता प्रदान करती है जबकि उनकी प्राथमिक संपत्ति तैनात रहती है। चालू खाता ओवरड्राफ्ट उन व्यावसायिक ग्राहकों की सेवा करते हैं जो पर्याप्त परिचालन शेष बनाए रखते हैं और कभी-कभी छोटी अवधि के लिए अपने उपलब्ध क्रेडिट को पार करने की आवश्यकता होती है। बैंक उच्च गुणवत्ता वाले संपार्श्विक के कारण ओवरड्राफ्ट को अपेक्षाकृत कम जोखिम वाले उत्पादों के रूप में देखते हैं और आमतौर पर असुरक्षित अग्रिमों की तुलना में कम ब्याज दरें लेते हैं, हालांकि जुर्माना दरें लागू हो सकती हैं यदि खाता निर्धारित अवधि से अधिक रहता है।

6.6 बिल छूट और खरीद

बिल छूट अल्पकालिक वित्त के एक विशेष रूप का प्रतिनिधित्व करता है जो वास्तविक व्यापार लेनदेन से निकटता से जुड़ा हुआ है, जहां बैंक विक्रेताओं को उनकी परिपक्वता तिथियों से पहले वाणिज्यिक बिल या वचन पत्र खरीदकर तत्काल धन प्रदान करते हैं। यह उपकरण उन विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी प्रदान करने के दोहरे उद्देश्य को पूरा करता है जिन्होंने खरीदारों को ऋण दिया है, साथ ही साथ बैंकों को अंतर्निहित वाणिज्यिक लेनदेन द्वारा समर्थित एक स्व-परिसमापन संपत्ति प्रदान करता है। बिल बाजार ने ऐतिहासिक रूप से वाणिज्यिक बैंकिंग की नींव का गठन किया, हालांकि अन्य क्रेडिट साधनों के विकास और ऋण प्रथाओं की औपचारिकता के साथ इसके सापेक्ष महत्व में गिरावट आई है।

जब कोई विक्रेता क्रेडिट शर्तों पर खरीदार को माल भेजता है, तो विनिमय का एक बिल तैयार किया जा सकता है जिसमें खरीदार को एक निर्दिष्ट भविष्य की तारीख पर भुगतान करने की आवश्यकता होती है। विक्रेता इस उपयोग बिल को छूट के लिए अपने बैंक में प्रस्तुत कर सकता है, बिल राशि के बराबर तत्काल धनराशि प्राप्त कर सकता है, जिसमें छूट शुल्क घटाकर परिपक्वता तक की अवधि के लिए ब्याज का प्रतिनिधित्व किया जाता है। बैंक तब बिल का धारक बन जाता है और बिल परिपक्व होने पर खरीदार या खरीदार के बैंक से भुगतान एकत्र करता है। यदि खरीदार चूक करता है, तो बैंक के पास विक्रेता का सहारा होता है जो बिल राशि के लिए

आकस्मिक रूप से उत्तरदायी रहता है, जो सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान करता है। बैंकों द्वारा ली जाने वाली छूट दर लेनदेन के लिए दोनों पक्षों की साख को दर्शाती है, बिल की अवधि और प्रचलित बाजार ब्याज दें।

बिल खरीद छूट से थोड़ा अलग है कि बैंक उन बिलों के खिलाफ धन प्रदान करता है जो भविष्य की तारीख के बजाय तुरंत या मांग पर देय होते हैं, संग्रह प्रक्रिया क्रेडिट प्रावधान के बजाय प्राथमिक सेवा होती है। हालांकि, चूंकि बाहरी बिलों के संग्रह में कई दिन लग सकते हैं, इसलिए बैंक अनिवार्य रूप से संग्रह अवधि के दौरान अल्पकालिक ऋण प्रदान करते हैं। बैंक दराज और अदाकर्ता की प्रतिष्ठा, अंतर्निहित लेनदेन की वास्तविकता और चालान, परिवहन दस्तावेज और डिलीवरी चालान जैसे उचित दस्तावेजी साक्ष्य की उपस्थिति के आधार पर बिलों का मूल्यांकन करते हैं। वास्तविक वाणिज्यिक लेनदेन के बिना तैयार किए गए आवास बिलों को सख्ती से प्रतिबंधित किया जाता है क्योंकि वे उत्पादक ऋण के बजाय केवल वित्तीय परिसंचरण का प्रतिनिधित्व करते हैं।

6.7 ऋण के लिए ब्याज गणना के तरीके

ऋण पर ब्याज की गणना क्रेडिट मूल्य निर्धारण का एक मूलभूत पहलू है, जो ग्राहकों के लिए उधार लेने की लागत और बैंकों के लिए संपत्ति पर वापसी दोनों का निर्धारण करती है। ब्याज शुल्क की गणना के लिए कई तरीके मौजूद हैं, जिनमें से प्रत्येक प्रभावी ब्याज दरों, पुनर्भुगतान बोझ और धन के विचार के समय मूल्य के लिए अलग-अलग निहितार्थ हैं। इन गणना विधियों को समझना उधारकर्ताओं के लिए सूचित वित्तपोषण निर्णय लेने के लिए और बैंकों के लिए अपने जोखिम जोखिम और परिचालन लागत के अनुरूप लाभप्रदता मार्जिन बनाए रखते हुए पारदर्शी मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।



- **साधारण ब्याज** - सबसे सरल गणना पद्धति का प्रतिनिधित्व करता है, जहां ब्याज की गणना किसी भी अंतरिम प्रमुख पुनर्भुगतान के लिए लेखांकन के बिना पूरे ऋण अवधि के लिए मूल मूल राशि पर की जाती है। देय कुल ब्याज मूलधन, वार्षिक ब्याज दर और वर्षों में व्यक्त की गई समय अवधि के उत्पाद के बराबर होता है। हालांकि यह विधि कम्प्यूटेशनल सादगी प्रदान करती है, यह शायद ही कभी आवधिक पुनर्भुगतान के साथ सावधि ऋण के लिए उपयोग किया जाता है क्योंकि यह पहचानने में विफल रहता है कि उधारकर्ता प्रत्येक किस्त भुगतान के साथ अपने बकाया मूलधन को उत्तरोत्तर कम कर रहे हैं। साधारण ब्याज मुख्य रूप से नकद क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट जैसे अल्पकालिक अग्रिमों में आवेदन पाता है, जहां वास्तविक

बकाया शेष राशि पर समय-समय पर ब्याज लिया जाता है, प्रभावी रूप से प्रत्येक ब्याज गणना अवधि के लिए एक सरल ब्याज संरचना बनाता है।

- **चक्रवृद्धि ब्याज-** पद्धति स्वीकार करती है कि ब्याज शुल्क स्वयं बकाया मूलधन का हिस्सा बन जाते हैं यदि समय-समय पर भुगतान नहीं किया जाता है, तो बाद में ब्याज गणना इस संचित राशि पर लागू होती है। यह चक्रवृद्धि प्रभाव समतुल्य नाममात्र दरों और अवधियों के लिए साधारण ब्याज की तुलना में उधार लेने की प्रभावी लागत को काफी बढ़ा देता है। बैंक आमतौर पर जमा उत्पादों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का उपयोग करते हैं जहां ब्याज को समय-समय पर मूल शेष राशि में जोड़ा जाता है, लेकिन ऋण ब्याज की गणना आमतौर पर वैचारिक रूप से तब भी की जाती है जब उधारकर्ता नियमित भुगतान करते हैं जो वास्तविक संचय को रोकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज सूत्र परिपक्वता राशि को एक से गुणा करने वाले मूलधन के रूप में व्यक्त करता है और समय-समय पर ब्याज दर को कंपाउंडिंग अवधि की संख्या की शक्ति तक बढ़ाया जाता है, जो ऋण दायित्वों की घातीय वृद्धि को समझने के लिए एक गणितीय आधार प्रदान करता है।

कम करने वाली शेष राशि विधि, जिसे घटती शेष राशि या परिशोधन दृष्टिकोण भी कहा जाता है, नियमित किस्त भुगतान के साथ सावधि ऋण के लिए मानक बन गई है। इस पद्धति के तहत, प्रत्येक अवधि के लिए ब्याज की गणना केवल पिछले मूल पुनर्भुगतान के लिए लेखांकन के बाद बकाया मूल शेष पर की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज शुल्क में उत्तरोत्तर गिरावट आती है क्योंकि समय के साथ ऋण का भुगतान किया जाता है। प्रत्येक किस्त भुगतान को पहले अवधि के दौरान अर्जित ब्याज के लिए आवंटित किया जाता है, जिसमें अवशिष्ट राशि मूल शेष राशि को कम करती है। नतीजतन, शुरुआती किस्तों में बड़े ब्याज घटक और छोटे प्रमुख घटक होते हैं, जबकि बाद की किस्तें मुख्य रूप से न्यूनतम ब्याज शुल्क के साथ मुख्य रूप से मूल पुनर्भुगतान होती हैं। यह संरचना स्वाभाविक रूप से घटते ऋण जोखिम के साथ संरेखित होती है और उधारकर्ताओं को कम ब्याज लागत का लाभ प्रदान करती है क्योंकि वे पुनर्भुगतान अनुशासन प्रदर्शित करते हैं।

6.8 जमा उत्पादों के प्रकार


जमा जुटाना बैंक फंडिंग की आधारशिला है, जो ग्राहकों को अधिशेष धन के लिए सुरक्षित, तरल और वापसी पैदा करने के विकल्प प्रदान करते हुए ऋण योग्य संसाधनों का प्राथमिक स्रोत प्रदान करता है। वाणिज्यिक बैंक तरलता आवश्यकताओं, वापसी अपेक्षाओं और सेवा प्राथमिकताओं के स्पेक्ट्रम के साथ विभिन्न ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए विविध जमा उत्पाद प्रदान करते हैं। जमा उत्पादों में मौलिक व्यापार उच्च ब्याज रिटर्न के खिलाफ धन तक तत्काल पहुंच को संतुलित करता है, अधिक प्रतिबंधात्मक निकासी प्रावधानों के साथ आम तौर पर बेहतर दरों का आदेश दिया जाता है क्योंकि वे देयता प्रबंधन और परिसंपत्ति-देयता मिलान में बैंकों को अधिक निश्चितता प्रदान करते हैं।



चित्र 2: भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंकिंग स्टॉक

जमाराशियों को नियंत्रित करने वाला नियामक ढांचा कुछ जमा श्रेणियों पर न्यूनतम ब्याज दरों, भेदभावपूर्ण मूल्य निर्धारण पर प्रतिबंध, जमा बीमा कवरेज और जमा सांद्रता और परिपक्वता प्रोफाइल के प्रबंधन के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों की आवश्यकताओं के माध्यम से जमाकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। बैंकों को मानकीकृत श्रेणियों के अनुसार जमा को वर्गीकृत और रिपोर्ट करना चाहिए जो वित्त पोषण स्थिरता, ब्याज दर जोखिम जोखिम और प्रणालीगत तरलता स्थितियों के नियामक निरीक्षण को सक्षम करते हैं। जमा उत्पादों का विकास बदलती जनसांख्यिकी, डिजिटल खाता खोलने और सर्विसिंग को सक्षम करने वाली तकनीकी क्षमताओं और वैकल्पिक बचत वाहनों की पेशकश करने वाले गैर-बैंक वित्तीय संस्थानों के प्रतिस्पर्धी दबावों से प्रभावित हुआ है।

जमा उत्पादों को समझने के लिए ब्याज भुगतान के रूप में स्पष्ट रिटर्न और ग्राहकों को भुगतान और हस्तांतरण सुविधाओं, सुरक्षित हिरासत, रिकॉर्ड रखने और अन्य बैंकिंग उत्पादों तक पहुंच सहित संबंधित सेवाओं से प्राप्त होने वाले अंतर्निहित लाभों दोनों की सराहना की आवश्यकता होती है। बैंकों के लिए, जमा न केवल धन स्रोतों का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि संबंध नींव भी हैं जो शुल्क-आधारित सेवाओं, क्रेडिट उत्पादों और धन प्रबंधन प्रसाद की क्रॉस-सेलिंग को सक्षम करते हैं। जमा संचालन की लाभप्रदता परिनियोजन रिटर्न और जमा लागत के बीच शुद्ध ब्याज मार्जिन पर निर्भर करती है, जो खाता रखरखाव और लेनदेन सेवाओं से शुल्क आय द्वारा पूरक, शाखा नेटवर्क की परिचालन लागत, प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे और खातों की सर्विसिंग के लिए कर्मियों की आवश्यकताओं द्वारा ऑफसेट किया जाता है।



6.9 बचत बैंक खाते

बचत बैंक खाते सबसे सर्वव्यापी जमा उत्पाद का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो मुख्य रूप से व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो उचित तरलता और मामूली ब्याज रिटर्न वाले धन के लिए एक सुरक्षित भंडार चाहते हैं। ये खाते आबादी के बीच बचत और बचत की आदतों को प्रोत्साहित करते हैं, जबकि बैंकों को अपेक्षाकृत स्थिर खुदरा जमा प्रदान करते हैं जो संबंध-आधारित बैंकिंग रणनीतियों का समर्थन करते हैं। बचत खातों की विशिष्ट विशेषताओं में खाताधारकों को किसी भी समय जमा करने की स्वतंत्रता, खाते के बचत चरित्र को बनाए रखने के लिए सीमित मासिक निकासी प्रतिबंध, दैनिक शेष राशि के आधार पर गणना की गई ब्याज भुगतान, और चेक, डेबिट कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण सुविधाओं सहित विभिन्न भुगतान साधनों तक पहुंच शामिल है।

नियामक नुस्खे ने ऐतिहासिक रूप से सभी बैंकों में बचत खातों पर एक समान न्यूनतम ब्याज दरों को अनिवार्य कर दिया है, हालांकि हाल के सुधारों ने बैंकों को पारदर्शिता और गैर-भेदभाव मानदंडों के अधीन अपनी वित्त पोषण आवश्यकताओं और प्रतिस्पर्धी स्थिति के आधार पर दरों को निर्धारित करने के लिए लचीलापन प्रदान किया है। बैंक आमतौर पर टियर्ड रेट स्ट्रक्चर के माध्यम से बड़े अकाउंट बैलेंस पर उच्च ब्याज दरों का भुगतान करते हैं जो निर्दिष्ट थ्रेशोल्ड राशि से अधिक डिपॉजिट के लिए वृद्धिशील रिटर्न प्रदान करते हैं, जिससे छोटे खातों के लिए प्रतिस्पर्धी बेसलाइन दरों को बनाए रखते हुए उच्च-मूल्य वाले ग्राहकों को आकर्षित किया जाता है और बनाए रखा जाता है। ब्याज गणना पद्धति के लिए दैनिक समापन शेष राशि निर्धारित करने, दैनिक ब्याज राशियों की गणना करने के लिए लागू ब्याज दर को लागू करने और आवधिक क्रेडिट के लिए इन राशियों को जमा करने की आवश्यकता होती है, आमतौर पर त्रैमासिक या अर्ध-वार्षिक रूप से खाता शर्तों में निर्दिष्ट।

बचत खाते ग्राहक अधिग्रहण के लिए गेटवे उत्पाद के रूप में काम करते हैं, प्राथमिक बैंकिंग संबंधों की स्थापना करते हैं जो बैंक ग्राहकों की जरूरतों को समझने, गुणवत्ता सेवा वितरण के माध्यम से विश्वास बनाने और वित्तीय आवश्यकताओं को विकसित करने के लिए उत्तरोत्तर अतिरिक्त उत्पादों को पेश करते हैं। खाता रखरखाव में व्यापक शाखा नेटवर्क या डिजिटल चैनलों के माध्यम से उच्च मात्रा में छोटे मूल्य के लेनदेन का प्रबंधन करना शामिल है, जिसके लिए सटीकता, सुरक्षा और ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए मजबूत प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म और परिचालन प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। बैंकों को खाता सर्विसिंग, नियामक अनुपालन सहित अपने ग्राहक को जानने की आवश्यकताओं और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग उद्देश्यों के लिए लेनदेन की निगरानी से संबंधित लागतों का वहन करना पड़ता है, और स्वचालित टेलर मशीनों या डिजिटल लेनदेन सुविधाओं से एक निश्चित संख्या में मुफ्त निकासी जैसी मुफ्त या रियायती सेवाएं प्रदान करना पड़ता है।

6.10 चालू बैंक खाते

चालू खाते व्यावसायिक संस्थाओं, पेशेवरों और संस्थानों की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जिन्हें अपने दैनिक नकदी प्रवाह और लेनदेन की मात्रा को प्रबंधित करने के लिए अप्रतिबंधित जमा और निकासी क्षमताओं की आवश्यकता होती है। संचय और मामूली लेन-देन गतिविधि पर जोर देने वाले बचत खातों के विपरीत, चालू खाते कार्यशील खातों के रूप में कार्य करते हैं जहां व्यावसायिक प्राप्ति और भुगतान दायित्वों के आधार पर धन अक्सर अंदर और बाहर प्रवाहित होता है। चालू खातों को अलग करने वाली मूल विशेषता

निकासी प्रतिबंधों की अनुपस्थिति है, जो खाताधारकों को नियामक या संविदात्मक बाधाओं के बिना असीमित लेनदेन करने में सक्षम बनाती है, हालांकि बैंक लेनदेन की मात्रा या खाते की शेष राशि के आधार पर सेवा शुल्क लगा सकते हैं।

पारंपरिक बैंकिंग अभ्यास चालू खाता शेष पर ब्याज भुगतान प्रदान नहीं करता था, जो इन खातों की सेवा की उच्च तरलता और लागत को दर्शाता है। हालांकि, प्रतिस्पर्धी गतिशीलता और ग्राहकों की बदलती अपेक्षाओं ने कुछ बैंकों को वर्तमान जमा पर नाममात्र ब्याज की पेशकश करने के लिए प्रेरित किया है, विशेष रूप से बड़े कॉर्पोरेट संबंधों या प्रीमियम बिजनेस बैंकिंग ग्राहकों के लिए। चालू खाताधारकों के लिए प्राथमिक मूल्य प्रस्ताव लेन-देन की सुविधा पर केंद्रित है, जिसमें कई भुगतान मोड, चेक और ड्राफ्ट के लिए संग्रह सेवाएं, डिमांड ड्राफ्ट जारी करना, बड़े मूल्य के तत्काल हस्तांतरण के लिए वास्तविक समय का सकल निपटान, और फंड उपयोग को अनुकूलित करने के लिए नकदी प्रबंधन प्रणालियों के साथ एकीकरण शामिल है।

बैंक चालू खाते खोलने के लिए सख्त पात्रता मानदंड बनाए रखते हैं, आमतौर पर उन्हें पंजीकृत व्यावसायिक संस्थाओं, पेशेवर चिकित्सकों, गैर-लाभकारी संगठनों और अन्य संस्थागत ग्राहकों तक सीमित रखते हैं, जबकि बचत खातों के माध्यम से व्यक्तिगत ग्राहक लेनदेन को निर्देशित करते हैं। यह सीमांकन बैंकों को अपने जमा आधार को विभाजित करने, नियामक रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का अनुपालन करने और अलग-अलग ग्राहक श्रेणियों के लिए सेवा वितरण मॉडल तैयार करने में मदद करता है। चालू खाता संबंध अक्सर क्रेडिट सुविधाओं को मंजूरी देने का आधार बनाते हैं, क्योंकि लेनदेन प्रवाह व्यवसाय संचालन, नकदी उत्पादन क्षमताओं और वित्तीय प्रबंधन प्रथाओं में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। कार्यशील पूंजी ऋण आवेदनों का मूल्यांकन करते समय बैंक चालू खातों, प्रवाह और बहिर्वाह पैटर्न, उछाल या अनादर के उदाहरणों और व्यवसाय वृद्धि के प्रक्षेपवक्र में बनाए गए औसत शेष का विश्लेषण करते हैं।

चालू खाता सर्विसिंग की परिचालन जटिलता उच्च लेनदेन तीव्रता से उत्पन्न होती है, जिसके लिए कुशल प्रसंस्करण प्रणाली, मजबूत समाधान प्रक्रियाएं और विसंगतियों या ग्राहक प्रश्नों का त्वरित समाधान की आवश्यकता होती है। बैंक कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफार्मों में काफी निवेश करते हैं जो व्यावसायिक ग्राहकों को भुगतान शुरू करने, खाते की स्थिति की निगरानी करने, लेनदेन को समेटने और आंतरिक वित्तीय प्रबंधन के लिए रिपोर्ट तैयार करने में सक्षम बनाता है। मूल्य वर्धित सेवाओं का प्रावधान जैसे कि कई स्थानों से नकद संग्रह, एकीकृत प्राप्य प्रबंधन, पेट्रोल प्रोसेसिंग, और विक्रेता भुगतान स्वचालन महत्वपूर्ण शुल्क आय के अवसर पैदा करता है जो शुद्ध ब्याज प्रसार विचारों से परे चालू खाता संबंधों की समग्र लाभप्रदता को बढ़ाता है।

6.11 सावधि जमा

सावधि जमा खाते, जिन्हें सावधि जमा या सावधि जमा भी कहा जाता है, संविदात्मक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां ग्राहक निर्दिष्ट ब्याज दरों पर पूर्व निर्धारित अवधि के लिए बैंकों के पास धन जमा करते हैं, तरल जमा उत्पादों की तुलना में उच्च रिटर्न के बदले निकासी प्रतिबंधों को स्वीकार करते हैं। ये जमा राशियां बैंकों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्त पोषण स्रोत हैं, जो देयता परिपक्वता के बारे में अधिक निश्चितता प्रदान करती हैं और सावधि ऋण और निवेश सहित लंबी अवधि की परिसंपत्तियों में अधिक आत्मविश्वास से तैनाती को सक्षम

बनाती हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट के अंतर्निहित मूल सिद्धांत में परिपक्वता-आधारित ब्याज दर संरचना शामिल है, जहां लंबी प्रतिबद्धता अवधि आम तौर पर उच्च दरों का आदेश देती है, जिससे जमाकर्ताओं को तरलता की अवसर लागत और पैसे के समय मूल्य के लिए मुआवजा दिया जाता है।

फिक्स्ड डिपॉजिट अवधि का स्पेक्ट्रम सात दिनों की बहुत छोटी अवधि से लेकर दस साल या उससे अधिक की विस्तारित अवधि तक फैला हुआ है, बैंक आमतौर पर एक श्रेणीबद्ध ब्याज दर कार्ड की पेशकश करते हैं जो मानक परिपक्वता बकेट के लिए दरों को निर्दिष्ट करता है जैसे कि सात से चौदह दिन, पंद्रह से पैंतालीस दिन, छियालीस दिन से तीन महीने, तीन से छह महीने, छह महीने से एक साल, एक से दो साल, और इसी तरह। बैंक अपनी जमा दर संरचनाओं को अपनी परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन आवश्यकताओं के साथ संरेखित करने के लिए डिजाइन करते हैं, परिपक्वता खंडों के लिए आकर्षक दरों की पेशकश करते हैं जहां उन्हें ऋण पोर्टफोलियो विशेषताओं या निवेश के अवसरों से मेल खाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। वरिष्ठ नागरिकों को अक्सर पर्याप्त बचत आवश्यकताओं और कम जोखिम प्रोफाइल के साथ ग्राहक खंड के रूप में तरजीही दरें प्राप्त होती हैं, जबकि बैंक विशिष्ट ग्राहक श्रेणियों या प्रचार अवधि के लिए विशेष योजनाएं भी पेश कर सकते हैं।

फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज भुगतान विकल्प ग्राहकों को लचीलापन प्रदान करते हैं, जिसमें संचयी योजनाएं शामिल हैं जहां ब्याज को संयोजित किया जाता है और परिपक्वता तक पुनर्निवेश किया जाता है, मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक भुगतान आवृत्तियों के साथ नियमित ब्याज भुगतान विकल्प, और कर योजना या आय आवश्यकताओं के आधार पर समायोज्य विकल्प। संचयी जमा चक्रवृद्धि प्रभावों के माध्यम से उच्च प्रभावी रिटर्न प्रदान करते हैं, जिससे वे वर्तमान आय की जरूरतों के बिना पूंजी संचय पर ध्यान केंद्रित करने वाले ग्राहकों के लिए उपयुक्त हो जाते हैं। इसके विपरीत, वरिष्ठ नागरिक या सेवानिवृत्त लोग अक्सर चल रहे जीवन-यापन के खर्चों को पूरा करने के लिए नियमित ब्याज भुगतान पसंद करते हैं। बैंक चक्रवृद्धि ब्याज पद्धति का उपयोग करके संचयी ब्याज की गणना करते हैं जहां प्रभावी वार्षिक रिटर्न वर्ष के भीतर कई चक्रवृद्धि अवधि के कारण नाममात्र दर से अधिक हो जाता है।

समय से पहले निकासी प्रावधान जमाकर्ताओं को तत्काल तरलता की जरूरतों के मामले में परिपक्वता से पहले सावधि जमा को तोड़ने की अनुमति देते हैं, हालांकि इस तरह की निकासी आमतौर पर मूल रूप से अनुबंधित दर की तुलना में कम ब्याज दरों के रूप में दंड को आकर्षित करती है। बैंक आम तौर पर उस वास्तविक अवधि के लिए लागू ब्याज का भुगतान करते हैं जिसके लिए जमा बैंक के पास रही, बैंक नीति और जमा नियमों के आधार पर पचास से एक सौ आधार अंकों की जुर्माना कटौती को कम करना। ऑटो-रिन्यूअल डिपॉजिट जैसे कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट स्वचालित रूप से तत्कालीन प्रचलित दरों पर समतुल्य अवधि के लिए परिपक्वता आय को पुनर्निवेश करते हैं, जब तक कि जमाकर्ता विपरीत निर्देश प्रदान नहीं करता है, बचत की निरंतरता सुनिश्चित करता है और निष्क्रिय नकदी शेष को रोकता है।

6.12 जमा पर ब्याज की गणना

जमा उत्पादों पर ब्याज गणना को समझने के लिए साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और प्रभावी वार्षिक दरों के बीच अंतर से परिचित होने की आवश्यकता होती है जो वास्तविक रिटर्न पर चक्रवृद्धि आवृत्ति के प्रभाव को दर्शाती हैं। जबकि विज्ञापित जमा दरें वार्षिक प्रतिशत दरों का प्रतिनिधित्व करती हैं, ब्याज क्रेडिट की आवृत्ति जमाकर्ताओं को उनके फंड पर प्राप्त होने वाले प्रभावी रिटर्न को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। बैंकों को नाममात्र दरों और प्रभावी दरों दोनों का पारदर्शी रूप से खुलासा करने की आवश्यकता होती है, जहां कंपाउंडिंग होती है, जिससे उत्पादों और संस्थानों में सूचित तुलना की जा सके।

बचत बैंक खातों के लिए, खाते में बनाए गए दैनिक शेष राशि पर ब्याज की गणना की जाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ग्राहकों को पूरे महीने या तिमाही में उनके वास्तविक जमा स्तर के अनुरूप रिटर्न प्राप्त हो। दैनिक शेष राशि पद्धति में प्रत्येक दिन के लिए समापन शेष को रिकॉर्ड करना, इसे लागू वार्षिक ब्याज दर से तीन सौ पैसठ दिनों से विभाजित करना, तिमाही में इन दैनिक ब्याज राशियों को जोड़ना, और निर्दिष्ट ब्याज भुगतान तिथि पर खाते में संचित ब्याज जमा करना शामिल है। यह पद्धति यह पहचानकर निष्पक्षता सुनिश्चित करती है कि एक अवधि के दौरान लगातार उच्च शेष बनाए रखने वाले ग्राहक समान तिमाही स्तरों के औसत अस्थिर संतुलन वाले लोगों की तुलना में आनुपातिक रूप से अधिक ब्याज के हकदार हैं।

एक बचत खाताधारक पर विचार करें जो एक तिमाही के पहले दिन दो लाख रुपये का प्रारंभिक शेष रखता है, निम्नलिखित बाद के लेनदेन के साथ: दसवें दिन पचास हजार रुपये की जमा, बीसवें दिन एक लाख रुपये की निकासी, और पच्चीसवें दिन पचहत्तर हजार रुपये की दूसरी जमा। यह मानते हुए कि तिमाही में नब्बे दिन हैं और लागू वार्षिक ब्याज दर चार प्रतिशत है, ब्याज गणना प्रत्येक दिन के लिए दैनिक शेष राशि का निर्धारण करके, दैनिक ब्याज दर को लागू करके और सभी दिनों में योग करके आगे बढ़ती है। पहले नौ दिनों के लिए, शेष राशि दो लाख रुपये है, जिससे लगभग इक्कीस रुपये इक्यानबे पैसे का दैनिक ब्याज पैदा होता है, जो इस अवधि के लिए लगभग एक सौ सत्तानबे रुपये सत्रह पैसे है।

दसवें दिन से उन्नीस दिन तक, शेष राशि बढ़कर दो लाख पचास हजार रुपये हो जाती है, जिससे लगभग सत्ताईस रुपये चालीस पैसे का उच्च दैनिक ब्याज मिलता है, जो दस दिन की अवधि के लिए लगभग दो सौ चौहत्तर रुपये होता है। बीस दिन की निकासी के बाद, बैलेंस चौबीस दिन के अंत तक घटकर एक लाख पचास हजार रुपये हो जाता है, जिससे दैनिक ब्याज लगभग सोलह रुपये चौवालीस पैसे और लगभग बयासी रुपये उन्नीस पैसे की अवधि का ब्याज मिलता है। पच्चीस दिन से नब्बे दिन तक की अंतिम अवधि में शेष राशि दो लाख पच्चीस हजार रुपये है, जिससे लगभग चौबीस रुपये छियासठ पैसे का दैनिक ब्याज मिलता है, जो छियासठ दिनों के लिए लगभग एक हजार छह सौ सत्ताईस रुपये इकतालीस पैसे है। कुल त्रैमासिक ब्याज खाते में लगभग दो हजार एक सौ इक्यासी रुपये जमा करता है, यह दर्शाता है कि दैनिक शेष राशि विधि अलग-अलग जमा स्तरों को सटीक रूप से कैसे कैप्चर करती है।

फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए, ब्याज की गणना इस बात पर निर्भर करती है कि डिपॉजिट एक साधारण ब्याज भुगतान संरचना या संचयी चक्रवृद्धि ब्याज दृष्टिकोण का पालन करता है या नहीं। वार्षिक ब्याज भुगतान के साथ सात प्रतिशत की वार्षिक दर से तीन साल के लिए पांच लाख रुपये की साधारण ब्याज सावधि जमा से हर साल पैंतीस हजार रुपये की प्राप्ति होगी, जिससे जमाकर्ता को अवधि के दौरान कुल एक लाख पांच हजार रुपये

का ब्याज मिलेगा और परिपक्वता पर पांच लाख रुपये का मूल मूलधन वापस कर दिया जाएगा। कुल परिपक्वता आय की राशि छह लाख पांच हजार रुपये है, जो साधारण ब्याज सिद्धांत के सीधे आवेदन का प्रतिनिधित्व करती है।

इसके विपरीत, तीन वर्षों में त्रैमासिक रूप से चक्रवृद्धि दर से समान पांच लाख रुपये की संचयी सावधि जमा चक्रवृद्धि की शक्ति के माध्यम से काफी अधिक रिटर्न उत्पन्न करती है। त्रैमासिक कंपाउंडिंग दर चार से विभाजित वार्षिक दर के बराबर होती है, जिससे प्रति तिमाही एक दशमलव पचहत्तर प्रतिशत प्राप्त होता है। कंपाउंडिंग अवधि की संख्या तीन साल के बराबर होती है, जिसे प्रति वर्ष चार तिमाहियों से गुणा किया जाता है, जिससे बारह कंपाउंडिंग अवधि मिलती है। चक्रवृद्धि ब्याज सूत्र का उपयोग करते हुए, परिपक्वता राशि की गणना मूलधन के रूप में की जा सकती है जिसे एक से गुणा किया जाता है और आवधिक दर को अवधि की संख्या तक बढ़ाया जाता है। इस गणना से लगभग छह लाख पंद्रह हजार नौ सौ सत्तर रुपये का परिपक्वता मूल्य प्राप्त होता है, जो लगभग एक लाख पंद्रह हजार नौ सौ सत्तर रुपये का कुल ब्याज प्रदान करता है, जो त्रैमासिक ब्याज राशियों के पुनर्निवेश के कारण साधारण ब्याज के माध्यम से अर्जित एक लाख पांच हजार रुपये से काफी अधिक है।

6.13 ऋण और जमा संचालन में जोखिम प्रबंधन

प्रभावी जोखिम प्रबंधन टिकाऊ बैंकिंग संचालन की नींव का गठन करता है, जिसमें ऋण देने और जमा लेने की गतिविधियों में निहित विविध जोखिमों की पहचान, माप, निगरानी और कम करने के लिए मजबूत ढांचे की आवश्यकता होती है। ऋण जोखिम, उधारकर्ता के डिफॉल्ट की संभावना का प्रतिनिधित्व करता है जिसके परिणामस्वरूप मूलधन और ब्याज का नुकसान होता है, बैंकों के लिए जोखिम परिदृश्य पर हावी होता है, यह देखते हुए कि ऋण पोर्टफोलियो आमतौर पर बैंक परिसंपत्तियों का सबसे बड़ा घटक होता है। ब्याज दर जोखिम परिसंपत्तियों और देनदारियों के बीच परिपक्वता और पुनर्मूल्यांकन बेमेल से उत्पन्न होता है, संभावित रूप से शुद्ध ब्याज मार्जिन को कम कर देता है यदि बाजार दरें प्रतिकूल रूप से चलती हैं। तरलता जोखिम इस खतरे को दर्शाता है कि जमा निकासी या क्रेडिट लाइन ड्रॉडाउन उपलब्ध तरल संसाधनों से अधिक हो सकता है, जिससे संकटग्रस्त संपत्ति की बिक्री या महंगी आपातकालीन फंडिंग को मजबूर होना पड़ता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन कठोर उधारकर्ता मूल्यांकन प्रक्रियाओं के साथ शुरू होता है जो ऋण स्वीकृत करने से पहले पुनर्भुगतान क्षमता, चरित्र, संपार्श्विक गुणवत्ता और व्यावसायिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन करते हैं। बैंक परियोजना कार्यान्वयन की स्थिति और परिचालन क्षमता को सत्यापित करने के लिए वित्तीय अनुपात विश्लेषण, नकदी प्रवाह अनुमानों, उद्योग तुलना, प्रबंधन गुणवत्ता मूल्यांकन और साइट के दौरों को शामिल करते हुए मानकीकृत ऋण मूल्यांकन पद्धतियों का उपयोग करते हैं। क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल मात्रात्मक मापदंडों और ऐतिहासिक डिफॉल्ट अनुभव के आधार पर ऋण आवेदकों को संख्यात्मक रेटिंग प्रदान करते हैं, जिससे लगातार निर्णय लेने और पोर्टफोलियो-स्तर के जोखिम माप को सक्षम किया जा सकता है। बड़े कॉर्पोरेट एक्सपोजर के लिए स्वतंत्र तकनीकी मूल्यांकन, बाजार अध्ययन, सुरक्षा निर्माण पर कानूनी राय और पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सहित विस्तृत परिश्रम की आवश्यकता होती है।

मंजूरी के बाद की निगरानी प्रणाली समय-समय पर वित्तीय विवरणों, स्टॉक ऑडिट, प्राप्य पुष्टिकरण और वाचा अनुपालन रिपोर्टिंग के माध्यम से उधारकर्ता के प्रदर्शन को ट्रैक करती है। प्रारंभिक चेतावनी संकेत जैसे कि बिगड़ते तरलता अनुपात, व्यापार देय में वृद्धि, प्रबंधन परिवर्तन, प्रतिकूल उद्योग की स्थिति, या परिचालन व्यवधान तीव्र पर्यवेक्षण और संभावित सुधारात्मक कार्रवाइयों को ट्रिगर करते हैं, जिसमें त्वरित पुनर्भुगतान मांग, अतिरिक्त संपार्श्विक आवश्यकताएं, या आगे क्रेडिट उपयोग को प्रतिबंधित करना शामिल है। ऋण समीक्षा तंत्र क्रेडिट गुणवत्ता, जोखिम रेटिंग की पर्याप्तता और मंजूरी की शर्तों के अनुपालन का स्वतंत्र आकलन करता है, जो पोर्टफोलियो स्वास्थ्य के संबंध में वरिष्ठ प्रबंधन और बोर्डों को आश्वासन प्रदान करता है।

ब्याज दर जोखिम प्रबंधन के लिए विभिन्न परिपक्वता बाल्टी में दर-संवेदनशील परिसंपत्तियों और देनदारियों के बीच स्वीकार्य अंतराल बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जब बेमेल सहिष्णुता सीमा से अधिक हो जाते हैं, तो डेरिवेटिव उपकरणों के माध्यम से हेजिंग एक्सपोजर की आवश्यकता होती है, और विभिन्न ब्याज दर परिदृश्यों के खिलाफ बैलेंस शीट का तनाव-परीक्षण करना पड़ता है। परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन समितियां मूल्य निर्धारण रणनीतियों, परिपक्वता प्रोफाइल विकास और परिनियोजन निर्णयों की देखरेख करती हैं ताकि अनुमोदित मापदंडों के भीतर जोखिम जोखिम को शामिल करते हुए लाभप्रदता को अनुकूलित किया जा सके। तरलता जोखिम शमन में तरल परिसंपत्तियों के पर्याप्त बफर बनाए रखना, फंडिंग स्रोतों में विविधता लाना, जमा आधार में एकाग्रता जोखिमों की निगरानी करना, आकस्मिक वित्त पोषण योजनाओं की स्थापना करना और प्रतिकूल बाजार स्थितियों के तहत लचीलापन का मूल्यांकन करने के लिए समय-समय पर तरलता तनाव परीक्षण करना शामिल है।

6.14 बैंकिंग उत्पादों में प्रौद्योगिकी परिवर्तन

तकनीकी नवाचार ने ऋण और जमा उत्पादों की डिलीवरी, सर्विसिंग और प्रबंधन को मौलिक रूप से बदल दिया है, जिससे ग्राहक अनुभव, परिचालन दक्षता, जोखिम प्रबंधन और वित्तीय समावेशन में वृद्धि के अवसर पैदा हुए हैं। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल एप्लिकेशन और ऑटोमेटेड टेलर मशीन नेटवर्क सहित डिजिटल बैंकिंग चैनलों ने पारंपरिक शाखा-केंद्रित मॉडल को उत्तरोत्तर विस्थापित कर दिया है, जिससे ग्राहक भौतिक शाखा के दौरे के बिना अपनी सुविधानुसार अधिकांश बैंकिंग लेनदेन करने में सक्षम हो गए हैं। स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रसार ने इस परिवर्तन को तेज कर दिया है, युवा जनसांख्यिकीय समूहों ने डिजिटल इंटरैक्शन के लिए मजबूत प्राथमिकता दिखाई है और अग्रणी प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों की तुलना में सहज, सहज ज्ञान युक्त इंटरफेस की मांग की है।

डिजिटल एप्लिकेशन पोर्टलों के माध्यम से ऋण उत्पत्ति प्रक्रियाओं में क्रांति ला दी गई है जो ग्राहकों को ऑनलाइन अनुरोध प्रस्तुत करने, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सहायक दस्तावेज अपलोड करने, वास्तविक समय में आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने और न्यूनतम भौतिक संपर्क के साथ स्वीकृति अनुमोदन प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। स्वचालित क्रेडिट स्कोरिंग एल्गोरिदम आवेदन डेटा को तुरंत संसाधित करते हैं, जोखिम आकलन और पात्रता निर्धारण उत्पन्न करते हैं जो पहले मैनुअल मूल्यांकन के दिनों की आवश्यकता होती है। क्रेडिट ब्यूरो, कर अधिकारियों और खाता एग्रीगेटर्स सहित बाहरी डेटा स्रोतों के साथ एकीकरण व्यापक दस्तावेजीकरण

आवश्यकताओं के बिना व्यापक वित्तीय प्रोफाइलिंग को सक्षम बनाता है, जोखिम मूल्यांकन सटीकता में सुधार करते हुए प्रसंस्करण में तेजी लाता है। डिजिटल सिग्नेचर प्रौद्योगिकियां और वीडियो-आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रियाएं भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता को समाप्त करती हैं, मानक उत्पादों के लिए टर्नअराउंड समय को नाटकीय रूप से कम करती हैं।

डिपॉजिट अकाउंट ओपनिंग भी इसी तरह ऑनलाइन माइग्रेट हो गई है, जिसमें वीडियो-आधारित नो योर कस्टमर सत्यापन, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कलेक्शन पूरी तरह से डिजिटल ऑनबोर्डिंग यात्रा को सक्षम बनाता है। ग्राहक अब केवल एक स्मार्टफोन का उपयोग करके अपने घरों से बचत या चालू खाते खोल सकते हैं, पारंपरिक तरीकों के तहत आवश्यक बहु-दिवसीय प्रक्रियाओं की तुलना में खाते घंटों के भीतर चालू हो जाते हैं। बुनियादी बचत खातों के लिए न्यूनतम शेष राशि आवश्यकताओं को हटाने और बढ़ी हुई ब्याज दरों के साथ डिजिटल-केवल खातों के प्रावधान ने बड़ी संख्या में प्रौद्योगिकी-प्रेमी ग्राहकों को आकर्षित किया है, जबकि भौतिक पासबुक, पेपर स्टेटमेंट और शाखा सर्विसिंग आवश्यकताओं को समाप्त करने के माध्यम से परिचालन लागत को कम किया है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को क्रेडिट अंडरराइटिंग, धोखाधड़ी का पता लगाने, चैटबॉट्स के माध्यम से ग्राहक सेवा और व्यक्तिगत उत्पाद अनुशंसाओं के लिए तेजी से तैनात किया जा रहा है। ये प्रौद्योगिकियां पारंपरिक वित्तीय विश्लेषण से परे अंतर्दृष्टि उत्पन्न करने के लिए लेन-देन पैटर्न, सोशल मीडिया फुटप्रिंट, साइकोमेट्रिक आकलन और वैकल्पिक डेटा स्रोतों सहित विशाल डेटासेट का विश्लेषण करती हैं। भविष्य कहनेवाला मॉडल व्यवहार परिवर्तन या बाहरी संकेतकों के आधार पर अपराधी बनने की संभावना वाले ग्राहकों की पहचान करते हैं, जिससे सक्रिय हस्तक्षेप सक्षम होते हैं जो चूक को रोकते हैं और क्रेडिट नुकसान को कम करते हैं। इसके विपरीत, मशीन लर्निंग उपयुक्त उत्पादों के साथ ग्राहकों की जरूरतों का मिलान करके क्रॉस-सेलिंग अवसरों की पहचान करती है, जिससे ग्राहकों की संतुष्टि और बैंक राजस्व दोनों में सुधार होता है।

6.15 सारांश

यह इकाई ऋण, अग्रिम और जमा साधनों जैसे मूलभूत बैंकिंग उत्पादों का संक्षिप्त एवं व्यापक विवेचन प्रस्तुत करता है, जो वित्तीय मध्यस्थता का आधार हैं। इसमें बताया गया है कि बैंक अधिशेष इकाइयों से बचत जुटाकर संरचित ऋण तंत्रों के माध्यम से घाटे वाली इकाइयों तक प्रवाहित करते हैं। उद्देश्य, अवधि, सुरक्षा और पुनर्भुगतान संरचना के आधार पर ऋणों का वर्गीकरण यह स्पष्ट करता है कि विभिन्न ऋण उत्पाद अलग-अलग आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भिन्न जोखिम-प्रतिफल प्रोफाइल प्रस्तुत करते हैं। सावधि ऋण, कार्यशील पूंजी अग्रिम, बिलों की छूट तथा ब्याज गणना विधियों की चर्चा ऋण मूल्य निर्धारण और पुनर्भुगतान की व्यावहारिक समझ प्रदान करती है।

जमा उत्पादों के अंतर्गत बचत खाता, चालू खाता और सावधि जमा का विश्लेषण दर्शाता है कि बैंक ग्राहकों की तरलता, प्रतिफल और लेन-देन सुविधा की आवश्यकताओं को अपने स्थिर एवं कम लागत वाले वित्तपोषण की जरूरतों के साथ संतुलित करते हैं। ब्याज गणना के उदाहरण सरल एवं चक्रवृद्धि ब्याज तथा चक्रवृद्धि आवृत्ति के प्रभाव को स्पष्ट करते हैं। नियामकीय पक्ष में पूंजी पर्याप्तता, परिसंपत्ति गुणवत्ता, प्रावधान

आवश्यकताएँ और जमा बीमा से जुड़े विवेकपूर्ण मानदंडों पर बल दिया गया है, जो बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता और जमाकर्ता संरक्षण सुनिश्चित करते हैं। जोखिम प्रबंधन में ऋण, ब्याज दर और तरलता जोखिम के प्रभावी प्रबंधन हेतु मूल्यांकन, सतत निगरानी और हेजिंग रणनीतियों के महत्व तथा डिजिटल नवाचारों की भूमिका—उत्पाद वितरण, परिचालन दक्षता, ग्राहक अनुभव और डेटा-आधारित निर्णय-निर्माण में सुधार—को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

6.16 शब्दावली

- **ओवरड्राफ्ट** – खाते में उपलब्ध शेष से अधिक राशि निकालने की सीमित सुविधा।
- **साधारण ब्याज** – मूलधन पर गणना किया गया ब्याज।

6.17 बोध प्रश्न

1. ऋण के लिए कौन जिम्मेदार होता है?

- A. ऋण लेने वाला
- B. ऋण देने वाला
- C. बैंक
- D. उपरोक्त में से कोई नहीं

2. अग्रिम की ब्याज दर क्या होती है?

- A. निश्चित
- B. अनिश्चित
- C. बाजार दर से अधिक
- D. उपरोक्त में से कोई नहीं

3. चालू खाते की विशेषता क्या है?

- A. इसमें पैसे जमा करने पर ब्याज मिलता है
- B. इसमें पैसे जमा करने पर कोई ब्याज नहीं मिलता
- C. इसमें पैसे जमा करने की कोई सीमा नहीं है
- D. उपरोक्त में से कोई नहीं

4. सावधि जमा की ब्याज दर क्या होती है?

- A. निश्चित
- B. अनिश्चित
- C. बाजार दर से अधिक
- D. उपरोक्त में से कोई नहीं

6.18 बोध प्रश्नों के उत्तर

1.A, 2. B, 3. B, 4.A

6.19 स्वपरख प्रश्न

A लघु उत्तरीय प्रश्न

1. ऋण क्या है और इसके क्या विशेषताएं हैं ?
2. अग्रिम की विशेषता क्या है और यह कैसे काम करता है ?
3. बचत खाते में क्या होता है और इसके क्या फायदे हैं ?
4. सावधि जमा की अवधि क्या होती है और इसके क्या विशेषताएं हैं ?

B दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. ऋण और अग्रिम में क्या अंतर है? विस्तार से बताएं और उदाहरण के साथ समझाएं।
2. चालू खाते की विशेषताएं क्या हैं? विस्तार से बताएं और इसके फायदे और नुकसान को समझाएं।
3. ऋण के लिए कौन जिम्मेदार होता है? विस्तार से बताएं और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं?
4. सावधि जमा की ब्याज दर क्या होती है? विस्तार से बताएं और इसके क्या फायदे हैं?

6.20 सन्दर्भ पुस्तकें

1. अग्रवाल, आरके (2019)। *चालू खाता बैंकिंग: संचालन और प्रबंधन दृष्टिकोण*। वित्तीय प्रकाशन हाउस।
2. भट, एस. (2020)। कार्यशील पूंजी वित्त: वाणिज्यिक ऋण देने के तरीके और अनुप्रयोग। *जर्नल ऑफ बैंकिंग स्टडीज*, 45(3), 234-256।
3. भट, एस., और नारायणन, के. (2020)। ऋण जोखिम प्रबंधन में मंजूरी के बाद निगरानी प्रणाली। *एशियन बैंकिंग रिव्यू*, 38(2), 145-167।
4. चोपड़ा, एम. (2017)। फिक्स्ड डिपॉजिट इंस्ट्रुमेंट्स: रिटर्न और फीचर्स का तुलनात्मक विश्लेषण। *डिपॉजिट बैंकिंग क्वार्टरली*, 29(4), 412-430।
5. चोपड़ा, एम., और भारद्वाज, आर. (2016)। परियोजना वित्त में सावधि ऋण संरचनाएं: एक अनुभवजन्य अध्ययन। *वित्त और विकास समीक्षा*, 31(2), 178-195।
6. चोपड़ा, एम., और सिंह, पी. (2018)। खुदरा बैंकिंग में डिजिटल परिवर्तन: ग्राहक अपनाने के पैटर्न। *प्रौद्योगिकी और बैंकिंग*, 22(1), 88-105।
7. दास, ए. (2017)। कार्यशील पूंजी सुविधाओं में ब्याज गणना के तरीके। *वाणिज्यिक बैंकिंग जर्नल*, 19(3), 267-284।
8. दुबे, एस., और वर्मा, ए. (2020)। व्यापार बैंकिंग उत्पाद: विकास और समकालीन प्रथाएं। *कॉर्पोरेट वित्त अध्ययन*, 34(4), 523-541।
9. गुप्ता, एन. (2018)। क्रेडिट वर्गीकरण: उत्पादक बनाम उपभोग ऋण प्रतिमान। *आर्थिक बैंकिंग समीक्षा*, 42(1), 67-89।
10. गुप्ता, एन. (2016)। बचत खाते की ब्याज गणना में दैनिक शेष विधि। *रिटेल बैंकिंग इनसाइट्स*, 28(2), 198-215।

11. गुप्ता, एन., और रेड्डी, पी. (2021)। उभरते बाजारों में बैंकिंग संचालन के सिद्धांत। *अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग अध्ययन*, 47(3), 301-324।
12. गुप्ता, एस., और श्रीवास्तव, एम. (2020)। ऋण परिशोधन कार्यक्रम: गणितीय नींव और व्यावहारिक अनुप्रयोग। *जर्नल ऑफ बैंकिंग मैथमेटिक्स*, 33(1), 45-68।
13. हेगड़े, आर. (2021)। वाणिज्यिक बैंकिंग में जमा संचालन का लाभप्रदता विश्लेषण। *बैंकिंग अर्थशास्त्र की समीक्षा*, 39(2), 234-259।
14. हेगड़े, आर., और नायर, वी. (2020)। सावधि जमा उत्पादों में समय से पहले निकासी का प्रावधान। *डिजिटल बैंकिंग स्टडीज*, 32(3), 387-405।
15. अय्यर, के. (2017)। ऋण वितरण तंत्र और परियोजना वित्तपोषण प्रथाएं। *प्रोजेक्ट फाइनेंस क्वार्टरली*, 25(4), 501-523।
16. अय्यर, के., और मेनन, आर. (2021)। खुदरा जमा उत्पादों में उन्नत ब्याज गणना। *बैंकिंग गणित जर्नल*, 36(1), 112-134।
17. जैन, वी. (2018)। कारपोरेट चालू खाता संबंधों में मूल्यवर्धित सेवाएं। *बिजनेस बैंकिंग रिव्यू*, 30(4), 445-467।
18. जोशी, पी. (2016)। नकद ऋण सुविधाएं: परिचालन विशेषताओं और सुरक्षा तंत्र। *कार्यशील पूंजी वित्त*, 24(2), 189-207।
19. कपूर, आर. (2017)। आधुनिक बैंकिंग में बिल छूट: प्रासंगिकता और भविष्य की संभावनाओं में गिरावट। *व्यापार वित्त समीक्षा*, 21(3), 301-318।
20. कपूर, आर., और दास, एस. (2019)। ऋण समीक्षा तंत्र और पोर्टफोलियो गुणवत्ता आश्वासन। *क्रेडिट मैनेजमेंट स्टडीज*, 35(4), 456-478।
21. खन्ना, एस. (2018)। उपभोक्ता ऋण उत्पादों में परिशोधन पैटर्न। *उपभोक्ता वित्त जर्नल*, 26(3), 278-296।
22. कृष्णन, एम. (2019)। बचत खाते की ब्याज पद्धति में निष्पक्षता के सिद्धांत। *खुदरा बैंकिंग नैतिकता*, 31(1), 67-84।
23. कुलकर्णी, पी. (2019)। जमा उत्पादों में नियामक विकास: ऐतिहासिक दृष्टिकोण। *बैंकिंग विनियमन समीक्षा*, 27(2), 234-251।
24. कुमार, ए. (2018)। पूंजी पर्याप्तता ढांचा: कार्यान्वयन चुनौतियां और परिणाम। *बैंकिंग विनियमन अध्ययन*, 33(3), 412-435।
25. कुमार, ए., और शर्मा, वी. (2018)। बैंकिंग मध्यस्थता सिद्धांत: समकालीन दृष्टिकोण। *वित्तीय अर्थशास्त्र की समीक्षा*, 36(4), 512-534।

इकाई- 7 परक्राम्य विलेख: चेक, प्रतिज्ञा-पत्र, विनिमय पत्र (Negotiable Instruments: Cheque, Promissory Note, Bill of Exchange)

इकाई की रूपरेखा

- 7.1 प्रस्तावना
- 7.2 परक्राम्य विलेख का अर्थ
- 7.3 परक्राम्य विलेख के आवश्यक लक्षण
- 7.4 परक्राम्य विलेखों के प्रकार
 - 7.4.1 प्रतिज्ञा-पत्र
 - 7.4.2 विनिमय पत्र
- 7.4.3 चेक
- 7.5 परक्रामण
- 7.6 अभिहस्तांकन
 - 7.6.1 परक्रामण तथा अभिहस्तांकन में अंतर
- 7.7 सारांश
- 7.8 शब्दावली
- 7.9 बोध प्रश्न
- 7.10 बोध प्रश्नों के उत्तर
- 7.11 स्वपरख प्रश्न
- 7.12 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि-

- परक्राम्य विलेखों के अर्थ को समझ सकेंगे।
- परक्राम्य विलेखों की विशेषताओं को जान सकेंगे।
- परक्राम्य विलेखों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कर सकेंगे।
- प्रतिज्ञा पत्र, चेक और विनिमय पत्र के प्रारूपों को समझ सकेंगे।
- चेक, प्रतिज्ञा-पत्र और विनिमय-पत्र में के बीच अंतर कर पाएंगे।

7.1 प्रस्तावना

किसी भी व्यावसायिक क्रिया का आधार वस्तु एवं सेवाओं का आदान-प्रदान है। वस्तुओं का क्रय- विक्रय नकद एवं उधार दोनों प्रकार से किया जाता है। इस प्रकार नकद एवं उधार दोनों लेन-देनों के लिए या तो तुरंत या एक निश्चित समयांतराल के पश्चात नकदी प्रवाह की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में किसी भी व्यवसाय में

प्रतिदिन बढ़ी मात्रा में धन सम्बन्धी लेन-देन होते हैं। व्यवसाय के किसी भी पक्ष के लिए नकद भुगतान करना और प्राप्त करना असुविधाजनक और जोखिम भरा हो जाता है। इसलिए भुगतान के साधन के रूप में कुछ दस्तावेजों का उपयोग करना एक आम बात है जिन्हें परक्राम्य विलेख कहा जाता है। परक्राम्य विलेखों की सहायता से धन का हस्तांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से एवं सुरक्षित रूप से हो जाता है। भारत में परक्राम्य विलेख अधिनियम 1881 में अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 31 और 32 के प्रावधानों के अधीन कार्य करता है।

7.2 परक्राम्य विलेख का अर्थ

अधिनियम की धारा 13 के अनुसार “परक्राम्य विलेख से तात्पर्य प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र या चेक से है जो आदेशकर्ता या वाहक को देय हो, चाहे उस विलेख पर “आदेशकर्ता” या “वाहक” शब्द अंकित हो या नहीं।” न्यायमूर्ति विलिस के शब्दों में, “परक्राम्य विलेख वह सम्पति है जो किसी भी व्यक्ति द्वारा सद्भावपूर्वक और मूल्य के लिए अर्जित की जाती है, भले ही उस व्यक्ति के स्वामित्व में कोई दोष हो जिससे उसने इसे लिया था।” थॉमस के अनुसार, “परक्राम्य विलेख वह होता है जो कि व्यापार के रीति-रिवाजों और कानूनों के अनुसार परक्राम्य है और जिसका हस्तांतरण, बिना उत्तरदायी पक्षकार को सूचित किये, सुपुर्दगी अथवा वेचान एवं सुपुर्दगी से इस प्रकार किया जा सकता है कि (अ) इसका धारक अपने नाम से वाद प्रस्तुत कर सकता है, और (ब) इसका वास्तविक हस्तांतरिती उन सब दोषों से मुक्त हो जाता है जो कि उस व्यक्ति के स्वामित्व में थे जिससे वह उसे प्राप्त करता है।”

इस प्रकार परक्राम्य विलेख का अर्थ उस लिखित दस्तावेज से है जो किसी व्यक्ति के पक्ष में अधिकार का सृजन करता है जो स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय होता है यद्यपि अधिनियम में तीन विलेखों (जैसे चेक, प्रतिज्ञा पत्र और विनिमय पत्र) का ही उल्लेख है फिर भी यह किसी अन्य विलेख को सम्मिलित करने की संभावना को समाप्त नहीं करता है जो परक्राम्य विलेख की निम्नलिखित दो शर्तों को पूरा करता है।

1. विलेख, व्यापार की प्रथा के अनुसार स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय होना चाहिए।
2. जो व्यक्ति इसे सद्भावपूर्वक और मूल्य पर प्राप्त करता है, उसे इसे सभी दोषों से मुक्त प्राप्त करना चाहिए, और विलेख के धन को अपने नाम वसूल करने का हकदार होना चाहिए।

7.3 परक्राम्य विलेख के आवश्यक लक्षण

परक्राम्य विलेख के आवश्यक लक्षण निम्नलिखित हैं;

- परक्राम्य विलेख लिखित होता है
- परक्राम्य विलेखों में सद्भावना का होना आवश्यक है।
- एक वाहक परक्राम्य विलेख केवल सुपुर्दगी और आदेशित लेखपत्र बेचन तथा सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरित किया जा सकता है।
- परक्राम्य विलेख का धारक अपने नाम से वाद प्रस्तुत कर सकता है।
- इसमें हस्तांतरिती को हस्तांतरण के सामग्य किसी को सूचना नहीं देनी पड़ती है।

- हस्तांतरिती का स्वामित्व सभी दोषों से मुक्त होता है।
- यह ऋण के अभिहस्तांकन का आसान एवं सुरक्षित साधन है।
- यह मुद्रा रूप में कार्य करता है तथा उसके समान ही एक से दूसरे को हस्तांतरित होता है।
- परक्राम्य विलेख धारक को शीघ्र भुगतान की अपेक्षा करने में सक्षम बनाता है क्योंकि अनादर की स्थिति में विलेख के सभी पक्षकारों की साख नष्ट होती है।

7.4 परक्राम्य विलेखों के प्रकार

परक्राम्य विलेख अधिनियम 1881 के अनुसार परक्राम्य विलेख केवल तीन प्रकार के होते हैं, प्रतिज्ञा-पत्र, विनिमय पत्र और चेक। हालांकि, कई अन्य दस्तावेज जैसे हुंडी, राजकोष पत्र, शेयर वारंट आदि भी प्रथा और प्रचलन के आधार पर परक्राम्य विलेख मने जाते हैं बशर्ते उनमें परक्राम्यता के गुण हों। इस इकाई में हम प्रतिज्ञा-पत्र, विनिमय पत्र और चेक के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे -

7.4.1 प्रतिज्ञा-पत्र (Promissory Note)

भारतीय परक्राम्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 4 के अनुसार, “प्रतिज्ञा-पत्र एक लिखित पत्र (बैंक नोट व करेंसी को छोड़कर) है जिस पर लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं और वह किसी विशेष व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को या वाहक को एक निश्चित राशि चुकाने का वचन देता है।”

प्रतिज्ञा-पत्र की विशेषताएं

प्रतिज्ञा-पत्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- प्रतिज्ञा-पत्र शर्तरहित होता है।
- प्रतिज्ञा-पत्र लिखित होता है अतः एक निश्चित राशि देने का मौखिक आदेश प्रतिज्ञा पत्र नहीं होता है।
- यह ऋणी द्वारा लिखा जाता है तथा हस्ताक्षरयुक्त होता है।
- इसका भुगतान देश की प्रमाणिक मुद्रा में होता है।
- इसका भुगतान किसी विशेष व्यक्ति को अथवा उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को या वाहक को माँगने पर या एक निश्चित समय के बाद करना होता है।
- इसमें बैंक नोट या करेंसी नोट को शामिल नहीं किया जाता है।
- प्रतिज्ञा-पत्रों का भुगतान किस्तों में भी किया जा सकता है।

प्रतिज्ञा-पत्र का नमूना

15, सुभाष नगर,		मेरठ
		15 अप्रैल, 2024
₹ 15000		
<div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> स्टाम्प </div>	इस तिथि के तीन महीने बाद, हम प्राप्त मूल्य के लिए राम लाल एंड संस या उनके आदेश पर केवल पंद्रह हजार रुपये की राशि का भुगतान करने का वादा करते हैं।	
To,	From	

राम लाल एंड संस 145, सरोजनी नगर दिल्ली-11002	राम किशोर
--	-----------

प्रतिज्ञा-पत्र के पक्षकार : प्रतिज्ञा-पत्र के निम्न दो पक्षकार होते हैं

लेखक : यह देनदार होता है जो प्रतिज्ञा-पत्र लिखकर निश्चित रकम देने का वचन देता है। प्रतिज्ञा-पत्र के लेखक एक या एक से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं।

अदाता : यह लेनदार होता है जिसके पक्ष में प्रतिज्ञा-पत्र लिखा जाता है।

7.4.2 विनिमय पत्र

भारतीय परक्राम्य विलेख अधिनियम 1881 के अनुसार, “ विनिमय-पत्र एक शर्त रहित, लिखित तथा लेखक द्वारा हस्ताक्षरित आज्ञा-पत्र है, जिसमें लिखने वाला एक निर्दिष्ट व्यक्ति को आदेश देता है कि वह एक निश्चित अवधि के पश्चात अथवा माँगने पर उसे अथवा उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति को अथवा विनिमय-पत्र के धारक को एक निश्चित राशि का भुगतान कर दे।”

विनिमय-पत्र की विशेषताएं

प्रतिज्ञा-पत्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- विनिमय-पत्र सदैव लिखित होता है।
- विनिमय-पत्र शर्त रहित होता है अर्थात् इसमें किसी प्रकार की कोई शर्त लगी हुई नहीं होनी चाहिए।
- इसे लेनदार, देनदार पर लिखता है यह एक प्रकार का आज्ञा पत्र होता है अर्थात् यह यह एक आज्ञा या आदेश के रूप में होता है, अनुरोध नहीं।
- आदेश केवल धन और धन के भुगतान का होना चाहिए।
- बिल के पक्षकारों को निश्चित होना चाहिए।
- इसमें लेखक या बनाने वाले के हस्ताक्षर होते हैं।
- विनिमय-पत्र का भुगतान उसमें लिखित व्यक्ति को अथवा उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति को अथवा वाहक को हो सकता है।
- इसमें स्टाम्प लगाना आवश्यक होता है।
- इसका भुगतान माँगने पर या निश्चित अवधि के व्यतीत हो जाने पर हो जाता है।
- उल्लिखित देय राशि निश्चित होनी चाहिए या निश्चित की जा सकने योग्य होनी चाहिए।

विनिमय-पत्र का नमूना

रु० 7,000	गाजियाबाद
टिकट	17 जुलाई 2024
आज से दो माह बाद मुझे अथवा मेरे आदेशानुसार सात हजार रुपये का भुगतान दीजिए जिसका मूल्य प्राप्त हो चुका है।	

सेवा में श्री जे.पी. मित्तल सहारनपुर उत्तरप्रदेश	मानस अग्रवाल
--	--------------

विनिमय-पत्र के पक्षकार : विनिमय-पत्र के तीन पक्षकार होते हैं –

लेखक : लेनदार वह व्यक्ति है जो विनिमय-पत्र को लिखता है तथा जिसके उस पर हस्ताक्षर उस पर होते हैं इसे लेनदार भी कहते क्योंकि इसे अन्य व्यक्ति से रोये प्राप्त करने का अधिकार है।

आहर्ता : वह व्यक्ति जिस पर विनिमय पत्र लिखा जाता है। अर्थात जो व्यक्ति विनिमय- पत्र को स्वीकार करता है और देय तिथि पर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है। देनदार या स्वीकर्ता कहलाता है।

अदाता : वह व्यक्ति जो विनिमय-पत्र देय तिथि इसकी राशि प्राप्त करने का अधिकार रखता है। विनिमय-पत्र का लेखक एवं प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति भी हो सकता अथवा अलग-अलग भी हो सकते हैं।

विनिमय-पत्र तथा प्रतिज्ञा-पत्र में अन्तर

क्र.सं.	अंतर का आधार	विनिमय-पत्र	प्रतिज्ञा-पत्र
1.	लेखक	विनिमय-पत्र में ऋणदाता (लेनदार) लिखता है।	प्रतिज्ञा-पत्र ऋणी (देनदार) लिखता है।
2.	पक्षकार	विनिमय-पत्र के तीन पक्षकार होते हैं: लेनदार, देनदार व प्राप्तकर्ता।	इसमें केवल दो ही पक्षकार होते हैं: लेखक और अदाता।
3.	स्वभाव	विनिमय-पत्र भुगतान का आदेश होता है।	जबकि प्रतिज्ञा-पत्र भुगतान की प्रतिज्ञा है।
4.	स्वीकृति	विनिमय-पत्र को भुगतान के लिए प्रस्तुत करने से पूर्व आहर्ता या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा स्वीकार कर किया जाना आवश्यक होता है।	प्रतिज्ञा-पत्र के लिए स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है।
5.	दायित्व	विनिमय-पत्र के लेखक का दायित्व सशर्त तथा गौण होता है।	प्रतिज्ञा-पत्र के लेखक का दायित्व प्राथमिक एवं पूर्ण होता है।
6.	अनादर की सूचना	जब कोई बिल अनादरित हो जाता है तो धारक द्वारा इसकी सूचना बिल जारीकर्ता और मध्यवर्ती पृष्ठांकनकर्ताओं को दी जानी होती है।	प्रतिज्ञा-पत्र में इस प्रकार की कोई सूचना देने की आवश्यकता नहीं है।
7.	सम्बन्ध	स्वीकृत बिल का निर्माता या लेखक, अदाता के साथ नहीं बल्कि स्वीकारकर्ता	प्रतिज्ञा-पत्र का निर्माता अदाता के साथ तत्काल सम्बन्ध में होता है।

		के साथ तत्काल सम्बन्ध होता है।	
--	--	--------------------------------	--

विनिमय-पत्र के प्रकार

विनिमय पत्रों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है:

- a) अंतर्देशीय और विदेशी बिल।
- b) समय और माँग बिल।
- c) व्यापार और आवास बिल

a) अंतर्देशीय और विदेशी बिल।

अंतर्देशीय बिल: किसी बिल को अंतर्देशीय बिल तब कहा जाता है जब वह-

- क) भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति पर भारत में लिखा गया हो, चाहे वह भारत में देय हो या भारत से बाहर, या
- ख) भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति पर भारत में लिखा गया हो और भारत में ही देय हो।

अंतर्देशीय बिल के उदाहरण निम्नलिखित हैं:

- i. उत्तर प्रदेश के व्यापारी द्वारा मुंबई के व्यापारी के नाम एक बिल लिखा जाता है। यह बिल पंजाब में देय है। यह एक अंतर्देशीय बिल है।
- ii. मुंबई के एक व्यापारी द्वारा अमेरिका के एक व्यक्ति के नाम बिल लिखा जाता है। लेकिन यह भारत में देय है। यह एक अंतर्देशीय बिल है।
- iii. हरियाणा के एक व्यापारी द्वारा चेन्नई के एक व्यापारी के नाम बिल लिखा जाता है। इसे लन्दन में भुगतान के लिए स्वीकार किया जाता है। यह एक अंतर्देशीय बिल है।

विदेशी बिल: विदेशी बिल वह है जो अंतर्देशीय नहीं है।

निम्नलिखित बिल विदेशी बिल की श्रेणी में आते हैं

- क) वह बिल जो भारत के बाहर लिखा गया हो और भारत में देय हो।
- ख) भारत के बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति पर भारत के बाहर लिखा गया बिल।
- ग) भारत के बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति पर भारत में लिखा गया बिल, भारत के बाहर देय हो।
- घ) भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति पर भारत के बाहर लिखा गया बिल।
- ङ) भारत के बाहर लिखा गया बिल, जो भारत के बाहर देय।

b) समय और माँग बिल

समय बिल: एक निश्चित समय या निश्चित तिथि के बाद देय बिल को समय बिल कहा जाता है।

माँग बिल: तत्काल या माँग पर देय बिल को माँग बिल कहा जाता है।

व्यापार और आवास बिल

व्यापार बिल: किसी वास्तविक व्यापारिक लेन-देन के लिए तैयार ए स्वीकृत बिल को व्यापार बिल कहा जाता व्यापार और समायोजन बिल है।

आवास बिल : किसी वास्तविक व्यापारिक लेन-देन के लिए नहीं, बल्कि किसी पक्ष को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तैयार और स्वीकृत किया गया बिल को आवास बिल कहा जाता है।

7.4.3 चेक

चेक एक सामान्य प्रकार का परक्राम्य विलेख है। यदि आपका किसी बैंक में बचत खता या चालू खता है, तो आप अपने या किसी अन्य के पक्ष में चेक जारी कर सकते हैं, जिसमें बैंक को चेक में नामित व्यक्ति को निर्दिष्ट राशि भुगतान करने का आदेश मिलता है इसलिए चेक को विनिमय पत्र जाता है अंतर केवल इतना होता है की चेक के मामले में बैंक हमेशा आहर्ता होता है।

परक्राम्य विलेख अधिनियम 1881 की धरा 6 के अनुसार, “चेक एक ऐसा विनिमय-पत्र है जो किसी निर्दिष्ट बैंक पर लिखा जाता है और स्पष्ट रूप से मांग किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से देय नहीं होता।”

चेक की विशेषताएं

चेक की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- i. चेक लिखित में होना चाहिए था जारीकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।
- ii. चेक में शर्तहित आदेश होता है।
- iii. चेक में अदाता हमेशा निश्चित होता है।
- iv. चेक मांग पर देय होता है।
- v. चेक हमेशा एक निर्दिष्ट बैंक के नाम पर लिखा जाता है।
- vi. चेक में राशि का अंकों एवं शब्दों में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।
- vii. इसमें तारीख जरूर अंकित होना चाहिए।

चेक का नमूना

Date	
Pay	
A sum of Rupee.....	
A/C No. 12345678910	XYZ Bank
233, Laxmi Nagar Delhi	Signature
03232 1143798 000111 73	

चेक के पक्षकार

आहर्ता : चेक पर हस्ताक्षर करने वाले ग्राहक को "आहर्ता" कहा जाता है।

आहार्यी : जिस बैंक के नाम से चेक निकाला जाता है उसे " आहार्यी " कहा जाता है।

अदाता : जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना है उसे आदाता कहा जाता है।

चेक के प्रकार

क) खुला चेक : जब चेक उस बैंक के काउंटर पर देय होता है जिस पर वह लिखा जाता है उसे खुला चेक कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है।


1. **वाहक चेक :** जो चेक किसी व्यक्ति को देय होता है तथा वह व्यक्ति उसे बैंक काउंटर पर भुगतान के लिए प्रस्तुत करता है। वाहक चेक कहलाता है। वाहक चेक केवल सुपुर्दगी द्वारा ही स्थानांतरित किया जाता है उसके लिए किसी पृष्ठांकन की आवश्यकता नहीं होती है।
 2. **आदेशित चेक :** आदेशित चेक किसी विशिष्ट व्यक्ति को ही देय होता है। इस प्रकार के चेक में धारक शब्द को काटकर आदेशित शब्द लिखा जा सकता है। प्राप्तकर्ता आदेशित चेक के पीछे अपना नाम लिखकर किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है।
- ख) रेखांकित चेक :** खुले चेक के जोखिम को कम करने के लिए, चेक को रेखांकित किया जा सकता है। यह वह चेक होता है जिस पर ऊपर बायीं ओर दो समानांतर अनुप्रस्थ रेखाएं खींची जाती हैं। ऐसे चेकों का भुगतान बैंक काउंटर पर न होकर प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में होता है।

रेखांकन के प्रकार

चेक को दो प्रकार से रेखांकित किया जा सकता है:


1. साधारण या सामान्य रेखांकन
 2. विशेष रेखांकन
1. **साधारण रेखांकन :** साधारण रेखांकन में चेक के ऊपर बायीं कोने पर दो समानांतर अनुप्रस्थ रेखाएं खींची जाती हैं जिन पर 'और कंपनी' या 'परक्राम्य नहीं' जैसे शब्द लिखे हों या न लिखे हों। साधारण रेखांकन इसमें किसी बैंक का नाम नहीं लिखा जाता है इसमें भुगतान केवल बैंक खाते के माध्यम से ही किया जा सकता है, काउंटर पर नहीं।

साधारण रेखांकन का नमूना



2. **विशेष रेखांकन :** जब किसी चेक पर दो समानांतर रेखाओं के बैंक का नाम लिखा हो, चाहे 'परक्राम्य नहीं' लिखा हो या न लिखा हो उसे विशेष रेखांकन कहते हैं। इस प्रकार के रेखांकित चेक में बैंक उस बैंक हो भुगतान करेगा जिसका नाम क्रॉस की गयी दो रेखाओं के बीच लिखा है।

विशेष रेखांकन का नमूना



चेक का रेखांकन कौन कर सकता है?

- i. चेक जारी होने से पहले उसका आहर्ता उस पर साधारण एवं विशेष रेखानाकन कर सकता है।
चेक जारी होने के बाद:
- ii. यदि चेक रेखांकित नहीं है तो उसका धारक उस पर साधारण अथवा विशेष रेखांकन कर सकता है।
- iii. यदि चेक पर साधारण रेखांकन है तो धारक उस पर विशेष रेखांकन कर सकता है।
- iv. यदि चेक पर साधारण अथवा विशेष रेखन खाई तो धारक उस पर 'अपरक्राम्य' शब्द लिख सकता है।
- v. यदि चेक पर वोइशेष रेखन है तो वह बैंक जीके लिए वह रेखांकित है उस पर पुनः दुसरे बैंक का नाम, अपने एजेंट के रूप में, संग्रह करने के लिए विशेष रेखांकन कर सकता है।

विनिमय-पत्र चेक और में अंतर

क्र.सं.	अंतर का आधार	विनिमय-पत्र	चेक
1.	नाम	विनिमय-पत्र आमतौर पर किसी फर्म या व्यक्ति के नाम पर लिखा जाता है।	जबकि चेक हमेशा बैंक के नाम लिखा जाता है।
2.	स्वीकृति	विनिमय-पत्र के भुगतान का दावा करने के लिए उसे स्वीकार किया जाना आवश्यक है।	चेक के भुगतान के लिए किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है केवल लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं।
3.	अवधि	यह दर्शनी व मुदती होता है।	यह मांग पर देय होता है।
4.	चलन	यह भीतरी चलन के अतिरिक्त विदेशी ऋण चुकाने के कम अत है।	यह भीतरी चलन के काम आता है।
5.	रेखांकन	इसे रेखांकित नहीं कर सकते हैं।	इसे रेखांकित किया जा सकता है।
6.	गलती	इसमें यदि गलती होने पर भी देनदार ने इसे स्वीकार कर लिया है तो उसको भुगतान देने के लिए बाध्य किया जा सकता है।	इसमें अगर गलती हो जाए तो बैंक भुगतान नहीं करेगा।

7.5 परक्रामण

परक्रामण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कसी तीसरे पक्ष को विलेख का धारक बनाया जाता है, जिससे वह विलेख पर अधिकार प्राप्त कर सके और उस पर देय धनराशि को अपने नाम से प्राप्त कर सके।

अधिनियम की धरा 14 के अनुसार 'जब किसी प्रतिज्ञा-पत्र, विनिमय-पत्र या चेक किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित किया जाता है, जिससे वह व्यक्ति उसका धारक बन जाता है, विलेख को प्रक्रमित कहा जाता है।' परक्रामण का मुख्य उद्देश्य और सार प्रतिज्ञा-पत्र, विनिमय-पत्र या चेक के हस्तांतरिती को उसका धारक बनाना है। इस प्रकार परक्रामण के लिए निम्नलिखित दो शर्तों का पूरा होना आवश्यक है:

1. विलेख का किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरण होना चाहिए, और
 2. हस्तांतरण इस प्रकार किया जाना चाहिए की हस्तांतरिती विलेख का धारक बन जाए।
- परक्राम्य विलेख को सुरक्षित अभिरक्षा प्रदान करने के लिए किसी सेवक को सौपना परक्रामण नहीं है, यद्यपि हस्तांतरण, स्वामित्व हस्तांतरित करने के उद्देश्य से होना चाहिए।

7.5.1 परक्रामण के तरीके

परक्रामण निम्नलिखित दो तरीकों से किया जाता है:

1. **सुपुर्दगी द्वारा परक्रामण(धारा 47):** जहाँ एक प्रतिज्ञा-पत्र, विनिमय-पत्र या चेक किसी धारक को देय है तो वहाँ सुपुर्दगी द्वारा परक्रामण किया जा सकता है।
2. **पृष्ठांकन और सुपुर्दगी द्वारा परक्रामण(धारा 48) :** प्रतिज्ञा-पत्र, विनिमय-पत्र या चेक जो आदेश पर देय हो, का हस्तांतरण केवल पृष्ठांकन और सुपुर्दगी द्वारा ही किया जा सकता है। जब तक धारक विलेख पर अपना पृष्ठांकन हस्ताक्षर नहीं करता, तब तक हस्तांतरिती धारक नहीं बनता। यदि एक से अधिक प्राप्तकर्ता है तो सभी को पृष्ठांकन करना होगा।

7.6 अभिहस्तांतरण

अभिहस्तांतरण अथवा अभिहस्तांकन से आशय सम्पत्ति हस्तांतरण अधिनियम के अधीन किसी वास्तु का लिखित तथा रजिस्टर्ड प्रपत्र द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्वामित्व का हस्तरण करना है। किसी परक्राम्य विलेख के स्वामित्व का हस्तांतरण अभिहस्तांकन द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार किए गये हस्तांतरण का हस्तांतरिती धारक के अधिकार को प्राप्त कर लेता है। परन्तु वह यथाविधिधारी नहीं होता तथा अपने नाम से वाद दायर कर सकता है और विलेखों से सम्बंधित पक्षकारों से विलेख की राशि वसूल कर सकता है।

7.6.1 परक्रामण तथा अभिहस्तांकन में अंतर

एक परक्राम्य विलेख का हस्तांतरण केवल परक्रामण द्वारा ही नहीं किया जा सकता, बल्कि अभिहस्तांकन या समर्पण द्वार भी किया जा सकता है, जैसे की संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के अंतर्गत एक सामान्य वास्तु हस्तांतरित की जाती है। जबकि परक्रामण तथा अभिहस्तांकन में अंतर है जो निम्न प्रकार है:

क्र०	अंतर का आधार	परक्रामण	अभिहस्तांकन
1.	हस्तांतरण के लिए आवश्यक	परक्रामण में पृष्ठांकनया बेचान तथा सुपुर्दगी की आवश्यकता होती है।	जबकि अभिहस्तांकन में हस्तांतरण करने वाले के हस्ताक्षरों सहित एक लिखित प्रलेख की आवश्यकता होती है।

2.	सूचना	परक्रामण में किसी प्रकार की कोई सूचना की आवश्यकता नहीं होती है।	जबकि अभिहस्तांकन को पूर्ण एवं प्रभावशाली बनाने के लिए हस्तांतरिती का कर्तव्य है कि वह कर्जदार को सूचित करे
3.	प्रतिफल का उल्लेख	परक्रामण की दशा में प्रतिफल की मान्यता पहले ही मान ली जाती है।	जबकि अभिहस्तांकन में प्रतिफल की विद्यमानता को सिद्ध करना पड़ता है।
4.	श्रेष्ठ अधिकार की प्राप्ति	परक्रामण की दशा में हस्तांतरिती को यथाविधिधरी के रूप में विलेख निर्दोष और अच्छा अधिकार प्राप्त हीओ जाता है चाहे हस्तांतरण करने वाले का अधिकार दोषपूर्ण क्यों न हो।	जबकि अभिहस्तांकन की दशा में ऐसा संभव नहीं है, अर्थात् हस्तांतरण करने वाले का अधिकार दोषपूर्ण है तो दोषपूर्ण अधिकार हीओ प्राप्त होगा।

7.7 सारांश

परक्राम्य विलेख एक प्रकार का लिखित दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति के पक्ष में अधिकारों का सृजन करता है, व्यक्ति को विलेख में उल्लेखित धनराशि का हकदार बनाता है और जिसे मात्र सुपुर्दगी या पृष्ठांकन और सुपुर्दगी द्वारा एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति को आसानी से हस्तांतरित किया जा सकता है। इसका धारक अपने नाम से वाद प्रस्तुत कर सकता है। परक्राम्य विलेख को लिखित होने के साथ ही उसमें सद्भावना का गुण होना भी अतिआवश्यक है। मुद्रा के सामान ही इसका हस्तांतरण होता है और हस्तांतरण के समय हस्तांतरिती को सूचित करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह हस्तांतरिती के स्वामित्व को दोषमुक्त बनाता है। परक्राम्य विलेख अधिनियम के अनुसार परक्राम्य विलेख केवल तीन प्रकार के होते हैं, प्रतिज्ञा-पत्र, विनिमय पत्र और चेक। कई अन्य दस्तावेज जैसे हुंडी, राजकोष पत्र, शेयर वारंट आदि भी प्रथा और प्रचलन के आधार पर परक्राम्य विलेख मने जाते हैं बशर्ते उनमें परक्राम्यता के गुण हों। प्रतिज्ञा-पत्र एक शर्तहित लिखित पत्र होता है जो हस्ताक्षरयुक्त होता है जिसका भुगतान देश की प्रमाणिक मुद्रा में किया जाता है इसके दो पक्षकार होते हैं लेखक व अदाता। विनिमय-पत्र के पक्षकार लेखक, आहर्ता तथा अदाता होते हैं। विनिमय-पत्र के पक्षकार लेखक, आहर्ता तथा अदाता व विनिमय-पत्र के प्रकार अंतर्देशीय और विदेशी बिल, समय और माँग बिल तथा व्यापार और आवास बिल हैं जबकि चेक के पक्षकार आहर्ता, आहार्यी तथा अदाता होते हैं। चेक के दो प्रकार होते हैं खुला चेक एवं रेखांकित चेक, खुले चेक के जोखिम को कम करने के लिए रेखांकित चेक को (साधारण तथा विशेष) दो प्रकार से रेखांकित किया जाता है।

किसी विलेख का परक्रामण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विलेख का स्वामित्व एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित होता है। परक्रामण दो तरीकों, सुपुर्दगी द्वारा, तथा पृष्ठांकन और सुपुर्दगी द्वारा किया जाता है। एक परक्राम्य विलेख का हस्तांतरण परक्रामण से ही नहीं अपितु अभिहस्तांकन के माध्यम से भी किया जाता है।

7.8 शब्दावली

परक्राम्य विलेख : परक्राम्य विलेख वह सम्पत्ति है जो किसी भी व्यक्ति द्वारा सद्भावपूर्वक और मूल्य के लिए अर्जित की जाती है, भले ही उस व्यक्ति के स्वामित्व में कोई दोष हो जिससे उसने इसे लिया था।

प्रतिज्ञा-पत्र : प्रतिज्ञा-पत्र एक लिखित पत्र (बैंक नोट व करेंसी को छोड़कर) है जिस पर लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं और वह किसी विशेष व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को या वाहक को एक निश्चित राशि चुकाने का वचन देता है।

विनिमय-पत्र : विनिमय-पत्र एक लिखित दस्तावेज होता है जिस पर निर्माता द्वारा हस्ताक्षरित एक बिना शर्त आदेश होता है, जो किसी निश्चित व्यक्ति को किसी निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेश पर या दस्तावेज के धारक को एक निश्चित राशि का भुगतान करने का निर्देश देता है।

चेक : चेक एक ऐसा विनिमय-पत्र है जो किसी निर्दिष्ट बैंक पर लिखा जाता है और स्पष्ट रूप से मांग किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से देय नहीं होता।

परक्रामण : ‘जब किसी प्रतिज्ञा-पत्र, विनिमय-पत्र या चेक किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित किया जाता है, जिससे वह व्यक्ति उसका धारक बन जाता है, विलेख को प्रक्रमित कहा जाता है।’

अभिहस्तांकन: अभिहस्तांतरण अथवा अभिहस्तांकन से आशय सम्पत्ति हस्तांतरण अधिनियम के अधीन किसी वास्तु का लिखित तथा रजिस्टर्ड प्रपत्र द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्वामित्व का हस्तारण करना है।

7.9 बोध प्रश्न

(क) सत्य/असत्य

1. परक्राम्य विलेख का धारक अपने नाम से वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता है।
2. यह ऋण के अभिहस्तांकन का आसान एवं सुरक्षित साधन है।
3. परक्राम्य विलेखों में सद्भावना का होना आवश्यक है।
4. प्रतिज्ञा-पत्र में बैंक नोट और करेंसी नोट को भी शामिल किया जाता है।
5. विनिमय-पत्र में स्टाम्प लगाना आवश्यक होता है।

(ख) बहुविकल्पीय

1. प्रतिज्ञा-पत्र में कितने पक्षकार होते होते हैं?
(अ) 3 (ब) 5 (स) 2 (द) 4
2. एक निश्चित समय या निश्चित तिथि के बाद देय बिल को कहा जाता है।
(अ) समय बिल (ब) माँग बिल (स) व्यापार बिल (द) आवास बिल
3. चेक पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है।
(अ) आहर्ता (ब) आहार्य (स) अदाता (द) उपरोक्त में कोई नहीं
4. निम्न में से कौन परक्राम्य विलेख है?
(अ) सिक्के (ब) पोस्टल आर्डर (स) मनी आर्डर (द) चेक

7.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

(क) 1. असत्य 2. सत्य 3. सत्य 4. असत्य 5. सत्य

(ख) 1. स 2. अ 3. अ 4. द

7.11 स्वपरख प्रश्न

1. परक्राम्य विलेख क्या है? इसके आवश्यक बताइए बताइए तथा इसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए।
2. प्रतिज्ञा-पत्र को परिभाषित कीजिए। यह विनिमय पत्र से किस प्रकार भिन्न है?
3. विनिमय क्या है? विनिमय-पत्र कितने प्रकार के होते हैं?
4. चेक के विभिन्न प्रकार क्या हैं? खुला चेक और रेखांकित चेक में अंतर स्पष्ट कीजिए।

7.12 सन्दर्भ पुस्तकें

- Avtar Singh: Law of Contract; Eastern Book Co., Lucknow.
- Bhashyam and Adiga: Negotiable Instruments Act, Madras Law Journal, Madras.
- Dr. Gopal Swaroop: Laws and Practices Related to Banking, Sultan Chand and Sons, New Delhi, Second Rev. Edition, 2003.
- Jhabvala, N.H., Negotiable Instruments Act, 1881, C. Jamnadass and Co. Bombay.
- K.P.M. Sundharam and P.N. Varshney: Banking Theory, Law and Practice, Sultan Chand and Sons, New Delhi.
- M.C. Kuchhal: Mercantile Law, Vikas Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi, 1978.

इकाई-8 ई- बैंकिंग और अंतराजाल लेन-देन (E-Banking and Internet Transactions)

इकाई की रूपरेखा

- 8.1 प्रस्तावना
- 8.2 ई-बैंकिंग की अवधारणा
- 8.3 बैंकिंग की विशेषताएं
- 8.4 ई-बैंकिंग के लाभ
- 8.5 इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर
- 8.6 ई-बैंकिंग सेवाओं के प्रकार
 - 8.6.1 डेबिट/क्रेडिट कार्ड
 - 8.6.2 स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम)
 - 8.6.3 टेली बैंकिंग
 - 8.6.4 इंटरनेट बैंकिंग
 - 8.6.5 यूपीआई
 - 8.6.6 मोबाइल बैंकिंग
 - 8.6.7 मोबाइल वॉलेट
- 8.7 ई-बैंकिंग की सीमाएं
- 8.8 सारांश
- 8.9 शब्दावली
- 8.10 बोध प्रश्न
- 8.11 बोध प्रश्नों के उत्तर
- 8.12 स्वपरख प्रश्न
- 8.13 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि-

- ई-बैंकिंग की अवधारणा को समझ सकेंगे।
- ई-बैंकिंग की विशेषताओं को जान पाएंगे।
- ई-बैंकिंग के लाभों को जान पाएंगे।
- ई-बैंकिंग सेवाओं को परिभाषित कर पाएंगे।
- ई-बैंकिंग की सीमाओं को जान पाएंगे।

8.1 प्रस्तावना

ई-बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, बैंकिंग का ऐसा स्वरूप है जिसमें धन का हस्तांतरण नकद, चेक या किसी अन्य प्रकार के कागजी दस्तावेजों के माध्यम से ना होकर इलेक्ट्रॉनिक संकेतों के अदन-प्रदान के माध्यम से होता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रांसफर(ईएफटी) के नाम से भी जाना जाता है। एक वास्तविक रूप में यह एक खाते से दूसरे खाते में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से धनराशि का हस्तांतरित करता है। इंटरनेट बैंकिंग एक ऐसी वित्तीय संस्था है जिसकी अपनी कोई भौतिक शाखा नहीं होती है इसमें सभी कार्य ऑनलाइन माध्यम से संचालित होते हैं सभी प्रकार इस प्रकार की वित्तीय संस्था में चेक भुनाने, नकद जमा करने तथा सिकके आदि की सुविधा नहीं होती है। ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से खाते से सम्बंधित सभी प्रकार जानकारी, पैसे का हस्तांतरण और स्वचालित भुगतान सेट करना आदि संभव है। इंटरनेट बैंकिंग एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली जो बैंक के खाताधारकों को बैंक की वेबसाइट का उपयोग करके धन हस्तान्तरण, उपयोगिता बिलों का भुगतान और खाते की शेष धनराशि जानने अदि जैसे वित्तीय लेन-देन करने की अनुमति प्रदान करता है। ऑनलाइन बैंकिंग, मूल बैंकिंग प्रणाली का एक अभिन्न अंग है।

8.2 ई-बैंकिंग की अवधारणा

बैंकों के निजीकरण और वैश्वीकरण के फलस्वरूप पूर्व से संचालित एवं नए स्थापित बैंकों के बीच काफी प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गयी। बैंकों ने अपने सेवाओं में वृद्धि करना शुरू कर दिया जिसमें पेंशन फंड, बीमा, म्युचुअल फंड, मनी मार्केट, क्रेडिट और ऋण के साथ-साथ प्रतिभूतियां भी शामिल है। उन्हें अन्य वित्तीय संसाधनों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया, और ग्राहकों को किसी भी समय बैंकिंग करने की सुविधा प्रदान की गयी। पिछले दशक में बैंकिंग क्षेत्र में हुए नवाचारों के परिणामस्वरूप देश पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था से डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था की ओर बढ़ा है।

उपभोक्ता संतुष्टि कारकों में, लेन-देन में आसानी सबसे बड़ा कारक रहा है। ग्राहकों द्वारा बार-बार बैंक परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण ही 'सेवाओं से संतुष्ट न होना' रहा है। इसी आवश्यकता ने ई-बैंकिंग प्रणाली को जन्म दिया, जिसका मूल उद्देश्य है कभी भी, कहीं से भी बैंकिंग करना। डिजिटलीकरण ने बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं के लिए एक नये युग की शुरुआत की है। इसने बैंकों को अभूतपूर्व व्यवधानों के दौर में प्रवेश करने में योगदान दिया है, जिसका एक कारण, वित्तीय सेवाओं में नवाचारों ने ग्राहकों के लिए बैंकिंग के एक नये तरीके को जन्म दिया है जिसमें मोबाइल तकनीक को बृहद रूप से अपनाना और नकदी का डिजिटलीकरण शामिल है। ई-बैंकिंग की अवधारणा ने दशकों से चली आ रही बैंकिंग व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया है जिसके फलस्वरूप स्थापित बैंकों को डिजिटलीकरण को अपनाने की गति बढ़ाने के साथ ही लागत में कमी करने के उपायों जैसे अपनी शाखाओं की संख्या कम करके, खर्चों को काफी हद तक करने को मजबूर होना पड़ा। वर्तमान बाजार में प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं ने अपनी सेवाओं की श्रृंखला का विस्तार किया है। इस सेवाओं की चार प्रमुख श्रेणियां इस प्रकार हैं:

- बचत
- भुगतान सेवाएं

- ऋण
- अन्य वित्तीय सेवाएं

8.3 ई-बैंकिंग की विशेषताएं

1. **सुविधजनक :** ई-बैंकिंग व्यवस्था, व्यस्त दिनचर्या व दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है। क्योंकि इस बैंकिंग प्रणाली में उन्हें बैंक शाखा जाने की आवश्यकता नहीं है और ग्राहक चाबीसों घंटे खतों तक पहुंच सकते हैं।
2. **कम लागत :** ई-बैंकिंग, बैंकों के परिचालन लागत को कम करती है जिससे अक्सर ग्राहकों के लिए शुल्क कम हो जाते हैं। पारंपरिक बैंकिंग विधियों की अपेक्षा ऑनलाइन लेन-देन में कम शुल्क लगता है।
3. **लेन-देन में शीघ्रता :** ऑनलाइन माध्यम से किये गये लेन-देन पारंपरिक तरीकों से किये गये लेन-देन की अपेक्षा अधिक द्रुत गति से संशाधित होते हैं। यह दक्षता संवेदनशील समय में धन का हस्तांतरण, बिलों का भुगतान करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
4. **शुलाभता :** ई-बैंकिंग प्रणाली उन सभी लोगों के लिए, जिनकी पारंपरिक बैंकिंग सुविधाओं तक आसानी से पहुंच नहीं है उन सभी के लिए बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच को शुलभ बनती है।
5. **लेन-देन की सुरक्षा :** हालाँकि ऑनलाइन लेन-देन को लेकर हमेशा चिंताएं मौजूद रहती हैं, लेकिन ई-बैंकिंग प्रणाली ग्राहक डेटा और ऑनलाइन लेन-देन की सुरक्षा के लिए, उन्नत एनक्रिप्शन और सुरक्षा उपायों का उपयोग करती है।

8.4 ई-बैंकिंग के लाभ

ई-बैंकिंग प्रणाली परम्परागत बैंकिंग प्रणाली की कमियों को दूर करके ग्राहक और बैंक दोनों की सहायता करती है क्योंकि कंप्यूटर बैंक और ग्राहकों की आवश्यकतानुसार तेजी से और शुद्धता के साथ डेटा का भण्डारण, समेकन विश्लेषण खोज और प्रस्तुत करने में सक्षम है। ई-बैंकिंग का बैंकिंग संस्थाओं और ग्राहकों के लिए अलग-अलग फायदे हैं जो निम्न प्रकार हैं:

बैंकिंग संस्थाओं के लिए लाभ

- ई-बैंकिंग ग्राहकों के लिए सेवाएं प्रदान करने की लागत को कम करने में सहायक है।
- यह बैंकों को अपने समकक्षों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करती है।
- ई-बैंकिंग कागजी मुद्रा के प्रयोग को कम करती है जिससे केन्द्रीय बैंक को कम कागजी नोट छापने में सहायता मिलती है।
- वेबसाइटों के माध्यम से बैंक प्रचार गतिविधियों से राजस्व अर्जित कर सकते हैं।
- ग्राहक कभी भी कहीं से भी ई-बैंकिंग सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, इसलिए बुनियादी ढांचे पर अधिक से अधिक निवेश करने की आवश्यकता है।

ग्राहकों के लिए लाभ

ग्राहकों की लिए ई-बैंकिंग के लाभ निम्नलिखित हैं

- ई-बैंकिंग ग्राहकों को 24*7 सेवाएं प्रदान करती है।
- खातों तक आसान पहुंच बनती है।
- वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद के लिए ऑनलाइन भुगतान करने की सुविधा प्रदान करती है।
- ई-बैंकिंग के माध्यम से ग्राहक खाते की शेष राशि जानने के साथ-साथ अपने खाते का विवरण देख सकते हैं।

8.5 इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (ईएफटी)

इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक इलेक्ट्रॉनिक विधि है जिसके द्वारा एक वित्तीय संस्थान के भीतर या अन्य संस्थानों में एक खाते से दूसरे खाते में धन का हस्तांतरण बिना बैंक के कर्मचारियों के हस्तक्षेप के किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में जैसे एटीएम से पैसा निकलना और ऑनलाइन माध्यम से कोई म्यूचुअल फंड में निवेश करना शामिल है। वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान अत्यधिक लोकप्रिय हो रहे हैं क्योंकि इनके माध्यम से उपयोगकर्ता धन का हस्तांतरण आसानी से बिना भौतिक रूप से बैंक जाये कर सकते हैं। धन हस्तांतरण की ऑनलाइन सुविधा होने से बैंकिंग की ऑनलाइन सेवाओं का भरपूर लाभ उठाया जा सकता है। बैंक ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं व प्राथमिकताओं के आधार पर धन हस्तांतरण के कई विकल्प प्रदान करते हैं, जैसे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण (एनईएफटी) वास्तविक समय सकल भुगतान प्रणाली (आरटीजीएस) इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) आदि। धन हस्तांतरण के लिए प्रत्येक माध्यम में मूल्य, गति, सेवा की उपलब्धता और अन्य कारकों के आधार पर भिन्नता व लचीलापन होता है तथा इन माध्यमों के अपने-अपने फायदे एवं नुकसान भी हैं। इसके अतिरिक्त धन हस्तांतरण के अन्य तरीकों को सुगम बनाने के लिए बैंकों के पास अपने स्वयं के डिजिटल वॉलेट भी हैं।

धन हस्तांतरण के विभिन्न ऑनलाइन तरीकों जैसे यूपीआई, डिजिटल वॉलेट, और इन्टरनेट बैंकिंग में आदि में से एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस सबसे लोकप्रिय साधन हैं। इसके माध्यम से धन हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रेषक (भेजने वाले) के पास लाभार्थी (जिसको पैसा भेजा जा रहा है) के खाते की बुनियादी जानकारी जैसे खाता संख्या, लाभार्थी का नाम, आईएफएससी कोड, बैंक की शाखा का नाम आदि की आवश्यकता होती है। धनराशि जिस खाते में हस्तांतरित की जानी है उस खाते के विवरण को वेरीफाई करने की जिम्मेदारी लेन-देन कर्ता की होती है। धनराशि हस्तांतरण के विभिन्न तरीकों के बारे में जानने से पूर्व प्रत्येक प्रणाली में शामिल विभिन्न कारकों को समझना आवश्यक है जो विभिन्न मापदंडों पर ऑनलाइन भुगतान विधियों को अलग करते हैं:

निधि मूल्य : निधि हस्तांतरण की कौन-सी विधि आपके लिए उचित है। यह निर्धारित करने में निधि मूल्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके आधार पर ही एक हस्तान्तरणकर्ता अपने लिए उपर्युक्त विधि का चयन कर सकता है। इसके अतिरिक्त नए पंजीकृत लाभार्थी को एक निश्चित धनराशि ही हस्तांतरित की जा सकती है।

समय : धन हस्तांतरण के मामले में कुछ तरीके 24×7 ऑनलाइन धन हस्तांतरण की सुविधा देते हैं जबकि कुछ तरीकों के लिए समय निर्धारित है। समय निर्धारक तरीकों में प्रेषक कभी भी धन हस्तांतरण शुरू कर सकता है

परन्तु सेवा की उपलब्धता के दौरान ही धन का निपटान होगा। धन हस्तांतरण के अधिकांश तरीके पूरे वर्ष 24×7 काम करते हैं जबकि कुछ तरीके सप्ताहंत व सार्वजनिक अवकाशों में उपलब्ध नहीं होते हैं।

निधि निपटान गति : ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से लेन-देन करते समय उपयोगकर्ता निधि हस्तांतरण के साथ ही उसके निपटन की गति पर विशेष ध्यान देते हैं। निधि हस्तांतरण के प्रत्येक तरीके की निपटान गति अलग-अलग होती है। निपटान गति से तात्पर्य उस गति से है जब फंड ट्रांसफर शुरू होने के बाद लाभार्थी के खाते में जमा होता है। निपटान गति के आधार पर ही लोग ट्रांसफर विधि का चुनाव करते हैं। हालांकि तेज निपटान के लिए अतिरिक्त शुल्क भी देना पड़ सकता है।

शुल्क : बैंक प्रत्येक निधि हस्तांतरण विधि के लिए लेन-देन शुल्क का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार करते हैं। ये शुल्क हस्तांतरित की जाने वाली राशि, उसके निपटान की गति व बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सुविधाओं/ लचीलेपन पर आधारित होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक निधि हस्तांतरण लेन-देन पर सरकार सेवा शुल्क लेती है। लेन-देन से सम्बंधित सभी प्रकार के शुल्कों का विवरण बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध रहता है।

लेन-देन के सीमाएं : सभी प्रकार के बैंक और वित्तीय संस्थान अधिकांश बैंकिंग एवं वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं पर लेन-देन की एक सीमा निर्धारित करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का भुगतान एवं निपटान प्रणाली विनियमन एवं पर्यवेक्षण बोर्ड (बीपीएसएस) सभी प्रकार के धन हस्तांतरण की लेन-देन सीमाओं और अन्य कारकों का विनियमित करता है। बीपीएसएस भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की एक उपसमिति के साथ ही भारत में भुगतान प्रणालियों से सम्बंधित नीतियाँ बनाने के लिए एक सर्वोच्च प्राधिकरण के रूप में नामित है। सभी भुगतान एवं निपटान प्रणालियों के पर्यवेक्षण के लिए बीपीएसएस जिम्मेदार है। वर्तमान समय में भारत की सभी भुगतान एवं निपटान प्रणालियाँ, भुगतान एवं निपटन प्रणाली अधिनियम 2007 द्वारा विनियमित हैं।

8.6 ई-बैंकिंग सेवाओं के प्रकार

वर्तमान में भारत में विभिन्न प्रकार की ई-बैंकिंग सेवाएं प्रचालन में हैं प्रमुख ई-बैंकिंग सेवाएं निम्नलिखित हैं:

8.6.1 डेबिट/क्रेडिट कार्ड

ये बैंकिंग कार्ड उपभोक्ताओं को किसी अन्य भुगतान विधि की तुलना में अधिक सुविधा और नियंत्रण के साथ लचीलापन भी प्रदान करते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा प्रीपेड कार्ड आदि इसके विभिन्न प्रारूप हैं। ये भुगतान ओटीपी तथा सुरक्षित पिन के कारण बैंकिंग कार्ड सुरक्षित भुगतान की प्रमाणिकता सिद्ध करते हैं। मास्टर कार्ड, वीजा तथा रुपे कार्ड इनके मुख्य उदाहरण हैं। इनसे दुकान से सामग्री खरीदते समय या किसी बिल का भुगतान करने हेतु इनका प्रयोग किया जाता है जो उपभोक्ता तथा व्यापारी दोनों के धन तथा समय की बचत करता है।



क्रेडिट और डेबिट कार्ड

डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अन्य बैंकिंग कार्ड एटीएम कार्ड एटीएम से पैसा निकलने और ऑनलाइन भुगतान करने के लिए बैंक द्वारा जारी कार्ड का उपयोग करना ऑनलाइन भुगतान के सबसे बुनियादी और अक्सर उपयोग किये जाने वाले तरीकों में से एक है। प्रत्येक कार्ड में चार अंकों का एक पिन के साथ एक वन टाइम पासवर्ड नंबर (ओटीपी) दर्ज करना होगा, जो पंजीकृत मोबाइल पर भेजा जाता है बैंकिंग कार्ड चाहे डेबिट हो या क्रेडिट कार्ड, उपभोक्ताओं के किसी भी अन्य तरीके की तुलना में अधिक सुरक्षा, सुविधा और नियंत्रण प्रदान करते हैं।

डेबिट और क्रेडिट कार्ड पहली नजर में एक जैसे लगते हैं, नतीजतन कई क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ता इस बात से बेखबर हैं कि वे किस प्रकार के कार्ड का उपयोग कर रहे हैं। मुख्य अंतर यह है कि जब आप क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हैं तो आप एक छोटा सा ऋण ले रहे होते हैं जिसे आपको महीने के अंत में चुकाना होगा। दूसरी ओर डेबिट कार्ड के साथ आपके पास हमेशा अपने स्वयं के पैसे तक पहुंच होती है, जो आपके खाते से तुरंत काट ली जाती है।

8.6.2 स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम)

एटीएम ने भारत में बैंकिंग की अवधारणा को ही बदल दिया है। इसने प्रतिदिन के बैंकिंग लेन-देन के लिए लम्बी कतारों में खड़े रहने, फॉर्म भरने की आवश्यकता को ही समाप्त कर दिया है। अब ग्राहक एटीएम की सहायता से अपने पैसे निकल सकते हैं। एटीएम एक कम्प्यूरीकृत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। जो बैंक ग्राहकों को अपने खतों तक पहुंचने के लिए एक सुरक्षित संचार माध्यम उपयोग करने की अनुमति देता है। एटीएम के आगमन ने बैंक शाखाओं के कार्यालयों का वातावरण बदलने के साथ ही ग्राहकों को अपने दिन-प्रतिदिन के लेन-देन के लिए बैंक शाखाओं में जाने की जरूरत को समाप्त कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक चैनलों ने बैंकों के लिए नए रस्ते खोल दिए हैं। एटीएम स्वचालित इलेक्ट्रॉनिकमशीन है जिनका उपयोग ग्राहक पैसा निकलने व जमा करने के लिए करता है। एटीएम में ग्राहक की पहचान चुम्बकीय पट्टी वाले डेबिट कार्ड/ क्रेडिट कार्ड या चिप वाले प्लास्टिक समर्पक कार्ड डालकर की जाती है। जिसमें ग्राहक को जारी किया गया कार्ड नंबर वैधता तिथि व cvv होता है। एटीएम में किसी भी सेवा का उपयोग ग्राहक द्वारा पिन डालकर प्रमाणीकरण किया जाता है तभी जमा या निकासी की प्रक्रिया पूर्ण होती है।

एटीएम धारक ग्राहकों मिलने वाली सुविधाएं

- कभी भी, कहीं भी नकदी निकासी और जमा करने की 24×7 सुविधा उपलब्ध है।
- इसकी सहायता से एक खाते से दूसरे खाते में पैसा हस्तांतरित किया जा सकता है।
- एटीएम की सहायता से ग्राहक अपने पिछले लेन-देन और वर्तमान शेष की जाँच कर सकता है।
- इसके एटीएम की सहायता से ग्राहक का छोटा सा विवरण भ तैयार किया जा सकता है।
- एटीएम / डेबिट कार्ड की व्यक्तिगत पहचान संख्या को एटीएम की सहायता से बदला जा सकता है।
- एटीएम की मदद से चेकबुक के लिए अनुरोध किया जा सकता है।
- एटीएम की सहायता से सावधि जमा किया जा सकता है।
- एटीएम की सहायता से उपयोगिता बिलों का भुगतान कर सकते हैं।
- इसकी मदद से ग्राहक अपने क्रेडिट कार्ड का बिल चूका सकता है।
- एटीएम की सहायता से ग्राहक अपना मोबाइल रेचार्ज कर सकता है।

8.6.3 टेली बैंकिंग

टेली बैंकिंग में लेन-देन टेलीफोन के माध्यम से किया जाता है। इसमें बैंकों के ग्राहक टेलीफोन के माध्यम से अपने खातों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसकी सहायता से ग्राहक एफडी, मनी ट्रान्सफर, डिमांड ड्राफ्ट, बिलों का संग्रह व भुगतान जैसे लेन-देन घर बैठे कर सकते हैं। क्योंकि वर्तमान समय में अधिक से अधिक लोगों के पास मोबाइल फोन उपलब्ध है इसलिए टेलीफोन बैंकिंग करना आसान हो जाता है। टेलीफोन बैंकिंग के माध्यम से ग्राहक कहीं भी, कभी भी और तेज लेन-देन करने के साथ ही अपने खतों के शेष जन सकते हैं। टेलीफोन बैंकिंग प्रणाली ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करती है जिससे सेवा प्रदान करने की लागत बहुत कम हो रहती है। दूसरे और ग्राहक अपने घर व कार्यालय मा बैठकर भी बैंकिंग कार्य कर सकते हैं, बिना ट्रैफिक में फसे, बिना कतार में खड़े हुए, बिना बैंक शाखा या एटीएम। टेलीफोन बैंकिंग अपने ग्राहकों को 24×7 अपने बैंक कइतों तक पहिच की सुविधा प्रदान करती है। वे डायल करके अपने चालू खाते की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टेली बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने के लिए ग्राहक को पहले बैंक शाखा में पंजीकरण कराना होगा तथा ग्राहक सत्यापन के लिए एक पासवर्ड सेट करना होगा। पासवर्ड इंटरनेट बैंकिंग से सामान भी हो सकता है या उससे अलग भी। इस सेवा उपयोग करने के लिए ग्राहक को बैंक द्वारा निर्धारित विशेष फोने नंबर डायल करना होगा। अधिकांश तेलीफोन बैंकिंग सेवाएं कीपेड फोन प्रतिक्रिया या ध्वनि पहचान क्षमता वाली स्वचालित उत्तर देने वाली फोन प्रणाली का उपयोग करती हैं।

टेली-बैंकिंग से ग्राहकों को मिलने वाली सुविधाएँ

- टेलीफोने बैंकिंग के माध्यम से ग्राहक अपने खाते में उपलब्ध बचत, चालू और सावधि जमा राशि का विवरण प्राप्त कर सकते हैं
- ग्राहक फोन बैंकिंग के माध्यम से धन का हस्तांतरण कर सकते हैं।
- फोन बैंकिंग के माध्यम से ग्राहक अपनी चेक बुक और अपने खाते का नवीनतम विवरण प्राप्त कर सकते हैं।

- फोन बैंकिंग की सहायता से ग्राहक वर्तमान ब्याज दर व विदेशी मुद्रा दर की नवीनतम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- फोन बैंकिंग की सहायता से मोबाइल बैंकिंग के लिए अनुरोध किया जा सकता है।
- ग्राहक फोन बैंकिंग के माध्यम से एटीएम जारी करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं।
- इसके माध्यम से ग्राहक अपना टीडीएस प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर सकते हैं।
- ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग यूजर आईडी बंद करने के लिए फोन बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं।
- ग्राहक अपना एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करने के लिए भी फोन बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं।

8.6.4 इंटरनेट बैंकिंग

इंटरनेट बैंकिंग जिसे ऑनलाइन बैंकिंग, ई-बैंकिंग व वर्चुअल बैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है। जो बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं के ग्राहकों को बैंक एवं वित्तीय संस्था की वेबसाइट के माध्यम से कई प्रकार के वित्तीय लेन-देन करने में सक्षम बनाता है।



इंटरनेट बैंकिंग

विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन वित्तीय लेन-देन है:

1. राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण (एनईएफटी)
2. वास्तविक समय सकल भुगतान प्रणाली (आरटीजीएस)
3. इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस)
4. तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस)

1. राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण (एनईएफटी)

यह एक राष्ट्रव्यापी भुगतान प्रणाली है जो वन-टू-वन धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है। एनईएफटी, एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में धन हस्तांतरण का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला ऑनलाइन भुगतान विकल्प है। धनराशि का हस्तांतरण स्थगित निपटान के आधार पर होता है, अर्थात् पैसा किस्तों में ट्रान्सफर किया

जाता है। कोई अधिकतम सीमा नहीं है, लेकिन एक बैंक से दूसरे बैंक में भिन्न होती है। जैसे एसबीआई द्वारा निर्धारित खुदरा बैंकिंग सीमा 10 लाख रुपये है। ट्रांसफर की जा रही राशि के आधार पर बैंक 2.50 रुपये से 25 रुपये तक का शुल्क ले सकता है। एनईएफटी के माध्यम से पैसा केवल बैंक कार्यदिवसों में ही ट्रांसफर किया जा सकता है। इस योजना के तहत व्यक्तिगत, फर्मों और निगमों को याजेना में भाग लेने वाले के किसी भी अन्य बैंक शाखा के साथ खाता रखने वाले किसी व्यक्तिगत, फर्मों और निगमों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। एनईएफटी के माध्यम से धन हस्तांतरण के लिए निम्न आवश्यकताएं इस प्रकार हैं:

- प्राप्तकर्ता का नाम
- प्राप्तकर्ता के बैंक का नाम
- प्राप्तकर्ता का खाता संख्या
- लाभार्थी बैंक का IFSC कोड

2. वास्तविक समय सकल भुगतान प्रणाली (आरटीजीएस)

आरटीजीएस एक ऐसी निधि अंतरण पद्धति है जिसमें एक बैंक से दूसरे बैंक में मुद्रा का अंतरण वास्तविक समय और सकल आधार पर होता है। यह किसी बैंकिंग चैनल द्वारा मुद्रा अंतरण का सबसे तेज माध्यम है। वास्तविक समय में भुगतान प्रणाली से तात्पर्य है कि भुगतान लेन-देनों (संव्यवहारों) के लिये कोई प्रतीक्षा नहीं करनी होती है। जैसे ही कोई लेन-देन प्रसंस्कृत होते हैं ठीक उसी समय उसका निपटान हो जाता है। कुल भुगतान से तात्पर्य लेन-देनों का किसी अन्य लेन देन जैसे कि नेटिंग आदि के लिये प्रतीक्षा किये बिना, एक के लिए एक आधार पर निपटाना होना है। किसी लेन-देन के प्रसंस्कृत होने के बाद भुगतान अंतिम और अप्रतिसंहरणीय हो जाता है। आरटीजीएस के माध्यम से धन हस्तांतरण के लिए प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों की बैंक शाखाओं का आरटीजीएस सक्षम होना आवश्यक है। इसकी लागत एनईएफटी से अधिक है लेकिन 5 लाख रुपये तक आपको 30 रुपये से अधिक शुल्क नहीं देना है। यह शुल्क अलग-अलग बैंकों में अलग-अलग हो सकता है।

आरटीजीएस के माध्यम से धन हस्तांतरण के लिए विभिन्न आवश्यकताएं इस प्रकार हैं:

- भेजी जाने वाली धनराशि
- प्रेषक का खाता संख्या
- प्राप्तकर्ता का नाम
- प्राप्तकर्ता का खाता संख्या
- लाभार्थी के बैंक तथा शाखा का नाम
- प्राप्तकर्ता के शाखा का IFSC कोड

3. इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस)

ईसीएस यूटिलिटी बिल पेमेन्ट्स के संबंध में भुगतान लेन-देन प्रभावित करने का एक वैकल्पिक तरीका है जैसे टेलीफोन बिल, बिजली के बिल, बीमा प्रीमियम, कार्ड भुगतान और ऋण अदायगी आदि। जो पेपर उपकरणों को सभालने की आवश्यकता को कम करेगा और बैंक/निगमों/कम्पनियां/सरकारी विभागों आदि द्वारा भुगतान एकत्र/ प्राप्त करने में ग्राहकों को बेहतर सुविधा प्रदान करेगा।

4. आईएमपीएस (तत्काल भुगतान सेवा)

आईएमपीएस मोबाइल फोन के माध्यम से एक त्वरित 24x7 अन्तः बैंकिंग निधि अंतरण की सेवा प्रदान करता है। आईएमपीएस मोबाइल, इंटरनेट और एटीएम के माध्यम से पूरे देश भर में बैंकों के भीतर तत्काल धन अंतरण करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इस भुगतान सेवा का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को उनके मोबाइल नम्बर से भुगतान करने की सुविधा प्रदान करना है।

आईएमपीएस के लिए आवश्यक विभिन्न जानकारी इस प्रकार है:

1. प्राप्तकर्ता 7 अंकों का एमएमआईडी नंबर
2. प्राप्तकर्ता का नाम
3. प्राप्तकर्ता का मोबाइल नंबर
4. (प्राप्तकर्ता का खता संख्या
5. प्राप्तकर्ता का बैंक का IFSC कोड

8.6.5 एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई)

यूनीफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) एक त्वरित वास्तविक- समय भुगतान प्रणाली है जिसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित किया गया है। यह अंतर-बैंक लेन-देन को सुगम बनाता है यह इंटरफेस भारतीय रिजर्व द्वारा विनियमित है और मोबाइल प्लेटफार्म पर दो बैंकों के बीच धन का तुरंत हस्तांतरित करने का कार्य करता है। यूपीआई एक वास्तविक- समय भुगतान प्रणाली है जो आपको अपने स्मार्ट फोन पर विभिन्न वित्तीय लेन-देन करने की अनुमति देती है। यूपीआई आपको बैंक की जानकारी दर्ज किये बिना वर्चुअल भुगतान पते का उपयोग करके पैसे भेजने या प्राप्त करने की अनुमति देता है। व्यापारी एकीकृत भुगतान इंटरफेस का उपयोग करके भुगतान स्वीकार करने के लिए बैंकों के साथ नामांकन कर सकते हैं। जैसे पीओएस मशीन के मामले में, व्यापारी को यूपीआई भुगतान स्वीकार करने के लिए बैंकों के साथ एक चालू खाते की आवश्यकता होगी। कुछ यूपीआई एप के उदाहरण एसबीआई पे, आईसीआईसीआई पॉकेट, एक्सिस पे यूपीआई एप, यूनियन बैंक यूपीआई एप, पीएनबी यूपीआई एप, फोन पे, ट्रेनजैप आदि हैं।



एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई)

यूपीआई एक ऐसी प्रणाली है जो कई खातों को मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से शक्ति प्रदान करती है जो अप्रयुक्त धन और कंपनी को एक ही हुड में समेकित करता है। प्रत्येक बैंक एनड्रायड, विंडोज तथा आईओएस मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए अपना यूपीआई एप प्रदान करता है। यह “पियर टू पियर” संग्रह अनुरोध को पूरा करता है।

यूपीआई से पैसे भेजने या अनुरोध किये जाने की निम्नलिखित तरीके हैं:

1. वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (VPA) या UPI ID: VPA का उपयोग करके मैप किये गये बैंक खातों से पैसे भेजे या प्राप्त किये जा सकते हैं।
2. मोबाइल नंबर: मोबाइल नंबर का उपयोग करके मैप किये गये खाते से पैसे भेजे या प्राप्त किये जा सकते हैं।
3. आधार: आधार नंबर का उपयोग करके मैप किये गये खातों से पैसे भेजे या प्राप्त किये जा सकते हैं।
4. QR कोड: VPA, खाता संख्या और इफस्क या मोबाइल QR कोड के माध्यम से पैसे भेजे या प्राप्त किये जा सकते हैं।

8.6.6 मोबाइल बैंकिंग

मोबाइल बैंकिंग एक बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सेवा है जो अपने ग्राहकों को मोबाइल फोन या टैबलेट जैसे मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके दूरस्थ रूप से विभिन्न प्रकार के लेन-देन करने की अनुमति देते हैं। यह सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है जिसे ऐप कहा जाता है जो किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रत्येक बैंक एंड्रॉइड, विंडोज और आईओएस मोबाइल प्लैटफॉर्म के लिए अपनी मोबाइल बैंकिंग ऐप प्रदान करता है।



मोबाइल बैंकिंग


मोबाइल डिवाइस पर वित्तीय लेन-देन करना मोबाइल बैंकिंग के रूप में जाना जाता है। यहाँ गतिविधि ग्राहक के सेलफोन पर धोखाधड़ी या उपयोग गतिविधि भेजने वाले बैंक से लेकर बिलों का भुगतान करें वाले ग्राहक या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पैसा भेजने तक हो सकती है। मोबाइल बैंकिंग का सबसे बड़ा फायदा कहीं से भी और किसी भी समय बैंकिंग लेन-देन करने की क्षमता है। जब व्यक्तिगत या कंप्यूटर आधारित बैंकिंग लेन-देन की तुलना की जाती है, तो सुरक्षा संबंधी चिंताएं और क्षमताओं की एक सीमित सीमा नुकसानदेह होती है।

आज के डिजिटल युग में मोबाइल बैंकिंग बहुत सुविधाजनक है, जिसमें कई प्रभावशाली एप पेश करते हैं। लोग कई कारणों से मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करते हैं, जिसमें चेक जमा करने, सामान के लिए भुगतान करने किसी मित्र को पैसे ट्रांसफर करने और एटीएम का शीर्घता से पता लगाने की क्षमता शामिल है। मोबाइल बैंकिंग एप में लॉग इन करने से पहले ग्राहक को एक सुरक्षित कनेक्शन स्थापित करना होगा, अन्यथा व्यक्तिगत जानकारी से समझौता किया जा सकता है।

मोबाइल बैंकिंग परिचालनों में साइबर सुरक्षा और तेजी से महत्वपूर्ण हो गयी है। साइबर सुरक्षा एक ऐसा शब्द है जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा की सुरक्षा और इसके नुकसान या चोरी को रोकने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं के संग्रह को संदर्भित करता है। इसका उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि व्यक्तिगत जानकारी से लेकर जटिल सरकारी प्रणालियों तक के डेटा का दुरुपयोग न हो।

8.6.7 मोबाइल वॉलेट

मोबाइल वॉलेट भी एक ऑनलाइन भुगतान का विकल्प है। मोबाइल वॉलेट का उपयोग करके भुगतान करने के लिए डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड की जरूरत नहीं है। बीएस आईएमपीएस के माध्यम से अपने वॉलेट में पैसे लोड करें और इसे चलते-फिरते इस्तेमाल करें। मोबाइल वॉलेट एप को आप स्मार्ट फोन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल वॉलेट के कुछ उदाहरण पेटीएम, पेयूमनी, ओक्सीजन, लाइम, मोबिक्विक आदि हैं।



मोबाइल वॉलेट

मोबाइल वॉलेट डिजिटल प्रारूप में नकदी ले जाने का एक तरीका है। आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की जानकारी को मोबाइल डिवाइस में मोबाइल वॉलेट से लिंक कर सकते हैं या आप मोबाइल वॉलेट में ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। पारस्परिक बटुए की तरह ई-वॉलेट में नकदी भौतिक रूप में रखने की आवश्यकता नहीं होती। इसके अंतर्गत मोबाइल पर मोबाइल एप के माध्यम से डेबिट या क्रेडिट कार्ड की जानकारी को लिंक करने के पश्चात धनराशि स्थानांतरित कर सकते हैं। प्लास्टिक मनी के उपयोग के स्थान पर मोबाइल, टेबलेट या स्मार्ट घड़ी का उपयोग होता है। ये व्यक्ति के खाते से जुड़े होते हैं और भुगतान सीधे हो जाता है। खरीददारी करने के लिए अपने भौतिक प्लास्टिक कार्ड का उपयोग करने के बजाय, आप अपने स्मार्टफोन, टेबलेट या स्मार्ट घड़ी से भुगतान कर सकते हैं। इसमें पैसे लोड करने के लिए किसी व्यक्ति के खाते को डिजिटल वॉलेट से जोड़ा जाना आवश्यक है। अधिकांश बैंकों ने अपने ई-वॉलेट और कुछ निजी कंपनियां हैं जैसे पेटीएम, फ्रीचार्ज, मोबिक्विक, ऑक्सीजन, एमरूपीम एयरटेल मन, जियो मनी, एसबीआई बडी, इट्ज कैश, साइट्रय पे, वोदफोने एम-पैसा, एक्सिस बैंक लाइम, आइसीआईसीआई पॉकेट्स, स्पीडपे आदि।

8.7 ई-बैंकिंग की सीमाएं

ई-बैंकिंग वर्तमान समय की आवश्यकता के साथ ही जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। अज के समय में लोग शारीरिक रूप से बैंक जाना पसंद ही नहीं करते हैं। विशेष रूप से कोविड-19 के बाद ई-बैंकिंग की लोकप्रियता में तेजी से वृद्धि हुई है। लोग ई-बैंकिंग प्लेटफॉर्म से संतुष्ट हैं और व्यापक रूप से उन प्लेटफॉर्मों का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि कुछ बाधाएं भी हैं जो ई-बैंकिंग के विकास को प्रभावित करती हैं जो इस प्रकार हैं :

- ई-बैंकिंग में हमेशा साइबर धोखाधड़ी का खतरा बना रहता है।
- व्यावहारिक अनुभव की कमी के कारण पहली बार उपयोग करने वाले ग्राहकों को इसका उपयोग करना कठिन लगता है।
- ऑनलाइन बैंकिंग छोटे-छोटे लेन-देन करने के लिए उपयुक्त है बड़े लेन-देन के लिए बैंक जाना बेहतर होता है। क्योंकि कुछ मामलों में दस्तावेज सत्यापन की आवश्यकता होती है।

- छोटे शहरों में इन्टरनेट की धीमी गति, एक बढ़ी तकनीकी समस्या है जो ऑनलाइन लेन-देन बाधा में डालती है।
- ऑनलाइन बैंकिंग उपयोगी तो है पर सभी के लिए नहीं, क्यों की बुजुर्ग व अनपढ़ लोग ई-बैंकिंग का लाभ नहीं उठा सकते हैं ई-बैंकिंग में हमेशा साइबर धोखाधड़ी का खतरा बना रहता है।
- ऑनलाइन बैंकिंग के दौरान यदि किसी ग्राहक को सहायता की आवश्यकता होती तो यह हर बार उपलब्ध नहीं होती।
- वर्तमान तकनीकी युग में नकली और फर्जी वेबसाइटों आम बात है इनके बीच असली वेबसाइट को ढूँढना आसान नहीं है। जो ग्राहकों के मन में कई तरह के संदेह पैदा करते हैं अगर वे गलत जगह लॉग इन करते हैं तो अपनी पूरी कमी खोने का दर रहता है।
- ऑनलाइन लेन-देन में हुई गलतियों को तुरंत सुधारना संभव नहीं है।
- जिन लोगों के पास इन्टरनेट व डिजिटल साक्षरता नहीं है उनके लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।

8.8 सारांश

आधुनिक भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की खूब चर्चा है। यह बैंकिंग प्रणाली का ऐसा स्वरूप है जिसमें एक खाते से दूसरे खाते में धनराशि का हस्तांतरण नकद, चेक या किसी कागजी दस्तावेज के माध्यम से न होकर कंप्यूटर अनुप्रयोगों की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से होता है। जहाँ सुविधाजनक बैंकिंग की बात आती है तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सबसे उपयुक्त विकल्प है। इसके उपयोग से न केवल समय की बचत होती है बल्कि कोई भी व्यक्ति 24×7 इसका उपयोग कर सकता है। पारंपरिक बैंक ग्राहकों को व्यक्तिगत सेवा देने के साथ ही उनके पूछताछ का उत्तर देने के लिए आमने-सामने बातचीत करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैंक ग्राहकों को वित्तीय लेन-देन करने लिए बैंक जाने की आवश्यकता को समाप्त कर देती है। यही कारण है कि अधिकांश ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक बैंक का विकल्प अपना रहे हैं। एटीएम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला रूप है। एनईएफटी एक निधि अंतरण भुगतान प्रणाली है जो आसान एवं सुविधाजनक हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती है। आरटीजीएस प्रणाली जिसमें एक बैंक से दूसरे बैंक में निधि का अंतरण वास्तविक समय सकल आधार पर होता है। यूपीआई अंतर-बैंक लेन-देन को सुगम बनाता है जो भारतीय राष्ट्रीय निगम द्वारा विकसित तथा आरबीआई द्वारा विनियमित है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आधुनिक जीवन का अभिन्न अंग होने के साथ ही इसमें साइबर धोखाधड़ी का खतरा हमेशा बना रहता है। इन्टरनेट और डिजिटल साक्षरता के बिना इस सेवा का उपयोग करना संभव नहीं है।

8.9 शब्दावली

ई-बैंकिंग : ई-बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, बैंकिंग का ऐसा स्वरूप है जिसमें धन का हस्तांतरण नकद, चेक या किसी अन्य प्रकार के कागजी दस्तावेजों के माध्यम से ना होकर इलेक्ट्रॉनिक संकेतों के अदान-प्रदान के माध्यम से होता है।

व्यक्तिगत पहचान संख्या (PIN): यह एक संख्यात्मक या अल्फा-न्यूमेरिक पासकोड है जिसका उपयोग सिस्टम तक पहुंचने वाले उपयोगकर्ता को प्रमाणित करने की प्रक्रिया में किया जाता है।

वास्तविक समय सकल भुगतान प्रणाली (RTGS) : यह एक विशेष निधि हस्तांतरण प्रणाली है जिसमें धन या प्रतिभूतियों का हस्तांतरण एक बैंक से दूसरे बैंक में वास्तविक समय और सकल आधार पर होता है।

एनईएफटी (NEFT) : इसके माध्यम से कोई व्यक्ति किसी बैंक शाखा से किसी अन्य व्यक्ति को जिसका किसी दूसरे बैंक शाखा में खाता है को इलेक्ट्रॉनिक रूप से धनराशि हस्तांतरित करता है।

तत्काल भुगतान सेवा (IMPS) : आईएमपीएस भारत में एक अंतरबैंक त्वरित भुगतान इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण प्रणाली है। यह मोबाइल फोन के माध्यम से अंतरबैंक निधि हस्तांतरण सेवा प्रदान करती है।

ओटीपी : एक अस्थायी सुरक्षित कोड है जो फोन या ईमेल पर एसएमएस या मैसेज के माध्यम भेजा जाता है जिसका उपयोग एक बार लॉग इन करने या ऑनलाइन लेन-देन को वेरीफाई करने के लिए किया जाता है।

आईएफएससी(IFSC) : IFSC, अंकों एवं अक्षरों के संयोजन से बनी ग्यारह अंकों की एक विशिष्ट संख्या है। जो किसी बैंक की किसी विशिष्ट शाखा को दी जाती है।

8.10 बोध प्रश्न

सत्य/असत्य

1. ई-बैंकिंग प्रणाली में धन का हस्तांतरण नकद रूप में होता है।
2. ई-बैंकिंग प्रणाली बैंकिंग व्यवस्था को शुलभ बनती है।
3. व्यक्तिगत पहचान संख्या केवल संख्यात्मक हो सकती है।
4. ऑनलाइन लेन-देन में गलतियों में को तुरंत सुधारा जा सकता है।
5. एमएमआईडी नंबर 7 अंकों का होता है।
6. एटीएम की माध्यम से चेक बुक के लिए अनुरोध किया जा सकता है।
7. ई-बैंकिंग ग्राहकों के लिए सेवाएं प्रदान करने की लागत को कम करने में सहायक है।
8. ई-बैंकिंग सभी प्रकार के लेन-देनों के लिए उपर्युक्त है।

8.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. असत्य 2. सत्य 3. असत्य 4. असत्य 5. सत्य 6. सत्य 7. सत्य 8. असत्य

8.12 स्वपरख प्रश्न

1. ई-बैंकिंग की अवधारणा को समझाइए।
2. विभिन्न प्रकार के ई-बैंकिंग सेवाओं की व्याख्या कीजिए।
3. ई-बैंकिंग की लाभ और सीमाओं का वर्णन कीजिए।
4. टेली बैंकिंग से ग्राहकों को मिलने वाली सुविधाओं का उल्लेख कीजिए।
5. आईएमपीएस की विभिन्न आवश्यकताएं क्या हैं?
6. इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्या है?

7. एटीएम पर ग्राहकों क्या-क्या सुविधाएँ मिलाती है?

8.13 सन्दर्भ पुस्तकें

- बाजवा के.एस. 1986. बैंक मशीनीकरण। नई दिल्ली: स्काईलार्क पब्लिकेशन्स।
- शेखर, के.सी. और लक्ष्मी शेखर, 2013. बैंकिंग सिद्धांत और व्यवहार, इक्कीसवाँ संस्करण। नई दिल्ली: विकास पब्लिशिंग हाउस।
- डॉ. मुरलीधरन, 2014. आधुनिक बैंकिंग: सिद्धांत और व्यवहार, द्वितीय संस्करण। नई दिल्ली: पीएचआई लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड।
- शर्मा, के.सी. 2007. भारत में आधुनिक बैंकिंग। नई दिल्ली: दीप एंड दीप पब्लिकेशन्स।
- वर्मा एस. बी., गुप्ता एस.के. ई.: बैंकिंग और बैंकों का विकास: दीप एंड दीप पब्लिकेशन्स (1 जून 2008)।
- जॉर्ज अजिमोन, इंटरनेट बैंकिंग: न्यू एज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (1 जनवरी 2019)।

Unit-9 बैंकिंग में ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) (Customer Relationship Management (CRM) in Banking)

इकाई की रूपरेखा

- 9.1 प्रस्तावना
- 9.2 ग्राहक संबंध प्रबंधन
- 9.3 ग्राहक संबंध प्रबंधन की परिभाषा
- 9.4 ग्राहक संबंध प्रबंधन की विशेषताएं
- 9.5 ग्राहक संबंध प्रबंधन के प्रकार
 - 9.5.1 परिचालन ग्राहक संबंध प्रबंधन
 - 9.5.2 विश्लेषित ग्राहक संबंध प्रबंधन
 - 9.5.3 सहयोगात्मक ग्राहक संबंध प्रबंधन
- 9.6 बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहक संबंध प्रबंधन की आवश्यकता
- 9.7 बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहक संबंध प्रबंधन क्या है?
- 9.8 बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहक संबंध प्रबंधन के लाभ
- 9.9 ग्राहक संबंध प्रबंधन प्रक्रिया के चरण
- 9.10 ग्राहक संबंध प्रबंधन के घटक
- 9.11 बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहक संबंध प्रबंधन के प्रभाव
- 9.12 बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहक संबंध प्रबंधन की समस्याएं
- 9.13 सारांश
- 9.14 शब्दावली
- 9.15 बोध प्रश्न
- 9.16 बोध प्रश्नों के उत्तर
- 9.17 स्वपरख प्रश्न
- 9.18 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि-

- ग्राहक संबंध प्रबंधन को परिभाषित कर सकेंगे।
- ग्राहक संबंध प्रबंधन की विशेषताओं को जान पाएंगे।
- ग्राहक संबंध प्रबंधन के प्रकारों का वर्णन कर पाएंगे।
- बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहक संबंध प्रबंधन के महत्व को समझ सकेंगे।
- बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहक संबंध प्रबंधन की आवश्यकता को जान पाएंगे।

- बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहक संबंध प्रबंधन की समस्याओं को समझ सकेंगे।

9.1 प्रस्तावना

ग्राहक संबंध प्रबंधन की अवधारण की शुरुआत 1970 के दशक से हुई, जब वार्षिक सर्वेक्षणों या प्रत्यक्ष ग्राहकों से पूछताछ के माध्यम से ग्राहक संतुष्टि का मूल्यांकन किया जाता था। ग्राहक संबंध प्रबंधन बैंकों को ग्राहकों की आवश्यकताओं व इच्छाओं को पहचानने में सक्षम बनाता है। सबसे पहले यह जानें कि ग्राहक कौन है? ग्राहक एक व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, संगठन सरकार, या एजेंट हो सकते हैं। या ग्राहक को एक कानूनी इकाई भी कह सकते हैं जिसका बैंकों के साथ कोई वित्तीय संबंध होता है। ग्राहक संबंध प्रबंधन बैंक के विज्ञापन एवं प्रचार विभाग के प्रमुख कार्य उत्पाद एवं सेवाओं के क्रेता और विक्रेताओं को एक साथ लाकर ग्राहक बनाना है। प्रत्येक व्यवसाय के लिए ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक सहयोग और जुड़ाव के संबंध विकसित करना और बनाये रखना अत्यंत कठिन है लेकिन प्रत्येक व्यवसाय के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ग्राहक संबंध प्रबंधन सभी संगठनों के लिए एक आवश्यक रणनीति बन गयी है। क्योंकि प्रभावी क्रियान्वयन से संतुष्टि, निष्ठा एवं ग्राहक प्रतिधारण में वृद्धि हो सकती है और बार-बार क्रय आदतों को बढ़ावा मिल सकता है। ग्राहक संबंध प्रबंधन का उद्देश्य संचार माध्यमों की सहायता से ग्राहक व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्र करना है ताकि सही उत्पाद या सेवा सही जगह या सही समय पर प्रदान की जा सके। ग्राहकों के व्यवहार की पहचान करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है क्योंकि यह समय-समय पर बदलता रहता है। इसलिए बदलते व्यवहार पर नजर रखना, ग्राहकों के साथ समबन्ध बनाना और उन्हें बनाये रखना बैंकों के लिए एक चुनौती है। सभी अर्थव्यवस्थाओं में बैंक ग्राहकों में बचत आदत विकसित करने, व्यापारियों, उद्योगपतियों व सेवा प्रदाताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बैंकिंग क्षेत्र उपभोक्ता केन्द्रित है क्योंकि बैंकों का केंद्र बिंदु ग्राहक है। बैंक ग्राहकों को उनकी आवश्यकताओं एवं व्यवहारों के आधार पर अलग-अलग समूहों में विभाजित करता है ताकि उन्हें उनकी आवश्यकतानुसार सेवा प्रदान की जा सके। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी ने ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी एकत्र कर उनके व्यवहार के स्वरूप का अध्ययन करना और उसके विश्लेषण के कार्य को आसान बना दिया है ताकि उनका विश्वास, संतुष्टि एवं निष्ठा हासिल की जा सके। वर्तमान समय में बैंकिंग क्षेत्र लाभ को अधिकतम करने, ग्राहकों के साथ संबंध बनाने और उस बनाए रखने लिए ग्राहक संबंध प्रबंधन के महत्व को समझने लगा है।

9.2 ग्राहक संबंध प्रबंधन

ग्राहक संबंध प्रबंधन एक व्यावसायिक रणनीति है जो ग्राहकों को मूल्य प्रदान कर उनके लिए मूल्य सृजन करने के लिए आंतरिक एवं बाह्य कर्तव्यों के एकत्रित करने के एक प्लेटफॉर्म है। ग्राहक संबंध प्रबंधन ग्राहकों के साथ लाभकारी एवं दीर्घकालिक संबंध स्थापित करने के लिए, ग्राहकों की आवश्यकताओं एवं व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त करने की एक रणनीति है। बैंकिंग क्षेत्र ग्राहक संबंध प्रबंधन को अपनाकर प्रत्येक ग्राहक का अलग-अलग व विशिष्ट रूप से विश्लेषण करता है। ताकि ग्राहकों का विश्वास, ग्राहक संतुष्ट एवं दीर्घकालीन निष्ठा प्राप्त की जा सके।

ग्राहक संबंध प्रबंधन, ग्राहकों को संगठन के केंद्र में बनाये रखने की बैंकों की प्रतिबद्धता है। ग्राहक संबंध प्रबंधन एक ग्राहक केन्द्रित दृष्टिकोण है जिसका अंतिम उद्देश्य ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं, व्यवहारों तथा

प्राथमिकताओं की पहचान और समझ के मध्यमे से ग्राहकों का प्रबंधन करना है। इसके अतिरिक्त जो बैंक अपनी लाभप्रदता बढ़ाने के साथ ही अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं उन्हें निम्नलिखित चुनौतियों पर विचार करना चाहिए :

- नए ग्राहकों को अधिक प्रभावी तरीके से प्राप्त करने के साथ ही मौजूदा ग्राहकों को बनाये रखना।
- ग्राहकों के खोये हुए विश्वास को पुनः जीतना।
- मौजूदा ग्राहकों से लाभ को बढ़ाना।
- बिक्री की लागत को कम करना।

9.3 ग्राहक संबंध प्रबंधन की परिभाषा

ग्राहक संबंध प्रबंधन को विस्तारपूर्वक समझने के लिए, प्रमुख विषय विशेषज्ञों द्वारा दी गयी परिभाषाओं को इस प्रकार विश्लेषित किया गया है:

फ्रांसिस बटले के अनुसार ग्राहक संबंध प्रबंधन एक व्यावसायिक रणनीति है जो आंतरिक प्रक्रियाओं, कार्यों तथा बाहरी तंत्रों को एकीकृत करती है ताकि लक्षित ग्राहकों को लाभ के साथ मूल्य सृजित और वितरित किया जा सके। यह उच्च गुणवत्ता वाले ग्राहक डेटा पर आधारित है और सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा सक्षम है।

पेपर्स और रोजर्स के अनुसार ग्राहक संबंध प्रबंधन ग्राहक-विशिष्ट कार्यों द्वारा ग्राहक-विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक उद्यम-व्यापी व्यावसायिक रणनीति है।

ग्रीनबर्ग के अनुसार ग्राहक संबंध प्रबंधन एक दर्शन और एक व्यावसायिक रणनीति है, जो एक प्राणाली और एक प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित है जिसे व्यावसायिक वातावरण में मानवीय अंतः क्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए निर्मित किया गया है।

शेठ और पार्वतीयार ग्राहक संबंध प्रबंधन को कंपनी और ग्राहकों के लिए बेहतर मूल्य सृजित करने के लिए चुनिंदा ग्राहकों को प्राप्त करने, बनाये रखने और उनके साथ साझेदारी करने की एक व्यापक रणनीति और प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है।

एम्.एल अग्रवाल ने ग्राहक संबंध प्रबंधन को व्यावसायिक प्रक्रियाओं के सूचना प्रौद्योगिकी पहलू के रूप में परिकल्पित किया है, जिसका उद्देश्य ग्राहक प्रतिधारण, मूल्य और लाभप्रदता को बढ़ावा देने के लिए ग्राहकों के साथ सथी और पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध स्थापित करना है।


इस प्रकार ग्राहक संबंध प्रबंधन को एक प्रबंधन दृष्टिकोण से परिभाषित किया जा सकता है जो किसी संस्था या संगठन के लिए दीर्घकालिक लाभों व ग्राहक मूल्यों को अधिकतम करने के लिए ग्राहकों के साथ संबंध बनाने, स्थापित करने व बनाये रखने में मदद करता है।

9.4 ग्राहक संबंध प्रबंधन की विशेषताएं

ग्राहक संबंध प्रबंधन एक ऐसी रणनीति है जिसे कोई संगठन अपने बिक्रेताओं और ग्राहकों को प्रबंधित और संचालित करने के लिए अपनाता है ताकि व्यावसायिक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्राप्त की जा सके। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं;

1. **ग्राहक आवश्यकताएं :** किसी भी संगठन के लिए इस बात का अनुमान लगाना की ग्राहक को वास्तव में क्या चाहिए। इसलिए ग्राहक की पसंद- नापसंद जानने के लिए उससे बातचीत करना जरूरी है ताकि उसकी वास्तविक जरूरतों का पता लगाया जा सके और उन्हें प्राथमिकता दी जा सके। वास्तविक जरूरतों को जाने बिना प्रभावी सेवा देना और दीर्घकाल तक समबन्ध बनाये रखना बहुत कठिन है।
2. **ग्राहक प्रतिक्रिया :** संगठन के द्वारा ग्राहकों के प्रश्नों व गतिविधियों पर दी जाने वाली प्रतिक्रिया ग्राहक प्रतिक्रिया है। इन प्रश्नों का बुद्धिमातापूर्वक समाधान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्राहकों के बीच छोटी-छोटी गलतफहमियां अलग-अलग धारणाएं पैदा कर सकती है। इन प्रश्नों को समझने उनका विश्लेषण करने और फिर सर्वोत्तम समाधान करने पर ही सफलता प्राप्त हो सकती है।
3. **ग्राहक संतुष्टि :** वर्तमान प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल में ग्राहक संतुष्टि एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन सूचक और व्यावसायिक रणनीतियों का मूल निर्धारक है। इसलिए ग्राहक संतुष्टि जितनी अधिक होगी, कारोबार उतना ही अधिक प्रगति करेगा और ग्राहकों के साथ संबंध भी उतने ही मजबूत होंगे।
4. **ग्राहक निष्ठा :** ग्राहक निष्ठा, ग्राहक की नियमित उत्पाद खरीदने और किसी विशेष आपूर्तिकर्ता के साथ व्यापार में बने रहने की प्रवृत्ति है। प्रायः यह तब देखा जाता है जब ग्राहक किसी आपूर्तिकर्ता से बहुत अधिक संतुष्ट होता है और बार-बार व्यापारिक सौदों के लिए संगठन में आता है, या वह उस आपूर्तिकर्ता से किसी विशेष उत्पाद या ब्रांड को क्रय करने के लिए प्रेरित होता है, इसलिए ग्राहक निष्ठा, ग्राहक संबंध प्रबंधन और व्यावसायिक सफलता दोनों के लिए आवश्यक है।
5. **ग्राहक प्रतिधारण :** ग्राहक प्रतिधारण के माध्यम से मैजूदा ग्राहकों को अपने साथ बनाये रखने और उन्हें अन्य ब्रांड या आपूर्तिकर्ताओं के साथ जाने से रोका जाता है। सामान्यतौर पर एक ग्राहक किसी विशेष ब्रांड, उत्पाद या आपूर्तिकर्ता से तब तक जुड़ा रहता है जब तक कि उसकी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति होती रहती है और वह नये उत्पादों को अजमाने का जोखिम उठाता। इसलिए ग्राहकों को बनाये रखने की जितनी अधिक सम्भावना होगी व्यवसाय में भी उतना अधिक वृद्धि होने की सम्भावना बनी रहेगी।
6. **ग्राहक शिकायतें :** ग्राहकों द्वारा उठाई गयी शिकायतों से निपटना आपूर्तिकर्ता के लिए एक चुनौती है। आमतौर पर ग्राहक द्वारा शिकायत दर्ज करना असंतुष्टि का संकेत होता है। ग्राहक द्वारा कई कारणों से शिकायत दर्ज की जा सकती है। असंतुष्टि एक वास्तविक कारन भी हो सकता है लेकिन कभी-कभी शिकायतें आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी वस्तु या विशेष उत्पाद के संबंध में दिए गए शर्तों की गलत व्याख्या एवं विश्लेषण के कारण उपजी गलतफहमी भी हो सकती है।
7. **ग्राहक सेवा :** आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता पर ही ग्राहक संतुष्टि निर्भर करती है। संगठन द्वारा ग्राहक को दी जाने वाली सेवाओं का न केवल स्पष्ट एवं विस्तृत विवरण देना होता है बल्कि शर्तों का भी पालन करना होता है। यदि सेवाओं की गुणवत्ता और स्तर ग्राहकों की अपेक्षाओं से बेहतर हो तो संगठन का ग्राहकों के साथ व्यवसाय अच्छा चल रहा होता है।

9.5 ग्राहक संबंध प्रबंधन के प्रकार



9.5.1 परिचालन ग्राहक संबंध प्रबंधन

परिचालन ग्राहक संबंध प्रबंधन में प्रत्येक ग्राहक पूर्ण विवरण होता है। यह बिक्री, विपणन तथा ग्राहक सेवा जैसी दिन-प्रतिदिन की व्यावसायिक क्रियाओं को स्वचालित तथा सुव्यवस्थित करने पर केन्द्रित होता है। यह लाभप्रदता बढ़ाने व ग्राहकों के खरीद निर्णयों की प्रक्रिया को स्वचालित कर सकता है। परिचालन ग्राहक संबंध प्रबंधन के लाभ हैं;

- राजस्व एवं ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि करना
- आन्तरिक संचार को बेहतर बनाना।
- बाजार प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना।

9.5.2 विश्लेषित ग्राहक संबंध प्रबंधन

विश्लेषित ग्राहक संबंध प्रबंधन प्रत्येक ग्राहक डेटा का विश्लेषण करता है, उसको सुव्यवस्थित करता है तथा रिपोर्ट के लिए उपलब्ध कराता है। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से बढ़ी मात्रा में ग्राहक के विषय में जानकारी एकत्र करना आसान हो गया है। इस एकत्रित जानकारी का विश्लेषण कर समझा जा सकता है कि ग्राहक प्रतिधारण के लिए कौन से करक जिम्मेदार हैं, ग्राहकों को किन-किन समस्याओं के सामना करना पड़ रहा है और बिक्री के लिए कौन-कौन से करक लाभदायक हैं। विश्लेषित ग्राहक संबंध प्रबंधन के लाभ हैं;

- ग्राहक निष्ठा को बढ़ाना।
- ग्राहक के व्यवहार को भली-भांति समझना।
- सटीक पूर्वानुमान लगाने एवं योजना बनाना।

9.5.3 सहयोगात्मक ग्राहक संबंध प्रबंधन

इसे रणनीतिक ग्राहक संबंध प्रबंधन भी कहा जाता है, जो ग्राहक अधिग्रहण की अपेक्षा ग्राहकों की संतुष्टि, ग्राहक सेवा और ग्राहक प्रतिधारण पर ज्यादा ध्यान देता है। व्यावसायिक गतिविधियों के प्रबंधन और ग्राहकों से निपटने के लिए बैंकों को सहयोगात्मक ग्राहक संबंध प्रबंधन में निवेश कारन चाहिए। विपणन, वित्त तथा बिक्री विभाग लाभ, ग्राहक संतुष्टि और निष्ठा बढ़ाने के लिए एक-दूसरे के साथ जानकारी साझा करते हैं। सहयोगात्मक ग्राहक संबंध प्रबंधन के लाभ हैं;

- ग्राहक सेवा में सुधार।

- मौजूदा ग्राहकों को बनाये रखना ।
- मल्टी-चैनल इंटरैक्शन के लिए ग्राहक डेटा उपलब्ध कराना ।

9.6 बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहक संबंध प्रबंधन की आवश्यकता

बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहक संबंध प्रबंधन की आवश्यकता के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

1. बैंक और ग्राहकों के बीच संबंध जितना अधिक समय तक चलता, बैंक ग्राहकों की इच्छाओं, जरूरतों व प्राथमिकताओं को उतना ही अधिक बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और बैंक उत्पाद एवं सेवाओं को ग्राहकों के अनुकूल करने में सक्षम होते हैं तथा उत्पाद एवं सेवाओं की क्रॉस बिक्री करने के अवसर भी उतने ही अधिक बढ़ जाते हैं।
2. लम्बे समय तक संस्था के साथ संबंध वाले ग्राहक, सेवा, संगठन, प्रक्रियाओं व कार्यप्रणाली से सहज महसूस करते हैं। इससे परिचालन लागत व ग्राहक त्रुटि लागत कम करने में सहायता मिलती है।
3. वर्तमान समय में बैंकिंग उद्योग में ग्राहक बैंकिंग से सम्बंधित सभी प्रकार की सूचनाओं से परिचित हैं। नई तकनीक के आने से सम्पूर्ण विश्व एक छोटा सा गाँव लगने लगा है। इसलिए यदि कोई बैंक अपने ग्राहकों की संख्या को अधिक से अधिक करना चाहता है तो उसे नये ग्राहक जोड़ने के साथ ही, अपने वर्तमान ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध विकसित करना चाहिए और उन्हें भविष्य में बनाये रखने का प्रयास करना चाहिए।
4. वर्तमान परिदृश्य में ग्राहकों की ब्रांड के प्रति निष्ठा कम हो रही है। बेहतर सुविधाओं के लिए ग्राहक दूसरे बैंकों की ओर जा रहे हैं और प्रतिदिन बाजार में नए-नए उत्पाद व सेवाएं प्रस्तुत की जा रही हैं। इसलिए बैंकों को अपने उत्पाद एवं सेवाओं में सुधार करना होगा तथा नियमित संचार के माध्यम ग्राहकों की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनके बैंकों के प्रति विश्वास को मजबूत करना होगा।

9.7 बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहक संबंध प्रबंधन क्या है?

किसी भी ग्राहक केन्द्रित उद्योग या संस्था के लिए ग्राहक संबंध प्रबंधन अनिवार्य है। बिक्री एवं विपणन लक्ष्यों को पूरा करने व ग्राहकों की अपेक्षाओं के अनुरूप सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से बैंकों के लिए यह एक उपयोगी उपकरण है।

बैंकों के ग्राहक-केन्द्रित रणनीतियों के क्रियान्वयन के लिए ग्राहक संबंध प्रबंधन साफ्टवेयर एक अनुकूलित समाधान है जिसमें एक ही व्यवस्था के तहत बैंक कर्मचारी एवं कैशियर निम्न कार्य कर सकते हैं:

- ग्राहकों का डेटा जैसे ग्राहकों द्वारा उपयोग किये गये उत्पाद, उनसे हुई बातचीत ली गयी सेवाओं की जानकारी एकत्रित कर सकते हैं।
- नयी जानकारी के साथ ग्राहकों की प्रोफाइल को तुरंत उद्यतन कर सकते हैं।
- व्यक्तिगत ई-मेल भेजने के साथ-साथ सोशल मीडिया पोस्टों का जवाब व अपॉयमेंट शेड्यूल कर सकते हैं।
- बिक्री पाइपलाइन भावी ग्राहकों की कल्पना, उनका पोषण एवं उनका प्रबंधन कर सकते हैं।
- बाजार अभियान प्रदर्शन व ग्राहक व्यवहार का विश्लेषण करने वाली रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं।

9.8 बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहक संबंध प्रबंधन के लाभ

बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहक संबंध प्रबंधन के सफल कार्यान्वयन के लाभ निम्नलिखित हैं :

1. **बाजार संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी:** बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहक संबंध प्रबंधन लागू होने के बिक्री संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे ग्राहकों के नाम, उनकी पृष्ठभूमि, उनकी आवश्यकताएं व प्रतिस्पर्धा स्थित की जानकारी एकत्रित करना आसान हो जाता है।
2. **उत्पादकता में सुधार:** लक्षित बाजार की प्रभावी पहचान करने के साथ ही ग्राहकों को प्रशिक्षित करने, स्टॉक उपलब्धता की जांच करने, फील्ड से सीधे ऑर्डर दर्ज करने आदि गतिविधिया बिक्री चक्र को छोटा करने में सहायक होती है।
3. **ग्राहक सेवा को बेहतर करना:** बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहक संबंध प्रबंधन के माध्यम से प्रशासनिक कार्यभार कम होने से ग्राहकों को अधिक समय देना, सेवा स्तरों की निगरानी, मौजूदा एवं संभावित ग्राहक सेवा समस्याओं की पहचान व ग्राहकों की समस्याओं पर तीव्र प्रतिक्रिया करने की क्षमता आदि के माध्यम से ग्राहक सेवा को बेहतर किया जा सकता है।

ग्राहक संबंध प्रबंधन के लाभों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(1) ग्राहकों के लिए लाभ

- ग्राहकों से संपर्क करने का तरीका पेशेवर और अधिक समन्वित हो जाता है।
- ग्राहकों के विषय में अद्यतन जानकारी होने से बैंक व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान कर सकता है
- उत्पादों एवं सेवाओं तक बेहतर पहुंच (24×7) होने से ग्राहक सशक्त महसूस करते हैं।

(2) कर्मचारियों के लिए लाभ


- ग्राहक संबंध प्रबंधन के अंतर्गत कर्मचारियों की संतुष्टि दर अधिक होती है
- ग्राहकों की सेवा करने के लिए कर्मचारियों के पास पर्याप्त समय होता है।
- कर्मचारियों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने और ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक जानकारी मिलती है।

(3) बैंकों के लिए लाभ

- प्रबंधकों को ऐसी जानकारी मिलती है जिससे वे ग्राहक संबंधों का बेहतर प्रबंध कर सकते हैं और उचित निर्णय ले सकते हैं।
- उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग।
- ग्राहकों की संतुष्टि और निष्ठा में वृद्धि।
- नए ग्राहकों को आकर्षित करने और क्रॉस बिक्री में सुधार

9.9 ग्राहक संबंध प्रबंधन प्रक्रिया के चरण

ग्राहक संबंध प्रबंधन प्रक्रिया के प्रमुख चरण इस प्रकार हैं



1. **ब्रांड जागरूकता उत्पन्न करना:** ग्राहक संबंध प्रबंधन का प्रथम चरण संभावित ग्राहकों को अपने व्यवसाय से परिचित करना है। जो ब्रांड जागरूकता के मध्यमे से संभव होता है। विपणक को ग्राहकों के बीच ब्रांड जागरूकता पैदा करनी चाहिए क्योंकि बाजार में बहुत सरे प्रतिस्पर्धी उपलब्ध है। यह ब्रांड जागरूकता ही आपके व्यवसाय का परिचय हैं।
2. **लीड प्राप्त करना :** ग्राहक संबंध प्रबंधन प्रक्रिया संभावित ग्राहकों को अपने ब्रांड से परिचित करवाने से शुरू होती है। ग्राहकों को विपणक द्वारा ब्रांड का परिचय करते समय अपने व्यवसाय के बारे में जानने के लिए अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे ब्रांड की ओर आकर्षित हों। ग्राहकों को प्रभावित करने में बाजार अभियान भी लाभकारी होते है।
3. **लीड को ग्राहकों में बदलना :** ग्राहक संबंध प्रबंधन प्रक्रिया का तीसरा चरण लीड को ग्राहकों में बदलना है। यह एक ऐसा चरण है जहाँ आप एक प्रभावी ग्राहक संबंध प्रबंधन रणनीति के लाभ देखते है और जब ग्राहक आपके ब्रांड में रुचि रखने लगते है तो अब उन लीड को ग्राहकों में बदलने का समय है।
4. **गुणवत्तापूर्ण ग्राहक सेवा प्रदान करना :** ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध बनाये रखने के लिए उन्हें गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करना अनिवार्य है। आवश्यक बादलों को समझना जरूरी है जिससे ग्राहक अनुभवों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
5. **निष्ठा और अद्यतन में निवेश :** ग्राहक संबंध प्रबंधन प्रक्रिया का अंतिम चरण ग्राहकों संगठन के प्रति निष्ठा बढ़ने के लिए उन्हें सहायता करना है। ग्राहकों की क्रय आदतों को अधिक विलासितापूर्ण उत्पादों एवं सेवाओं की ओर मोड़ कर उनके क्रय क्रम को अद्यतन करना। ये लाभ बढ़ाने के लिए ग्राहकों को बनाये रखने के आलावा अन्य तरीका है।

9.10 ग्राहक संबंध प्रबंधन के घटक

- **मानव संसाधन प्रबंध :** मानव संसाधन प्रबंधन को ग्राहक संबंध प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। क्योंकि संगठन के कर्मचारियों को एक महत्वपूर्ण सम्पत्ति माना जाता है। मानव संसाधन प्रबंधन संगठन के सभी विभागों के कर्मचारियों के कैशल का विश्लेषण करने में मदद करता है। इस प्रकार मानव संसाधन प्रबंधन, ग्राहक संबंध प्रबंधन के सफल क्रियान्वयन में सहायक होता है।
- **ग्राहक सेवा :** ग्राहक सेवा विभाग ग्राहकों की जरूरतों, इच्छाओं व क्रय व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्र करता है और इस जानकारी को सम्बन्धित विभागों के साथ साझा करता है जिससे ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनाने में सहायता मिलती है।
- **विपणन :** ग्राहक संबंध प्रबंधन प्रचार रणनीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन द्वारा विपणन में करते हैं। विपणक प्रत्येक ग्राहक के बारे में सक्रिय रूप से जानकारी एकत्रित करते हैं ताकि ग्राहक की समझ को बेहतर बनाया जा सके और उसकी निष्ठा को बढ़ाया जा सके।
- **बिक्री बल स्वचालन :** यह ग्राहक संबंध प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है जो बिक्री का पूर्वानुमान लगाने के साथ ही बिक्रय प्रक्रियाओं का रिकॉर्ड करता है। बिक्री बल स्वाचालन की सहायता से राजस्व सृजन के अवसरों का निर्धारण करना सरल हो जाता है।

9.11 बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहक संबंध प्रबंधन के प्रभाव

बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहक संबंध प्रबंधन, ग्राहकों को बैंकों से जोड़ने, बनाये रखने और उन्हें बरकरार रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित हैं;

- i. इसके माध्यम से त्वरित एवं सटीक जानकारी प्राप्त होती है।
- ii. ग्राहक संबंध प्रबंधन लाभदायक ग्राहकों के चयन में सहायक होता है।
- iii. ग्राहक संबंध प्रबंधन बिक्री प्रक्रिया को प्रभावशाली एवं दक्षतापूर्ण बनाता है।
- iv. ग्राहक संबंध प्रबंधन ग्राहकों के साथ निष्ठा एवं अच्छे संबंध बनाये रखने में सहायता करता है।
- v. ग्राहक संबंध प्रबंधन बैंकों के कई उत्पादों जैसे ऋण, जमा और निवेश की बिक्री में सहायक होता है।
- vi. यह ग्राहकों की आवश्यकताओं, इच्छाओं व व्यवहार को समझने में सहायता करता है ताकि उत्पादों एवं सेवाओं को ग्राहकों के अनुसार अनुकूलित किया जा सके।
- vii. ग्राहक संबंध प्रबंधन की सहायता से बैंक ग्राहकों को मोबाइल बैंकिंग, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड ई-कार्ड जैसी तकनीकी प्रदान कर रहे हैं।
- viii. ग्राहक संबंध प्रबंधन ग्राहकों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो बाजार के विभाजन में सहायक होते हैं।

9.12 बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहक संबंध प्रबंधन की समस्याएं

बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहक संबंध प्रबंधन के कई लाभ होने के बाद भी बैंकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो निम्न प्रकार हैं:

- i. ग्राहकों की बैंकों के प्रति धारणा का सही मूल्यांकन करना बैंकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

- ii. बैंकों के प्रति ग्राहकों की निष्ठा विकसित करने और बनाये रखने में भारी लगत आती है।
- iii. जब ग्राहकों को एक बैंक से दूसरे बैंक में उच्च व्याज दर मिलता है तो वे उसका लाभ उठाने के लिए दूसरे बैंकों में चले जाते हैं। ये बैंकों के लिए आम चुनौती है।
- iv. बैंकों में परिचालन कर्मचारियों के बार-बार तबदलों से भी ग्राहक संबंध प्रबंधन काफी प्रभावित होता है।
- v. सबसे बड़ी समस्या यह है कि सभी ग्राहक संगठन के साथ संबंध बनाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उनकी धारणा होती है कि संगठन ने उनके बारे में इतनी व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित की है।

9.13 सारांश

ग्राहक संबंध प्रबंधन की शुरुआत 1970 के दशक हुई जब वार्षिक सर्वेक्षणों या प्रत्यक्ष ग्राहकों से पूछताछ के माध्यम से ग्राहक संतुष्टि का मूल्यांकन किया जाता था। ग्राहक संबंध प्रबंधन बैंकों को ग्राहकों की आवश्यकताओं व इच्छाओं को सक्षम बनाता है। ग्राहक संबंध प्रबंधन ग्राहकों के साथ एक दीर्घकालिक संबंध स्थापित करने के लिए ग्राहकों की आवश्यकताओं व व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्रित करने की एक रणनीति है। ग्राहक संबंध प्रबंधन सभी संगठनों के लिए एक आवश्यक रणनीति बन गयी है। क्योंकि इसके प्रभावी क्रियान्वयन से संतुष्टि, निष्ठा एवं ग्राहक प्रतिधारण में वृद्धि हो सकती है। बैंकिंग क्षेत्र ग्राहक संबंध प्रबंधन को अपनाकर प्रत्येक ग्राहक का अलग-अलग व विशिष्ट रूप से विश्लेषण करता है जिससे ग्राहकों का विश्वास, ग्राहक संतुष्टि व दीर्घकालिक निष्ठा प्राप्त की जा सके। इसके साथ ही ग्राहकों के खोये हुए विश्वास को पुनः जितना व बिक्री की लागत को कम करना एक चुनौती है। ग्राहक संबंध प्रबंधन के प्रकार परिचालन ग्राहक संबंध प्रबंधन, विश्लेषित ग्राहक संबंध प्रबंधन और सहयोगात्मक ग्राहक संबंध प्रबंधन हैं। ग्राहक संबंध प्रबंधन में ग्राहकों के सम्बन्ध में उद्यतन जानकारी होने से बैंक व्यक्तिगत सेवाओं प्रदान कर सकते हैं। इसके चरण ब्रांड जागरूकता, लीड प्राप्त करना, लीड को ग्राहकों में बदलना, गुणवत्तापूर्ण ग्राहक सेवा प्रदान करना व निष्ठा और अद्यतन में निवेश। बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहक संबंध प्रबंधन लाभदायक ग्राहकों के चयन में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त ग्राहकों की बैंक के प्रति धारणा का मूल्यांकन करना बैंकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

9.14 शब्दावली

ग्राहक संबंध प्रबंधन : उन सभी व्यावसायिक प्रक्रियाओं, संचार माध्यमों और और कंपनी विभागों को एकीकृत करता है जिनका ग्राहकों से सीधा संबंध होता है।

ग्राहक संतुष्टि : आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता पर ही ग्राहक संतुष्टि निर्भर करती है।

बिक्री बल स्वचालन: बिक्री का पूर्वानुमान लगाने के साथ ही बिक्रय प्रक्रियाओं का रिकॉर्ड करता है। बिक्री बल स्वाचालन की सहायता से राजस्व सृजन के अवसरों का निर्धारण करना सरल हो जाता है।

ग्राहक निष्ठा : ग्राहक निष्ठा, ग्राहक की नियमित उत्पाद खरीदने और किसी विशेष आपूर्तिकर्ता के साथ व्यापार में बने रहने की प्रवृत्ति है।

ग्राहक प्रतिधारण : किसी संस्था द्वारा अपने मौजूदा ग्राहकों को लम्बे समय तक अपने साथ जोड़े रखना व उन्हें बार-बार खरीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करना।

9.15 बोध प्रश्न

सत्य/ असत्य

1. ग्राहक सम्बंध प्रबंधन एक व्यावहारिक रणनीति है।
2. बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहक संबंध प्रबंधन लाभदायक ग्राहकों के चयन में सहायक होता है।
3. ग्राहक संबंध प्रबंधन बिक्री प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं डालता है।
4. बैंक कर्मचारियों के बार-बार तबादलों से ग्राहक संबंध प्रबंधन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
5. प्रारम्भ में ग्राहक संतुष्टि का मूल्यांकन वार्षिक सर्वेक्षणों या प्रत्यक्ष ग्राहकों से पूछताछ के माध्यम से किया जाता था।
6. बैंकों के प्रति ग्राहकों की धारणा का मूल्यांकन करना बैंकों की लिए आसन कार्य है।
7. ग्राहक केवल एक व्यक्ति हो सकता है।
8. ग्राहकों को प्रभावित करने में बाजार अभियान लाभकारी हो सकते हैं।

9.16 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. असत्य 2. सत्य 3. असत्य 4. असत्य 5. सत्य 6. असत्य 7. असत्य 8. सत्य

9.17 स्वपरख प्रश्न

1. ग्राहक संबंध प्रबंधन को परिभाषित कीजिए तथा बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहक संबंध प्रबंधन के क्या लाभ हैं?
2. ग्राहक संबंध प्रबंधन क्या है इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
3. ग्राहक संबंध प्रबंधन के घटकों का वर्णन कीजिए।
4. बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहक संबंध प्रबंधन के प्रभावों की समीक्षा कीजिए।
5. ग्राहक संबंध प्रबंधन प्रक्रिया के चरणों की व्याख्या कीजिए।
6. किसी संगठन के लिए ग्राहक संबंध प्रबंधन का क्या महत्त्व है ? स्पष्ट कीजिए की एक संगठन इस रणनीति से कैसे लाभ उठा सकता है।
7. बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहक संबंध प्रबंधन क्यों आवश्यक है?

9.18 सन्दर्भ पुस्तकें

- डॉ. एस. शीला रानी: ग्राहक संबंध प्रबंधन, मरघम प्रकाशन।
- डॉ. के. गोविंदा भट्ट: ग्राहक संबंध प्रबंधन, हिमालय पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड, संस्करण 2017।
- फ्रांसिस बटले, स्टेन मैकलान: ग्राहक संबंध प्रबंधन: अवधारणा और प्रौद्योगिकी, लंदन, चौथा संस्करण, 2019।
- जगदीश एन. शेठ, अतुल पार्वतीयार और जी. शैनेश: ग्राहक संबंध प्रबंधन: उभरती अवधारणाएं, उपकरण और अनुप्रयोग, संस्करण 2021।
- वी. कुमार, वर्नर रेनार्ट्ज. ग्राहक संबंध प्रबंधन: अवधारणा, रणनीति और उपकरण. स्प्रिंगर साइंस एंड बिजनेस मीडिया, 2012।
- वर्मा सुमन, ग्राहक संबंध प्रबंधन: मनोहर पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स (31 दिसंबर 2000)।

Unit-10 बीमा (Insurance)

इकाई की रूपरेखा

- 10.1 प्रस्तावना
- 10.2 बीमा: अर्थ
- 10.3 बीमा की परिभाषाएँ
- 10.4 बीमा का स्वरूप
- 10.5 बीमा के प्रकार
- 10.6 बीमा के कार्य
- 10.7 बीमा के सिद्धांत
- 10.8 बीमा के लाभ
- 10.9 सारांश
- 10.10 शब्दावली
- 10.11 बोध प्रश्न
- 10.12 बोध प्रश्न के उत्तर
- 10.13 स्वपरख प्रश्न
- 10.14 संदर्भ पुस्तकें

उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप इस योग्य हो सकेंगे कि-

- बीमा का अर्थ जान सकेंगे ।
- बीमा के प्रकार की व्याख्या कर सकेंगे ।
- बीमा के कार्य का वर्णन कर सकेंगे ।
- बीमा के सिद्धांत की व्याख्या कर सकेंगे ।
- बीमा के लाभ को जान सकेंगे ।

10.1 प्रस्तावना (Introduction)

आधुनिक अर्थ में बीमा की शुरुआत 14वीं शताब्दी में हुई। उस समय इसे विदेशी व्यापार में उत्पन्न होने वाले वित्तीय नुकसानों की सुरक्षा के साधन के रूप में उपयोग किया जाता था, विशेषकर समुद्री परिवहन में। मेयर्सन, ए.एल. के अनुसार, समुद्री बीमा (Marine Insurance) 1347 में दर्ज किया गया सबसे पुराना बीमा है। लगभग 300 वर्ष बाद जीवन बीमा की शुरुआत हुई। लेकिन अग्नि बीमा (Fire Insurance) का आरंभ 1666 में लंदन की भीषण अग्निकांड के बाद हुआ। तब से इस अवधारणा में कई बार परिवर्तन हो चुके हैं। मानव जीवन की अनिश्चितताओं ने बीमा उद्योग को एक नया रूप दिया है। प्रतिस्पर्धा के कारण उद्योग द्वारा प्रदान किए जाने वाले

लाभों में निरंतर वृद्धि हुई है। संयुक्त परिवार व्यवस्था के टूटने ने, जो हर सदस्य को प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती थी, बीमा संस्थाओं को आगे बढ़ने की गति प्रदान की।

भारत में बीमा का इतिहास बहुत गहरा है। इसका उल्लेख मनु (मनुस्मृति), याज्ञवल्क्य (धर्मशास्त्र) और कौटिल्य (अर्थशास्त्र) की रचनाओं में भी मिलता है। इन रचनाओं में संसाधनों के संचय और विपत्तियों — जैसे आग, बाढ़, महामारी, अकाल — के समय पुनर्वितरण का उल्लेख है। आधुनिक भारत में बीमा का प्रारंभ 1800 ईस्वी के आसपास माना जाता है। 1818 में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भारत की पहली बीमा कंपनी के रूप में अस्तित्व में आई। 1870 में बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसायटी ने भारतीय बीमा इतिहास में स्वदेशी पहचान दी। 1912 में “द इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट” लागू हुआ जो देश में जीवन बीमा व्यवसाय को नियंत्रित करता था। 1956 में जीवन बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया और 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की स्थापना LIC अधिनियम के तहत की गई। 1972 में गैर-जीवन बीमा का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और GIC व उसकी चार सहायक कंपनियाँ स्थापित की गईं। हालाँकि बीमा का व्यवहार प्राचीन काल से मौजूद था, लेकिन इसका नियमन 1818 से शुरू हुआ। 1993 में मल्होत्रा समिति के गठन से लेकर 2000 में IRDA अधिनियम लागू होने तक भारत में बीमा क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास हुआ है।

10.2 बीमा: अर्थ (Insurance :Meaning)

यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनेक प्रकार के जोखिम मौजूद हैं। संपत्ति के लिए आग का जोखिम है, माल के परिवहन के लिए समुद्री जोखिम हैं, मानव जीवन के लिए मृत्यु या अक्षमता के जोखिम हैं इत्यादि। हानि पहुँचाने वाली घटनाएँ अनिश्चित होती हैं — वे हो भी सकती हैं और नहीं भी। इसलिए, इस दृष्टिकोण से समान जोखिमों का सामना करने वाले लोग एक साथ आते हैं और एक सामान्य निधि में छोटे-छोटे योगदान करते हैं। यद्यपि यह पूर्व में बताना संभव नहीं कि किस व्यक्ति को हानि होगी, लेकिन यह संभव है कि समूह में औसत रूप से कितने लोगों को हानि हो सकती है। जब जोखिम घटित होता है, तो उस सामान्य निधि से हानि की भरपाई की जाती है। इस प्रकार, प्रत्येक व्यक्ति जोखिम को साझा करता है। वास्तव में, वे प्रीमियम का भुगतान करके हानि को साझा करते हैं जिसका निर्धारण हानि की संभावना के आधार पर किया जाता है।

निम्न उदाहरण बीमा की अवधारणा को स्पष्ट करते हैं:

उदाहरण 1:

एक नगर में 2000 व्यक्ति हैं, जिनकी आयु 60 वर्ष है और सभी स्वस्थ हैं। अनुमान है कि इनमें से 20 व्यक्ति वर्ष के दौरान मर सकते हैं। यदि प्रत्येक मृतक व्यक्ति के परिवार को होने वाली आर्थिक हानि ₹ 50,000 मानी जाए, तो कुल हानि ₹ 10,00,000 होगी। यदि प्रत्येक व्यक्ति ₹ 500 प्रति वर्ष का योगदान करे, तो सामान्य निधि ₹ 10,00,000 बन जाएगी। यह उन 20 मृतकों के परिवारों को ₹ 50,000 देने के लिए पर्याप्त होगी। इस प्रकार 20 व्यक्तियों के जोखिम को 2000 व्यक्ति साझा करते हैं।

उदाहरण 2:

एक गाँव में 250 घर हैं, प्रत्येक का मूल्य ₹ 2,00,000 है। हर वर्ष एक घर जल जाता है, जिससे कुल ₹ 2,00,000 का नुकसान होता है। यदि सभी 250 घर-मालिक मिलकर ₹ 800-₹ 800 का योगदान करें, तो सामान्य निधि ₹

2,00,000 बन जाएगी। यह उस घर-मालिक को भरपाई देने हेतु पर्याप्त है जिसका घर जला। इस प्रकार एक व्यक्ति का जोखिम गाँव के 250 व्यक्तियों में बाँट दिया जाता है।

10.3 बीमा की परिभाषाएँ (Definitions of Insurance)

विषय के प्रसिद्ध लेखकों द्वारा दी गई कुछ परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं:

“बीमा एक ऐसा अनुबंध है जिसमें एक पक्ष, जोखिम के अनुरूप भुगतान किए गए मूल्य (प्रीमियम) के बदले दूसरे पक्ष को निर्दिष्ट खतरों के कारण होने वाली हानि, क्षति या प्रतिकूल प्रभाव से सुरक्षा प्रदान करता है।” — जस्टिस लॉरेंस

“बीमा जोखिम को कम करने का एक सामाजिक साधन है, जिसमें पर्याप्त संख्या में जोखिम वाले इकाइयों को एक साथ मिलाया जाता है ताकि उनकी व्यक्तिगत हानियाँ सामूहिक रूप से पूर्वानुमान योग्य बन सकें। यह पूर्वानुमानित हानि उन सभी में अनुपातिक रूप से बांटी जाती है।” — प्रो. रॉबर्ट मेहर

“बीमा एक सामाजिक उपकरण है जिसके तहत व्यक्तियों के अनिश्चित जोखिमों को समूह में सम्मिलित किया जाता है और इस प्रकार उन्हें अधिक निश्चित बनाया जाता है; व्यक्तियों के छोटे-छोटे नियमित योगदानों से एक निधि बनाई जाती है जिससे हानि भुगतान करने वालों को प्रतिपूर्ति की जा सके।”

— रीगल आर. एवं मिलर जे.एस.

“बीमा एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा गंभीर वित्तीय हानि को, जिसे एक व्यक्ति आसानी से वहन नहीं कर सकता, बड़ी संख्या में व्यक्तियों के बीच बाँट दिया जाता है।” — मैक्लीन जे.बी.

10.4 बीमा का स्वरूप (Nature of Insurance)

बीमा एक आर्थिक गतिविधि है जो हानि के जोखिम को कम करने में सहायक होती है। यह बीमाकर्ता और बीमित व्यक्ति के बीच एक अनुबंध है जिसके तहत बीमाकर्ता बीमित व्यक्ति को बीमित जोखिम से होने वाली हानि की भरपाई करने का वचन देता है। इसके बदले में, बीमित व्यक्ति नियमित रूप से प्रीमियम का भुगतान करने के लिए सहमत होता है। यह लिखित रूप में होता है और बीमा विलेख को 'पॉलिसी' कहा जाता है। पॉलिसी की अवधि को 'पॉलिसी की अवधि' कहा जाता है। जिस व्यक्ति के जोखिम का बीमा किया जाता है उसे 'बीमित' या 'आश्वासन प्राप्त' कहा जाता है। जो व्यक्ति जोखिम से होने वाली हानि की भरपाई करने के लिए सहमत होता है उसे 'बीमाकर्ता' या 'आश्वासनकर्ता' या 'अंडरराइटर' कहा जाता है। 'प्रीमियम' का तात्पर्य बीमित व्यक्ति द्वारा बीमाकर्ता को जोखिम के लिए भुगतान की गई राशि से है। 'आश्वासन' शब्द उन अनुबंधों पर लागू होता है, जहां बीमित जोखिम का घटित होना निश्चित होता है, लेकिन उसके घटित होने का समय अनिश्चित होता है। इस प्रकार, मृत्यु के जोखिम का बीमा एक आश्वासन अनुबंध है।

1. **बीमा व्यापार का सहायक साधन है:** व्यापार और व्यापार में कई तरह की बाधाएँ आती हैं। ये बाधाएँ व्यक्ति, स्थान, समय, वित्त, ज्ञान, सूचना और जोखिम से संबंधित होती हैं। एक व्यापारी या व्यवसायी अपने व्यापार को हानि के जोखिमों से मुक्त रखना चाहता है। इसलिए बीमा का मूल उद्देश्य हानियों से सुरक्षा प्रदान करना है।

2. **बीमा सर्वव्यापी है:** सभी मानवीय गतिविधियों के लिए बीमा सुरक्षा आवश्यक है, उदाहरण के लिए, माल परिवहन के दौरान क्षतिग्रस्त हो सकता है, चोरी हो सकता है, आग, मौसम या गोदाम में रखे होने के कारण खराब हो सकता है। किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो सकती है या वह बीमार पड़ सकता है। बीमा इन सभी जोखिमों को कवर करता है। बीमा लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा का साधन साबित हुआ है, उदाहरण के लिए, कर्मचारी राज्य बीमा औद्योगिक श्रमिकों को जीवन के विभिन्न खतरों से बचाता है और उन्हें आर्थिक असुरक्षा से सुरक्षा प्रदान करता है। यह सूची अंतहीन है क्योंकि विकसित देशों में मानवीय गतिविधि के हर पहलू का बीमा किया जाता है।
3. **बीमा एक सेवा है:** बीमा एक सेवा है क्योंकि यह भविष्य के जोखिमों से वित्तीय सुरक्षा जैसे अमूर्त लाभ प्रदान करता है, न कि कोई मूर्त उत्पाद जिसे आप अपने पास रख सकते हैं या जिसका स्वामित्व रख सकते हैं। इस प्रक्रिया में एक सेवा प्रदाता और एक सेवा लेने वाला शामिल होता है, जिसमें प्रीमियम भुगतान के बदले सेवा लेने वाले को भविष्य में मुआवजे का वादा मिलता है।
4. **बीमा एक सहयोगात्मक व्यवस्था है;** बीमा एक सहयोगात्मक व्यवस्था है जिसके तहत वित्तीय हानि को साझा करने के लिए सहमत व्यक्तियों का एक समूह स्वेच्छा से या सार्वजनिक रूप से या एजेंटों के माध्यम से बीमा करा सकता है। बीमाकर्ता अपनी पूंजी से सभी हानियों की भरपाई नहीं कर सकता। इसलिए, बड़ी संख्या में व्यक्तियों का बीमा कराकर वह हानि की राशि का भुगतान करने में सक्षम होता है।
5. **बीमा अनुबंध जुआ या दांव नहीं है;** बीमा अनुबंध देखने में जुआ या दांव जैसा लगता है। जुआ या दांव किसी अनिश्चित घटना के घटित होने पर निर्भर करता है। बीमाकर्ताओं का दायित्व भी किसी अनिश्चित घटना के घटित होने या न होने पर निर्भर करता है (मृत्यु को छोड़कर)। बीमा अनुबंध एक आकस्मिक अनुबंध है, लेकिन यह कोई दांव नहीं है।


बीमा अनुबंध एवं सट्टा अनुबंध में अंतर

विशेषता	बीमा अनुबंध	सट्टेबाजी का अनुबंध
अर्थ	यह हानि की भरपाई का अनुबंध है। बीमाधारक को किसी अनिश्चित घटना के घटित होने पर हुई हानि की भरपाई की जाती है।	सट्टेबाजी का अनुबंध किसी निश्चित घटना के घटित होने या न होने पर धन या उसके बराबर मूल्य का भुगतान करने का वादा होता है।
वैधता	बीमा अनुबंध कानूनी रूप से वैध अनुबंध है	सट्टेबाजी के अनुबंध जनहित के विरुद्ध हैं और अमान्य हैं।
उद्देश्य	बीमा अनुबंध का उद्देश्य बीमित व्यक्ति को नुकसान से बचाना है।	है। अनुबंध का उद्देश्य सट्टा लाभ कमाना भी है।
बीमा योग्य हित	बीमाधारक का विषय वस्तु में बीमा योग्य हित होता है।	शर्त लगाने में, पक्षकार का कोई बीमा योग्य हित नहीं होता। पक्षकारों का घटना

		में कोई हित नहीं होता।
राशि	बीमाधारक जोखिम कवरेज के बदले प्रीमियम का भुगतान करते हैं।	ऐसा कोई प्रीमियम नहीं दिया गया है। पक्षकार परिणाम पर दांव लगाते हैं, एक को लाभ होगा और दूसरे को हानि।
जोखिम गणना	जोखिम और प्रीमियम की गणना वैज्ञानिक विधियों के आधार पर की जाती है।	सट्टेबाजी के अनुबंध में ऐसी कोई गणना नहीं की जाती है।

10.5 बीमा के प्रकार (Types of Insurance)

बीमा को मोटे तौर पर जीवन बीमा और सामान्य बीमा में वर्गीकृत किया जा सकता है। जीवन बीमा एक अनुबंध है जिसके तहत बीमाकर्ता बीमित व्यक्ति की मृत्यु या पॉलिसी की परिपक्वता पर नामांकित व्यक्ति को एक निश्चित राशि (बीमा राशि) का भुगतान करता है। जीवन बीमा के लिए 'बीमाकृत' शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके विपरीत, सामान्य बीमा क्षतिपूर्ति के सिद्धांत का पालन करता है - बीमाकर्ता केवल वास्तविक नुकसान की भरपाई करता है। यह सुनिश्चित करना कि पॉलिसीधारक सामान्य बीमा के दावों से लाभ न कमाएं, इसका अर्थ है अग्नि, समुद्री या विविध बीमा व्यवसाय।



विविध मदों में व्यक्तिगत दुर्घटना, मोटर बीमा, चोरी और अन्य प्रकार के बीमा शामिल हैं। अन्य मदों में कई प्रकार के बीमा शामिल हैं, जैसे वाहन बीमा, फसल बीमा, ऋण बीमा या निष्ठा गारंटी बीमा, विशेष संपत्ति जोखिम पॉलिसी, अंग बीमा, स्वास्थ्य बीमा, कांच बीमा आदि।

1. **भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC):** भारत सरकार ने 1956 में देश में जीवन बीमा व्यवसाय/उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया और पूर्णतः सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की स्थापना की (उस समय 245 भारतीय और विदेशी कंपनियां जीवन बीमा क्षेत्र में कार्यरत थीं)। उस समय निजी जीवन बीमा कंपनियों का खुलना प्रतिबंधित था। सरकार ने LIC को निवेश संस्था घोषित किया। राष्ट्रीयकरण के दो मुख्य उद्देश्य थे - पहला, व्यापक सामाजिक सुरक्षा के लिए जीवन बीमा का संदेश फैलाना और दूसरा, राष्ट्र निर्माण के लिए लोगों की बचत (प्रीमियम के रूप में एकत्रित) को जुटाना। LIC सरकार की नियोजित विकास प्रक्रिया में सबसे बड़ा निवेशक था, जो बड़ी संपत्ति वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) की प्रतिभूतियों (G-Sec.) और इक्विटी का निवेश करता था।

2. **भारतीय सामान्य बीमा निगम (General Insurance Corporation of India (GIC):** 1971 में, सरकार ने सामान्य बीमा क्षेत्र में कार्यरत निजी क्षेत्र की कंपनियों (107 भारतीय और विदेशी कंपनियों) का राष्ट्रीयकरण किया और 1972 में एक सरकारी कंपनी, भारतीय सामान्य बीमा निगम (जीआईसी) का गठन किया गया। जीआईसी ने 1 जनवरी 1973 से कार्य प्रारंभ किया, और इसकी चार सहायक कंपनियाँ बनाई गईं —

1. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
2. न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
3. ओरीएंटल फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
4. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

3. **भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड (Agriculture insurance company of India Ltd.(एआईसीआईएल):** सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी, भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड (एआईसीआईएल) की स्थापना भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2002 में की गई थी। यह एक समर्पित कृषि बीमा कंपनी है और इसका उद्देश्य "किसानों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करना और एक स्थायी बीमा प्रणाली की ओर बढ़ना" है। यह कंपनी 1999 में शुरू की गई राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) की देखरेख के लिए जिम्मेदार थी। जनवरी 2016 से, कंपनी नवगठित पीएमएफबीवाई (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना) की देखरेख कर रही है, जिसने मौजूदा कृषि बीमा योजनाओं - एनएआईएस और संशोधित एनएआईएस (2010) को अपने में समाहित कर लिया है। एआईसीआईएल की स्थापना से पहले, सरकार की कृषि बीमा जिम्मेदारी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (जीआईसी) द्वारा निभाई जा रही थी।

बीमा सुधार (Insurance Reforms)

आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के तहत, अप्रैल 1992 में पूर्व आरबीआई गवर्नर आर.एन. मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक बीमा सुधार समिति (आईआरसी) का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट (जनवरी 1994) निम्नलिखित प्रमुख सुझावों के साथ प्रस्तुत की:

- न्यूनतम रु 100 करोड़ (1 Billion) पूँजी के साथ निजी कंपनियों को बीमा क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति
- विदेशी कंपनियों को घरेलू कंपनियों के साथ साझेदारी की अनुमति
- GIC एवं इसकी चार सहायक कंपनियों को अलग करना (2000 में किया गया)
- बीमा विनियामक प्राधिकरण की स्थापना (IRDA — वर्ष 2000)
- सर्वेक्षकों के लाइसेंसिंग के पुराने नियंत्रण को समाप्त करना
- टैरिफ सलाहकार समिति का पुनर्संरचना

10.6 बीमा के कार्य (Functions of Insurance)

बीमाकर्ता बीमा पॉलिसियाँ प्रदान करते हैं, जो कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंध होते हैं जिनके लिए बीमित व्यक्ति बीमा प्रीमियम का भुगतान करता है। बीमा अनुबंध के तहत, बीमा कंपनियाँ भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के आधार पर एक निश्चित राशि का भुगतान करने का वादा करती हैं। इसके आधार पर, बीमा के कार्यों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है:

1. **जोखिम के विरुद्ध निश्चितता:** बीमा हानि के जोखिम के लिए भुगतान की निश्चितता प्रदान करता है। बीमाधारक को पॉलिसी की सहायता से भविष्य के अनिश्चित खतरों, कमजोरियों और दुर्घटनाओं से सुरक्षा मिलती है। बीमाकर्ता उक्त निश्चितता प्रदान करने के लिए प्रीमियम वसूलता है।
2. **जोखिम साझाकरण:** जब कोई जोखिम उत्पन्न होता है, तो नुकसान उन सभी व्यक्तियों के बीच साझा किया जाता है जो जोखिम के दायरे में आते हैं। यह हिस्सा प्रत्येक बीमित व्यक्ति से प्रीमियम के रूप में प्राप्त किया जाता है, जिसके बिना बीमाकर्ता सुरक्षा की गारंटी नहीं देता है।
3. **हानि से सुरक्षा:** बीमा का एक मुख्य कार्य संपत्ति क्षति, देनदारी, स्वास्थ्य समस्याओं और आय की हानि जैसे विभिन्न प्रकार के जोखिमों से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस प्रकार के कवरेज से पॉलिसीधारक किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने के बाद आर्थिक रूप से उबर सकेंगे।
4. **पूँजी उपलब्ध कराना:** संग्रहित प्रीमियम को उत्पादक क्षेत्र में निवेश किया जाता है। बीमा में निवेश की सहायता से समाज की पूँजी की हानि काफी हद तक कम हो जाती है। उद्योग, व्यवसाय और व्यक्ति बीमाकर्ताओं के निवेश और ऋण से लाभान्वित होते हैं।
5. **कार्यकुशलता में सुधार:** बीमा मृत्यु और संपत्ति के विनाश से होने वाले नुकसान की चिंताओं और परेशानियों को दूर करता है। चिंतामुक्त व्यक्ति बेहतर उपलब्धियों के लिए अधिक कुशलता से काम करता है। इससे न केवल उसकी कार्यकुशलता में सुधार होता है, बल्कि आम जनता की कार्यकुशलता में भी सुधार होता है।
6. **आर्थिक प्रगति में सहायक:** बीमा वित्तीय स्थिरता प्रदान करके, निवेश और नवाचार को बढ़ावा देकर, पूँजी जुटाकर और एक विशेष सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करके आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

10.7 बीमा के सिद्धांत (Principles of Insurance)

बीमा अनुबंध में कुछ विशेष सिद्धांत होते हैं जो जीवन तथा सामान्य दोनों बीमा अनुबंधों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन सिद्धांतों में शामिल हैं:

1. **पूर्ण सद्भावना का सिद्धांत (Utmost Good Faith / Uberrimae Fidei):** बीमा अनुबंध पूर्ण सद्भावना पर आधारित होता है। यह आवश्यक है कि दोनों पक्ष अनुबंध की शर्तों और नियमों से संबंधित स्पष्ट और संक्षिप्त जानकारी प्रदान करें। यदि किसी भी पक्ष द्वारा पूर्ण सद्भावना का पालन नहीं किया जाता है, तो दूसरा पक्ष अनुबंध को रद्द कर सकता है। चूंकि बीमा एक पक्ष के जोखिम को दूसरे पक्ष पर स्थानांतरित करता है, इसलिए बीमित व्यक्ति और बीमाकर्ता के बीच पूर्ण सद्भावना और पारदर्शिता आवश्यक है। किसी भी प्रासंगिक जानकारी को जानबूझकर या अनजाने में छिपाना एक गंभीर मामला है और बीमाकर्ता को इसका पता चलने पर अनुबंध को रद्द कर सकता है।

उदाहरण: - एक व्यक्ति ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ली। बीमा पॉलिसी लेते समय वह धूम्रपान करता था, लेकिन उसने यह जानकारी छिपा ली और खुलासा नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप उसे कैंसर हो गया। ऐसी स्थिति में, बीमा कंपनी वित्तीय बोझ वहन करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी क्योंकि व्यक्ति ने महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया था।

2. **क्षतिपूर्ति का सिद्धांत (Indemnity Principle):** यह सिद्धांत कहता है कि बीमा वास्तविक हानि की भरपाई के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में, बीमित व्यक्ति को वास्तविक हानि के बराबर राशि का मुआवजा दिया जाना चाहिए, जो हानि से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रत्येक बीमा अनुबंध का उद्देश्य बीमित व्यक्ति को हानि होने से पहले की वित्तीय स्थिति में वापस लाना है। किसी भी परिस्थिति में बीमित व्यक्ति को हुई हानि से अधिक लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं है। जीवन बीमा या बीमारी या दुर्घटना के विरुद्ध मानव शरीर का बीमा क्षतिपूर्ति अनुबंध नहीं है। इस मामले में, बीमा कंपनी आकस्मिक घटना घटित होने पर पॉलिसी में उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

उदाहरण: एक व्यावसायिक भवन का मालिक भविष्य में किसी भी हानि या क्षति की लागत की वसूली के लिए बीमा अनुबंध करता है। यदि भवन आग से क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो बीमाकर्ता मरम्मत पर खर्च की गई सटीक राशि की प्रतिपूर्ति करके या अपने अधिकृत ठेकेदारों द्वारा क्षतिग्रस्त क्षेत्रों के पुनर्निर्माण द्वारा भवन की मरम्मत की लागत के लिए मालिक को क्षतिपूर्ति करेगा।

3. **पुनर्बीमा और दोहरा बीमा (Reinsurance and Double Insurance):** बीमा एक बेहद जोखिम भरा व्यवसाय है। बीमा कंपनियां अपने ग्राहकों को बीमा प्रदान करती हैं, लेकिन साथ ही वे स्वयं भी भारी वित्तीय जोखिमों के संपर्क में आ जाती हैं। इसी वास्तविकता से पुनर्बीमा व्यवसाय का उदय हुआ। जब कोई बीमा कंपनी अपने बीमा व्यवसाय के लिए बीमा कवर खरीदती है, तो एक नया खंड अस्तित्व में आता है, जिसे पुनर्बीमा कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि पुनर्बीमा के अभाव में, किसी देश में बीमा उद्योग सामाजिक आवश्यकता के स्तर तक विकसित नहीं हो पाएगा - बीमा कंपनियां कई क्षेत्रों में बीमा कवर प्रदान नहीं करेंगी या वे अपने द्वारा दी जाने वाली पॉलिसियों पर बहुत अधिक प्रीमियम वसूलेंगी (जोखिम को बेअसर करने के लिए)।

पुनर्बीमा का उदाहरण: A अपनी संपत्ति का बीमा ओरिएंटल कंपनी से 1,50,00,000 रुपये में करवाता है और फिर ओरिएंटल कंपनी उसी संपत्ति का बीमा किसी अन्य कंपनी से करवाती है, तो यह पुनर्बीमा का मामला है। ऐसा तब होता है जब बीमाकर्ता को लगता है कि बीमा राशि बहुत अधिक है और वह जोखिम वहन नहीं कर सकता। यदि ओरिएंटल कंपनी टाटा इश्योरेंस से 50,00,000 रुपये में संपत्ति का बीमा करवाती है, तो हानि होने पर ओरिएंटल कंपनी टाटा इश्योरेंस से 3:1 के अनुपात में हानि की वसूली कर सकती है, लेकिन 50,00,000 रुपये से अधिक नहीं। इस मामले में बीमित व्यक्ति का टाटा इश्योरेंस से कोई संबंध नहीं है क्योंकि उनके बीच कोई अनुबंध नहीं है। इसके अलावा, ओरिएंटल के साथ मूल बीमा पर लागू होने वाली सभी शर्तें टाटा इश्योरेंस के साथ बीमा पॉलिसी पर भी लागू होंगी। पुनर्बीमा के निम्नलिखित लाभ हैं:

1. बीमा क्षमता में वृद्धि
2. लाभ में स्थिरता
3. अनुपार्जित प्रीमियम में कमी
4. विनाशकारी नुकसानों से सुरक्षा प्रदान करता है।

दोहरे बीमा में, एक व्यक्ति एक ही संपत्ति के लिए एक या अधिक बीमा प्रदाताओं से दो बीमा पॉलिसियाँ प्राप्त करता है। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए, A के पास एक इमारत है और वह ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी से 1,50,00,000 रुपये और टाटा इश्योरेंस कंपनी से भी इतनी ही राशि का अग्नि बीमा करवाता है। यह दोहरे बीमा का मामला है, यानी संपत्ति का बीमा दो बीमाकर्ताओं से किया गया है। यदि आग से नुकसान 50,000 रुपये है, तो A इसे ओरिएंटल इश्योरेंस से आधा और टाटा इश्योरेंस से आधा वसूल कर सकता है। यदि वह टाटा इश्योरेंस से पूरी राशि वसूल कर लेता है, तो टाटा इश्योरेंस ओरिएंटल इश्योरेंस से आधी राशि, यानी ओरिएंटल का हिस्सा, वसूल कर सकता है। इस प्रकार, क्षतिपूर्ति सिद्धांत के अनुसार नुकसान का भुगतान किया जाता है। जीवन बीमा के मामले में दोहरा बीमा लाभकारी होता है। बीमित व्यक्ति सभी बीमाकर्ताओं से बीमित राशि के अनुपात में राशि वसूल कर सकता है।

4. **बीमित हित का सिद्धांत (Insurable Interest):** बीमा योग्य हित बीमा अनुबंध में प्रवेश करने की एक अनिवार्य शर्त है। यह सिद्धांत कहता है कि बीमाधारक का बीमा की विषयवस्तु में अनुबंध के समय बीमा योग्य हित होना आवश्यक है, अन्यथा बीमा अनुबंध एक सट्टेबाजी समझौता होगा जो अमान्य और अप्रवर्तनीय होगा।

बीमा योग्य हित का अर्थ है कि जिस विषयवस्तु के लिए व्यक्ति बीमा कराता है, उससे बीमाधारक को कुछ वित्तीय लाभ होना चाहिए और किसी भी क्षति, विनाश या हानि की स्थिति में वित्तीय हानि भी होनी चाहिए। इस प्रकार, बीमा योग्य हित बीमा की विषयवस्तु के संरक्षण में एक वित्तीय हित है। केवल भावनात्मक हित या गैर-मौद्रिक लाभ बीमा योग्य हित का कारण नहीं बनेंगे।

उदाहरण: सब्जी के ठेले के मालिक का ठेला में बीमा योग्य हित है क्योंकि वह इससे पैसा कमा रहा है। हालांकि, यदि वह ठेला बेच देता है, तो उसका उसमें कोई बीमा योग्य हित नहीं रहेगा।

बीमा राशि का दावा करने के लिए, बीमाधारक के लिए विषयवस्तु में बीमा योग्य हित का होना आवश्यक है। इस प्रकार, बीमा योग्य हित के बिना किया गया बीमा अनुबंध अमान्य है।

5. **प्रत्यक्ष कारण (Causa proxima):** प्रत्यक्ष कारण (Causa proxima) का सिद्धांत कहता है कि हानि या दायित्व की स्थिति में, बीमाकर्ता बीमा दावों या कानूनी दायित्व के लिए केवल निकटतम, प्रत्यक्ष और प्रभावी कारण पर ही विचार करता है, जबकि दूरस्थ या दूर के कारणों को अनदेखा किया जाता है। बीमाकर्ता हानि की भरपाई के लिए तभी उत्तरदायी होता है जब हानि बीमित जोखिमों में से किसी एक के कारण प्रत्यक्ष रूप से हुई हो। इसे प्रत्यक्ष कारण (Causa proxima) का सिद्धांत कहा जाता है। इसके अनुसार, जब हानि कई क्रमिक कारणों से होती है, तो बीमाकर्ता के दायित्व का निर्धारण करने के लिए हमें निकटतम कारण पर ध्यान देना होता है, भले ही दूरस्थ कारण के बिना हानि न हुई हो। उदाहरण के लिए, यदि कोई पॉलिसी आग को कवर करती है लेकिन लापरवाही को नहीं, और आग (लापरवाही नहीं) से प्रत्यक्ष रूप से क्षति होती है, तो बीमाकर्ता दावे का निपटान करेगा। यदि क्षति किसी बहिष्कृत जोखिम (जैसे युद्ध या जानबूझकर किया गया कार्य) से हुई है, तो भुगतान नहीं किया जाएगा। इस सिद्धांत का उपयोग विभिन्न प्रकार के बीमा जैसे अग्नि, समुद्री और संपत्ति बीमा पॉलिसियों में किया जाता है।

6. **हानि न्यूनकरण सिद्धांत (Mitigation of Loss):** इस सिद्धांत के अनुसार, बीमित पक्ष को बीमित घटना घटित होने के बाद बीमित संपत्ति को होने वाली हानि या क्षति को कम से कम करने के लिए सभी उचित और आवश्यक कदम उठाने होंगे। उसे ऐसा व्यवहार करना चाहिए मानो उसकी संपत्ति का बीमा न हो। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति ने अपने घर का अग्नि बीमा कराया।

7. **प्रतिस्थापन का सिद्धांत (Subrogation Principle):** प्रतिस्थापन का अर्थ है एक पक्ष दूसरे पक्ष का स्थान लेता है। प्रतिस्थापन का सिद्धांत केवल अग्नि और समुद्री बीमा पर लागू होता है। इस सिद्धांत के अनुसार, बीमित व्यक्ति को बीमित वस्तु पर हुए नुकसान की भरपाई हो जाने के बाद, उस संपत्ति का स्वामित्व बीमाकर्ता को प्राप्त हो जाता है। अब बीमा कंपनी द्वारा बीमित व्यक्ति को पॉलिसी की राशि का भुगतान करने के बाद, बीमित व्यक्ति अपने सभी अधिकारों का हकदार होता है और नुकसान के लिए जिम्मेदार तीसरे पक्ष से नुकसान की राशि का दावा कर सकता है। प्रतिस्थापन का सिद्धांत निम्नलिखित सीमाओं के अधीन है:

क) बीमाकर्ता केवल उन अधिकारों और उपायों का ही उत्तराधिकारी होता है जो बीमा अनुबंध से संबंधित वस्तु के संबंध में बीमित व्यक्ति को उपलब्ध हैं।

ख) बीमाकर्ता का प्रतिस्थापन अधिकार तभी उत्पन्न होता है जब वह पॉलिसी के तहत उत्तरदायी नुकसान का भुगतान कर देता है।

ग) बीमित व्यक्ति द्वारा पूर्ण क्षतिपूर्ति प्राप्त होने तक बीमाकर्ता वसूली गई राशि के लाभों का हकदार नहीं होता है।

8. **अंशदान सिद्धांत (Contribution Principle):** यदि बीमित व्यक्ति एक ही जोखिम पर एक से अधिक बीमा पॉलिसी लेता है, तो विभिन्न बीमाकर्ताओं के बीच अंशदान का सिद्धांत लागू होता है। इस

सिद्धांत का उद्देश्य एक ही विषय वस्तु से संबंधित विभिन्न पॉलिसियों के तहत एक ही जोखिम के लिए उत्तरदायी विभिन्न बीमाकर्ताओं के बीच वास्तविक राशि का वितरण करना है। हानि होने की स्थिति में, कोई भी बीमाकर्ता बीमित व्यक्ति को पॉलिसी द्वारा कवर की गई पूरी हानि राशि का भुगतान करेगा। इस राशि का भुगतान करने के बाद, बीमित व्यक्ति अपने सह-बीमाकर्ताओं से उसी विषय वस्तु की हानि होने पर प्रत्येक द्वारा भुगतान करने के लिए ली गई राशि के अनुपात में अंशदान प्राप्त करने का हकदार होता है।

उदाहरण: बीमित व्यक्ति ने अपनी कार का बीमा B से 100000 रुपये में और C से 60000 रुपये में कराया है। बीमित व्यक्ति B और C से 50000 रुपये प्रत्येक की वसूली नहीं कर सकता। वह केवल 50000 रुपये ही प्राप्त कर सकता है। B और C हानि को 100000:60000 के अनुपात में वहन करेंगे, यानी 5:3। बी 31250 रुपये और सी 25000 रुपये का भुगतान करेगा। यदि बी 50000 रुपये की पूरी हानि राशि का भुगतान करता है, तो वह सी से 18750 रुपये वसूल करता है। अंशदान का अधिकार तब उत्पन्न होता है जब:

- क) एक ही विषय से संबंधित विभिन्न पॉलिसियाँ हों।
- ख) पॉलिसी उसी जोखिम को कवर करती हो जिसके कारण हानि हुई हो।
- ग) हानि के समय सभी पॉलिसियाँ एक ही समय पर लागू हों।
- घ) बीमाकर्ताओं में से किसी एक ने बीमित व्यक्ति को उसकी हानि के हिस्से से अधिक भुगतान किया हो।

उपग्रहण व अंशदान में अंतर

1. **अनुबंधों की संख्या:** प्रतिस्थापन में केवल एक ही अनुबंध होता है। अंशदान का प्रश्न तभी उठता है जब एक से अधिक अनुबंध हों। अतः, प्रतिस्थापन में अंशदान नहीं होता है।
2. **उद्देश्य:** अंशदान का उद्देश्य किसी विशेष हानि के लिए उत्तरदायी अनेक बीमाकर्ताओं के बीच दायित्व का बंटवारा करना है। प्रतिस्थापन के मामले में, एक पक्ष (बीमा कंपनी) दूसरे पक्ष (जैसे बीमित व्यक्ति) का स्थान लेता है और हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी तीसरे पक्ष के विरुद्ध उनके अधिकारों और उपायों का पालन करता है।
3. **वसूली:** अंशदान के मामले में, बीमाकर्ता बीमित व्यक्ति को राशि का भुगतान करने के बाद, अपने हिस्से से अधिक भुगतान की गई राशि अन्य सह-बीमाकर्ताओं से वसूल करता है। प्रतिस्थापन के मामले में, बीमाकर्ता बीमित व्यक्ति को राशि का भुगतान करने के बाद, उस व्यक्ति से राशि वसूल करने का प्रयास करता है जो बीमा न होने की स्थिति में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है।

10.8 बीमा के लाभ (Advantages of Insurance)

1. **हानि का स्थानांतरण:** हम सभी अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के जोखिमों और अनिश्चितताओं का सामना करते हैं। ये जोखिम और अनिश्चितताएं भारी नुकसान का कारण बन सकती हैं। बीमा का उद्देश्य वित्तीय नुकसान को बीमाकर्ता को हस्तांतरित करना है, जो इसे बड़ी संख्या में

- (पॉलिसीधारकों) में वितरित करता है। इस प्रकार एक व्यक्ति द्वारा उठाया गया नुकसान कई लोगों में बंट जाता है यानि कि इससे एक व्यक्ति की हानि कई लोगों में विभाजित हो जाती है।
2. **सामाजिक सुरक्षा का साधन:** बीमा किसी विशेष घटना में होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करता है। आम तौर पर यह माना जाता है कि नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। विकसित देशों ने इस दिशा में काफी प्रगति की है और बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन और जरूरतमंदों को जीवन निर्वाह भत्ता जैसी सुविधाएं प्रदान की हैं। हालांकि, विकासशील देशों में प्रगति धीमी है, लेकिन संतोषजनक है।
 3. **वित्तीय संरक्षण:** बीमा का एक मुख्य कार्य अप्रत्याशित नुकसान की स्थिति में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। बीमा कंपनी सुरक्षा प्रदान करने के बदले प्रीमियम वसूलती है। जीवन बीमा के मामले में, पॉलिसीधारक की मृत्यु पर लाभार्थियों को बीमा राशि प्राप्त होती है। कई अन्य बीमा पॉलिसियां चोरी, आग या प्राकृतिक आपदाओं आदि जैसी दुर्घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करती हैं। बीमाकर्ता से प्राप्त धनराशि दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बाद सामान्य जीवन जीने में सहायक होती है।
 4. **बीमा निधियों का निवेश:** बीमा कंपनियों द्वारा एकत्र किए गए प्रीमियम का एक बड़ा हिस्सा व्यापार और उद्योग जैसे क्षेत्रों में निवेश किया जाता है। बड़ी मात्रा में धनराशि सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य सार्वजनिक ऋणों में निवेश की जाती है। प्रत्येक देश में बीमा निधियों के निवेश के संबंध में अपने नियम होते हैं, जो देश की आर्थिक स्थिति और राष्ट्र निर्माण कार्यक्रम पर निर्भर करते हैं। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण भारत में 1956 में जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण है। उस समय मुख्य उद्देश्य पंचवर्षीय योजनाओं के वित्तपोषण के लिए बीमा निधियों की विशाल राशि का उपयोग करना था। तब से, एलआईसी अर्थव्यवस्था के सामाजिक रूप से उन्मुख क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
 5. **रोजगार के अवसर:** बीमा व्यवसाय का एक नया रूप बन गया है, जिसमें सैकड़ों बीमाकर्ता और हजारों कर्मचारी कार्यरत हैं। बीमा और वित्तीय क्षेत्र के विकास ने इस उद्योग में उत्कृष्टता प्राप्त करने की योग्यता और क्षमता रखने वालों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। बीमा और वित्तीय क्षेत्र का विस्तार होने से — बीमा कंपनियाँ, एजेंट, कार्मिक के लिए रोजगार के बड़े अवसर पैदा हुए हैं।
 6. **विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन:** बीमा एक ऐसा साधन है जो किसी भी दुर्घटना की स्थिति में व्यवसाय के जोखिम को कम करता है। इससे निर्यातकों और उद्योगपतियों को अपने व्यवसाय का विस्तार करने और विदेशी व्यापार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।
 7. **मुद्रास्फीति में नियंत्रण:** वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि मुद्रास्फीति का कारण बनती है। ऐसा तब होता है जब बाजार में मुद्रा की आपूर्ति अधिक होती है। बीमा कंपनी को प्रीमियम के रूप में भुगतान की गई राशि बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को कम करती है। इस प्रकार, यह देश में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायक होता है।
 8. **अन्य लाभ:** बीमा व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करता है। इससे व्यापार फलता-फूलता है और विदेशी व्यापार बढ़ता है।
 - क) इससे बचत की आदत विकसित होती है।

- ख) इससे पॉलिसी पर ऋण लेना आसान हो जाता है।
- ग) बीमा कंपनियों में काम देकर रोजगार सृजित होता है।
- घ) यह श्रमिकों को अमीर होने, विकलांग होने, मातृत्व और दुर्घटना के विरुद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। कर्मचारी राज्य बीमा इस उद्देश्य के लिए एक एजेंसी है।

समस्याएँ Problems:

1. एक एजेंट ने प्रस्ताव प्रपत्र गलत भरा, हालांकि बीमित व्यक्ति ने सही तथ्य बताए थे और उस पर बीमित व्यक्ति के हस्ताक्षर भी थे। क्या अनुबंध वैध है? नहीं, क्योंकि एजेंट बीमित व्यक्ति की ओर से कार्य कर रहा था।
2. पति-पत्नी द्वारा ली गई एक संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी। पत्नी ने अपनी गर्भावस्था का खुलासा नहीं किया। दोनों को इस तथ्य की जानकारी थी। प्रसव के दौरान पत्नी की मृत्यु हो गई। निर्णय: पति बीमा राशि का दावा नहीं कर सकता।

10.9 सारांश (Summary)

बीमा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा किसी विशेष जोखिम से होने वाले नुकसान को उन अनेक व्यक्तियों में बाँटा जाता है जो उस जोखिम से प्रभावित होते हैं और उस जोखिम के विरुद्ध स्वयं का बीमा कराने के लिए सहमत होते हैं। जोखिम वित्तीय हानि की अनिश्चितता है। बीमा के कार्यों में निश्चितता प्रदान करना, सुरक्षा, जोखिम साझा करना, हानि की रोकथाम और पूंजी निर्माण शामिल हैं। मोटे तौर पर, बीमा को जीवन बीमा और गैर-जीवन बीमा के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

बीमा दो व्यक्तियों - बीमाकर्ता और बीमित व्यक्ति - के बीच का अनुबंध है। भुगतान की गई राशि को "प्रीमियम" कहा जाता है। बीमित संपत्ति या सामान को बीमा का विषय कहा जाता है और जिस दस्तावेज़ में अनुबंध लिखा जाता है उसे "पॉलिसी" कहा जाता है। "बीमित जोखिम" का अर्थ है संपत्ति को क्षति या विनाश, या किसी व्यक्ति की मृत्यु या विकलांगता। बीमा अनुबंध कुछ सिद्धांतों पर आधारित होता है। ये सिद्धांत हैं: सद्भावना, बीमा योग्य हित, क्षतिपूर्ति (जीवन और व्यक्तिगत बीमारी या दुर्घटना को छोड़कर), प्रत्यक्ष कारण (जीवन बीमा को छोड़कर)। दोहरा बीमा और पुनर्बीमा दो अलग-अलग अवधारणाएँ हैं। दोहरा बीमा बीमित व्यक्ति द्वारा दो बीमाकर्ताओं से कराया जाता है, जबकि पुनर्बीमा बीमाकर्ता द्वारा किसी अन्य बीमाकर्ता से कराया जाता है। प्रतिस्थापन वह नियम है जिसके तहत बीमाकर्ता, बीमित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करने पर, बीमित व्यक्ति का स्थान ले लेता है। अंशदान एक बीमाकर्ता का अधिकार है कि वह दोहरे बीमा के मामले में दूसरे बीमाकर्ता से अपना हिस्सा मांग सके, जहाँ बीमाकर्ता ने पूरी राशि का भुगतान किया हो।

10.10 शब्दावली (Glossary)

बीमा: बीमा दो पक्षों के बीच एक समझौता है जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष के नुकसान की भरपाई करने के लिए सहमत होता है।

पॉलिसी: पॉलिसी एक बीमित व्यक्ति (पॉलिसीधारक) और एक बीमा कंपनी (बीमाकर्ता) के बीच एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंध है।

- जोखिम:** जोखिम किसी ऐसी घटना की अनिश्चितता है जिससे वित्तीय नुकसान हो सकता है, जिसे पॉलिसीधारक प्रीमियम के बदले बीमा कंपनी को हस्तांतरित कर सकता है।
- प्रतिफल:** अनुबंध में प्रत्येक पक्ष द्वारा प्रदान किए गए मूल्य को संदर्भित करता है: पॉलिसीधारक द्वारा प्रीमियम भुगतान और बीमाकर्ता द्वारा दावों का भुगतान करने का वादा।
- बीमाकर्ता:** बीमाकर्ता वह कंपनी, संगठन या इकाई है जो बीमा कवरेज प्रदान करती है और बीमित घटना होने पर वित्तीय नुकसान की भरपाई करने का वादा करती है।
- बीमित:** बीमित व्यक्ति या कानूनी इकाई वह व्यक्ति या इकाई है जिसके नुकसान का जोखिम बीमा पॉलिसी द्वारा कवर किया जाता है।

10.11 बोध प्रश्न (Check Your Progress)

रिक्त स्थान भरें:

1. बीमा पॉलिसी खरीदने वाले व्यक्ति को कहते हैं।
2. बीमित और बीमाकर्ता के बीच समझौते को बीमा कहा जाता है।
3. बीमा सुरक्षा प्रदान करने वाले व्यक्ति/कंपनी को कहते हैं।
4. का सिद्धांत कहता है कि बीमित हानि से लाभ नहीं कमा सकता।
5. जीवन बीमा बीमा के अंतर्गत आता है।
6. सिद्धांत दोनों पक्षों से पूर्ण ईमानदारी मांगता है।
7. सिद्धांत एक ही हानि पर बार-बार दावा करने से रोकता है।
8. स्वास्थ्य बीमा उपचार के खर्च को कवर करता है।

10.12 बोध प्रश्न के उत्तर (Answers: Check your progress)

1. बीमित
2. पॉलिसी
3. बीमाकर्ता
4. क्षतिपूर्ति (Indemnity)
5. जीवन
6. सर्वोच्च सद्भावना (Utmost Good Faith)
7. अंशदान (Contribution)
8. चिकित्सा

10.13 स्वपरख प्रश्न (Terminal Questions)

1. बीमा क्या है? बीमा के विभिन्न कार्यों की व्याख्या करें।
2. बीमा के आवश्यक सिद्धांतों को समझाएँ।
3. जीवन बीमा के मुख्य लाभ क्या हैं? चर्चा करें।
4. बीमा के लाभ समझाएँ।

5. “बीमा क्षतिपूर्ति का अनुबंध है” — स्पष्ट करें।
6. अंतर लिखें —
 - a) उपग्रहण और अंशदान
 - b) द्वैबीमा और पुनर्बीमा

10.14 संदर्भ पुस्तकें (Reference Books)

- C.L. Tyagi, Madhu Tyagi. Insurance: Law and Practice. Atlantic Publishers & Distributors (P) Ltd.
- Karan Pal, B.S. Bodla, M.C. Garg. Insurance Management: Principles and Practices. Deep & Deep Publications Pvt. Ltd.
- Dr. P. Periasamy. Principles & Practice of Insurance. Himalaya Publishing House
- <https://testbook.com/banking-awareness/history-of-insurance>
- https://sathee.iitk.ac.in/article/banking-article/history_of_insurance/#key-milestones-in-the-history-of-insurance-in-india

इकाई-11 भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI)

इकाई की रूपरेखा

- 11.1 प्रस्तावना
- 11.2 प्रारंभिक
- 11.3 प्राधिकरण की स्थापना एवं निगमन
 - 11.3.1 प्राधिकरण की संरचना
 - 11.3.2 अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल
 - 11.3.3 पद से निष्कासन
 - 11.3.4 अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन एवं भत्ते
 - 11.3.5 सदस्यों के भविष्य में रोजगार पर रोक
 - 11.3.6 अध्यक्ष की प्रशासनिक शक्तियाँ
- 11.4 अंतरिम बीमा नियामक प्राधिकरण की परिसंपत्तियों, देनदारियों आदि का हस्तांतरण
- 11.5 भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण के कर्तव्य, शक्तियाँ एवं कार्य
- 11.6 वित्त, लेखा एवं लेखापरीक्षा
- 11.7 विविध
 - 11.7.1 केंद्र सरकार द्वारा निर्देश जारी करने की शक्ति
 - 11.7.2. प्राधिकरण को अधिनायकित करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति
 - 11.7.3. केंद्र सरकार को विवरण आदि प्रस्तुत करना
 - 11.7.4. प्राधिकरण के अध्यक्ष, सदस्य, पदाधिकारी और अन्य कर्मचारी लोक सेवक माने जाएंगे
 - 11.7.5. सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण
 - 11.7.6. शक्तियों का प्रत्यायोजन
 - 11.7.7. नियम बनाने की शक्ति
 - 11.7.8. बीमा सलाहकार समिति की स्थापना
 - 11.7.9. विनियम बनाने की शक्ति
 - 11.7.10. संसद के समक्ष नियम एवं विनियम प्रस्तुत किए जाएंगे
 - 11.7.11. अन्य कानूनों का लागू होना वर्जित नहीं
 - 11.7.12. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति
- 11.8 सारांश
- 11.9 शब्दावली
- 11.10 बोध प्रश्न
- 11.11 बोध प्रश्न के उत्तर
- 11.12 स्वपरख प्रश्न

11.13 संदर्भ पुस्तकें

उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप इस योग्य हो सकेंगे कि:

- आईआरडीए का अर्थ जान सकेंगे।
- आईआरडीए का संविधान की व्याख्या कर सकेंगे।
- आईआरडीए के कर्तव्य, शक्तियां और कार्य का वर्णन कर सकेंगे।

11.1 प्रस्तावना (Introduction)

बीमा को एक सहकारी व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके द्वारा किसी विशेष जोखिम से होने वाले नुकसान को कई व्यक्तियों में बाँटा जाता है। बीमा जोखिम साझाकरण प्रदान करता है और नुकसान को रोकता है। नागरिकों को बेहतर बीमा कवरेज प्रदान करने और अवसंरचना के वित्तपोषण के लिए दीर्घकालिक संसाधनों के प्रवाह को बढ़ाने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र को विदेशी और भारतीय कंपनियों के लिए खोल दिया। 1993 में, भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर आर.एन. मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य बीमा उद्योग की संरचना की जांच करना और अर्थव्यवस्था की वित्तीय प्रणाली के अन्य भागों में संरचनात्मक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए इस उद्योग को अधिक कुशल और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए बदलावों की सिफारिश करना था। 1994 में समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और कई सिफारिशें कीं। इनमें भारत में बीमा और पुनर्बीमा क्षेत्र के विकास और विनियमन के लिए बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना की भी सिफारिश की गई थी। इस प्रकार, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 संसद द्वारा पारित किया गया। बीमा कंपनियों के कामकाज की निगरानी के लिए इसी नाम से एक वैधानिक निकाय की स्थापना की गई। इस अधिनियम में 32 धाराएँ और तीन अनुसूचियाँ हैं। अनुसूचियों में बीमा अधिनियम, 1938, जीवन बीमा अधिनियम, 1956 और सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 में किए गए संशोधन शामिल हैं। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण एक निगमित निकाय है जिसका नाम शाश्वत उत्तराधिकार वाला है और एक सामान्य मुहर है। इसे अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्तियों का अधिग्रहण, धारण और निपटान करने तथा अनुबंध करने का अधिकार प्राप्त है और उक्त नाम से यह मुकदमा कर सकता है या इस पर मुकदमा किया जा सकता है। प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा जैसा कि केंद्र सरकार समय-समय पर निर्धारित करे। प्राधिकरण भारत में अन्य स्थानों पर भी कार्यालय स्थापित कर सकता है। (धारा 3)

11.2 प्रारंभिक (Preliminary)

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

- (1) इस अधिनियम को बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 कहा जा सकता है।
- (2) यह पूरे भारत में लागू होगा।
- (3) यह अधिनियम उस तिथि से लागू होगा जो केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे:

बशर्ते कि इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग-अलग तिथियां नियुक्त की जा सकती हैं और किसी भी प्रावधान में इस अधिनियम के प्रारंभ होने का उल्लेख उस प्रावधान के लागू होने के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा।

2. परिभाषाएँ (Definitions)

(1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "नियुक्त दिन" से तात्पर्य उस तिथि से है जिस दिन धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण की स्थापना की जाती है।

(ख) "प्राधिकरण" से तात्पर्य धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण से है;

(ग) "अध्यक्ष" से तात्पर्य प्राधिकरण के अध्यक्ष से है;

(घ) "निधि" से तात्पर्य धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन गठित बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण निधि से है;

(ई) "अंतरिम बीमा नियामक प्राधिकरण" से तात्पर्य केंद्र सरकार द्वारा संकल्प संख्या 17(2)/94-इंस-वी, दिनांक 23 जनवरी, 1996 के माध्यम से स्थापित बीमा नियामक प्राधिकरण से है;

(एफ) "मध्यस्थ या बीमा मध्यस्थ" में बीमा दलाल, पुनर्बीमा दलाल, बीमा सलाहकार, सर्वेक्षक और हानि मूल्यांकनकर्ता शामिल हैं;

(जी) "सदस्य" से तात्पर्य प्राधिकरण के पूर्णकालिक या अंशकालिक सदस्य से है और इसमें अध्यक्ष भी शामिल हैं;

(एच) "अधिसूचना" से तात्पर्य राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है;

(आई) "निर्धारित" से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित से है;

(जे) "विनियम" से तात्पर्य प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों से है।

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त और परिभाषित न किए गए शब्द एवं अभिव्यक्तियाँ, जो बीमा अधिनियम, 1938 (4 ऑफ 1938) या जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (31 ऑफ 1956) या सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (57 ऑफ 1972) में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो उन अधिनियमों में उन्हें दिया गया है।

11.3 प्राधिकरण की स्थापना एवं निगमन (Establishment and Incorporation of Authority)

(1) केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्धारित तिथि से, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण" नामक एक प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी।

(2) प्राधिकरण उपर्युक्त नाम से निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर होगी और इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्तियों

का अधिग्रहण, धारण और निपटान करने तथा अनुबंध करने का अधिकार होगा तथा उक्त नाम से किसी पर मुकदमा कर सकता है या उस पर मुकदमा किया जा सकता है।

(3) प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा जिस स्थान को केंद्र सरकार समय-समय पर निर्धारित करेगी।

(4) प्राधिकरण भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकता है।

11.3.1 प्राधिकरण की संरचना (Composition of Authority)

प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्य होंगे,

- क) अध्यक्ष
- ख) अधिकतम पाँच पूर्णकालिक सदस्य;
- ग) अधिकतम चार अंशकालिक सदस्य,

केंद्र सरकार द्वारा ऐसे योग्य, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएँगे जिन्हें जीवन बीमा, सामान्य बीमा, बीमांकिक विज्ञान, वित्त, अर्थशास्त्र, विधि, लेखांकन, प्रशासन या किसी अन्य विषय में ज्ञान या अनुभव हो, जो केंद्र सरकार की राय में प्राधिकरण के लिए उपयोगी हो: बशर्ते कि केंद्र सरकार अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति करते समय यह सुनिश्चित करेगी कि उनमें से कम से कम एक व्यक्ति क्रमशः जीवन बीमा, सामान्य बीमा या बीमांकिक विज्ञान में ज्ञान या अनुभव रखने वाला हो।

11.3.2 अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल (Tenure of office of Chairperson and Other Members)

1. अध्यक्ष और प्रत्येक पूर्णकालिक सदस्य अपने पद ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहेंगे और पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे। बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद अध्यक्ष के रूप में पद धारण नहीं करेगा। बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पद धारण नहीं करेगा।
2. अंशकालिक सदस्य अपने पद ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद पर नहीं रहेंगे।
3. उपरोक्त किसी बात के होते हुए भी सदस्य निम्न कार्य कर सकते हैं:
 - क) केंद्र सरकार को कम से कम तीन महीने का लिखित नोटिस देकर अपने पद का त्याग कर सकते हैं; या
 - ख) धारा 6 के प्रावधानों के अनुसार अपने पद से हटाए जा सकते हैं।

11.3.3 पद से निष्कासन (Removal from Office)

1. केंद्र सरकार किसी भी सदस्य को पद से हटा सकती है यदि वह-
 - क) संलिप्तता का दोषी पाया गया हो या किसी भी समय दोषी ठहराया गया हो; या
 - ख) सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो; या
 - ग) किसी ऐसे अपराध का दोषी पाया गया हो, जो केंद्र सरकार की राय में नैतिक पतन से संबंधित हो; या

- घ) ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिए हों, जिनसे सदस्य के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो; या
 - ड) अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया हो कि उसका पद पर बने रहना जनहित के लिए हानिकारक हो।
2. उपधारा (1) के खंड (घ) या खंड (ड) के तहत ऐसे किसी भी सदस्य को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे इस मामले में सुनवाई का उचित अवसर न दिया गया हो। (धारा 6)

11.3.4 अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन एवं भत्ते (Salary and Allowances of Chairperson and Members)

1. अंशकालिक सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों को देय वेतन एवं भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें एवं नियम ऐसे होंगे जैसे निर्धारित किए जा सकते हैं।
2. अंशकालिक सदस्यों को ऐसे भत्ते प्राप्त होंगे जैसे निर्धारित किए जा सकते हैं।
3. नियुक्ति के बाद किसी सदस्य के वेतन, भत्ते एवं सेवा की अन्य शर्तों में उसके प्रतिकूल परिवर्तन नहीं किया जाएगा। (धारा 7)

11.3.5 सदस्यों के भविष्य में रोजगार पर रोक (Bar on Future Employment of Members)

अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य, अपने पद से हटने की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक, केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, निम्नलिखित रोजगार स्वीकार नहीं करेंगे:

- क) केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई रोजगार; या
- ख) बीमा क्षेत्र की किसी कंपनी में कोई नियुक्ति।

11.3.6 अध्यक्ष की प्रशासनिक शक्तियाँ (Administrative Powers of Chairperson)

अध्यक्ष को प्राधिकरण के सभी प्रशासनिक मामलों के संबंध में सामान्य पर्यवेक्षण और निर्देशन की शक्तियाँ प्राप्त होंगी। (धारा 9)

प्राधिकरण की बैठकें

1. प्राधिकरण की बैठकें ऐसे समय और स्थानों पर होंगी, और बैठकों में कामकाज के संचालन के संबंध में (बैठकों में कोरम सहित) ऐसे नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया जायेगा, जैसा कि विनियमों द्वारा निर्धारित किया गया होगा।
2. अध्यक्ष, या यदि किसी कारणवश वह प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित नहीं हो पाता है, तो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना गया कोई अन्य सदस्य, बैठक की अध्यक्षता करेगा।
3. प्राधिकरण की किसी भी बैठक में आने वाले सभी प्रश्नों का निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा, और मतों की समानता की स्थिति में, अध्यक्ष, या उसकी अनुपस्थिति में, अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।
4. प्राधिकरण अपनी बैठकों में कामकाज के संचालन के लिए विनियम बना सकता है। (धारा 10)

रिक्तियों आदि के कारण प्राधिकरण की कार्यवाही अमान्य नहीं होगी Vacancies etc. Not to invalidate Proceedings of Authority

प्राधिकरण का कोई भी कार्य या कार्यवाही मात्र निम्नलिखित कारणों से अमान्य नहीं होगी:

- क. प्राधिकरण में कोई रिक्ति, या प्राधिकरण की संरचना में कोई दोष;
- ख. प्राधिकरण के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई दोष; या
- ग. प्राधिकरण की प्रक्रिया में कोई अनियमितता जो मामले के गुण-दोष को प्रभावित न करती हो।

11.4 अंतरिम बीमा नियामक प्राधिकरण की परिसंपत्तियों, देनदारियों आदि का हस्तांतरण: नियुक्ति तिथि को (Transfer of Assets, Liabilities, etc. of Interim Insurance Regulatory Authority: On the Appointed day)

क) अंतरिम बीमा नियामक प्राधिकरण की सभी परिसंपत्तियां और देनदारियां प्राधिकरण को हस्तांतरित हो जाएंगी और उसमें निहित हो जाएंगी।

स्पष्टीकरण: अंतरिम बीमा नियामक प्राधिकरण की परिसंपत्तियों में सभी अधिकार और शक्तियां, और सभी चल या अचल संपत्तियां, जिनमें विशेष रूप से नकद शेष, जमा और ऐसी संपत्तियों में या उनसे उत्पन्न होने वाले सभी अन्य हित और अधिकार शामिल हैं, जो अंतरिम बीमा नियामक प्राधिकरण के कब्जे में हों, और उनसे संबंधित सभी लेखा-पुस्तकें और अन्य दस्तावेज शामिल माने जाएंगे; और देनदारियों में सभी प्रकार के ऋण, देनदारियां और दायित्व शामिल माने जाएंगे;

ख) खंड क) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस दिन से ठीक पहले अंतरिम बीमा नियामक प्राधिकरण द्वारा, उसके साथ या उसके लिए किए गए सभी ऋण, दायित्व और देनदारियां, किए गए सभी अनुबंध और उक्त नियामक प्राधिकरण के उद्देश्य के लिए या उसके संबंध में किए जाने वाले सभी मामले और चीजें, प्राधिकरण द्वारा, उसके साथ या उसके लिए किए गए, दर्ज किए गए या किए जाने के लिए प्रतिबद्ध माने जाएंगे।

ग. उस दिन से ठीक पहले अंतरिम बीमा नियामक प्राधिकरण को देय सभी धनराशि प्राधिकरण को देय मानी जाएगी; और

घ. उस दिन से ठीक पहले अंतरिम बीमा नियामक प्राधिकरण द्वारा या उसके विरुद्ध शुरू किए गए या शुरू किए जा सकने वाले सभी मुकदमे और अन्य अवैध कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा जारी रखी जा सकती हैं या प्राधिकरण द्वारा या उसके विरुद्ध शुरू की जा सकती हैं।

11.5 बीमा प्राधिकरण (IRDA) के कर्तव्य, शक्तियां और कार्य (Duties, Powers and Functions of IRDA)

- (1) इस अधिनियम और उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, प्राधिकरण का कर्तव्य होगा कि वह बीमा व्यवसाय और पुनर्बीमा व्यवसाय के विनियमन, संवर्धन और सुचारु विकास को सुनिश्चित करे।
- (2) उपधारा (1) में निहित प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण की शक्तियों और कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (क) आवेदक को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना, ऐसे पंजीकरण का नवीनीकरण, संशोधन, वापसी, निलंबन या निरस्तीकरण करना;
- (ख) पॉलिसी के आवंटन, पॉलिसीधारकों द्वारा नामांकन, बीमा योग्य हित, बीमा दावे का निपटान, पॉलिसी का समर्पण मूल्य और बीमा अनुबंधों के अन्य नियमों और शर्तों से संबंधित मामलों में पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करना;
- (ग) मध्यस्थों या बीमा मध्यस्थों और एजेंटों के लिए आवश्यक योग्यताएं, आचार संहिता और व्यावहारिक प्रशिक्षण निर्दिष्ट करना;
- (घ) सर्वेक्षकों और हानि मूल्यांकनकर्ताओं के लिए आचार संहिता निर्दिष्ट करना;
- (ङ) बीमा व्यवसाय के संचालन में दक्षता को बढ़ावा देना;
- (च) बीमा और पुनर्बीमा व्यवसाय से जुड़े पेशेवर संगठनों को बढ़ावा देना और विनियमित करना;
- (छ) इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शुल्क और अन्य प्रभार लगाना;
- (ज) बीमाकर्ताओं, मध्यस्थों, बीमा मध्यस्थों और बीमा व्यवसाय से जुड़े अन्य संगठनों से सूचना प्राप्त करना, उनका निरीक्षण करना, पूछताछ और जांच करना, जिसमें लेखापरीक्षा भी शामिल है;
- (झ) सामान्य बीमा व्यवसाय के संबंध में बीमाकर्ताओं द्वारा दी जाने वाली दरों, लाभों, नियमों और शर्तों का नियंत्रण और विनियमन करना, जो बीमा अधिनियम, 1938 (4 ऑफ 1938) की धारा 64U के तहत टैरिफ सलाहकार समिति द्वारा नियंत्रित और विनियमित नहीं हैं;
- (झ) बीमाकर्ताओं और अन्य बीमा मध्यस्थों द्वारा लेखा पुस्तकों को रखने और लेखा विवरण प्रस्तुत करने के प्रारूप और तरीके को निर्दिष्ट करना;
- (का) बीमा कंपनियों द्वारा निधियों के निवेश को विनियमित करना;
- (एल) दिवालियापन सीमा के रखरखाव को विनियमित करना;
- (म) बीमाकर्ताओं और मध्यस्थों या बीमा मध्यस्थों के बीच विवादों का निपटारा;
- (न) टैरिफ सलाहकार समिति के कामकाज की निगरानी;
- (ओ) खंड (f) में निर्दिष्ट व्यावसायिक संगठनों को बढ़ावा देने और विनियमित करने की योजनाओं के वित्तपोषण के लिए बीमाकर्ता की प्रीमियम आय का प्रतिशत निर्दिष्ट करना;
- (प) ग्रामीण या सामाजिक क्षेत्र में बीमाकर्ता द्वारा किए जाने वाले जीवन बीमा व्यवसाय और सामान्य बीमा व्यवसाय का प्रतिशत निर्दिष्ट करना; और
- (क्यू) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। (धारा 14)

11.6 वित्त, लेखा एवं लेखापरीक्षा (Finance, Account and Audit)

केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान

संसद द्वारा इस संबंध में विधि द्वारा उचित विनियोजन किए जाने के बाद, केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयुक्त समझे जाने वाली धनराशि प्राधिकरण को अनुदान के रूप में दे सकती है।

निधियों का गठन Constitutions of funds

1. एक निधि का गठन किया जाएगा जिसे “बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण निधि” कहा जाएगा और उसमें निम्नलिखित राशियाँ जमा की जाएँगी:
 - क) प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी सरकारी अनुदान, शुल्क एवं प्रभार;
 - ख) केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित अन्य स्रोतों से प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी राशियाँ;
 - ग) बीमाकर्ता से प्राप्त निर्धारित प्रीमियम आय का प्रतिशत।
2. इस निधि का उपयोग निम्नलिखित के भुगतान के लिए किया जाएगा:
 - क) प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते एवं अन्य पारिश्रमिका
 - ख) प्राधिकरण के अपने कार्यों के निर्वहन और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए किए गए अन्य व्यय।

लेखा एवं लेखापरीक्षा (Accounts and Audit)

प्राधिकरण उचित लेखा एवं अन्य प्रासंगिक अभिलेख रखेगा और केंद्र सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से निर्धारित प्रारूप में वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगा।

- (1) प्राधिकरण के लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निर्धारित अंतरालों पर की जाएगी और ऐसी लेखापरीक्षा के संबंध में किया गया कोई भी व्यय प्राधिकरण द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को देय होगा।
- (2) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और प्राधिकरण के लेखापरीक्षा के संबंध में उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी लेखापरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार प्राप्त होंगे जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सामान्यतः सरकारी लेखापरीक्षा के संबंध में प्राप्त होते हैं और विशेष रूप से उन्हें लेखापुस्तकों, संबंधित वाउचरों और अन्य दस्तावेजों एवं कागजातों को प्रस्तुत करने की मांग करने तथा प्राधिकरण के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
- (3) प्राधिकरण के खाते, जैसा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या उनके द्वारा इस संबंध में नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किया गया हो, लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित, प्रतिवर्ष केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे और वह सरकार उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करवाएगी।

11.7 विविध (Miscellaneous)

11.7.1 केंद्र सरकार द्वारा निर्देश जारी करने की शक्ति (POWER OF CENTRAL GOVERNMENT TO ISSUE DIRECTIONS).

- (1) इस अधिनियम के पूर्वगामी प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए या अपने कार्यों का निष्पादन करते हुए, नीतिगत मामलों पर ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा, जो तकनीकी और प्रशासनिक मामलों से संबंधित मामलों को छोड़कर, केंद्र सरकार समय-समय पर उसे लिखित रूप में दे सकती है। बशर्ते कि प्राधिकरण

को, जहां तक संभव हो, इस उपधारा के अधीन कोई निर्देश जारी करने से पहले अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा।

(2) केंद्रीय सरकार का निर्णय, चाहे प्रश्न नीतिगत हो या न हो, अंतिम होगा।

11.7.2. प्राधिकरण को अधिनायकित करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति (POWER OF CENTRAL GOVERNMENT TO SUPERSEDE AUTHORITY)

- (1) यदि किसी भी समय केंद्रीय सरकार की राय हो-
 - (क) कि प्राधिकरण के नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण वह इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत उस पर लगाए गए कार्यों या कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, या
 - (ख) कि प्राधिकरण ने इस अधिनियम के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश का पालन करने में या इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत उस पर लगाए गए कार्यों या कर्तव्यों के निर्वहन या निर्वहन में लगातार चूक की है और ऐसी चूक के परिणामस्वरूप प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति या प्राधिकरण के प्रशासन को नुकसान हुआ है; या
 - (ग) यदि ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हों जिनके कारण जनहित में ऐसा करना आवश्यक हो, तो केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा और उसमें निर्दिष्ट कारणों से प्राधिकरण को अधिकतम छह माह की अवधि के लिए, जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाए, निरस्त कर सकती है और यदि पहले से नियुक्त न किया गया हो, तो बीमा अधिनियम, 1938 (4 ऑफ 1938) की धारा 2बी के अधीन किसी व्यक्ति को बीमा नियंत्रक नियुक्त कर सकती है: बशर्ते कि ऐसी कोई अधिसूचना जारी करने से पहले, केंद्र सरकार प्राधिकरण को यदि कोई अभ्यावेदन हो, तो उसे प्रस्तुत करने का उचित अवसर देगी।
- (2) उपधारा (1) के अंतर्गत प्राधिकरण को निरस्त करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन पर,
 - (क) अध्यक्ष और अन्य सदस्य निरस्तीकरण की तिथि से अपने पद छोड़ देंगे;
 - (ख) इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से प्रयोग या निर्वहन किए जाने वाले सभी अधिकार, कार्य और कर्तव्य, उपधारा (3) के तहत प्राधिकरण के पुनर्गठन तक, बीमा नियंत्रक द्वारा प्रयोग और निर्वहन किए जाएंगे; और
 - (ग) प्राधिकरण के स्वामित्व या नियंत्रण वाली सभी संपत्तियाँ, उपधारा (3) के तहत प्राधिकरण के पुनर्गठन तक, केंद्र सरकार में निहित रहेंगी।
- (3) उपधारा (1) के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट अस्थायी अवधि की समाप्ति से पहले या उस दिन तक, केंद्र सरकार प्राधिकरण का पुनर्गठन उसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नई नियुक्ति द्वारा करेगी और ऐसे मामले में, उपधारा (2) के खंड (क) के तहत अपना पद छोड़ने वाला कोई भी व्यक्ति पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा।
- (4) केंद्र सरकार उपधारा (1) के तहत जारी अधिसूचना की एक प्रति और किसी भी कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष यथाशीघ्र प्रस्तुत करवाएगी।

11.7.3. केंद्र सरकार को विवरण आदि प्रस्तुत करना (FURNISHING OF RETURNS, ETC. TO CENTRAL GOVERNMENT)

- (1) प्राधिकरण, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समय, प्रारूप और तरीके से, या केंद्र सरकार के निर्देशानुसार, बीमा उद्योग के संवर्धन एवं विकास हेतु किसी प्रस्तावित या मौजूदा कार्यक्रम के संबंध में ऐसे विवरण, विवरण और अन्य जानकारी प्रस्तुत करेगा, जिसकी केंद्र सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे।
- (2) उपधारा (1) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के नौ महीने के भीतर केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान बीमा व्यवसाय के संवर्धन एवं विकास संबंधी गतिविधियों सहित अपनी गतिविधियों का सही और पूर्ण विवरण दिया गया हो।
- (3) उपधारा (2) के अंतर्गत प्राप्त रिपोर्टों की प्रतियां, प्राप्ति के बाद यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएंगी।

11.7.4. प्राधिकरण के अध्यक्ष, सदस्य, पदाधिकारी और अन्य कर्मचारी लोक सेवक माने जाएंगे

प्राधिकरण के अध्यक्ष, सदस्य, पदाधिकारी और अन्य कर्मचारी, इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अनुसरण में कार्य करते समय या कार्य करने का आशय रखते समय, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक माने जाएंगे।

11.7.5. सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण (PROTECTION OF ACTION TAKEN IN GOOD FAITH)

केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकरण के किसी सदस्य, पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या विनियमों के तहत सद्भावनापूर्वक किए गए या किए जाने के आशय से किए गए किसी भी कार्य के लिए कोई मुकदमा, अभियोग या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी: बशर्ते कि इस अधिनियम में कुछ भी किसी व्यक्ति को किसी भी मुकदमे या अन्य कार्यवाही से छूट नहीं देगा जो इस अधिनियम के अलावा उसके विरुद्ध लाई जा सकती है।

11.7.6. शक्तियों का प्रत्यायोजन (DELEGATION OF POWERS)

- (1) प्राधिकरण, सामान्य या विशेष लिखित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कार्यों को, जिन्हें वह आवश्यक समझे, अध्यक्ष या प्राधिकरण के किसी अन्य सदस्य या पदाधिकारी को, आदेश में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, प्रत्यायोजित कर सकता है।
- (2) प्राधिकरण, सामान्य या विशेष लिखित आदेश द्वारा, सदस्यों की समितियाँ भी गठित कर सकता है और उन्हें प्राधिकरण की ऐसी शक्तियाँ और कार्य प्रत्यायोजित कर सकता है, जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट हों।

11.7.7. नियम बनाने की शक्ति (POWER TO MAKE RULES)

- (1) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है।
- (2) विशेष रूप से, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:
 - (क) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अंशकालिक सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें और नियम;
 - (ख) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन अंशकालिक सदस्यों को देय भत्ते;

- (ग) धारा 14 की उपधारा (2) के खंड (q) के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्रयोग की जाने वाली अन्य शक्तियां;
- (घ) धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण द्वारा रखे जाने वाले वार्षिक लेखा विवरण का प्रारूप;
- (ई) धारा 20 की उपधारा (1) के तहत केंद्र सरकार को रिटर्न, विवरण और विवरण प्रस्तुत करने का प्रपत्र, तरीका और समय सीमा;
- (फ) धारा 25 की उपधारा (5) के अंतर्गत वे मामले जिन पर बीमा सलाहकार समिति प्राधिकरण को सलाह देगी;
- (ज) कोई अन्य मामला जिसे निर्धारित करना आवश्यक है, या निर्धारित किया जा सकता है, या जिसके संबंध में नियमों द्वारा प्रावधान किया जाना है या किया जा सकता है।

11.7.8. बीमा सलाहकार समिति की स्थापना

- (1) प्राधिकरण अधिसूचना द्वारा, ऐसी तिथि से प्रभावी, एक समिति की स्थापना कर सकता है, जिसे बीमा सलाहकार समिति के नाम से जाना जाएगा।
- (2) बीमा सलाहकार समिति में पदेन सदस्यों को छोड़कर अधिकतम पच्चीस सदस्य होंगे, जो वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, कृषि, उपभोक्ता मंचों, सर्वेक्षकों, एजेंटों, मध्यस्थों, सुरक्षा और हानि निवारण में लगे संगठनों, अनुसंधान निकायों और बीमा क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे।
- (3) प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य बीमा सलाहकार समिति के पदेन अध्यक्ष और पदेन सदस्य होंगे।
- (4) बीमा सलाहकार समिति का उद्देश्य धारा 26 के अधीन विनियम बनाने से संबंधित मामलों पर प्राधिकरण को सलाह देना होगा।
- (5) उपधारा (4) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बीमा सलाहकार समिति प्राधिकरण को ऐसे अन्य मामलों पर सलाह दे सकती है, जैसा कि निर्धारित किया जाए।

11.7.9. विनियम बनाने की शक्ति Powers to make regulations

- (1) प्राधिकरण, बीमा सलाहकार समिति से परामर्श करके, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुरूप नियम बना सकता है, ताकि इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।
- (2) विशेष रूप से, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:-
 - (क) प्राधिकरण की बैठकों का समय और स्थान तथा ऐसी बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें धारा 10 की उपधारा (1) के तहत कार्य संचालन के लिए आवश्यक कोरम भी शामिल है;
 - (ख) धारा 10 की उपधारा (4) के अधीन इसकी बैठकों में किए गए कार्य-प्रक्रिया;
 - (ग) धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और अन्य नियम;

- (घ) धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन सदस्यों की समितियों को प्रत्यायोजित की जा सकने वाली शक्तियां और कार्य; और
- (ड) कोई अन्य मामला जिसे विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जाना आवश्यक है या किया जा सकता है, या जिसके संबंध में विनियमों द्वारा प्रावधान किया जाना है या किया जा सकता है।

11.7.10. संसद के समक्ष नियम एवं विनियम प्रस्तुत किए जाएंगे (RULES AND REGULATIONS TO BE LAID BEFORE PARLIAMENT)

इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित प्रत्येक नियम एवं विनियम को, निर्माण के तुरंत बाद, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, जो एक सत्र या दो या दो से अधिक क्रमिक सत्रों में समाहित हो सकती है। यदि उक्त सत्र या क्रमिक सत्र के तुरंत बाद वाले सत्र की समाप्ति से पहले, दोनों सदन नियम एवं विनियम में कोई संशोधन करने पर सहमत हों, या दोनों सदन यह निर्णय लें कि नियम एवं विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो नियम एवं विनियम इसके बाद केवल संशोधित रूप में ही प्रभावी होगा या अप्रभावी होगा; यद्यपि, ऐसा कोई भी संशोधन या निरस्तीकरण उस नियम एवं विनियम के अंतर्गत पूर्व में किए गए किसी भी कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

11.7.11. अन्य कानूनों का लागू होना वर्जित नहीं (APPLICATION OF OTHER LAWS NOT BARRED)

इस अधिनियम के प्रावधान, वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे, और यह उनका किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं कर रहे।

11.7.12. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

- (1) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केंद्र सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत न होने वाले ऐसे प्रावधान कर सकती है जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों: बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत कोई भी आदेश नियुक्ति तिथि से दो वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं दिया जाएगा।
- (2) इस धारा के अंतर्गत दिया गया प्रत्येक आदेश, दिए जाने के बाद यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

11.8 सारांश (Summary)

आईआरडीए अधिनियम (IRDA Regulation) का उद्देश्य बीमा पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करने, बीमा उद्योग को विनियमित करने, बढ़ावा देने और उसके सुचारू विकास को सुनिश्चित करने तथा उससे संबंधित या उससे जुड़े मामलों के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना करना है। संपूर्ण अधिनियम को 6 अध्यायों में विभाजित किया गया है, जिनमें सार्वजनिक हित से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का वर्णन है।

अध्याय 1 में प्रारंभिक प्रावधानों का वर्णन है, जिनमें संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ और परिभाषाएँ शामिल हैं। अध्याय 2 में बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का वर्णन है, जिनमें प्राधिकरण की स्थापना एवं निगमन, प्राधिकरण की संरचना, अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का कार्यकाल, पद से निष्कासन, अध्यक्ष एवं सदस्यों का वेतन

एवं भत्ते, सदस्यों के भविष्य में रोजगार पर रोक, अध्यक्ष की प्रशासनिक शक्तियाँ, प्राधिकरण की बैठकें, रिक्तियाँ आदि, प्राधिकरण की कार्यवाही को अमान्य न करना, प्राधिकरण के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हैं। अध्याय 3 में अंतरिम बीमा नियामक प्राधिकरण की परिसंपत्तियों, देनदारियों आदि के हस्तांतरण का वर्णन है। अध्याय 4 में प्राधिकरण के कर्तव्यों, शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन है। अध्याय 5 में वित्त, लेखा एवं लेखापरीक्षा का वर्णन है, जिनमें केंद्र सरकार द्वारा दिए गए अनुदान, लेखापरीक्षा एवं निधियों का गठन शामिल है। अध्याय 6 में विविध प्रावधान हैं, जिनमें केंद्र सरकार, अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों को लोक सेवक होने की विभिन्न शक्तियाँ शामिल हैं।

11.9 शब्दावली (Glossary)

आईआरडीए: भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त और वैधानिक निकाय है। इसे भारत में बीमा और पुनर्बीमा उद्योगों को विनियमित करने और लाइसेंस प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है।

बीमा अधिनियम, 1938: भारत में बीमा व्यवसाय को नियंत्रित करने वाला मुख्य कानून, जिसमें समय-समय पर संशोधन किए जाते हैं और जिसका प्रशासन भारतीय बीमा प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा किया जाता है।

नियामक; एक प्राधिकरण जो नियम बनाता है और यह सुनिश्चित करता है कि बीमा कंपनियां उनका पालन करें।

पॉलिसीधारक; वह व्यक्ति जो बीमा पॉलिसी खरीदता है और उसके लाभों का हकदार होता है।

बीमाकर्ता; एक बीमा कंपनी जो पॉलिसीधारकों को बीमा कवरेज प्रदान करती है।

जीवन बीमा; बीमा जो बीमित व्यक्ति की मृत्यु या जीवित रहने के विरुद्ध वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है।

सामान्य बीमा; स्वास्थ्य, मोटर, अग्नि, समुद्री और यात्रा जैसे गैर-जीवन जोखिमों को कवर करने वाला बीमा।

पुनर्बीमा; बीमा कंपनी द्वारा अपने जोखिम को कम करने के लिए खरीदा गया बीमा।

बीमाकर्ताओं का पंजीकरण: भारत में बीमा व्यवसाय शुरू करने के लिए कंपनियों को IRDAI द्वारा दी गई स्वीकृति।

लाइसेंसिंग; बीमा एजेंटों, दलालों और मध्यस्थों को संचालन के लिए IRDAI द्वारा दी गई अनुमति।

बीमा मध्यस्थ; वह व्यक्ति या संगठन जो बीमाकर्ता और पॉलिसीधारक के बीच कड़ी का काम करता है (एजेंट, दलाल, कॉर्पोरेट एजेंट)।

सॉल्वेंसी मार्जिन: भविष्य के दावों को पूरा करने के लिए बीमाकर्ता द्वारा बनाए रखी जाने वाली न्यूनतम वित्तीय क्षमता।

प्रीमियम; बीमा कवरेज के लिए पॉलिसीधारक द्वारा बीमाकर्ता को भुगतान की गई राशि।

दावा निपटान: बीमाकृत नुकसान के लिए पॉलिसीधारक को मुआवजा देने की प्रक्रिया।

उपभोक्ता संरक्षण: पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा के लिए IRDAI द्वारा उठाए गए उपाय।

शिकायत निवारण: बीमाकर्ताओं के खिलाफ पॉलिसीधारकों की शिकायतों के समाधान की प्रणाली।

निवेश विनियम: बीमाकर्ताओं को पॉलिसीधारकों के धन का निवेश कैसे करना चाहिए, इस पर IRDAI द्वारा जारी दिशानिर्देश।

11.10 बोध प्रश्न (Check Your Progress)

1. आईआरडीए की स्थापनाआईआरडीए अधिनियम के तहत की गई थी।
2. आईआरडीए का प्राथमिक उद्देश्य के हितों की रक्षा करना है।
3. आईआरडीए भारत की कंपनियों को विनियमित करता है।
4. आईआरडीए यह सुनिश्चित करता है कि बीमाकर्ता उचित प्रथाओं का पालन करें।
5. आईआरडीए की संरचना में एक अध्यक्ष और से अधिक पूर्णकालिक सदस्य नहीं होते हैं।

11.11 बोध प्रश्न के उत्तर (Answers to check your progress)

1. 1999
2. शेयरधारक
3. बीमा
4. बाजार
5. 5

11.12 स्वपरख प्रश्न (Terminal Questions)

1. आईआरडीएआई क्या है?
2. आईआरडीएआई की स्थापना कब हुई थी?
3. आईआरडीएआई का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था?
4. आईआरडीएआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
5. आईआरडीएआई के अध्यक्ष का नाम बताइए।
6. आईआरडीएआई का पूरा नाम क्या है?
7. आईआरडीएआई किस क्षेत्र को नियंत्रित करता है?
8. आईआरडीएआई के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?
9. आईआरडीए की शक्तियों, कर्तव्यों और कार्यक्षेत्र पर चर्चा करें और उदाहरण सहित समझाएँ।
10. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें:
क) आईआरडीए का वित्त, लेखा और लेखापरीक्षा।
ख) आईआरडीए के कामकाज में केंद्र सरकार की शक्तियाँ।
11. बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की विशेष विशेषताओं को स्पष्ट करें।

1.13 संदर्भ पुस्तकें (Reference Books)

- सी.एल. त्यागी, मधु त्यागी. बीमा: कानून और व्यवहार। अटलांटिक पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्राइवेट) लिमिटेड।

- करण पाल, बी.एस.बोडला, एम.सी.गर्ग. बीमा प्रबंधन: सिद्धांत और व्यवहार। दीप एंड दीप पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड।
- डॉ. पी. पेरियासामी. बीमा के सिद्धांत और व्यवहार। हिमालय पब्लिशिंग हाउस।
- हरगोविंद दयाल. बीमा के मूल सिद्धांत: सिद्धांत, नियम और व्यवहार। नोटियन प्रेस।
- <https://testbook.com/banking-awareness/history-of-insurance>
- https://sathee.iitk.ac.in/article/banking-article/history_of_insurance/#key-milestones-in-the-history-of-insurance-in-india

इकाई-12 सामान्य बीमा: सामान्य बीमा का अर्थ और विभिन्न प्रकार

इकाई की रूपरेखा

- 12.1 प्रस्तावना
- 12.2 सामान्य बीमा व्यवसाय अधिनियम, 1972
- 12.3 भारतीय सामान्य बीमा निगम (जीआईसी) की स्थापना
- 12.4 जीआईसी के कार्य
- 12.5 सामान्य बीमा के प्रकार
 - 12.5.1 अग्नि बीमा
 - 12.5.2 समुद्री बीमा
 - 12.5.3 मोटर बीमा
 - 12.5.4 स्वास्थ्य बीमा
 - 12.5.5 विविध बीमा
- 12.6 प्रमुख सामान्य बीमा कंपनियाँ
- 12.7 सामान्य बीमा का महत्व
- 12.8 सामान्य बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची
- 12.9 सामान्य बीमा और जीवन बीमा में अंतर
- 12.10 सामान्य बीमा पॉलिसी पर दावा कैसे करें
- 12.11 सारांश
- 12.12 शब्दावली
- 12.13 बोध प्रश्न
- 12.14 बोध प्रश्न के उत्तर
- 12.15 स्वपरख प्रश्न
- 12.16 संदर्भ पुस्तकें

उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप इस योग्य हो सकेंगे कि-

- सामान्य बीमा का अर्थ जान सकेंगे |
- भारत में सामान्य बीमा निगम की स्थापना का वर्णन कर सकेंगे |
- सामान्य बीमा के प्रकार की व्याख्या कर सकेंगे |
- जीवन बीमा और सामान्य बीमा के बीच अंतर स्पष्ट कर सकेंगे |

12.1 प्रस्तावना (Introduction)

सामान्य बीमा एक गैर-जीवन बीमा पॉलिसी है जो आपके घर, वाहन या स्वास्थ्य जैसी संपत्तियों के साथ-साथ यात्रा और व्यवसाय के लिए अप्रत्याशित नुकसान या क्षति से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें आग, चोरी, दुर्घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं और चिकित्सा आपात स्थितियां जैसे कई प्रकार के जोखिम शामिल हैं, और यह जीवन बीमा से इस मायने में भिन्न है कि यह किसी व्यक्ति के जीवन के बजाय संपत्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा करता है। "सामान्य बीमा अधिनियम" शब्द आमतौर पर भारत के सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 को संदर्भित करता है, जिसने भारत में सामान्य बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया। हालांकि, यह व्यापक बीमा अधिनियम, 1938 को भी संदर्भित कर सकता है, जो एक अलग लेकिन संबंधित कानून है जो सामान्य रूप से बीमा को नियंत्रित करता है। 1972 के अधिनियम ने भारतीय सामान्य बीमा निगम (जीआईसी) की स्थापना की और 107 निजी बीमा कंपनियों को चार नई सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में समूहीकृत किया। यह कंपनियां थी : नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।

12.2 सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (General Insurance Business (Nationalization) Act, 1972)

अधिनियम के उद्देश्य (Objectives of Act)

1. भारतीय बीमा कंपनियों और अन्य मौजूदा बीमाकर्ताओं के उपक्रमों के शेयरों के अधिग्रहण और हस्तांतरण के लिए प्रावधान करना।
2. समुदाय के सर्वोत्तम हित में सामान्य बीमा व्यवसाय के विकास को सुनिश्चित करके अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करना।
3. यह सुनिश्चित करना कि आर्थिक प्रणाली के संचालन से धन का संकेंद्रण न हो, जो आम जनता के लिए हानिकारक हो सकती है।
4. ऐसे व्यवसाय के विनियमन और नियंत्रण तथा उससे संबंधित और उससे जुड़े मामलों के लिए।

12.3 भारतीय सामान्य बीमा निगम (जीआईसी) की स्थापना (Establishment of General Insurance Corporation (GIC))

सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1972 के अनुसार, केंद्र सरकार कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत एक सरकारी कंपनी का गठन करेगी, जिसे भारतीय सामान्य बीमा निगम के नाम से जाना जाएगा। इसका उद्देश्य सामान्य बीमा व्यवसाय का पर्यवेक्षण, नियंत्रण और संचालन करना होगा।

जीआईसी के उद्देश्य जीवन बीमा के अलावा अन्य सामान्य बीमा व्यवसाय, जैसे दुर्घटना, अग्नि आदि का संचालन करना, सहायक कंपनियों को बीमा व्यवसाय संचालित करने में सहायता करना और उनकी निवेश रणनीति को कुशल और उत्पादक तरीके से संचालित करने में सहयोग करना है।

निधि के स्रोत (Sources of finance)

सामान्य बीमा व्यवसाय निधि के स्रोत हैं: चुकता पूंजी, आरक्षित निधि, लाभ और प्रीमियम। यह एलआईसी की तरह मुद्रा और पूंजी बाजारों में भी परिचालन कर सकती है, बीमा जारी करने और दीर्घकालिक ऋण एवं निवेश

प्रदान करने से लाभ कमा सकती है। इसकी निवेश नीति एलआईसी की तरह बीमा अधिनियम द्वारा शासित होती है और तदनुसार इसके निवेश केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों, अर्ध सरकारी बांडों, डिबेंचर, कंपनियों के वरीयता शेयरों और इक्विटी शेयरों, कंपनियों के पास जमा और अन्य ऋणों और अग्रिमों में निर्दिष्ट अनुपात में फैले हुए हैं।

जीआईसी और उसकी सहायक कंपनियां (GIC and its Subsidiaries)

सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1972 के पारित होने के साथ हुआ, जिसके तहत निर्धारित तिथि (1 जनवरी, 1973) को भारतीय बीमा कंपनियों के सभी शेयर पहले केंद्र सरकार और उसके बाद भारतीय सामान्य बीमा निगम में निहित हो गए। राष्ट्रीयकरण के बाद, चार सहायक कंपनियों के साथ सामान्य बीमा निगम का गठन किया गया, जिनके नाम इस प्रकार हैं:

1. न्यू इंडिया एश्योरेस कंपनी लिमिटेड - मुख्यालय - मुंबई
2. यूनाइटेड इंडिया इश्योरेस कंपनी लिमिटेड - मुख्यालय - चेन्नई
3. ओरिएंटल इश्योरेस कंपनी लिमिटेड - मुख्यालय - नई दिल्ली
4. नेशनल इश्योरेस कंपनी लिमिटेड - मुख्यालय - कोलकाता

सभी सामान्य व्यवसाय उपरोक्त चार सहायक कंपनियों के माध्यम से संचालित किए जाते हैं।

संगठनात्मक संरचना (Organization Structure)

जनरल इश्योरेस कॉर्पोरेशन (जीआईसी) एक होल्डिंग कंपनी है जिसका प्रमुख कार्य अपनी सहायक कंपनियों के संचालन को विनियमित और नियंत्रित करना है। यह पुनर्बीमा पर केंद्रित है। इसके द्वारा प्रत्यक्ष बीमा अंडरराइटिंग केवल विमानन और फसल बीमा तक ही सीमित थी। इसकी चार सहायक कंपनियां अखिल भारतीय स्तर पर एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए प्रत्यक्ष बीमा अंडरराइटिंग व्यवसाय में संलग्न हैं।


जनरल इश्योरेस कॉर्पोरेशन और इसकी चार सहायक कंपनियों की संगठनात्मक संरचना चार स्तरीय है। ये इस प्रकार हैं:

- क) प्रधान कार्यालय या केंद्रीय कार्यालय
- ख) क्षेत्रीय कार्यालय
- ग) मंडल कार्यालय
- घ) शाखा कार्यालय

केंद्रीय कार्यालय निवेश संबंधी गतिविधियों का संचालन करता है और निगम के नियमों और विनियमों का निर्माण और प्रशासन करता है। शाखा कार्यालय में 90% कार्य पॉलिसीधारकों से संबंधित होते हैं। भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर स्थापित दस क्षेत्रीय कार्यालय और 1000 से अधिक मंडल कार्यालय हैं। ये केंद्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित अपने समन्वय और कार्यकारी कार्यों (coordinating and executive functions) का निर्वहन करते हैं।

निम्नलिखित चार्ट इसे स्पष्ट रूप से समझाता है।

संगठनात्मक चार्ट (Organizational Chart)



मंडल कार्यालयों के प्राथमिक कार्य व्यवसाय के विकास और उसके प्रशासन से संबंधित हैं, जिनमें उनके अधिकार क्षेत्र में स्थित शाखाओं (यदि कोई हों) का पर्यवेक्षण भी शामिल है। विकास कार्यों में निरीक्षकों और एजेंटों की नियुक्ति तथा विपणन, योजना और खरीद व्यवसाय शामिल हैं। प्रशासनिक कार्यों में पॉलिसी जारी करना, दावों का निपटान, लेखा-जोखा और सामान्य प्रशासन जैसे कार्मिक व्यवस्था आदि शामिल हैं।

शाखा कार्यालयों के कार्य भी लगभग समान हैं, सिवाय इसके कि उन्हें निरीक्षकों की नियुक्ति और दावों के निपटान का अधिकार नहीं है, सिवाय मोटर वाहन क्षति, पशुधन संबंधी दावों और कुछ निश्चित सीमाओं के भीतर अन्य दावों के। मोटे तौर पर, शाखाओं के कार्यों में प्रत्यक्ष और निरीक्षकों तथा एजेंटों के माध्यम से व्यवसाय का विकास, प्रीमियम संग्रह, रसीदें, कवर नोट, पॉलिसी आदि जारी करना, कमीशन, किराया आदि जैसे छोटे भुगतान, लेखा-जोखा और निरीक्षकों पर समन्वय एवं नियंत्रण शामिल हैं।


12.4 जीआईसी के कार्य (Functions of GIC)

निगम के कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- क. सामान्य बीमा व्यवसाय के किसी भी भाग का संचालन करना, यदि वह ऐसा करना उचित समझे।
- ख. सामान्य बीमा व्यवसाय में आचरण के मानक और सुचारु प्रथाओं को स्थापित करने के मामले में अधिग्रहण करने वाली कंपनियों को सहायता, मार्गदर्शन और सलाह देना।
- ग. सामान्य बीमा पॉलिसियों के धारकों को कुशल सेवा प्रदान करना।
- घ. अधिग्रहण करने वाली कंपनियों को उनके निधियों के निवेश के मामले में सलाह देना।
- ङ. सामान्य बीमा व्यवसाय के संचालन के संबंध में अधिग्रहण करने वाली कंपनियों को निर्देश जारी करना।
- च. अधिग्रहण करने वाली कंपनियों को निर्देश जारी करना और उनकी सेवाओं को अधिक कुशलता से प्रदान करने के लिए उनके बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना।

12.5 सामान्य बीमा के प्रकार Types of General Insurance

सामान्य बीमा जीवन के अलावा मानव जीवन के अन्य सभी पहलुओं से संबंधित है और इसमें स्वास्थ्य बीमा, मोटर बीमा, अग्नि बीमा, समुद्री बीमा और अन्य प्रकार के बीमा जैसे पशुधन बीमा, खेल बीमा, फसल बीमा आदि शामिल हैं।



हम आगे विभिन्न प्रकार के सामान्य बीमाओं पर चर्चा करेंगे।

12.5.1 अग्नि बीमा (Fire Insurance)

अग्नि बीमा से संबंधित कानून बीमा अधिनियम, 1938 में निहित है। अधिनियम की धारा 2(6ए) अग्नि बीमा व्यवसाय को इस प्रकार परिभाषित करती है: "किसी अन्य प्रकार के व्यवसाय के आनुषंगिक रूप से न किए जाने वाले व्यवसाय के रूप में, अग्नि या अन्य ऐसी घटनाओं से होने वाली हानि के विरुद्ध बीमा अनुबंधों को संपन्न करना, जिन्हें आमतौर पर अग्नि बीमा पॉलिसियों के अंतर्गत बीमित जोखिमों में शामिल किया जाता है।" यह परिभाषा बहुत व्यापक है और इसमें अग्नि और अग्नि से होने वाली हानि शामिल है। अग्नि बीमा अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसमें एक व्यक्ति, जिसे बीमाकर्ता कहा जाता है, प्रीमियम नामक राशि के बदले में, बीमित संपत्ति या बीमित व्यक्ति के माल को अग्नि से होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत होता है। अनुबंध में बीमित विषय वस्तु, पॉलिसी की राशि और वे परिस्थितियाँ निर्दिष्ट होती हैं जिनके अंतर्गत बीमाकर्ता उत्तरदायी नहीं होता है। कानून के अनुसार अग्नि बीमा अनुबंध एक वर्ष के लिए होता है और वर्ष की समाप्ति से पहले इसे बढ़ाया जा सकता है। प्रीमियम का भुगतान एकमुश्त या किश्तों में किया जा सकता है। "पॉलिसी" वह दस्तावेज़ है जिसमें अग्नि बीमा के नियम और शर्तें शामिल होती हैं। यह अनुबंध वैध अनुबंध की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए।

“आग” का अर्थ (Meaning of “Fire”)

‘आग’ शब्द का शाब्दिक अर्थ “जलने की स्थिति” है और इसका प्रयोग आम बोलचाल में घरेलू या विनिर्माण कार्यों के लिए लगाई जाने वाली आग के लिए किया जाता है। यह उचित सीमा के भीतर ही सीमित रहती है और सीमा का उल्लंघन नहीं करती। बीमा में आग का अर्थ केवल सीमा का उल्लंघन करने वाली आग से है। अग्नि बीमा में आग शब्द का सीधा और सामान्य अर्थ ही लिया जाता है, न कि कोई सीमित अर्थ। इस अर्थ में आग का मतलब है: क) आग का वास्तविक रूप से लगना या प्रज्वलन होना चाहिए और ख) बीमित व्यक्ति के लिए यह आकस्मिक या संयोगवश होना चाहिए। इस प्रकार, पॉलिसी के तहत वैध दावा करने के लिए वास्तविक रूप से आकस्मिक रूप से आग लगना आवश्यक है।

अग्नि बीमा अनुबंध की विशेषताएं (Features of Fire Insurance Contract)

अग्नि बीमा अनुबंध की निम्नलिखित विशेषताएं हैं:

1. **क्षतिपूर्ति अनुबंध:** यह एक क्षतिपूर्ति अनुबंध है क्योंकि हानि होने पर, बीमित व्यक्ति केवल वास्तविक हानि की ही वसूली कर सकता है, इससे अधिक नहीं। क्षतिपूर्ति की जाने वाली अधिकतम हानि राशि बीमा पॉलिसी के मूल्य के बराबर होगी।
2. **पूर्ण सद्भावना:** अग्नि बीमा पूर्ण सद्भावना (uberrimae fidei) का अनुबंध है। बीमित व्यक्ति और बीमा कंपनी दोनों को अपने ज्ञान में मौजूद हर उस जानकारी का खुलासा करना होगा जो अनुबंध को प्रभावित कर सकती है। प्रत्येक महत्वपूर्ण तथ्य का खुलासा पूर्ण और निष्पक्ष होना चाहिए।
3. **अवधि:** अग्नि बीमा अनुबंध केवल एक वर्ष के लिए होता है। अनुग्रह अवधि के भीतर प्रीमियम का भुगतान करने के बाद इसका नवीनीकरण किया जा सकता है।
4. **बीमा योग्य हित:** अग्नि बीमा के मामले में, बीमित व्यक्ति को संपत्ति में स्वामित्व या आर्थिक रूप से बीमा योग्य हित प्रदर्शित करना होता है। यह पॉलिसी लेते समय और हानि के समय दोनों ही समय मौजूद होना चाहिए। मालिक, संरक्षिका, बंधकधारक और बीमाकर्ता सभी का बीमा योग्य हित होता है। मालिक का स्वामित्व हित होता है और संरक्षिका या बंधकधारक का आर्थिक हित होता है। बाद वाला मालिक की जानकारी के बिना भी, और माल या संपत्ति के पूर्ण मूल्य तक बीमा करा सकता है।
5. बीमा अनुबंध द्वारा कवर किया गया जोखिम आग या किसी अन्य कारण से होने वाली हानि है जो क्षति का निकटतम कारण है।
6. **प्रतिस्थापन और अंशदान:** ये दोनों सिद्धांत अग्नि बीमा पर लागू होते हैं।
7. अग्नि बीमा पॉलिसी में कोई समर्पण मूल्य नहीं होता है।
8. संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 के तहत अग्नि बीमा पॉलिसी को कार्रवाई योग्य दावे के रूप में सौंपा जा सकता है।

12.5.2 समुद्री बीमा (Marine Insurance)

समुद्री बीमा, बीमित व्यक्ति और बीमाकर्ता के बीच एक अनुबंध है। समुद्री बीमा में समुद्र के खतरों से सुरक्षा प्रदान की जाती है। समुद्र में होने वाले खतरों में जहाज का चट्टानों से टकराना, समुद्री लुटेरों द्वारा जहाज पर हमला करना और जहाज में आग लगना शामिल हो सकते हैं।

समुद्री बीमा में तीन प्रकार के बीमा शामिल हैं: जहाज का ढांचा, माल और भाड़ा बीमा।

जहाज या ढांचा बीमा: चूंकि जहाज समुद्र में कई खतरों के संपर्क में रहता है, इसलिए बीमा जहाज को हुए नुकसान की भरपाई करता है।

माल बीमा: माल ढोने वाले जहाज कई जोखिमों के अधीन होते हैं, जैसे माल की चोरी, बंदरगाह पर या यात्रा के दौरान माल का खो जाना। इसलिए, ऐसे नुकसानों की भरपाई के लिए माल का बीमा कराना आवश्यक है।

भाड़ा बीमा: यदि पारगमन के दौरान किसी भी प्रकार की हानि या क्षति के कारण माल गंतव्य तक नहीं पहुंचता है, तो शिपिंग कंपनी को भाड़ा शुल्क का भुगतान नहीं मिलता है। भाड़ा बीमा ऐसी घटनाओं के कारण हुए भाड़े के नुकसान की भरपाई में मदद करता है।

समुद्री बीमा एक क्षतिपूर्ति अनुबंध है जिसके तहत बीमित व्यक्ति बीमित वस्तु को होने वाली किसी भी क्षति की स्थिति में बीमाकर्ता से वास्तविक नुकसान की लागत वसूल कर सकता है।

समुद्री बीमा और अग्नि बीमा की तुलना (Comparison of Marine Insurance and Fire Insurance)

निम्नलिखित तालिका में समुद्री बीमा और अग्नि बीमा की तुलना की गई है।

अन्तर का आधार	समुद्री बीमा (Marine Insurance)	अग्नि बीमा (Fire Insurance)
1. हस्तांतरणीयता	समुद्री बीमा पॉलिसी को स्वतंत्र रूप से हस्तांतरित किया जा सकता है।	अग्नि बीमा पॉलिसी को बीमा कंपनी की सहमति के बिना हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है।
2. हानि की राशि	समुद्री बीमा में, बीमित राशि के 10 से 15% तक अपेक्षित लाभ का मार्जिन भुगतान किया जाता है।	अग्नि बीमा में, वास्तविक हानि या बीमित राशि, दोनों में से जो भी कम हो, उसका भुगतान किया जाता है।
3. अवधि	समुद्री बीमा पॉलिसी कम अवधि (टाइम पॉलिसी) या किसी निश्चित गंतव्य (वॉयज पॉलिसी) के लिए हो सकती है।	अग्नि बीमा पॉलिसी केवल एक वर्ष के लिए होती है।
4. प्रारूप:	समुद्री बीमा पॉलिसी का मानक प्रारूप समुद्री बीमा अधिनियम, 1963 में दिया गया है।	अग्नि बीमा पॉलिसी का कोई प्रारूप किसी कानून में नहीं दिया गया है।

12.5.3 मोटर बीमा (Motor Insurance)

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत, वाहन का बीमा कराना अनिवार्य है। इस बीमा के अंतर्गत चार प्रकार के वाहन आते हैं: i) निजी कारें ii) वाणिज्यिक वाहन (ट्रक, वैन, ट्रैक्टर, बसें आदि) iii) मोटरसाइकिल

और स्कूटर iv) अन्य जैसे शोरूम में प्रदर्शित वाहन, एम्बुलेंस, सरकारी वाहन, ट्रैलर, बुलडोजर, बख्तरबंद गाड़ियाँ, पेट्रोल वैगन आदि।

इस बीमा के अंतर्गत दो प्रकार के जोखिम कवर किए जाते हैं:

- i) आग, दुर्घटना, परिवहन आदि के कारण वाहन को होने वाली क्षति या हानि।
- ii) किसी तीसरे पक्ष की संपत्ति को होने वाली क्षति।

एक व्यापक पॉलिसी भी ली जा सकती है जिसमें व्यक्तिगत दुर्घटना, वाहन क्षति और तीसरे पक्ष का बीमा शामिल होता है।

5.4 स्वास्थ्य बीमा Health Insurance

स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी चिकित्सा आपात स्थितियों के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह पॉलिसीधारक और बीमा प्रदाता के बीच एक अनुबंध है जो बीमारी, चोट या दुर्घटना से उत्पन्न खर्चों को कवर करने में मदद करता है। इस समझौते के तहत, पॉलिसीधारक नियमित प्रीमियम का भुगतान करता है और बदले में, बीमाकर्ता अस्पताल में भर्ती, सर्जरी, दवाइयों और निवारक देखभाल जैसी कई चिकित्सा सेवाओं को कवर करता है। स्वास्थ्य बीमा का मूल उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल उपचारों के वित्तीय बोझ को कम करना, चिकित्सा सेवाओं तक समय पर पहुंच सुनिश्चित करना और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है।

विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियाँ

व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियाँ उपलब्ध हैं।

1. **व्यक्तिगत बीमा योजनाएँ:** यह भारत में सबसे आम प्रकार की स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस प्रकार की पॉलिसी केवल एक व्यक्ति को कवर करती है। अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में यह आपके चिकित्सा खर्चों का ध्यान रखती है। ऐसे मामलों में प्रीमियम आपकी आयु, चिकित्सा इतिहास आदि जैसे व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर करेगा।
2. **फैमिली फ्लोटिंग बीमा योजनाएँ:** जैसा कि नाम से पता चलता है, इस प्रकार की स्वास्थ्य बीमा योजना पूरे परिवार को कवर करती है। यह व्यक्तिगत पॉलिसी के समान ही होती है, सिवाय इसके कि इसमें बीमा राशि आमतौर पर अधिक होती है और परिवार के सदस्यों के बीच साझा की जाती है। इस प्रकार की बीमा योजना का एक मुख्य लाभ यह है कि आपको अलग-अलग पॉलिसियों का प्रबंधन नहीं करना पड़ता। इसके अलावा, प्रत्येक सदस्य के लिए अलग-अलग पॉलिसी खरीदने की तुलना में ये पॉलिसियाँ अधिक किफायती भी होती हैं।
3. **वरिष्ठ नागरिक बीमा योजनाएँ:** ये स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियाँ विशेष रूप से 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई गई हैं। चूंकि वृद्ध लोगों द्वारा दावा किए जाने की संभावना अधिक होती है, इसलिए ऐसे मामलों में प्रीमियम अधिक होता है। साथ ही, कई बीमा कंपनियाँ वरिष्ठ नागरिक बीमा प्रदान करने से पहले पूर्व-चिकित्सा जांच पर जोर नहीं देती हैं या पहले से मौजूद बीमारियों को शामिल नहीं करती हैं, क्योंकि वृद्धावस्था में अक्सर स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं।

4. **गंभीर बीमारी बीमा योजनाएँ:** गंभीर बीमारी बीमा योजना आपको गुर्दे की बीमारियों, दिल के दौरों, कैंसर, लकवा आदि जैसी जानलेवा बीमारियों के लिए बीमा प्रदान करती है। ऐसे मामलों में, पॉलिसीधारक को कवर की गई बीमारी का निदान होने पर एकमुश्त राशि मिलती है। व्यक्तिगत पॉलिसियों के विपरीत, पैसे का दावा करने के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है। यह योजना उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनके परिवार में ऐसी बीमारियों का इतिहास रहा हो।
5. **व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजनाएँ:** दुर्घटनाएँ आम हैं और उनसे जुड़े खर्च आपकी सारी बचत खत्म कर सकते हैं। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा दुर्घटना के बाद आवश्यक चिकित्सा उपचार के खर्च को कवर करता है। आमतौर पर, ऐसी पॉलिसी 3 स्थितियों के खिलाफ लाभ प्रदान करती है - आंशिक विकलांगता, पूर्ण विकलांगता और दुर्घटना के कारण मृत्यु।
6. **मातृत्व बीमा योजनाएँ:** ये महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ हैं। ऐसी योजनाएँ प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर खर्चों के साथ-साथ प्रसव और एम्बुलेंस खर्च को भी कवर करती हैं। शिशु कवर भी प्रदान किया जाता है जिसमें नवजात शिशु से संबंधित खर्च एक निश्चित अवधि तक कवर किए जाते हैं। अधिकांश मातृत्व योजनाओं में सक्रिय होने से पहले प्रतीक्षा अवधि होती है। इसलिए, शादी होते ही इस तरह का बीमा करवाना समझदारी भरा कदम है। इसे मूल पॉलिसी के साथ अतिरिक्त बीमा के रूप में भी लिया जा सकता है।
7. **यूनिट लिंकड इंश्योरेंस प्लान:** यूनिट लिंकड इंश्योरेंस प्लान (यूएलपी) एक प्रकार का बीमा है जो निवेश के रूप में भी काम करता है। प्रीमियम का भुगतान करने पर, इसका एक हिस्सा हमेशा की तरह आपको बीमा कवर प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रीमियम की शेष राशि इक्विटी और डेट के मिश्रण में निवेश की जाती है। यूएलपी के साथ, आप न केवल अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित करते हैं बल्कि रिटर्न के साथ भविष्य के लिए धन भी अर्जित करते हैं।
8. **मेडिकलेम:** मेडिकलेम बीमा योजना उन व्यक्तियों के लिए एक मूलभूत विकल्प है जो दुर्घटनाओं या बीमारियों से संबंधित अस्पताल में भर्ती होने के खर्चों के लिए कवरेज चाहते हैं। इस प्रकार की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी चिकित्सा आपात स्थितियों के कारण होने वाले अस्पताल में भर्ती होने के खर्चों के लिए मुआवजा प्रदान करती है, जिससे चुनौतीपूर्ण समय में वित्तीय सुरक्षा मिलती है। यह योजना अस्पताल में रहने, सर्जरी और अन्य चिकित्सा उपचारों से जुड़े खर्चों को कवर करके मानसिक शांति सुनिश्चित करती है और आपको भारी चिकित्सा बिलों का भुगतान करने में मदद करती है।
9. **समूह स्वास्थ्य बीमा:** समूह स्वास्थ्य बीमा एक विशिष्ट प्रकार का स्वास्थ्य बीमा है जो व्यक्तियों के एक समूह को व्यापक कवरेज प्रदान करता है। यह आमतौर पर नियोक्ताओं द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए प्रदान किया जाता है और कभी-कभी उनके आश्रितों तक भी बढ़ाया जा सकता है। यह योजना अस्पताल में भर्ती होने के लिए चिकित्सा कवरेज प्रदान करती है, जिसमें मातृत्व, डेकेयर उपचार और बाह्य रोगी सेवाएं शामिल हैं। समूह स्वास्थ्य बीमा किफायती होने के कारण लाभदायक है, क्योंकि प्रीमियम अक्सर नियोक्ताओं द्वारा सब्सिडीकृत होते हैं। ये योजनाएं अपनी समावेशिता के लिए भी जानी जाती हैं, क्योंकि ये एक समूह के भीतर व्यक्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवरेज प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त, एक

समूह के लिए एक ही पॉलिसी का प्रबंधन करने में आसानी नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों के लिए बीमा प्रक्रिया को सरल बनाती है।

10. **अस्पताल दैनिक नकद:** अस्पताल दैनिक नकद बीमा बीमारी या चोट के कारण अस्पताल में भर्ती होने के प्रत्येक दिन के लिए एक निश्चित नकद लाभ प्रदान करता है। पारंपरिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के विपरीत, जो वास्तविक चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति करती हैं, अस्पताल दैनिक नकद बीमा रोगी को सीधे एक पूर्व निर्धारित दैनिक भत्ता प्रदान करता है।

दैनिक नकद बीमा का एक प्रमुख लाभ अस्पताल में भर्ती होने से जुड़े विभिन्न खर्चों को पूरा करने में इसकी बहुमुखी प्रतिभा है। पारंपरिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां चिकित्सा उपचार और प्रक्रियाओं को कवर करती हैं, लेकिन वे अक्सर कमरे का किराया, परिवहन, भोजन और अन्य जैसे गैर-चिकित्सा खर्चों को कवर नहीं करती हैं। अस्पताल दैनिक नकद बीमा अस्पताल में भर्ती होने के दौरान आपकी सभी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। आप नकद लाभ का उपयोग जेब से किए गए खर्चों को कवर करने या अस्पताल में भर्ती होने के कारण आय के नुकसान की भरपाई के लिए कर सकते हैं।

11. **टॉप-अप स्वास्थ्य बीमा:** टॉप-अप स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के प्रकारों में सीधे तौर पर शामिल नहीं है। बल्कि, यह एक विशेष प्रावधान है जो मूल स्वास्थ्य बीमा योजना के अतिरिक्त अतिरिक्त कवरेज प्रदान करता है। इसे पॉलिसी की अधिकतम दावा राशि समाप्त होने के बाद सक्रिय किया जा सकता है।

यह योजना आवश्यकतानुसार आपकी कवरेज सीमा बढ़ाने की सुविधा प्रदान करती है। यह आपको उच्च चिकित्सा खर्चों से पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है और प्रीमियम में उल्लेखनीय वृद्धि किए बिना बीमा कवरेज बढ़ाने का एक किफायती समाधान है। यह पूरी तरह से नई पॉलिसी खरीदने की तुलना में कहीं अधिक सुविधाजनक प्रक्रिया भी है।

12. **रोग-विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ (उदाहरण के लिए, कोरोना कवच):** वर्तमान स्वास्थ्य चुनौतियों, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान, रोग-विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का महत्व काफी बढ़ गया है। ये योजनाएँ व्यक्तियों की विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करती हैं और विशिष्ट बीमारियों से संबंधित उपचारों और अन्य संबंधित खर्चों के लिए वित्तीय कवरेज प्रदान करती हैं। ऐसी ही एक पॉलिसी का उदाहरण कोरोना कवच है, जो कोविड-19 के खिलाफ लक्षित वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।

12.5.5 विविध बीमा (Miscellaneous Insurance)

बढ़ती मांग के कारण, बीमा के विभिन्न रूप विकसित हुए हैं। 19वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति ने दुर्घटना बीमा, चोरी और डकैती, निष्ठा बीमा आदि के विकास को सुगम बनाया। 20वीं शताब्दी में, कई प्रकार के सामाजिक बीमा प्रचलन में आए, जैसे बेरोजगारी बीमा, फसल बीमा, देयता बीमा, पशुधन बीमा आदि। इस प्रकार बीमा व्यवसाय मानव और सामाजिक विकास के साथ-साथ विकसित हुआ।

12.6 भारत की प्रमुख सामान्य बीमा कंपनियाँ Major General Insurance Companies of India

भारत में सामान्य बीमा कंपनियों की सूची

भारत में सामान्य बीमा प्रदान करने वाली प्रत्येक संस्था को भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य है। IRDAI के अनुसार, नवंबर 2023 तक देश में 26 पंजीकृत सामान्य बीमा कंपनियाँ थीं। यहाँ वर्णानुक्रम में 26 पंजीकृत संस्थाओं की सूची दी गई है:

1. एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड
2. एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड
3. बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
4. चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
5. ईसीजीसी लिमिटेड
6. फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
7. गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड
8. एचडीएफसी ईआरजीओ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
9. आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
10. इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
11. कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
12. क्षेमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड
13. लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड
14. मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
15. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
16. नवी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड
17. रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
18. रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
19. एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
20. श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
21. टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
22. द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
23. द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
24. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
25. यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

26. जुनो जनरल इश्योरेंस लिमिटेड (पूर्व में एडलवाइस जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

12.7 सामान्य बीमा का महत्व (Importance of General Insurance)

सामान्य बीमा पॉलिसी मूल रूप से आपकी वित्तीय सुरक्षा की गारंटी देने वाली पॉलिसी है। यह एक विशेष प्रकार की पॉलिसी है जो आपकी कई संपत्तियों को सुरक्षित रखने में मदद करती है – चाहे वह आपका घर और उसमें रखी वस्तुएं हों, आपके कीमती वाहन हों या सबसे महत्वपूर्ण, आपका स्वास्थ्य। यह एक ऐसी पॉलिसी है जो आपको कई प्रकार के बीमाओं – घर, वाहन, स्वास्थ्य, यात्रा आदि – के लाभ उठाने की सुविधा देती है। आइए अब जानते हैं कि सामान्य बीमा पॉलिसी में निवेश करना क्यों आवश्यक है।

1. **यह आपकी कई संपत्तियों की सुरक्षा करती है:** जीवन के दौरान, हर कोई एक संपत्ति बनाता है। इसमें आपके घर, आपका व्यवसाय और आपके दोपहिया और चार पहिया वाहन जैसी संपत्तियां शामिल हैं। हालांकि यह सलाह दी जाती है कि आप अपनी सभी संपत्तियों के लिए अलग-अलग बीमा पॉलिसी खरीदें, आप एक बुनियादी सामान्य बीमा पॉलिसी का विकल्प भी चुन सकते हैं जो इन सभी संपत्तियों को एक ही पॉलिसी के तहत कवर करती है। इस तरह, आप अपनी अधिकांश संपत्तियों की सुरक्षा करते हुए एक ही प्रीमियम का भुगतान करेंगे। बीमा कंपनी आमतौर पर एक सामान्य बीमा पॉलिसी में शामिल सभी संपत्तियों के लिए अलग-अलग बीमा राशि निर्धारित करती है।
2. **तनावपूर्ण परिस्थितियों में आपके पास सहारा होता है:** चाहे आप किसी दुर्घटना का शिकार हों या आपकी कोई कीमती वस्तु चोरी हो जाए। सड़क दुर्घटना में आप बुरी तरह घायल हो सकते हैं, किसी दुर्भाग्यपूर्ण आग की घटना में आपका घर जल सकता है या प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं में आपकी संपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। ये सभी स्थितियाँ बेहद तनावपूर्ण होती हैं। ऐसे समय में, आपका बीमा प्रदाता आपकी मदद कर सकता है। वे आपको दावा निपटान से संबंधित औपचारिकताओं में मार्गदर्शन कर सकते हैं और आप निश्चित हो सकते हैं कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है।
3. **आपके वित्तीय हितों की सुरक्षा:** सामान्य बीमा का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह आपके वित्तीय हितों की रक्षा करता है। मान लीजिए कि चक्रवात के कारण आपका घर क्षतिग्रस्त हो जाता है, आपकी कार चोरी हो जाती है या आप किसी दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होते हैं; बीमा के अभाव में आप कुछ खास नहीं कर सकते। आपको इन स्थितियों से होने वाले वित्तीय नुकसान को स्वयं वहन करना पड़ता है। लेकिन यदि आपने एक अच्छी बीमा पॉलिसी खरीदी है, तो आप निश्चित हो सकते हैं कि आपको पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार बीमा राशि प्राप्त होगी।
4. **इससे आपको राहत मिलती है:** कोई भी दुर्घटना बेहद परेशान करने वाली हो सकती है। अगर कोई परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य है और उसकी आमदनी का ज़रिया छिन जाए, या इससे भी बुरा, किसी अनहोनी में उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसके आश्रित बेबस हो सकते हैं। आप जिस तरह की बीमा पॉलिसी खरीदते हैं, उसके आधार पर आप राहत की सांस ले सकते हैं, अगर आपको पता हो कि

आपकी अनुपस्थिति में परिवार के सदस्यों को आर्थिक सहायता न दे पाने की स्थिति में आपने उनके आर्थिक भविष्य का बीमा करवा लिया है।

भारत में सामान्य बीमा का महत्व कम नहीं आंका जा सकता, लेकिन यह समझना ज़रूरी है कि विशेष और सामान्य बीमा पॉलिसियों में बुनियादी अंतर क्या है। सामान्य बीमा पॉलिसियों के मामले में आपको कम प्रीमियम देना होगा, जबकि विशेष बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम अलग होते हैं और ज़्यादा हो सकते हैं। हालांकि, आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि सामान्य बीमा पॉलिसी में विशेष पॉलिसी की तुलना में कम कवरेज भी मिल सकता है।

12.8 सामान्य बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची (List of documents required to buy General Insurance Policy)

सामान्य बीमा खरीदने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ पॉलिसी के प्रकार और आपके द्वारा चुनी गई बीमा कंपनी के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। भारत में सामान्य बीमा खरीदते समय आपको जिन सामान्य दस्तावेज़ों को जमा करना होता है, उनका संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया गया है:

- पहचान का प्रमाण
- पते का प्रमाण
- हाल ही की पासपोर्ट आकार की फोटो
- बैंक खाते का प्रमाण

इसके अतिरिक्त, आपको उस संपत्ति से संबंधित दस्तावेज़ जमा करने होंगे जिसके लिए आप पॉलिसी खरीद रहे हैं। उदाहरण के लिए, मोटर वाहन बीमा पॉलिसी के मामले में आपको वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) जमा करना होगा।

12.9 सामान्य बीमा और जीवन बीमा में अंतर (Difference between General Insurance and Life Insurance)

भारत में जीवन बीमा और सामान्य बीमा दो प्रमुख बीमा श्रेणियाँ हैं। इन दोनों प्रकार के बीमाओं के अलग-अलग उद्देश्य और विशिष्ट पहलू हैं। यहां एक तालिका दी गई है जो जीवन बीमा और सामान्य बीमा के बीच कुछ सबसे महत्वपूर्ण अंतरों को दर्शाती है।

विवरण	जीवन बीमा	सामान्य बीमा
उद्देश्य	पॉलिसीधारक की मृत्यु की स्थिति में पॉलिसी में सूचीबद्ध नामांकित व्यक्तियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।	कुछ घटनाओं, आकस्मिकताओं और अनिश्चितताओं के कारण होने वाले नुकसान से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।
कवर किए गए	जीवन हानि के जोखिम को कवर करता है।	है। दुर्घटनाओं, संपत्ति क्षति और तृतीय-पक्ष देनदारियों जैसे कई गैर-जीवन जोखिमों को भी

जोखिमों के प्रकार		कवर करता है।
पॉलिसी की अवधि	पॉलिसी की अवधि आमतौर पर लंबी होती है, जो कई वर्षों से लेकर पॉलिसीधारक के पूरे जीवनकाल तक हो सकती है।	यह पॉलिसी केवल बहुत कम समय के लिए, अक्सर एक वर्ष तक, कवरेज प्रदान करती है।
प्रीमियम	जीवन बीमा के प्रीमियम काफी अधिक हो सकते हैं, टर्म प्लान को छोड़कर।	सामान्य बीमा के प्रीमियम जीवन बीमा की तुलना में बहुत कम होते हैं।
निवेश घटक	कुछ जीवन बीमा योजनाओं में बचत या निवेश घटक होता है और परिपक्वता लाभ प्रदान किया जाता है।	सामान्य बीमा योजनाओं में कोई बचत या निवेश घटक नहीं होता है।
पॉलिसी के प्रकार	जीवन बीमा योजनाओं को टर्म इंश्योरेंस, होल लाइफ इंश्योरेंस, एंडोमेंट प्लान, एन्युटी प्लान, चाइल्ड प्लान, रिटायरमेंट प्लान और यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (यूएलपी) में वर्गीकृत किया जा सकता है।	विभिन्न प्रकार की सामान्य बीमा योजनाओं में मोटर बीमा, स्वास्थ्य बीमा, यात्रा बीमा, संपत्ति बीमा, देयता बीमा और साइबर बीमा शामिल हैं।
लाभार्थी	लाभार्थी आमतौर पर पॉलिसीधारक या पॉलिसी के तहत सूचीबद्ध नामित व्यक्ति होता है।	लाभार्थी पॉलिसीधारक होता है।

12.10 सामान्य बीमा पॉलिसी पर दावा कैसे करें? (How to Raise a Claim on a General Insurance Policy?)

यदि सामान्य बीमा पॉलिसी द्वारा बीमित कोई घटना घटित होती है, तो वित्तीय मुआवज़ा प्राप्त करने के लिए आपको बीमा प्रदाता के पास दावा दर्ज करना होगा। आप दो प्रकार के दावे कर सकते हैं - प्रतिपूर्ति दावा या नकद रहित दावा।

प्रतिपूर्ति दावा वह है जिसमें आप नुकसान की भरपाई अपनी जेब से करते हैं और फिर बीमा प्रदाता से खर्चों की प्रतिपूर्ति प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर, नकद रहित दावा वह है जिसमें बीमा कंपनी सीधे सेवा प्रदाता को नुकसान की भरपाई करती है। यदि आप किसी गैर-नेटवर्क सेवा प्रदाता से सेवाएं लेते हैं, तो आप केवल प्रतिपूर्ति दावा कर सकते हैं। हालांकि, यदि आप नेटवर्क प्रदाता से सेवाएं लेते हैं, तो आपके पास नकद रहित दावे का विकल्प होता है।

सामान्य बीमा पॉलिसी पर प्रतिपूर्ति दावा करने के लिए, आपको अपने बीमाकर्ता को घटना की सूचना देनी होगी, दावा फॉर्म भरना होगा और नुकसान की भरपाई के लिए अपनी जेब से किए गए खर्च के प्रमाण के रूप में आवश्यक बिल और अन्य दस्तावेज़ जमा करने होंगे। नकद रहित दावे के लिए, आपको केवल बीमाकर्ता को

घटना की सूचना देनी होगी। बीमा कंपनी सीधे सेवा प्रदाता से संपर्क करेगी और आपकी ओर से बिलों का भुगतान करेगी।

12.11 सारांश (Summary)

सामान्य बीमा से तात्पर्य जीवन बीमा के अलावा अन्य सभी बीमा उत्पादों से है। यह दुर्घटना, बीमारी, प्राकृतिक आपदा, चोरी या संपत्ति को नुकसान जैसी अप्रत्याशित घटनाओं से होने वाले नुकसान से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। ये पॉलिसियां बीमित व्यक्ति को हुए वास्तविक वित्तीय नुकसान की भरपाई करती हैं। भारत में सामान्य बीमा का विनियमन भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा किया जाता है।

12.12 शब्दावली (Glossary)

1. **बीमा:** एक अनुबंध जो निर्दिष्ट जोखिमों के विरुद्ध वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है।
2. **बीमाकर्ता:** वह बीमा कंपनी जो कवरेज प्रदान करती है और हानि की भरपाई का वादा करती है।
3. **बीमित व्यक्ति/पॉलिसीधारक:** वह व्यक्ति या संस्था जो बीमा पॉलिसी खरीदता है और उसके अंतर्गत सुरक्षित होता है।
4. **प्रीमियम:** बीमा कवरेज प्राप्त करने के लिए बीमित व्यक्ति द्वारा बीमाकर्ता को भुगतान की गई राशि।
5. **पॉलिसी:** लिखित अनुबंध जिसमें बीमा के नियम, शर्तें, कवरेज और अपवर्जन का उल्लेख होता है।
6. **दावा:** हानि के बाद बीमित व्यक्ति द्वारा बीमाकर्ता से मुआवजे के लिए किया गया औपचारिक अनुरोध।
7. **क्षतिपूर्ति:** एक सिद्धांत जिसके तहत बीमाकर्ता लाभ की अनुमति दिए बिना केवल वास्तविक हानि की भरपाई करता है।
8. **जोखिम:** किसी अनिश्चित घटना के कारण वित्तीय हानि होने की संभावना।
9. **संकट:** हानि का विशिष्ट कारण, जैसे आग, चोरी, बाढ़ या दुर्घटना।
10. **खतरा:** एक ऐसी स्थिति जो नुकसान की संभावना को बढ़ाती है (जैसे, दोषपूर्ण वायरिंग, लापरवाही से गाड़ी चलाना)।

12.13 बोध प्रश्न (Check your Progress)

रिक्त स्थान भरें

1. सामान्य बीमा मृत्यु के अलावा अन्य के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है।
2. क्षतिपूर्ति का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि बीमित व्यक्ति बीमा से नहीं कर सकता।
3. भारत में सभी वाहनों के लिए मोटर बीमा है।
4. बीमित व्यक्ति द्वारा बीमाकर्ता को भुगतान की गई राशि को कहा जाता है।
5. स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियाँ आमतौर पर खर्चों को कवर करती हैं।
6. अग्नि बीमा आमतौर पर की अवधि के लिए जारी किया जाता है।
7. समुद्री बीमा माल के परिवहन से संबंधित को कवर करता है।
8. बीमा पॉलिसी खरीदने वाले व्यक्ति को कहा जाता है।

9. IRDAI का पूरा नाम भारतीय बीमा नियामक एवं प्राधिकरण है।
10. बीमा के नियम और शर्तों को बताने वाले दस्तावेज को ... कहा जाता है।

12.14 बोध प्रश्न के उत्तर (Answers to Check Your Progress)

1. जोखिम
2. लाभ
3. अनिवार्य
4. प्रीमियम
5. चिकित्सा
6. एक वर्ष
7. जोखिम
8. पॉलिसीधारक
9. विकास
10. पॉलिसी

12.15 स्वपरख प्रश्न (Terminal Questions)

1. बीमा के प्रमुख प्रकार क्या हैं?
2. बीमा की विशेषताएं क्या हैं?
3. समुद्री और अग्नि बीमा में क्या अंतर है?
4. सामान्य बीमा का क्या महत्व है?
5. सामान्य बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
6. जीवन बीमा और सामान्य बीमा में क्या अंतर है?

12.16 संदर्भ पुस्तकें (Reference Books)

1. सी.एल. त्यागी, मधु त्यागी। बीमा: कानून और व्यवहार। अटलांटिक पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्राइवेट) लिमिटेड।
2. करण पाल, बी.एस.बोडला, एम.सी.गर्ग। बीमा प्रबंधन: सिद्धांत और व्यवहार। दीप एंड दीप पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड।
3. डॉ. पी. पेरियासामी। बीमा के सिद्धांत और व्यवहार। हिमालय पब्लिशिंग हाउस।
4. <https://testbook.com/banking-awareness/history-of-insurance>
5. https://sathee.iitk.ac.in/article/banking-article/history_of_insurance/#key-milestones-in-the-history-of-insurance-in-india

इकाई – 13 जीवन बीमा – अर्थ, विशेषताएं एवं लाभ (Meaning, Features and Benefits)

इकाई की रूपरेखा

- 13.1 प्रस्तावना
- 13.2 जीवन बीमा का अर्थ
- 13.3 बीमा के प्रकार
- 13.4 जीवन बीमा की परिभाषा
- 13.5 जीवन बीमा की विशेषताएं
- 13.6 जीवन बीमा के लाभ
- 13.7 जीवन बीमा की प्रकृति
- 13.8 जीवन बीमा के प्रमुख कार्य
- 13.9 जीवन बीमा कराने की प्रक्रिया
- 13.10 सारांश
- 13.11 शब्दावली
- 13.12 बोध प्रश्न
- 13.13 बोध प्रश्नों के उत्तर
- 13.14 स्वपरख प्रश्न
- 13.15 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि:

- जीवन बीमा के अर्थ और परिभाषा समझ सकेंगे |
- जीवन बीमा के विशेषताओं का वर्णन कर सकेंगे |
- जीवन बीमा से होने वाले लाभ का वर्णन कर सकेंगे |

13.1 प्रस्तावना (Introduction)

बीमा की उत्पत्ति और प्रारम्भिक इतिहास का कोई प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, किन्तु यह माना जाता है कि बीमा का विकास प्राचीनकाल में ही हो गया था। प्राचीनकाल में कतिपय जोखिम से सुरक्षा देने की अनेक प्रथाएं प्रचलित थीं जिनका उल्लेख धर्मग्रंथों और नीतिशास्त्रों में हुआ है। बीमा के विकासक्रम में सर्वप्रथम समुद्री बीमा की ही उत्पत्ति हुई। प्राचीनकाल में विभिन्न देशों के बीच अधिकांश व्यापार समुद्री मार्गों से हुआ करता था और नाना प्रकार की आपदाओं के कारण व्यापारी बड़ी जोखिम उठाता था और जहाजों के लूट पाट की सम्भावना हमेशा बनी रहती थी ऐसी जोखिमों से सुरक्षा पाने के लिए प्राचीनकाल में अनेक युक्तियाँ सामने आईं।

धीरे-धीरे जैसे व्यापार आगे बढ़ता गया अनेक तरह के आपदाएं एवं जोखिम सामने आने लगी जिससे अलग-अलग तरीके के बीमा का प्रचलन सामने आया जैसे- अग्नि बीमा, जीवन बीमा, सामाजिक बीमा आदि।

जीवन बीमा की शुरुआत इंग्लैंड में 16वीं शताब्दी के आसपास हुई। सन् 1698 में इंग्लैंड में पहली बार जीवन बीमा की अवधारणा सामने आई, और बाद में लंदन एश्योरेंस कॉरपोरेशन तथा रॉयल एक्सचेंज एश्योरेंस जैसी कंपनियों ने जीवन बीमा की सेवाएँ शुरू कीं।

भारत में जीवन बीमा का प्रारम्भ 1818 में हुआ जब "ओरिएंटल लाइफ इश्योरेंस कंपनी कोलकाता में स्थापित की गई। इसके बाद 1870 में बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी नामक पहली भारतीय बीमा कंपनी शुरू हुई। 1956 में भारत सरकार ने सभी जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और भारतीय जीवन बीमा निगम (Life Insurance Corporation of India – LIC) की स्थापना की गई। तब से लेकर अब तक LIC भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी बनी हुई है। सामान्य बीमा में जीवन के अलावा अन्य सभी प्रकार के जोखिम जैसे वाहन, संपत्ति, आग, दुर्घटना, स्वास्थ्य आदि शामिल होते हैं। सामान्य बीमा का इतिहास भी इंग्लैंड से शुरू हुआ था। सन् 1666 में लंदन में हुई भीषण आग के बाद आग बीमा की आवश्यकता महसूस की गई। इसके बाद सन 1681 में "फायर ऑफिस" नामक संस्था ने पहली बार संपत्ति बीमा की सेवा शुरू की। सन् 1972 में भारत सरकार ने सभी सामान्य बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और जनरल इश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (GIC) की स्थापना की। बाद में चार सहायक कंपनियाँ बनाई गईं।

- 1) नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- 2) न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- 3) ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- 4) यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

जीवन बीमा न केवल मृत्यु के समय आर्थिक सुरक्षा देता है बल्कि यह बचत, निवेश और कर लाभ का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। आज के समय में जीवन बीमा हर व्यक्ति की वित्तीय योजना का एक आवश्यक हिस्सा बन गया है क्योंकि यह व्यक्ति और उसके परिवार को भविष्य की आर्थिक अनिश्चितताओं से सुरक्षित रखता है।

13.2 जीवन बीमा का अर्थ (Meaning of Life insurance)

सामान्यतः बीमा का अर्थ होता है जोखिम को कवर करना या जोखिम को सुरक्षित करने से होता है व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार के अप्रत्याशित घटनाएं घटती हैं जिससे व्यक्ति के जीवन को या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुँचता है इस नुकसान से व्यक्ति को जो आर्थिक रूप से तंगी झेलनी पड़ती है उसकी भरपाई कैसे की जा सके जिससे व्यक्ति को इन अप्रत्याशित घटनाओं से होने वाले नुकसान से सुरक्षित किया जा सके जिसे बीमा कहते हैं। बीमा दो तरीके का होता है

- 1) जीवन बीमा
- 2) सामान्य बीमा

जीवन बीमा, बीमादार और बीमादाता के बीच एक ऐसा अनुबंध है जिसमें बीमादार एक निश्चित **प्रीमियम की** राशि बीमादाता को नियमित रूप से चुकाता है और इसके बदले बीमादाता यह वादा करता है कि एक निश्चित धनराशि बीमाधारक को या उसके नामांकित व्यक्ति को पॉलिसी की अवधि के पश्चात या उससे पहले (बीमाधारक के मृत्यु हो जाने पर) एक निश्चित धनराशि दे दिया जायेगा।

अतः हम कह सकते हैं कि जीवन बीमा एक व्यक्ति और बीमा कंपनी के बीच एक अनुबंध है जिसमें, बीमा कंपनी पॉलिसीधारक की मृत्यु पर उसके परिवार या नामित लाभार्थियों को एक निश्चित राशि का भुगतान करने का वादा करती है।

13.3 बीमा के प्रकार (Types of Insurance)

बीमा को उसके उद्देश्य, जोखिम के स्वरूप और बीमित विषय के आधार पर मुख्यतः तीन भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है

1. जीवन बीमा
2. सामान्य बीमा
3. सामाजिक बीमा

जीवन बीमा: यह बीमा व्यक्ति के जीवन से जुड़े जोखिमों को कवर करता है। इसमें बीमित व्यक्ति की मृत्यु या पॉलिसी अवधि पूरी होने पर बीमित राशि दी जाती है। यह मुख्य प्रकार का होता है।

- टर्म बीमा
- एंडोमेंट बीमा
- मनी बैक बीमा
- संपूर्ण जीवन बीमा
- यूनिट लिंकड बीमा योजना
- पेंशन/वार्षिकी बीमा

सामान्य बीमा: यह बीमा जीवन के अतिरिक्त संपत्ति और अन्य जोखिमों से संबंधित होता है। यह मुख्य प्रकार का होता है।

- अग्नि बीमा
- समुद्री बीमा
- मोटर बीमा
- स्वास्थ्य बीमा

- चोरी बीमा
- यात्रा बीमा

3. सामाजिक बीमा : यह बीमा सरकार द्वारा समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। यह मुख्य प्रकार का होता है |

- कर्मचारी राज्य बीमा
- कर्मचारी भविष्य निधि
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

13.4 जीवन बीमा की परिभाषा (Definition of Life Insurance)

जीवन बीमा को लेकर बहुत से विद्वानों ने अपने-अपने अनुसार परिभाषित किया है |

आई. आर. डी. ए. के अनुसार “जीवन बीमा एक ऐसा अनुबंध है जिसमें बीमा कंपनी, बीमित व्यक्ति की मृत्यु या किसी निश्चित अवधि के बाद, एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए सहमत होती है, बदले में बीमित व्यक्ति एक निश्चित प्रीमियम का भुगतान करता है”

डॉ. एम. एन. मिश्रा के अनुसार “जीवन बीमा एक सामाजिक सुरक्षा का साधन है, जो व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है”

एल. आर. डेसाई के अनुसार “जीवन बीमा एक ऐसा साधन है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन के जोखिम को आर्थिक रूप में बीमा कंपनी को स्थानांतरित करता है।”

डब्लू . एफ. गेफार्ट के अनुसार “जीवन बीमा एक ऐसा अनुबंध है जिसमें बीमाकर्ता, प्रीमियम प्राप्त करने के बदले, बीमित व्यक्ति की मृत्यु या किसी निश्चित अवधि के पूर्ण होने पर एक निश्चित राशि का भुगतान करने का वचन देता है।”

13.5 जीवन बीमा की विशेषताएं (Features of Life Insurance)

बीमा के अर्थ और परिभाषा से स्पष्ट होता है की बीमा संभावित सिद्धांतों पर आधारित एक सहकारी व्यवस्था है | इससे स्पष्ट होता है कि बीमा दो मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है – (क) सहकारिता का सिद्धांत (ख) संभाविता का सिद्धांत। इन दोनों सिद्धांतों को सामूहिक से बीमा का सिद्धांत कहा जाता है। सहकारिता बीमा का मूल आधार माना जाता है आधुनिक समय से पहले भी बीमा- सहकारिता के आधार पर बीमा कार्य का निष्पादन करती थी उस समय व्यापारी समुद्र के रास्ते व्यापार करते थे जिसमे जोखिम की संभावना बनी रहती थी एक संस्था जो इन सभी व्यापारियों से कुछ पैसे चंदे के रूप में लेती थी की अगर किसी व्यापारी का नुकसान हो जाता है तो उस चंदे की धनराशी से उसकी भरपाई किया जा सके। चूँकि सहकारिता का अर्थ होता है “एक सबके लिए सब एक लिए” इसीलिए बीमा सहकारिता के मूल आधार पर चला है।

आधुनिक बीमा व्यवस्था में बीमादार निश्चित प्रीमियम देकर भावी हानि की अनिश्चितताओं से मुक्त हो जाता है ऐसी निश्चितता प्रदान करना बीमा की प्रमुख विशेषता है। यह एक गणितशास्त्र के प्रसिद्ध नियम पर आधारित है जिसे संभावित सिद्धांत कहते हैं इसी नियम के आधार पर हानियों का पूर्वानुमान लगाया जाता है और प्रीमियम भी उसी संभावित जोखिम के आधार पर तय किया जाता है।

जीवन बीमा संविदा के लिए अनेक वैधानिक नियम निर्धारित किए गए हैं जिनका अनुपालन करने पर ही संविदा कानून की दृष्टि से मान्य होती है जीवन बीमा संविदा के लिए अनेक निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक है। जीवन बीमा की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं।

- साधारण संविदा के सिद्धांत का अनुपालन
- बीमायोग्य हित का सिद्धांत
- परम सहभावना का सिद्धांत

i. साधारण संविदा के सिद्धांत का अनुपालन:

1. **प्रस्थापना और प्रतिग्रहण :** जीवन बीमा एक अनुबंध है दो पक्षकारों के बीच जिसमें एक पक्षकार प्रस्थापना अर्थात् प्रस्ताव देता है दूसरे पक्षकार को और दूसरा पक्षकार उसे अपनी सहमति प्रदान करता है तब जाकर दोनों के बीच एक वैध बातों का निर्माण होता है जिसे कानूनी मान्यता मिलता है।
2. **स्वतंत्र सहमति:** दोनों पक्ष किसी दबाव में आकर अनुबंध करने के लिए तैयार तो नहीं हुए हैं इस, पक्षकार की सहमति स्वतंत्र तब नहीं मानी जाती जब उसकी सहमति प्रपीड़न, असम्यक असर, दूर्युद्देशन, कपट और भूल के द्वारा लिया गया है
3. **कानूनी संबंध बनाने का इरादा:** अनुबंध के पक्षकारों का यह इरादा होना चाहिए कि वे कानूनी रूप से बंधे रहेंगे। केवल सामाजिक या पारिवारिक समझौते (जैसे मित्रों के बीच वादे) अनुबंध नहीं माने जाते।
4. **प्रतिफल :** प्रत्येक अनुबंध के लिए प्रतिफल आवश्यक है। प्रतिफल का अर्थ है “कुछ के बदले कुछ देने से” यह वैध, वास्तविक और कानूनी होना चाहिए।
5. **पक्षकारों की योग्यता :** अनुबंध के पक्षकारों को कानूनी रूप से सक्षम होना चाहिए। निम्न व्यक्ति अनुबंध नहीं कर सकते:
 - अल्पवयस्क
 - अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति
 - ऐसे व्यक्ति जिन्हें कानून द्वारा अयोग्य घोषित किया गया हो।

विधिसम्मत वस्तु और उद्देश्य: अनुबंध का उद्देश्य और प्रतिफल विधि के अनुरूप होना चाहिए। यदि यह-

- कानून द्वारा निषिद्ध हो,

- धोखाधड़ी के उद्देश्य से हो, या
- समाज के हित के विरुद्ध हो, तो अनुबंध अवैध माना जाएगा।

ii. बीमायोग्य हित का सिद्धांत :

बीमायोग्य हित का अर्थ है “ऐसा वैध आर्थिक हित जो किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति, जीवन या देयता में होता है, जिससे उस व्यक्ति को लाभ या हानि हो अर्थात्, बीमा कराने वाले व्यक्ति का उस वस्तु, व्यक्ति या संपत्ति में आर्थिक हित होना चाहिए।

उदाहरण: जीवन बीमा में-

- व्यक्ति को अपने स्वयं के जीवन में बीमायोग्य हित होता है।
- पति को पत्नी के जीवन में, पत्नी को पति के जीवन में बीमायोग्य हित होता है।
- नियोक्ता को अपने कर्मचारी के जीवन में बीमायोग्य हित हो सकता है यदि कर्मचारी की मृत्यु से नियोक्ता को आर्थिक हानि होगी।

iii. परम सद्भावना का सिद्धांत :

परम सद्भावना का सिद्धांत यह कहता है कि बीमा अनुबंध के दोनों पक्षों बीमाकर्ता और बीमाधारक को एक-दूसरे के प्रति संपूर्ण ईमानदारी और सत्यता से कार्य करना चाहिए। अर्थात्, बीमा लेने वाला व्यक्ति अपने बीमा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ सही-सही बताने के लिए बाध्य होता है।

13.6 जीवन बीमा के लाभ (Benefits of Life Insurance)

बीमा का मतलब ही होता है अप्रत्याशित घटनाओं से होने वाले नुकसान से सुरक्षा, व्यक्ति के जीवन का कोई भरोसा नहीं होता है व्यक्ति के जीने की संभावना लगाया जा सकता है लेकिन उतना जीवन जिए इसका कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि बीमा आधुनिक युग में संभावना के सिद्धांत पर आधारित है। और इसी आधार पर बीमा के प्रीमियम की राशि तय की जाती है।

उदाहरण : एक बीस वर्ष के बालक का जीवन बीमा का प्रीमियम साठ वर्ष के आदमी के जीवन बीमा का प्रीमियम ज्यादा होता है कारण बालक के जीने की संभावना ज्यादा है। साठ वर्ष के आदमी से जीवन बीमा कराने से बीमादार को अनेकों लाभ मिलता है चाहे वह आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक रूप में हो।

- 1. आर्थिक सुरक्षा :** जीवन बीमा बीमित व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करता है, जिससे परिवार की जीवन-शैली पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। इससे कई हद तक आर्थिक समस्याओं के तंगी से निजात मिल जाता है भारत में जीवन बीमा का चलन बहुत है चूँकि भारत में हर व्यक्ति की चिंता अपने संतान के प्रति होता है कि यदि भविष्य में कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चे और परिवार का क्या होगा।

2. **परिवार की सुरक्षा :** बीमित व्यक्ति के न रहने पर उसका परिवार बीमा राशि के माध्यम से अपने दैनिक खर्च, बच्चों की शिक्षा और अन्य आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। मानव जीवन जोखिमपूर्ण है विभिन्न जोखिमों के कारण यह अनिश्चित रहता है कि भविष्य की आपदाओं से कब तथा कितनी हानि भुगतनी पड़ेगी। इस प्रकार मनुष्य को असुरक्षा का अनुभव होता है। वह सुरक्षा चाहता है। सुरक्षा तभी मिल सकती है जब जोखिमों की अनिश्चितताओं से मुक्ति मिले। कम से कम जीवन बीमा से परिवार को सुरक्षा मिलती है।
3. **बचत और निवेश का साधन :** जीवन बीमा केवल सुरक्षा ही नहीं देता, बल्कि यह एक सुरक्षित बचत योजना भी है जिसमें निवेश पर ब्याज या बोनस मिलता है। बीमा मितव्ययिता और बचत की ओर प्रेरित करता है जीवन बीमा इसका सुन्दर उदाहरण है। लोग जीवन बीमा कराकर वास्तव में उतने मूल्य की एक जायदाद बना लेते हैं। इसके लिए आय में से थोड़ा बहुत बचाना जरूरी होता है ताकि नियमित रूप से प्रीमियम अदा हो सके।
4. **सेवानिवृत्ति के बाद सहायता :** कुछ जीवन बीमा योजनाएँ पॉलिसी की अवधि पूरी होने पर एकमुश्त राशि प्रदान करती हैं, जिससे व्यक्ति को वृद्धावस्था में आर्थिक सहारा मिलता है। यह बिल्कुल बचत के सिद्धांत पर आधारित है कि छोटा-छोटा राशि जमा किया जाता है ताकि सेवानिवृत्ति के बाद जब बीमा की अवधि पूरी हो जाय तो एक मुश्त धन मिलता है जिससे बुढ़ापे में सहायता मिलता है।
5. **कर लाभ:** बीमा प्रीमियम पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के अंतर्गत छूट मिलती है, और प्राप्त बीमा राशि पर धारा 10(10D) के तहत कर नहीं लगता। सरकार व्यक्ति के जोखिम से सुरक्षा को बढ़ावा देने उद्देश्य से इस प्रकार का कर लाभ मिले जिससे जीवन बीमा को बढ़ाया जा सके।
6. **ऋण सुविधा :** कई जीवन बीमा योजनाओं पर पॉलिसीधारक को उसकी पॉलिसी के विरुद्ध ऋण लेने की सुविधा मिलती है। कभी-कभी अचानक से पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो जीवन बीमा का प्रमाण पत्र ऋण लेने के लिए सुविधाजनक होता है आधुनिक युग में इस तरीके का प्रयोग भलीभांति किया जाता है।
7. **जोखिम प्रबंधन :** जीवन बीमा व्यक्ति के जीवन के जोखिम को कम करता है और उसे मानसिक शांति प्रदान करता है। जोखिम प्रबंधन से आर्थिक और पारिवारिक सुरक्षा बनी रहती है यह बहुत जरूरी हो जाता है की अनिश्चितताओं के कारण दुर्घटनाएं घट जाती है जिसका प्रभाव उसके परिवार पर पड़ता है इसीलिए बीमा जोखिम के प्रबंध के लिए जरूरी होता है।
8. **दीर्घकालिक योजना :** जीवन बीमा भविष्य की योजनाओं जैसे बच्चों की शिक्षा, विवाह या घर बनाने जैसी जरूरतों के लिए पूंजी तैयार करने में मदद करता है। और व्यक्ति चाहे तो इन छोटी-छोटी बचत से एक बड़ी पूंजी का निर्माण कर भविष्य के योजनाओं के आधार पर एक व्यापार कर सकता है और अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है इससे हम यह कह सकते हैं की जीवन बीमा कही न कही भविष्य के योजनाओं के क्रियान्वन में सहयोग देता है।

9. **बोनस और लाभांश :** कुछ पॉलिसियों में बीमा कंपनियाँ अपने लाभ का एक हिस्सा बोनस या लाभांश के रूप में पॉलिसीधारकों को देती हैं। बहुत सी ऐसी कंपनियाँ अपने धारकों में बीमा के उत्साह को बढ़ाने और समाज में इसके प्रचार-प्रसार को लेकर बीमित व्यक्ति को समय-समय पर कुछ बोनस के रूप में धनराशि प्रदान करती है इससे बीमाधारक को बीमादाता के तरफ से सहयोग मिल जाता है।
10. **सामाजिक स्थिरता :** हर व्यक्ति अपने जीवन सुख और शान्ति चाहता है और यह तब संभव है जब उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो लेकिन जीवन की एक और कड़वी सच्चाई है कि हर व्यक्ति आर्थिक रूप से न मजबूत होता है और ना हो सकता है उसके अनेकों कारण होते हैं लेकिन हर व्यक्ति अपने-अपने प्रयासों से लगा रहता है जिससे जीवन बीमा के माध्यम से समाज में रहने वाले लोगों के बीच आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा की भावना बनी रहे।

13.7 जीवन बीमा की प्रकृति (Nature of Life Insurance)

जीवन बीमा मानव जीवन से संबंधित जोखिमों को कम करने का एक महत्वपूर्ण वित्तीय साधन है। यह एक ऐसा अनुबंध है जिसके अंतर्गत बीमाकर्ता (बीमा कंपनी) बीमित व्यक्ति से नियमित प्रीमियम प्राप्त करके उसकी मृत्यु या बीमा अवधि की समाप्ति पर एक निश्चित राशि देने का वचन देता है। जीवन बीमा केवल जोखिम से सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बचत, निवेश, सामाजिक सुरक्षा और मानसिक संतोष जैसे अनेक तत्व निहित होते हैं। जीवन बीमा की प्रकृति को समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे इसके वास्तविक उद्देश्य, महत्व और उपयोगिता का स्पष्ट ज्ञान होता है।

1. **जीवन बीमा एक अनुबंध है:** जीवन बीमा मूल रूप से एक वैध अनुबंध है, जो भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के अंतर्गत किया जाता है। इसमें प्रस्ताव, स्वीकृति, प्रतिफल (प्रीमियम), सक्षम पक्ष और वैध उद्देश्य जैसे सभी आवश्यक तत्व उपस्थित होते हैं। बीमाकर्ता और बीमित व्यक्ति के बीच यह अनुबंध आपसी सहमति पर आधारित होता है।
2. **जीवन बीमा जोखिम से संरक्षण का साधन है:** जीवन बीमा का प्रमुख स्वरूप जोखिम से सुरक्षा प्रदान करना है। मानव जीवन अनिश्चितताओं से भरा होता है—मृत्यु, दुर्घटना या बीमारी कभी भी हो सकती है। जीवन बीमा इन जोखिमों के कारण उत्पन्न होने वाली आर्थिक कठिनाइयों से परिवार को सुरक्षित करता है।
3. **जीवन बीमा दीर्घकालीन प्रकृति का होता है:** जीवन बीमा योजनाएँ सामान्यतः दीर्घकाल के लिए होती हैं। इनकी अवधि 5 वर्ष से लेकर 30–35 वर्ष या उससे अधिक भी हो सकती है। यही कारण है कि जीवन बीमा दीर्घकालीन वित्तीय योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है।
4. **जीवन बीमा में बचत का तत्व होता है :** टर्म बीमा को छोड़कर अधिकांश जीवन बीमा योजनाओं में बचत का तत्व निहित होता है। बीमित व्यक्ति द्वारा भुगतान किया गया प्रीमियम न केवल सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि भविष्य के लिए पूँजी निर्माण में भी सहायक होता है।

5. **जीवन बीमा निश्चित घटना पर आधारित होता है:** जीवन बीमा सामान्य बीमा से इस दृष्टि से भिन्न है कि इसमें बीमित घटना (मृत्यु) निश्चित है, केवल समय अनिश्चित होता है। यही कारण है कि जीवन बीमा को “निश्चित दावा वाला बीमा” भी कहा जाता है।
6. **जीवन बीमा पारिवारिक सुरक्षा का आधार है :** जीवन बीमा की प्रकृति सामाजिक और पारिवारिक सुरक्षा से भी जुड़ी है। यह परिवार के आश्रित सदस्यों—पत्नी, बच्चे, माता-पिता—को आर्थिक सहारा प्रदान करता है। बीमित व्यक्ति की मृत्यु के बाद परिवार का जीवन स्तर बनाए रखने में यह सहायक होता है।
7. **जीवन बीमा सामाजिक सुरक्षा का साधन है :** जीवन बीमा केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक सुरक्षा का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। यह निर्धनता, बेरोजगारी और वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता प्रदान करता है तथा समाज में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है।

13.8 जीवन बीमा के प्रमुख कार्य (Functions of Life Insurance)

- आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना
- जोखिम का हस्तांतरण
- बचत की आदत का विकास
- निवेश का माध्यम
- भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति
- कर लाभ प्रदान करना

जीवन बीमा केवल मृत्यु के बाद धनराशि देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति, परिवार और समाज के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—

1. **आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना:** जीवन बीमा का मुख्य कार्य बीमित व्यक्ति की मृत्यु या निर्धारित अवधि पूरी होने पर उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना है, जिससे परिवार की आय में अचानक आई कमी की पूर्ति हो सके।
2. **जोखिम का हस्तांतरण :** जीवन से जुड़े अनिश्चित जोखिमों (मृत्यु, दुर्घटना आदि) को बीमा कंपनी को स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिससे व्यक्ति और उसके परिवार पर आर्थिक बोझ कम होता है।
3. **बचत की आदत का विकास:** नियमित प्रीमियम भुगतान से व्यक्ति में बचत की आदत विकसित होती है, जो भविष्य की आवश्यकताओं के लिए सहायक होती है।
4. **निवेश का माध्यम :** कई जीवन बीमा योजनाएँ निवेश का भी साधन होती हैं, जिनमें बीमित राशि के साथ बोनस या लाभांश भी प्राप्त होता है।

5. **भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति:** जीवन बीमा से बच्चों की शिक्षा, विवाह, घर निर्माण, व्यवसाय स्थापना जैसी दीर्घकालीन आवश्यकताओं के लिए धन उपलब्ध कराया जा सकता है।
6. **कर लाभ प्रदान करना:** जीवन बीमा प्रीमियम और परिपक्वता राशि पर आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर छूट एवं कर लाभ प्राप्त होते हैं।

13.9 जीवन बीमा कराने की प्रक्रिया (Process of Taking Life Insurance)

जीवन बीमा कराने की प्रक्रिया एक व्यवस्थित एवं चरणबद्ध प्रक्रिया होती है, जिसके माध्यम से व्यक्ति बीमा सुरक्षा प्राप्त करता है। इसके प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं—

1. **बीमा आवश्यकता का आकलन :** सबसे पहले व्यक्ति अपनी आय, परिवार की आवश्यकताओं, भविष्य की जिम्मेदारियों और जोखिमों का मूल्यांकन करता है तथा उपयुक्त बीमा कवर तय करता है।
2. **उपयुक्त बीमा योजना का चयन :** आवश्यकता के अनुसार जीवन बीमा की योजना (टर्म प्लान, एंडोमेंट प्लान, मनी बैक प्लान, यूलिप आदि) का चयन किया जाता है।
3. **प्रस्ताव पत्र भरना:** बीमा कंपनी द्वारा दिया गया प्रस्ताव पत्र सही और पूर्ण जानकारी के साथ भरा जाता है। इसमें आयु, स्वास्थ्य, पेशा, आय, नामिनी आदि विवरण शामिल होते हैं।
4. **आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना :** पहचान पत्र, आयु प्रमाण, आय प्रमाण, पता प्रमाण, फोटो आदि दस्तावेज बीमा कंपनी को दिए जाते हैं।
5. **चिकित्सीय परीक्षण :** बीमा राशि और आयु के अनुसार बीमित व्यक्ति का चिकित्सीय परीक्षण कराया जाता है, ताकि स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन किया जा सके।
6. **जोखिम का मूल्यांकन :** बीमा कंपनी उपलब्ध जानकारी और चिकित्सा रिपोर्ट के आधार पर जोखिम का आकलन करती है तथा प्रीमियम दर निर्धारित करती है।
7. **प्रीमियम भुगतान:** प्रस्ताव स्वीकार होने पर बीमित व्यक्ति निर्धारित प्रीमियम का भुगतान करता है।
8. **बीमा पॉलिसी जारी होना :** प्रीमियम भुगतान के बाद बीमा कंपनी द्वारा बीमा पॉलिसी जारी की जाती है, जो बीमा अनुबंध का लिखित प्रमाण होती है।
9. **फ्री-लुक अवधि :** पॉलिसी प्राप्त होने के बाद निर्धारित अवधि (आमतौर पर 15–30 दिन) में शर्तें अस्वीकार्य होने पर पॉलिसी रद्द की जा सकती है।

13.10 सारांश (Summary)

इस इकाई में जीवन बीमा के कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हुआ जिसमें जीवन बीमा के अर्थ, विशेषताएं और लाभों का विस्तृत तौर पर वर्णन किया गया है। अगर हम बात करते हैं केवल बीमा की तो यह अपने आप में एक वृहत विषय बनकर उभरता है चूँकि आज के समय में इसका क्षेत्र इतना बड़ा हो गया है कि बिना बीमा के व्यापार करना संभव ही नहीं है कोई भी ऐसी विषय वस्तु चाहे वो व्यक्ति के जीवन से सम्बंधित हो या संपत्ति से

बीमा जरूरी हो गया है आधुनिक जीवन में हमें इसका प्रमाण भी मिलता है रेलवे के टिकट हो, हवाई जहाज का टिकट हो या बैंक में खाते खुलवाने का हो इन सभी चीजों में बीमा सरकार द्वारा कहीं न कहीं अनिवार्य कर दिया गया है तो हम कह सकते हैं कि बीमा हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुका है।

जीवन बीमा के कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ होते हैं। सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह व्यक्ति के परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाता है। मृत्यु की स्थिति में बीमित राशि परिवार को दी जाती है, जिससे बच्चों की शिक्षा, विवाह, और अन्य आवश्यक खर्च पूरे किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, पॉलिसी की अवधि पूरी होने पर बीमाधारक को परिपक्वता राशि प्राप्त होती है।

आज के अनिश्चित जीवन में, बीमा व्यक्ति को मानसिक शांति और सुरक्षा प्रदान करता है क्योंकि यह जानकर सुकून मिलता है कि किसी आकस्मिक घटना की स्थिति में उसके परिवार को आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। जीवन बीमा केवल मृत्यु पर मिलने वाली राशि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बचत, निवेश, और भविष्य की वित्तीय योजनाओं से भी जुड़ा होता है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपनी आय का एक हिस्सा सुरक्षित रूप से भविष्य के लिए संचित करता है। इस प्रकार, जीवन बीमा व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के साथ-साथ आर्थिक स्थिरता का भी आधार बनता है। जीवन बीमा एक ऐसा अनुबंध है जिसमें बीमा कंपनी किसी व्यक्ति (बीमित) को उसकी मृत्यु या निर्धारित अवधि पूरी होने पर एक निश्चित राशि देने का वादा करती है। इसके बदले में बीमित व्यक्ति नियमित रूप से प्रीमियम का भुगतान करता है।

13.11 शब्दावली (Vocabulary)

बीमाधारक : वह व्यक्ति जो बीमा पॉलिसी खरीदता है।

प्रीमियम: वह राशि जो बीमाधारक नियमित रूप से बीमा कंपनी को देता है।

जीवन बीमा: व्यक्ति के जीवन पर आधारित बीमा जो मृत्यु या अवधि पूरी होने पर राशि प्रदान करता है।

नामांकित व्यक्ति: पॉलिसी को बीच में समाप्त करने पर मिलने वाली उस नामित व्यक्ति को राशि।

नवीनीकरण: पॉलिसी को आगे जारी रखने की प्रक्रिया।

13.12 बोध प्रश्न

- 1) जीवन बीमा केवल दुर्घटना से होने वाली मृत्यु पर ही लागू होता है।
- 2) जीवन बीमा व्यक्ति के जीवन पर किया जाने वाला बीमा है।
- 3) जीवन बीमा का उद्देश्य व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिवार को आर्थिक सहायता देना होता है।
- 4) जीवन बीमा पॉलिसी हमेशा केवल एक वर्ष के लिए होती है।
- 5) जीवन बीमा में बीमित व्यक्ति जीवित रहने पर परिपक्वता राशि प्राप्त कर सकता है।
- 6) सामान्य बीमा और जीवन बीमा एक ही प्रकार के बीमा हैं।
- 7) जीवन बीमा केवल सरकारी कंपनियाँ ही बेच सकती हैं।

13.13 बोध प्रश्नों के उत्तर

- 1) असत्य

- 2) सत्य
- 3) सत्य
- 4) असत्य
- 5) सत्य
- 6) असत्य
- 7) असत्य

13.14 स्वपरख प्रश्न

लघु उत्तरीय प्रश्न :

- 1) जीवन बीमा क्या है? इसकी परिभाषा दीजिए।
- 2) जीवन बीमा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है।
- 3) जीवन बीमा और सामान्य बीमा में क्या अंतर है।
- 4) जीवन बीमा की प्रमुख विशेषताएँ लिखिए।
- 5) जीवन बीमा के मुख्य लाभ क्या हैं।
- 6) जीवन बीमा में बीमित व्यक्ति और बीमाकर्ता में क्या अंतर है।
- 7) नामांकित व्यक्ति कौन होता है और उसका क्या महत्व है।
- 8) जीवन बीमा में प्रीमियम क्या होता है।
- 9) जीवन बीमा अनुबंध की आवश्यक शर्तें बताइए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न:

- 1) जीवन बीमा की परिभाषा दीजिए तथा इसके उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए।
- 2) जीवन बीमा के प्रमुख सिद्धांतों को विस्तार से समझाइए।
- 3) जीवन बीमा के आर्थिक और सामाजिक महत्व पर चर्चा कीजिए।
- 4) जीवन बीमा के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए तथा उनके बीच अंतर स्पष्ट कीजिए।
- 5) जीवन बीमा के लाभों को उदाहरण सहित समझाइए।
- 6) जीवन बीमा के अंतर्गत प्रीमियम निर्धारण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए।
- 7) जीवन बीमा अनुबंध की मुख्य विशेषताएँ बताइए।
- 8) भारत में जीवन बीमा के विकास का इतिहास बताइए।

13.15 सन्दर्भ पुस्तकें (Reference Books)

- *बीमा सिद्धान्त एवं व्यवहार* — महानारायण मिश्र, जीवन बीमा के सिद्धान्त, बीमापत्र (policy), बीमा की प्रगति, जीवन बीमा की आवश्यकताएँ आदि विषयों पर विस्तार से वर्णन।

- बीमा प्रबन्धन एवं प्रशासन — एम एन मिश्र, बीमा व्यवसाय के प्रबंधन-पक्ष, एजेंट प्रशासन, कार्यालय प्रबंधन, विक्रय संगठन आदि जानकारी।
- बीमा के सिद्धांत एवं व्यवहार (*Principles & Practices of Insurance*) — Dr. RadhaKrishna Vishnoi & Sachin Maheshwari NEP-2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम; जोखिम, जीवन बीमा, प्रीमियम गणना, स्वास्थ्य बीमा आदि शामिल।
- *Principles And Practice Of Insurance* (बीमा के सिद्धांत एवं व्यवहार) — Dr. Jaya Tripathi Pandey, Dr. Saroj Kumar, बीमा के बुनियादी सिद्धांत, जीवन बीमा अनुबंध (contracts), नीति-शर्तें, नामांकन-अधिकार, वार्षिकी (annuity), मोर्टैलिटी टेबल आदि।
- *Life Insurance Agents MCQ Guide for IRDA Exam IC38 (Hindi Edition)* — Sashi Publications IC-38 परीक्षा के लिए MCQ प्रश्नों सहित; जीवन बीमा एजेंट बनने वालों के लिए उपयोगी अभ्यास सामग्री।
- *जीवन बीमा हैंडबुक* — IRDAI द्वारा प्रकाशित हिंदी handbook जीवन बीमा से जुड़े नियम-विनियम।

इकाई – 14 जीवन बीमा नीति, प्रकार और महत्व (Life Insurance Policy, Types and Importance)

इकाई की रूपरेखा

- 14.1 प्रस्तावना
- 14.2 जीवन बीमा नीति
- 14.3 जीवन बीमा के प्रकार
- 14.4 जीवन बीमा का महत्व
- 14.5 जीवन बीमा पालिसी के नियम और शर्तें, नामांकन और समनुदेशन
- 14.6 सारांश
- 14.7 शब्दावली
- 14.8 बोध प्रश्न
- 14.9 बोध प्रश्नों के उत्तर
- 14.10 स्वपरख प्रश्न
- 14.11 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे की -

- जीवन बीमा नीति के अर्थ को समझ सकेंगे |
- जीवन बीमा के महत्व को समझ सकेंगे |
- जीवन बीमा के प्रकार को समझ सकेंगे |

14.1 प्रस्तावना (Introduction)

जीवन अनिश्चित है- हम नहीं जानते कि आने वाले समय में क्या होगा। ऐसे में जीवन बीमा एक ऐसी योजना है जो व्यक्ति और उसके परिवार को भविष्य की आर्थिक अनिश्चितताओं से सुरक्षा प्रदान करती है। जीवन बीमा वह अनुबंध है जिसमें बीमाकर्ता यह वादा करता है कि यदि बीमाधारक की मृत्यु हो जाती है या पॉलिसी की अवधि पूरी हो जाती है, तो एक निश्चित राशि उसके परिवार या नामित व्यक्ति को दी जाएगी। जीवन बीमा न केवल मृत्यु के बाद आर्थिक सहारा प्रदान करता है, बल्कि यह **बचत, निवेश और कर लाभ** का भी एक प्रभावी माध्यम है। यह व्यक्ति के जीवन में **सुरक्षा, स्थिरता और आत्मविश्वास** लाने का कार्य करता है।

आज के आधुनिक युग में, जब जीवन की गति तेज़ और जोखिमपूर्ण हो चुकी है, जीवन बीमा हर परिवार की एक आवश्यक वित्तीय आवश्यकता बन गई है। यह न केवल परिवार की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि भविष्य की योजनाओं को भी साकार करने में सहायता करता है।

जीवन बीमा एक ऐसा अनुबंध है जिसमें बीमा कंपनी किसी व्यक्ति (बीमित) को उसकी मृत्यु या निर्धारित अवधि पूरी होने पर एक निश्चित राशि देने का वादा करती है। इसके बदले में बीमित व्यक्ति नियमित रूप से एक निश्चित

राशि प्रीमियम के रूप में भुगतान करता है। जीवन बीमा व्यक्ति और उसके परिवार के आर्थिक जीवन को सुरक्षित करने का एक सशक्त माध्यम है। आज के अनिश्चित जीवन में, बीमा व्यक्ति को मानसिक शांति और सुरक्षा प्रदान करता है क्योंकि यह जानकर सुकून मिलता है कि किसी आकस्मिक घटना की स्थिति में उसके परिवार को आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा।

जीवन बीमा केवल मृत्यु पर मिलने वाली राशि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बचत, निवेश, और भविष्य की वित्तीय योजनाओं से भी जुड़ा होता है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपनी आय का एक हिस्सा सुरक्षित रूप से भविष्य के लिए संचित करता है। इस प्रकार, जीवन बीमा व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के साथ-साथ आर्थिक स्थिरता का भी आधार बनता है।

जीवन बीमा की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि जीवन अनिश्चित है। किसी व्यक्ति की असमय मृत्यु उसके परिवार को गहरे आर्थिक संकट में डाल सकती है। ऐसे में जीवन बीमा एक सुरक्षा कवच का कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य बीमित व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि उनके जीवन स्तर में गिरावट न आए।

इसके अतिरिक्त, जीवन बीमा का उद्देश्य लोगों को दीर्घकालिक बचत के लिए प्रेरित करना भी है। नियमित प्रीमियम भुगतान के माध्यम से व्यक्ति अनुशासनपूर्वक बचत करना सीखता है। कुछ योजनाएँ निवेश से भी जुड़ी होती हैं, जिनसे बोनस या लाभांश के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। इस प्रकार जीवन बीमा न केवल सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि धन सृजन का भी माध्यम है।

इसके साथ ही, जीवन बीमा कर लाभ भी प्रदान करता है। आयकर अधिनियम की धारा 80C और 10(10D) के तहत प्रीमियम भुगतान पर कर छूट मिलती है, जिससे व्यक्ति को आर्थिक लाभ प्राप्त होता है।

14.2 जीवन बीमा नीति (Life Insurance Policy)

जीवन बीमा एक ऐसा अनुबंध है जिसमें बीमा कंपनी किसी व्यक्ति (बीमित) के जीवन को एक निश्चित राशि तक सुरक्षित करती है। बीमित व्यक्ति नियमित रूप से प्रीमियम का भुगतान करता है, और बदले में बीमा कंपनी यह वचन देती है कि यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु निर्धारित अवधि के भीतर हो जाती है या वह अवधि पूरी कर लेता है, तो बीमा कंपनी या तो उसके नामित व्यक्ति या स्वयं बीमित को निश्चित धनराशि का भुगतान करेगी। आधुनिक जीवन में जीवन बीमा की प्रमुखता के कारण बीमा करने वाली कंपनियां अनेक तरीके की नीतियाँ लेकर चलती हैं जिसको जैसी नीति अच्छी लगती है उसे खरीद लेता है।

14.3 जीवन बीमा के प्रकार (Types of Life Insurance Policy)

जीवन बीमा के लिए बहुत प्रकार के पालिसी चलन में हैं जिसके अलग-अलग तरीके की सुविधाएं धारकों को दिया जाता है पालिसी धारक अपने बचत और क्षमता के आधार पर पालिसी खरीदता है जो निम्नवत इस प्रकार है।

1. टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी (Term Insurance Policy)
2. एंडोमेंट पॉलिसी (Endowment Policy)
3. मनी बैक पॉलिसी (Money Back Policy)

4. होल लाइफ पॉलिसी (Whole Life Policy)
5. यूनिट लिंकड इश्योरेंस प्लान (ULIP)
6. चाइल्ड प्लान (Child Insurance Plan)
7. रिटायरमेंट या पेंशन पॉलिसी (Retirement / Pension Plan)
8. ग्रुप इश्योरेंस पॉलिसी (Group Insurance Policy)
9. ज्वाइंट लाइफ इश्योरेंस (Joint Life Insurance Policy)
10. स्वास्थ्य संबंधित जीवन बीमा (Health Related Life Insurance Policy)
11. माइक्रो इश्योरेंस पॉलिसी (Micro Insurance Policy)
12. कन्वर्टिबल पॉलिसी (Convertible Policy)
13. सेविंग्स एंड इनकम प्लान (Savings and Income Plan)
14. लोन विड इश्योरेंस कवरेज पॉलिसी (Loan Protection Policy)
1. **टर्म इश्योरेंस पॉलिसी** : टर्म इश्योरेंस सबसे सरल और सस्ती जीवन बीमा योजना है। इसमें बीमित व्यक्ति को केवल मृत्यु पर लाभ मिलता है। यदि बीमित व्यक्ति बीमा अवधि के दौरान मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उसके नामित व्यक्ति को बीमा राशि प्राप्त होती है। लेकिन यदि बीमित व्यक्ति पॉलिसी अवधि तक जीवित रहता है, तो उसे कोई भुगतान नहीं किया जाता। यह पॉलिसी विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयुक्त होती है जो अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं, परंतु जिनका बजट सीमित होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने ₹50 लाख की टर्म पॉलिसी ली है और वह अवधि के भीतर मृत्यु को प्राप्त करता है, तो उसके परिवार को ₹50 लाख मिलते हैं। लेकिन यदि वह व्यक्ति जीवित रहता है, तो पॉलिसी की अवधि समाप्त हो जाती है।

मुख्य विशेषताएँ :

- कम प्रीमियम में अधिक बीमा राशि।
 - कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं।
 - केवल मृत्यु पर दावा।
2. **एंडोमेंट पॉलिसी** : एंडोमेंट पॉलिसी एक ऐसी योजना है जो सुरक्षा और बचत दोनों का संयोजन है। इस पॉलिसी में यदि बीमित व्यक्ति पॉलिसी अवधि के दौरान जीवित रहता है, तो उसे परिपक्वता पर निश्चित राशि प्राप्त होती है। और यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु अवधि के दौरान हो जाती है, तो नामित व्यक्ति को बीमा राशि दी जाती है। यह पॉलिसी उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो भविष्य में किसी विशेष उद्देश्य जैसे बच्चों की शिक्षा, विवाह या घर निर्माण के लिए धन संचित करना चाहते हैं।

लाभ:

- मृत्यु अथवा अवधि पूर्ण होने दोनों पर भुगतान।
- निवेश और बीमा का संतुलन।
- बोनस और मुनाफा भी मिलता है।

3. **मनी बैक पॉलिसी :** मनी बैक पॉलिसी एंडोमेंट योजना का ही एक विशेष रूप है जिसमें बीमित व्यक्ति को पॉलिसी अवधि के दौरान निश्चित अंतराल पर कुछ राशि वापस मिलती रहती है। यह योजना उन लोगों के लिए लाभकारी होती है जिन्हें नियमित अंतराल पर धन की आवश्यकता होती है, जैसे बच्चों की शिक्षा, गृह निर्माण आदि के लिए। यदि बीमित व्यक्ति अवधि पूरी कर लेता है तो शेष राशि उसे दी जाती है, और यदि मृत्यु हो जाती है तो शेष बची हुई राशि नामित व्यक्ति को प्राप्त होती है।

उदाहरण: 20 वर्ष की मनी बैक पॉलिसी में हर 5 वर्ष पर कुछ प्रतिशत राशि दी जाती है और अवधि के अंत में शेष राशि दी जाती है।

मुख्य लाभ:

- नियमित नकदी प्रवाह।
 - मृत्यु पर पूर्ण राशि का भुगतान।
 - दीर्घकालिक बचत का साधन।
4. **होल लाइफ पॉलिसी :** होल लाइफ पॉलिसी व्यक्ति को उसके संपूर्ण जीवन के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें कोई निश्चित अवधि नहीं होती है बीमित व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात ही नामित व्यक्ति को बीमा राशि का भुगतान किया जाता है। यह पॉलिसी उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो अपने परिवार को स्थायी सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं। इस पॉलिसी में बीमित व्यक्ति अपने जीवनकाल में बोनस भी प्राप्त कर सकता है।

विशेषताएँ:

- जीवनभर सुरक्षा।
 - मृत्यु पर बीमा राशि का भुगतान।
 - निवेश के साथ दीर्घकालिक सुरक्षा।
5. **यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान :** एक आधुनिक योजना है जिसमें बीमा और निवेश दोनों का संयोजन होता है। बीमित व्यक्ति द्वारा दिया गया प्रीमियम दो हिस्सों में विभाजित होता है — एक हिस्सा बीमा कवरेज के लिए और दूसरा हिस्सा शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाता है। इससे बीमित व्यक्ति को बाजार के प्रदर्शन के अनुसार रिटर्न मिलता है। ULIP उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो जोखिम लेने में सक्षम हैं और दीर्घकालिक निवेश करना चाहते हैं।

लाभ:

- बाजार आधारित रिटर्न।
 - बीमा प्लस निवेश दोनों लाभ।
 - पारदर्शिता और नियंत्रण।
6. **चाइल्ड प्लान :** यह पॉलिसी माता-पिता द्वारा अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ली जाती है। इसका उद्देश्य बच्चे की शिक्षा, करियर या विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यदि पॉलिसी अवधि के दौरान माता-पिता की मृत्यु हो जाती है, तो बीमा कंपनी भविष्य के सभी प्रीमियम माफ कर देती है और निर्धारित समय पर बच्चे को पूरी राशि देती है।

लाभ:

- बच्चे की शिक्षा व भविष्य की सुरक्षा।
 - माता-पिता की मृत्यु पर भी योजना जारी रहती है।
 - माफ किए गए प्रीमियम की सुविधा।
7. **रिटायरमेंट या पेंशन पॉलिसी** : यह योजना उन लोगों के लिए है जो सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय प्राप्त करना चाहते हैं। इसमें बीमित व्यक्ति अपने कार्यकाल के दौरान नियमित प्रीमियम जमा करता है और रिटायरमेंट के बाद उसे मासिक, तिमाही या वार्षिक आय के रूप में पेंशन प्राप्त होती है।

लाभ:

- सेवानिवृत्ति के बाद स्थिर आय।
 - कर लाभ।
 - सुरक्षित भविष्य की योजना।
8. **ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी** : यह पॉलिसी किसी संस्था, कंपनी या संगठन द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए ली जाती है। इसमें एक साथ कई व्यक्तियों को बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है। ग्रुप इंश्योरेंस आमतौर पर कर्मचारियों को उनके सेवा काल के दौरान सुरक्षा देता है।

लाभ:

- समूह में सभी सदस्यों का बीमा।
 - कम प्रीमियम में अधिक कवरेज।
 - कर्मचारियों की निष्ठा और संतुष्टि बढ़ती है।
9. **ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस** : इस योजना के अंतर्गत दो व्यक्तियों का एक साथ बीमा किया जाता है - आमतौर पर पति-पत्नी। यदि उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, तो दूसरे को बीमा राशि दी जाती है और कई मामलों में पॉलिसी जारी रहती है।

लाभ:

- पति-पत्नी दोनों को सुरक्षा।
 - परिवार की स्थायी आर्थिक सुरक्षा।
 - एक ही पॉलिसी से दो व्यक्तियों को लाभ।
10. **स्वास्थ्य संबंधित जीवन बीमा** : कुछ जीवन बीमा योजनाएँ विशेष रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी होती हैं, जैसे कि टर्म विद क्रिटिकल इलनेस कवर, जिसमें बीमित व्यक्ति को गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, हार्ट अटैक आदि की स्थिति में वित्तीय सहायता दी जाती है।

लाभ:

- बीमारी की स्थिति में सहायता राशि।
- अस्पताल खर्च की भरपाई।
- परिवार पर आर्थिक बोझ कम होना।

11. **माइक्रो इश्योरेंस पॉलिसी** : यह पॉलिसी विशेष रूप से निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए बनाई गई है, ताकि वे भी बीमा की सुविधा प्राप्त कर सकें। इसमें प्रीमियम बहुत कम होता है लेकिन बीमा कवरेज सीमित होता है।
उदाहरण: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) - ₹330 वार्षिक प्रीमियम पर ₹2 लाख का बीमा कवरेज।
12. **कन्वर्टिबल पॉलिसी** : इस योजना में बीमित व्यक्ति को यह अधिकार होता है कि वह अपनी मौजूदा टर्म पॉलिसी को भविष्य में एंडोमेंट या होल लाइफ पॉलिसी में बदल सकता है। यह लचीलापन उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो भविष्य में अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने की आशा रखते हैं।
13. **सेविंग्स एंड इनकम प्लान** : इस प्रकार की पॉलिसी बीमित व्यक्ति को निश्चित अंतराल पर आय प्रदान करती है। यह उन लोगों के लिए उपयोगी होती है जिन्हें नियमित नकदी प्रवाह की आवश्यकता होती है - जैसे छोटे व्यवसायी या सेवानिवृत्त व्यक्ति।
14. **लोन विद इश्योरेंस कवरेज पॉलिसी** : यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिन्होंने होम लोन या अन्य दीर्घकालिक ऋण लिया है। यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो बीमा कंपनी ऋण की शेष राशि चुका देती है ताकि परिवार पर आर्थिक बोझ न पड़े।

14.4 जीवन बीमा का महत्व (Importance of Life Insurance)

जीवन बीमा के कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ होते हैं। सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह व्यक्ति के परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाता है। मृत्यु की स्थिति में बीमित राशि परिवार को दी जाती है, जिससे बच्चों की शिक्षा, विवाह, और अन्य आवश्यक खर्च पूरे किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, पॉलिसी की अवधि पूरी होने पर बीमाधारक को परिपक्वता राशि प्राप्त होती है, जो उसकी सेवानिवृत्ति या अन्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं में सहायक होती है। जीवन बीमा से व्यक्ति को ऋण सुविधा भी मिलती है, जिससे अचानक आने वाले आर्थिक कठिनाइयों का समाधान किया जा सकता है। यह बीमा न केवल व्यक्ति के लिए बल्कि व्यवसायिक क्षेत्र में भी उपयोगी होता है। किसी साझेदार की मृत्यु की स्थिति में जीवन बीमा व्यवसाय को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है। इस प्रकार, जीवन बीमा व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों स्तरों पर सुरक्षा और आर्थिक संतुलन प्रदान करता है।

1. **परिवार की आर्थिक सुरक्षा** : जीवन बीमा सुनिश्चित करता है कि आपने जो परिवार छोड़ा है, उसे वित्तीय कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। आपकी मृत्यु के पश्चात बीमा राशि उन्हें जीवनयापन में सहायता देती है।
2. **दीर्घकालीन बचत और निवेश** : जीवन बीमा योजनाएँ केवल सुरक्षा ही नहीं देतीं, बल्कि बचत और निवेश का अवसर भी प्रदान करती हैं। इससे लंबे समय में पर्याप्त धन संचित किया जा सकता है।
3. **बच्चों की शिक्षा और विवाह में मदद** : जीवन बीमा पॉलिसी से मिलने वाली राशि बच्चों की उच्च शिक्षा और विवाह जैसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक होती है।

4. **सेवानिवृत्ति के बाद आय का साधन** : कुछ जीवन बीमा पॉलिसियाँ पेंशन या नियमित आय का प्रावधान देती हैं, जिससे वृद्धावस्था में आर्थिक निर्भरता कम होती है।
5. **कर लाभ** : जीवन बीमा पॉलिसी में निवेश करने पर आयकर अधिनियम की धारा 80C और 10(10D) के तहत कर लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
6. **ऋण एवं वित्तीय सुविधा** : जीवन बीमा पॉलिसी के आधार पर व्यक्ति ऋण भी प्राप्त कर सकता है, जो किसी आपात स्थिति में उपयोगी साबित होता है।
7. **मानसिक शांति** : जीवन बीमा होने से यह विश्वास रहता है कि किसी भी आपात स्थिति में परिवार सुरक्षित है, जिससे मानसिक शांति मिलती है।

14.5 जीवन बीमा पालिसी के नियम और शर्तें, नामांकन और समनुदेशन (Terms and Conditions of the Life Insurance Policy, Nomination and Assignment)

जीवन बीमा एक ऐसा संविदात्मक समझौता है जिसमें बीमा कंपनी (बीमाकर्ता) बीमित व्यक्ति के जीवन से जुड़े जोखिम को स्वीकार करती है और बदले में बीमित व्यक्ति नियमित रूप से प्रीमियम का भुगतान करता है। यह अनुबंध कुछ निश्चित नियमों एवं शर्तों पर आधारित होता है, जिनका पालन दोनों पक्षों के लिए अनिवार्य होता है। इसके साथ ही बीमा पॉलिसी में नामांकन तथा समनुदेशन जैसे प्रावधान होते हैं, जो बीमा राशि के भुगतान और अधिकारों के हस्तांतरण से संबंधित हैं। इन तीनों पहलुओं का ज्ञान बीमाधारक के लिए अत्यंत आवश्यक है।

1. **जीवन बीमा पॉलिसी के नियम एवं शर्तें**: जीवन बीमा पॉलिसी के नियम एवं शर्तें वह आधार हैं जिन पर पूरा बीमा अनुबंध टिका होता है। ये शर्तें बीमाधारक और बीमा कंपनी दोनों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को स्पष्ट करती हैं।
 - (क) **प्रस्ताव और स्वीकृति**: बीमा अनुबंध का प्रारंभ प्रस्ताव पत्र से होता है। बीमित व्यक्ति इसमें अपनी आयु, स्वास्थ्य, व्यवसाय, आय आदि से संबंधित सही जानकारी देता है। बीमा कंपनी द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने पर अनुबंध पूर्ण होता है।
 - (ख) **प्रीमियम भुगतान**: बीमाधारक को निर्धारित समय पर प्रीमियम का भुगतान करना अनिवार्य होता है। प्रीमियम मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक हो सकता है। समय पर प्रीमियम न देने पर पॉलिसी लैप्स हो सकती है।
 - (ग) **ग्रेस पीरियड**: बीमा कंपनियाँ प्रीमियम भुगतान के लिए एक निश्चित ग्रेस पीरियड प्रदान करती हैं (आमतौर पर 15–30 दिन)। इस अवधि में भुगतान न करने पर ही पॉलिसी निष्क्रिय मानी जाती है।
 - (घ) **बीमित राशि और अवधि**: पॉलिसी में बीमित राशि स्पष्ट रूप से अंकित होती है। पॉलिसी अवधि समाप्त होने पर या बीमित की मृत्यु पर यह राशि देय होती है।
 - (ङ) **बीमायोग्य हित**: बीमा अनुबंध के समय बीमित व्यक्ति का अपने जीवन में बीमायोग्य हित होना आवश्यक है। जीवन बीमा में यह शर्त स्वाभाविक रूप से पूरी होती है।

- (च) **अपवाद :** कुछ परिस्थितियों में बीमा दावा स्वीकार नहीं किया जाता, जैसे- पॉलिसी के प्रारंभिक वर्षों में, आत्महत्या गलत जानकारी देना, अवैध गतिविधियों से मृत्यु
- (छ) **परिपक्वता और दावा भुगतान:** पॉलिसी की अवधि पूर्ण होने पर परिपक्वता राशि का भुगतान किया जाता है। मृत्यु की स्थिति में नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी को दावा राशि मिलती है।
- 2) **नामांकन :** नामांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बीमाधारक किसी व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि उसकी मृत्यु की स्थिति में वही व्यक्ति बीमा राशि प्राप्त करेगा। यह बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के अंतर्गत किया जाता है।
- (ख) **नामांकन का उद्देश्य:**
- बीमा राशि के भुगतान में सरलता
 - कानूनी विवादों से बचाव
 - आश्रितों को शीघ्र आर्थिक सहायता
- (ग) **नामांकित व्यक्ति कौन हो सकता है: नामांकित व्यक्ति कोई भी हो सकता है—**
- पति/पत्नी
 - पुत्र/पुत्री
 - माता-पिता
 - कोई अन्य व्यक्ति
- (घ) **नामांकन के प्रकार:**
1. साधारण नामांकन – बीमा राशि प्राप्त करने का अधिकार
 2. लाभकारी नामांकन – निकट संबंधियों को लाभार्थी बनाया जाता है
 3. परिवर्तनीय नामांकन – जिसे बाद में बदला जा सकता है
- (ङ) **नामांकन में परिवर्तन :** बीमाधारक अपने जीवनकाल में कभी भी नामांकन बदल सकता है। इसके लिए बीमा कंपनी को लिखित सूचना देना आवश्यक होता है।
- (च) **नामांकन की समाप्ति:**
- बीमाधारक की मृत्यु
 - समनुदेशन करने पर
 - पॉलिसी की परिपक्वता
3. **समनुदेशन :** समनुदेशन वह प्रक्रिया है जिसमें बीमाधारक अपने बीमा पॉलिसी से जुड़े अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को स्थानांतरित कर देता है। यह बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 38 के अंतर्गत आता है।
- (क) **समनुदेशन के उद्देश्य**
- ऋण प्राप्त करने हेतु
 - वित्तीय सुरक्षा
 - व्यावसायिक लेन-देन

(ख) समनुदेशन के प्रकार

1. पूर्ण समनुदेशन: पॉलिसी के सभी अधिकार दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित हो जाते हैं।
2. सशर्त समनुदेशन: कुछ शर्तों के साथ अधिकारों का हस्तांतरण किया जाता है।

(ग) समनुदेशन की प्रक्रिया

- लिखित दस्तावेज़ तैयार करना
- बीमा कंपनी को सूचना देना
- बीमा कंपनी द्वारा पंजीकरण

(घ) समनुदेशन की समाप्ति

- ऋण चुकाने पर
- शर्तों की पूर्ति पर
- पुनः समनुदेशन द्वारा

जीवन बीमा पॉलिसी के नियम एवं शर्तें, नामांकन तथा समनुदेशन बीमा अनुबंध के तीन महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। नियम एवं शर्तें अनुबंध की वैधता और संचालन को सुनिश्चित करती हैं, नामांकन बीमा राशि के सुरक्षित और सरल भुगतान में सहायक होता है, जबकि समनुदेशन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोगी सिद्ध होता है। प्रत्येक बीमाधारक को इन तीनों का समुचित ज्ञान होना चाहिए ताकि वह अपने तथा अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित कर सके।

14.6 सारांश (Summary)

जीवन बीमा पॉलिसी एक ऐसी सुरक्षा योजना है जो व्यक्ति के जीवन के जोखिम को आर्थिक रूप में सुरक्षित करती है। इसके विभिन्न प्रकार व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार सुरक्षा, बचत, और निवेश के अवसर प्रदान करते हैं, जिससे व्यक्ति और उसका परिवार भविष्य में आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सके। आज के अनिश्चित जीवन में, बीमा व्यक्ति को मानसिक शांति और सुरक्षा प्रदान करता है क्योंकि यह जानकर सुकून मिलता है कि किसी आकस्मिक घटना की स्थिति में उसके परिवार को आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। जीवन बीमा केवल मृत्यु पर मिलने वाली राशि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बचत, निवेश, और भविष्य की वित्तीय योजनाओं से भी जुड़ा होता है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपनी आय का एक हिस्सा सुरक्षित रूप से भविष्य के लिए संचित करता है। इस प्रकार, जीवन बीमा व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के साथ-साथ आर्थिक स्थिरता का भी आधार बनता है। जीवन बीमा एक ऐसा अनुबंध है जिसमें बीमा कंपनी किसी व्यक्ति (बीमित) को उसकी मृत्यु या निर्धारित अवधि पूरी होने पर एक निश्चित राशि देने का वादा करती है। इसके बदले में बीमित व्यक्ति नियमित रूप से प्रीमियम का भुगतान करता है।

जीवन बीमा का प्रमुख उद्देश्य परिवार को अनिश्चित परिस्थितियों से सुरक्षित रखना है। किसी व्यक्ति की अचानक मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े, इसके लिए जीवन बीमा अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। यह न केवल मृत्यु जोखिम को कवर करता है, बल्कि दीर्घकालीन बचत और

निवेश का भी एक प्रभावी साधन है। अनेक जीवन बीमा योजनाएँ ऐसी होती हैं जो बीमित व्यक्ति को परिपक्वता पर एकमुश्त राशि प्रदान करती हैं, जिससे भविष्य की योजनाओं जैसे बच्चों की शिक्षा, विवाह या सेवानिवृत्ति के बाद जीवन यापन में सहायता मिलती है।

जीवन बीमा की प्रकृति दीर्घकालीन होती है। इसमें अनुशासनपूर्वक प्रीमियम का भुगतान करना आवश्यक होता है, जिससे बचत की आदत विकसित होती है। इसके साथ ही जीवन बीमा सामाजिक सुरक्षा का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए यह विशेष रूप से उपयोगी है क्योंकि यह सीमित आय में भी भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। सरकार द्वारा संचालित जीवन बीमा योजनाएँ, जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम की योजनाएँ, आम जनता में विश्वास और सुरक्षा की भावना उत्पन्न करती हैं।

जीवन बीमा की विभिन्न योजनाएँ उपलब्ध हैं, जैसे—समयावधि बीमा, संपूर्ण जीवन बीमा, बंदोबस्ती बीमा, मनी बैक पॉलिसी, यूनिट लिंक्ड इश्योरेंस प्लान आदि। प्रत्येक योजना का उद्देश्य और लाभ अलग-अलग होता है, जिससे व्यक्ति अपनी आवश्यकता और आय के अनुसार उपयुक्त योजना का चयन कर सकता है। टर्म इश्योरेंस कम प्रीमियम में अधिक जोखिम सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि बंदोबस्ती और मनी बैक योजनाएँ सुरक्षा के साथ बचत का लाभ देती हैं। कर लाभ भी जीवन बीमा का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। आयकर अधिनियम के अंतर्गत प्रीमियम भुगतान पर कर छूट तथा प्राप्त राशि पर कर लाभ मिलता है, जिससे यह कर नियोजन का भी प्रभावी साधन बन जाता है। इस प्रकार जीवन बीमा न केवल जोखिम सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि बचत, निवेश, कर लाभ और सामाजिक सुरक्षा का समन्वित रूप है।

14.7 शब्दावली (Glossary)

बीमाधारक : वह व्यक्ति जो बीमा पॉलिसी खरीदता है।

प्रीमियम: वह राशि जो बीमाधारक नियमित रूप से बीमा कंपनी को देता है।

जीवन बीमा: व्यक्ति के जीवन पर आधारित बीमा जो मृत्यु या अवधि पूरी होने पर राशि प्रदान करता है।

नामांकित व्यक्ति: पॉलिसी को बीच में समाप्त करने पर मिलने वाली उस नामित व्यक्ति को राशि।

नवीनीकरण: पॉलिसी को आगे जारी रखने की प्रक्रिया।

14.8 बोध प्रश्न (Check Your Progress)

- मनी बैक पालिसी में किसी प्रकार की धनराशि समय-समय पर प्राप्त नहीं होती।
- पेंसन प्लान केवल सेवानिवृत्ति के बाद आय प्रदान करती है।
- जीवन बीमा केवल अमीर लोगों के लिए होता है।
- जीवन बीमा में नॉमिनी का कोई महत्व नहीं होता।
- जीवन बीमा लेने से आयकर में लाभ मिलता है।
- टर्म इन्सुरेंस में maturity लाभ मिलता है।

14.9 बोध प्रश्नों के उत्तर (Answer to Check Your Progress)

1. असत्य
2. सत्य
3. असत्य
4. असत्य
5. सत्य
6. असत्य

14.10 स्वपरख प्रश्न (Self Assessment)

1. जीवन बीमा की परिभाषा दीजिए तथा इसकी प्रकृति, उद्देश्य और महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए।
2. जीवन बीमा अनुबंध से आप क्या समझते हैं? इसके आवश्यक तत्वों (Essential Elements) की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए।
3. जीवन बीमा के प्रमुख प्रकारों का वर्गीकरण कीजिए तथा प्रत्येक प्रकार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
4. जीवन बीमा के सिद्धांतों को समझाइए। बीमायोग्य हित, परम सद्भावना और क्षतिपूर्ति सिद्धांत का विस्तार से वर्णन कीजिए।
5. जीवन बीमा कराने की प्रक्रिया का क्रमबद्ध विवरण दीजिए।
6. जीवन बीमा की विभिन्न योजनाओं (टर्म प्लान, एंडोमेंट, मनी बैक, आदि) का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए।
7. नामांकन और समनुदेशन से आप क्या समझते हैं? जीवन बीमा में इनके महत्व को स्पष्ट कीजिए।
8. जीवन बीमा का व्यक्ति, परिवार एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? विस्तार से समझाइए।
9. जीवन बीमा में प्रीमियम निर्धारण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए।
10. जीवन बीमा के लाभों की विवेचना कीजिए। यह किस प्रकार आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है?
11. जीवन बीमा और सामान्य बीमा में अंतर स्पष्ट कीजिए।
12. भारतीय जीवन बीमा निगम की भूमिका और भारतीय बीमा क्षेत्र में उसके महत्व का वर्णन कीजिए।
13. जीवन बीमा में दावे से आप क्या समझते हैं? दावा निपटान की प्रक्रिया को समझाइए।
14. जीवन बीमा एक निवेश एवं बचत का साधन है—इस कथन की विवेचना कीजिए।
15. जीवन बीमा में कर लाभों का वर्णन कीजिए तथा कर नियोजन में इसकी भूमिका स्पष्ट कीजिए।

14.11 सन्दर्भ पुस्तकें (References Books)

- *बीमा सिद्धान्त एवं व्यवहार* — महानारायण मिश्र, जीवन बीमा के सिद्धान्त, बीमापत्र (policy), बीमा की प्रगति, जीवन बीमा की आवश्यकताएँ आदि विषयों पर विस्तार से वर्णन।

- बीमा प्रबन्धन एवं प्रशासन — एम एन मिश्र, बीमा व्यवसाय के प्रबंधन-पक्ष, एजेंट प्रशासन, कार्यालय प्रबंधन, विक्रय संगठन आदि जानकारी।
- बीमा के सिद्धांत एवं व्यवहार (*Principles & Practices of Insurance*) — Dr. Radha Krishna Vishnoi & Sachin Maheshwari NEP-2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम; जोखिम, जीवन बीमा, प्रीमियम गणना, स्वास्थ्य बीमा आदि शामिल।
- *Principles And Practice Of Insurance* (बीमा के सिद्धांत एवं व्यवहार) — Dr. Jaya Tripathi Pandey, Dr. Saroj Kumar, बीमा के बुनियादी सिद्धांत, जीवन बीमा अनुबंध (contracts), नीति-शर्तें, नामांकन-अधिकार, वार्षिकी (annuity), मोर्टैलिटी टेबल आदि।
- *Life Insurance Agents MCQ Guide for IRDA Exam IC38 (Hindi Edition)* — Sashi Publications IC-38 परीक्षा के लिए MCQ प्रश्नों सहित; जीवन बीमा एजेंट बनने वालों के लिए उपयोगी अभ्यास सामग्री।
- जीवन बीमा हैंडबुक — IRDAI द्वारा प्रकाशित हिंदी handbook जीवन बीमा से जुड़े नियम-विनियम।

